

02940

P

113

936



भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संख्या 2

सिविल

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार

दिनांक 23/02/12 को विधानसभा
को प्रस्तुत किया गया
Presented to the Legislature
00.....

भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संख्या 2

सिविल

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

100
100
100
100

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ / अनुच्छेद	अनुच्छेद
			(vii)
अध्याय - 1			
प्रस्तावना			
1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
1	ऑडिटी प्रोफाइलस	1.2	1
2	लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.3	2
3	लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संयोजन	1.4	3
3	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तिता	1.5	3
3	कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं	1.5.1	3
6	बेन-बैंकों की अनुरक्ति लेखापरीक्षा	1.5.2	6
8	लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.6	8
8	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.6.1	8
9	प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.6.2	9
9	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.6.3	9
अध्याय - 2			
निष्पादन लेखापरीक्षा			
11	उत्तर लेखापरीक्षा विभाग	2.1	11
	कृषि विध्वंस विभाग की कार्यप्रणाली		
39	वन विभाग	2.2	39
	वन विभाग की कार्यप्रणाली		
67	आर्यवत्, हिंदार मण्डल	2.3	67
	जिला जीव		

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
अध्याय - 3		
सम्पादनों की लेखापरीक्षा		
नियमों की अननुपालना	3.1	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिला रैड क्रॉस सोसाइटी) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन	3.1.1	105
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) स्टील की गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने के कारण अधिक भुगतान	3.1.2	107
औचित्य लेखापरीक्षा / अनुचित व्यय	3.2	
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) रिचार्ज बोरवैलज के निर्माण पर व्यर्थ व्यय	3.2.1	109
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता	3.2.2	110
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	3.2.3	111
अव-मानक कार्य के निष्पादन के कारण व्यर्थ व्यय	3.2.4	112
कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड) अपूर्ण कोल्ड स्टोरेज कार्य पर निष्फल व्यय	3.2.5	114
गृह विभाग पुलिस स्टेशन, मोहाना में निर्मित आवासीय मकान खाली रहे	3.2.6	115
निरीक्षण / शासन की विफलता	3.3	
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) पेय जलापूर्ति को दूषित करती निष्क्रिय डिच ड्रेन	3.3.1	117
सिंचाई नहर इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ी रही	3.3.2	119

		विवरण	संख्या	पृष्ठ / अनुसूचिका
121	3.3.3	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग) पहले से ही सुरक्षित पेय जल सहीया करवाए गए गांवों से जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठान पर निफल व्यय		
122	3.3.4	निकष सीवरज स्कीम		
124	3.3.5	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा ग्रहरी विकास प्राधिकरण) संघटित हाऊसिंग एवं स्वम विकास कार्यक्रम - आशियाना		
127	3.3.6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कृषकों को भ्रतान किए गए बोनस की वापसी का रावा करने से विलम्ब के कारण ब्याज की हानि		
128	3.3.7	श्रम एवं रोजगार विभाग (हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड) उपकर निधियों के अनुपयोग के कारण लक्ष्यों की अपाति		
अध्याय - 4				
सरकारी विभाग की कार्यविधि				
131	4.1	पर्याप्तान एवं डेरी - उद्योग विभाग पर्याप्तान एवं डेरी - उद्योग विभाग की कार्यविधि		

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी	1.6.1	161
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6.1	162
1.3	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (सिविल प्रतिवेदन) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.6.3	163
1.4	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.6.3	165
1.5	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, को दर्शाने वाली विवरणी	1.6.3	166
2.1	2006-2011 के दौरान परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के विवरण	2.1.8.4	167
2.2	अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.8.7	168
2.3	वन विभाग की 2006-11 के दौरान कार्यान्वित स्कीमों के विवरण	2.2.7	169
2.4	ऐसे मामले दर्शाने वाली विवरणी, जहां बजट प्रावधान विद्यमान था किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.2.7.1	172
2.5	वन नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा पुनः विनियुक्त राशियां दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7.1	173
2.6	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण, हरियाणा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7.6	174
2.7	मोरनी-पिंजौर पहाड़ियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क एवं कालेसर में ईको-टूरिज्म की परियोजना की स्थिति	2.2.13.1	175
2.8	स्टाफ की कमी दर्शाने वाली विवरणी	2.2.16.1	176
2.9	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन दर्शाने वाली विवरणी	2.2.17	178
2.10	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं के श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.17	179

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.11	नर्सों एवं बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) की स्टाफ स्थिति का ब्यौरा	2.3.8.3	180
2.12	स्टाफ की स्थिति का ब्यौरा	2.3.11.1	181
4.1	पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग में लागू अधिनियमों/नियमों तथा आदेशों को दर्शानेवाली विवरणी	4.1.1	182
4.2	पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी	4.1.1	183
4.3	लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों की सूची	4.1.5	184
4.4	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां दर्शाने वाली विवरणी	4.1.6.1	185
4.5	विभिन्न जिलों में बैंक खातों में पड़ी निधियों के ब्यौरे दर्शानेवाली विवरणी	4.1.7.2	186
4.6	उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने उनकी तैनाती के स्थानों से पृथक स्थानों से वेतन आहरित किया, का ब्यौरा	4.1.10.2	187
4.7	विभिन्न कार्यालयों में निपटान की प्रतीक्षा में पड़े बेकार भंडारों/वाहनों का ब्यौरा	4.1.11.3	188
संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली		189-193	

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के साविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1, आइटि प्रोफाइल्स, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा का आयोजन एवं संचालन तथा प्राकृतिक अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर आर्जन करता है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तिताओं की विशेषताएं भी इस अध्याय में प्रदर्शित की गई हैं।

3. अध्याय-2, कृषि विधवाविद्यालय, वन विभाग तथा जिला जीव की निषादन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है। अध्याय-3, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि में लेन-देनों की लेखापरीक्षा आर्जन करता है। अध्याय-4, पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग के कार्यालय पर टिप्पणियां शामिल करता है।

4. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विन लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तिताएं प्रथमतः प्रस्तुत की गई हैं। साविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तिताओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्ति पर अभ्युक्तिताओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रथमतः प्रस्तुत किए गए हैं।

6. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2010-2011 के दौरान लेखाओं की नार्मा-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में ली आये थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में संयोजित नहीं किया जा सका था। 2010-11 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल कर लिए गए हैं।



अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के चुनिन्दा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुवृत्ति लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

अनुवृत्ति लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षित अस्तित्वों के व्यय से संबंधित लेन-देनों की जांच की ओर संकेत करती है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी तरफ, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुवृत्ति लेखापरीक्षा संचालित करने के अतिरिक्त यह जांच भी करती है कि क्या कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययी रूप से तथा प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान-मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानक अपेक्षा करते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए विषयी स्तर, लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा तथा महत्ता से मेल खाना चाहिये। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के साथ नीतियां एवं निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की प्रत्याशा की जाती है जो इस प्रकार बेहतर अभिशासन की ओर योगदान देते हुए संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबन्धन की ओर ले जाएंगे।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की आयोजना एवं विस्तार का वर्णन करने के अतिरिक्त चुनी हुई स्कीमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कर्मियों तथा उपलब्धियों, लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में चुने हुए कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत परिणाम समाविष्ट हैं। अध्याय-3 में सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं। अध्याय-4 पशुपालन तथा डेरी-उद्योग के कार्यचालन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

1.2 ऑडिटी प्रोफाइलस

राज्य में सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव/वित्तायुक्तों तथा प्रधान सचिवों/आयुक्तों एवं सचिवों, जो विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/निदेशकों तथा उनके अधीन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता-प्राप्त होते हैं, की अध्यक्षता वाले 56 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा भरपूर निधिबद्ध स्थानीय निकाय, 49 स्वायत्त निकाय तथा 163 अन्य स्वायत्त निकाय हैं, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा की जाती है।

वर्ष 2010-11 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2008-09			2009-10			2010-11		
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएं	54.16	5,970.31	6,024.47	68.02	7,687.33	7,755.35	65.84	9,262.30	9,328.14
सामाजिक सेवाएं	2,662.19	4,596.54	7,258.73	4,014.59	5,887.63	9,902.22	4,329.69	6,574.39	10,904.08
आर्थिक सेवाएं	1,201.56	5,834.19	7,035.75	1,632.16	5,897.75	7,529.91	1,855.98	6,140.75	7,996.73
सहायता-अनुदान एवं अंशदान		215.78	215.78	-	69.91	69.91	-	81.24	81.24
कुल	3,917.91	16,616.82	20,534.73	5,714.77	19,542.62	25,257.39	6,251.51	22,058.68	28,310.19
पूंजीगत व्यय									
पूंजीगत लागत	3,989.86	511.81	4,501.67	4,203.29	1,015.19	5,218.48	3,845.01	186.09	4,031.10
संवितरण एवं अग्रिम	20.44	311.87	332.31	615.76	213.93	829.69	538.50	183.37	721.87
लोक ऋण का पुनर्भुगतान		1,291.84	1,291.84	-	2,745.97	2,745.97		3,971.08	3,971.08
आकस्मिक निधि		-	-	-	-	-		190.00	190.00
लोक लेखा संवितरण		11,441.82	11,441.82	-	14,319.66	14,319.66		15,324.41	15,324.41
कुल	4,010.30	13,557.34	17,567.64	4,819.05	18,294.25	23,113.80	4,383.51	19,854.95	24,238.46
सकल योग	7,928.21	30,174.16	38,102.37	10,533.82	37,837.37	48,371.19	10,635.02	41,913.63	52,548.65

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त किया गया है। सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 13¹ के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. संचालित करता है। 49 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(3)² तथा 20(1)³ के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में सी.ए.जी. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, सी.ए.जी. उन 163 अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14⁴ के अंतर्गत संचालित करता है जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निधिबद्ध किया जाता है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत तथा पद्धतियां सी.ए.जी. द्वारा 2007 में जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षण मानकों एवं विनियमनों में निर्धारित किए गए हैं।

¹ (i) राज्य की समेकित निधि से सभी लेन-देनों, (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देनों, तथा (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, चुलन-पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

² संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित अथवा बनाए गए कानून के अंतर्गत निगमों (कंपनियां न होने पर) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

³ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन पर सी.ए.जी. तथा सरकार के मध्य सहमति हो, राज्यपाल के आग्रह पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

⁴ राज्य की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा भरपूर निधिकृत निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए हैं।

1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, किए गए व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, समय आन्तरिक नियंत्रणों के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डर्स की चिन्ताओं पर आधारित सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देखे गए जोखिमों के निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कवायद में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन विभागों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं। विभागों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2010-11 के दौरान 1,453 इकाइयों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा करने के लिए तथा दो विभागों, एक विश्वविद्यालय तथा एक जिले की निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए 7,171 पार्टी-दिवसों का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थानों को आवृत्त किया जो हमारे निर्धारण के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों से असुरक्षित थे।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चुने हुए विभागों में आन्तरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रतिवेदन दिए हैं। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुवृत्ति लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों पर भी रिपोर्ट दी गई थी।

1.5.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं समाविष्ट हैं जिनकी विशिष्टताएं अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी गई हैं:

1.5.1.1 कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि विकास गतिविधियों के लिए कोई दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना इसके द्वारा तैयार नहीं की गई थी। इसका योजना बोर्ड सितंबर 2000 से निष्क्रिय था। इसके प्रारंभ से ही विश्वविद्यालय ने कोई तुलन-पत्र तैयार नहीं

⁶ स्वायत्त निकाय तथा स्थानीय निकाय: पार्टी-दिवस: 1,199 (लेखापरीक्षित इकाई: 197), निरीक्षण तिथि: पार्टी-दिवस: 3,318 (लेखापरीक्षित इकाई: 972), निर्माण/वन पार्टी-दिवस: 1,279 (लेखापरीक्षित इकाई: 245) तथा वाणिज्यिक: पार्टी-दिवस: 1,375 (लेखापरीक्षित इकाई: 39।)

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जिला जिला केन्द्रिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। जिला में ने प्रकट किया कि जिला योजना समिति ने कोई परियोजना योजना तैयार नहीं की थी। जिला में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत सरचना तथा हाक्टरी की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप यह शिक्षा-मृत्यु दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि, संस्थान प्रसवों इत्यादि में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में 777 स्कूलों के

1.5.1.3 जिला जीव

(अनुच्छेद 2.2)

थी। के विपरीत आरक्षित/संरक्षित वनों तथा वन्यजीव अभ्यारण में 11 हरेल पाक विकसित किए गए थे। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में नमूना-जांच किए गए 12 मंडलों में वसूली 109.18 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप गैर-वन प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोगकर्ताओं से क्षतिपूर्ति के रूप में नमूना की उत्तरजीविता बहुत कम थी। पूरे वनरोपण के लिए समर्पित योजना नहीं बनाई गई थी। एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत राशि के वृद्धि केवल ₹ 2.61 करोड़ वन भूमि उपयोगकर्ताओं से क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल प्राधिकरण को प्रेषित करने की बजाए बैंक खातों में रखी गई थी। ₹ 4.60 करोड़ की देय को गई थी। चार मंडलों में ₹ 5.56 करोड़ की कुल राशि अर्जपूर्ण प्रबंध एवं योजना वन तथा वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लिए कोई भी - अवधि परियोजना तैयार नहीं कि राज्य की नीति के अनुसार 2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत को 20 प्रतिशत तक लाने का विचार किया गया। विभाग की निष्ठावर्तन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया क्षेत्र का 10 प्रतिशत वन तथा वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने तथा अन्ततः इसे फीड बैक में हरियाणा सरकार ने 2006 में हरियाणा राज्य वन नीति तैयार की जिसमें 2010 तक राज्य के

1.5.1.2 वन विभाग की कार्यप्रणाली

(अनुच्छेद 2.1)

समय से परिसम्पत्तियाँ, भण्डारों, लाइसेंसों इत्यादि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। विभवविद्यालय में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हास्टल आवास की समग्र कमी थी। लंबे प्रौद्योगिकी संस्थान में कलासुक्मी, प्रयोगशालाओं तथा लाइसेंसों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था तथा निरावृत्त दर्ज करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया। विभवविद्यालय अभियांत्रिकी तथा कोर्सों के लिए 61 प्रतिशत थी जिसने विभिन्न कोर्सों में सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता में की गई थी, शिक्षण स्टाफ की कमी सामान्य कोर्सों के लिए 26 प्रतिशत तथा स्वयं-चिन्तित उपयोग नहीं कर सका। 54 अनुसंधान परियोजनाओं में से 2006-11 के दौरान केवल 17 पूर्ण मात्र 2008 के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ₹ 30 करोड़ में से ₹ 20 करोड़ का अधिमा का समाधान नहीं हुआ। विभवविद्यालय, विद्यार्थियों की भर्ती क्षमता बढ़ाने के लिए नियंत्रण के कारण 1998-2011 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए ₹ 5.89 करोड़ के अस्थाई साप्टवेयर का विकास सुस्पष्ट नहीं था तथा गैर-चुनिचुनी की और प्रवृत्त था। अप्रत्याशित वित्तिय गतिविधियों तथा भूतानों के लेखाओं के अनुसार ही तैयार किया गया इसका इन-हाउस किया जिसके परिणामस्वरूप इसे अपनी कुल परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का ज्ञान नहीं था।

मरम्मत कार्यों के निष्पादन की मानीटरिंग की कमी थी तथा कई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालएं नहीं थी। 2006-11 के दौरान जांच किए गए 8,969 नमूनों में से कुल 851 नमूनों में जीवाणु- विज्ञानी सम्मिश्रण थे। जुलाना टाऊन में मलनिर्यास सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जबकि सफीदों टाऊन में मल-निर्यास उपचार संयंत्र नहीं लगाया गया था। पंचायती राज संस्थानों में निर्माण कार्यों के विलम्बित निष्पादन तथा उन्हें अधूरा छोड़ने, निधियों के विपथन, अनियमित व्यय, परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक भुगतानों इत्यादि जैसी कमियां थी। जीन्द तथा उचाना टाऊनों के लिए सालिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे। जन सवितरण प्रणाली में कमियां जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभार्थियों को खाद्य सामग्री के सवितरण में विलम्ब, पर्यवेक्षण की कमी इत्यादि देखी गई थी। जिले में पुलिस कार्मिकों की कमी तथा अपराधों में उद्दीयमान प्रवृत्ति थी।

(अनुच्छेद 2.3)

1.5.1.4 पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग की कार्यविधि

पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग के मुख्य उद्देश्य देशी नस्लों को उन्नत तथा सुरक्षित रखने; पशु आहार दूध एवं दुग्ध-उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा डेरी-उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना था। विभाग के कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि दूध, अण्डों तथा ऊन के उत्पादन में वृद्धि के लिए लक्ष्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नियत किए गए थे किन्तु पशुधन की संख्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जहां तक दूध तथा अण्डों के लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध था विभाग ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इन उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ गई। तथापि, 2007 की पशुधन जनगणना के अनुसार पशुधन की संख्या 2003 में 94.43 लाख से 2007 में 90.50 लाख तक कम हो गई थी।

कार्यान्वयन अभिकरणों से ₹ 20.47 करोड़ के व्यय के विवरण प्राप्त किए बिना भारत सरकार को ₹ 35.20 करोड़ के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे। मुराह विकास स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹ 2.73 करोड़ के अधिक प्रोत्साहन धन का भुगतान किया गया था। वित्तीय उपयुक्तता के मानकों का उल्लंघन करके कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं बाहर से ली गई थी। 1,100 डेरी इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य के विरुद्ध उच्च-तकनीक वाणिज्यिक डेरी स्कीम के अंतर्गत केवल 445 इकाइयां स्थापित की गई थी। मिल्क प्लांटों के दूध तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उनके नमूने लेने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी तथा कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.1)

भ्रमान करने तथा अनर्बध के निबन्धनों एवं शर्तों के अन्तर्गत संशोधन अभियम की वर्मनी न (बी एण्ड आर), कौशल के एक करार के समापन की प्रक्रिया के दौरान एक एजेंसी को कर्तकारी अभियता, प्रान्तीय मंडल, लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भवन एवं सडक

(अनर्बध 3.2.1)

शे, जिससे संपूर्ण व्यय व्यर्थ हो गया।
 लिए 116 बोरवेल्स का निर्माण करने में ₹ 89 लाख खर्च किए जाे बाद में परिलक्षित किए गए कर्तकारी अभियता, नहरना जल सेवाएं मंडल, सिस्सा ने भू-जल आरक्षकों का संधार करने के

लगाया, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:
 लेखापरीक्षा ने ₹ 11.55 करोड़ से आवंटित अनौचित्यपूर्ण तथा अधिक व्यय के वृद्धियों का पता

1.5.2.2 आँचल्य लेखापरीक्षा/अर्चित व्यय

(अनर्बध 3.1.2)

को दिए गए अवैध समय विन्तार के परिणामस्वरूप ₹ 5.35 करोड़ की हानि हुई।
 ₹ 62.25 लाख का अधिक भ्रमान करना पड़ा। ई.ई. तथा अर्थीक्षण अभियता द्वारा ठेकेदार शीक मूल्य सैवी अपनाई जिसके परिणामस्वरूप तीवीकरण द्वारा के कारण एक ठेकेदार को कर्तकारी अभियता (ई.ई.), निर्माण मंडल संख्या 3, सिचाई विभाग, करनाल ने स्टील की गलत

(अनर्बध 3.1.1)

करनाल में ₹ 3,76,250 का गबन हुआ।
 निषेध के संबंध में विन्तीय नियमों के प्रावधानों की अनदेवी के कारण जिला रेडकस सीसाइटी, भू-अभिलेखों के पनीकरण प्रमाण-पत्रों के निर्भम हेतु उद्गृहीत सेवा प्रभारों की प्रान्तियों तथा

वृद्धित समाविष्ट है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:
 भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 6.01 करोड़ से आवंटित नियमों की अनर्णनना के वृद्धितियोंजानों तथा छल-प्रचरों की रोकना है बालिक उपयुक्त विन्तीय अनर्शासन के अनर्बध में विन्तीयों तथा सधम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनर्बध ही। यह न केवल अनियमितताओं, वृद्धित विन्तीय प्रशासन तथा विन्तीय निवन्धन के लिए यह आवश्यक है कि व्यय विन्तीय नियमों,

1.5.2.1 नियमों की अनर्णनना

- निरीक्षण/अभिशशासन की विफलता।
- आँचल्य लेखापरीक्षा/अर्चित व्यय।
- नियमों का अनर्णनना।

निन्नान्तर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:
 विभागों तथा संगठनों के प्रभावी कार्य-कलापों की प्रभावित किया। ई.ई. सी.टी. नीर पर प्रतिवेदन ने विवेचनान्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रकाश डाला जिन्होंने सरकारी

1.5.2 लेन-देनों की अनर्बध लेखापरीक्षा

(अनुच्छेद 3.3.1)

रहा।

निरंतर प्रतिवृत्ती गर्भना कौशल, जो राज्य तथा दिल्ली को व्यवधान प्रदान करती है, में छोड़ा जाना किया। विशेष निमित्त के कारण हीन बहिःश्राव को ले जाने में विफल रही तथा बहिःश्राव को जमाएली शहरी के उपचारित/अन्यचारित बहिः श्रावों को ले जाने के लिए हीन का निमित्त कार्यकारी अभियंता, जन सेवाएं मंडल, दार्जुन ने ₹ 10.28 करोड़ खर्च करके गर्भनागर तथा

अनुचित/अवकृष्ट रही तथा/या निष्फल/अन्यचारित सिद्ध हुई।

अनिच्छितता, प्रशासनिक निरीक्षण की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही के कारण परिवर्धनियों के सुजन हेतु सरकार द्वारा जारी की गई ₹ 515.91 करोड़ की निधियां वापस ली गई। निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु वहां समावेश के नाम हेतु जन श्रमियों को पूरा करने की दिशा में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का सुधार करना सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं मूलभूत संरचना, जन सेवा इत्यादि के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए

1.5.2.3 निरीक्षण/अभियंता की रिपोर्ट

(अनुच्छेद 3.2.6)

वर्षानी हुई थी जिससे व्यय व्यर्थ हुआ।

पर पुलिस स्टेशन, सीहाना में आवासीय भवनों का निर्माण किया। भवन जनवरी 2006 से बनने पर पुलिस आवास निगम ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए बिना ₹ 56.26 लाख की लागत

(अनुच्छेद 3.2.5)

का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि निर्माण पूरा नहीं किया गया था।

हरेणुण राज्य कृषि विधायन बोर्ड ने डिजाइनों एवं इंटरस तथा विरतन अगमनों के आनिभकरण के बिना सीधीपन में कोरु स्टेशन का निर्माण आरंभ किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़

(अनुच्छेद 3.2.4)

परिहार व्यय किया गया था।

अनुच्छेद की शर्त अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत प्रदान की गई कार्य प्रारंभ करने का अंतर्गत पर ₹ 30 लाख का अनुच्छेद का व्यय कार्य के अंतर्गत प्रदान की गई कार्य निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण मंडल, पी.एच.डी. (बी.एच.डी. आर.), चरबी दारु में खराब संक पर किया गया

(अनुच्छेद 3.2.3)

₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय निष्फल रहा।

के निर्माण के लिए एक स्पष्ट स्थान महीना करवाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण मंडल सरवा 1, गुडगांव सीहाना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन

(अनुच्छेद 3.2.2)

सहयोग तथा ₹ 3.99 करोड़ की बचती नहीं हुई।

करने के अविकल्प निधि के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 47.93 लाख की अर्ध वित्तीय

लोहारू जल सेवाएं मंडल, चरखी दादरी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1.15 करोड़ के उच्च लागत उधार तथा उस पर ₹ 75.90 लाख के ब्याज भुगतान सहित निर्मित सिंचाई चैनल सितंबर 2005 में इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ा था।

(अनुच्छेद 3.3.2)

तीन जिलों (कैथल, झज्जर तथा महेन्द्रगढ़) में 34 गांवों, जिनमें पहले ही पेयजल आपूर्ति किया जा रहा था, को ₹ 4.21 करोड़ की लागत वाले जल शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु चुना गया था।

(अनुच्छेद 3.3.3)

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, तोशाम ने ₹ 2.99 करोड़ खर्च करके सिवानी टाऊन के लिए एक मलनिर्यास स्कीम का निर्माण किया किन्तु डिस्पोजल प्वाइंट का निर्माण न करने तथा निवासियों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध न करवाने के कारण स्कीम अक्रियाशील रही।

(अनुच्छेद 3.3.4)

पात्र अभ्यर्थियों की सूची के अनन्तिमकरण के कारण ₹ 62.01 करोड़ खर्च करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पंचकुला में निर्मित 2,072 निवास इकाइयां दो वर्षों तक खाली पड़ी रही। अंबाला में 1,640 यूनिटों का निर्माण ₹ 55.49 करोड़ खर्च करने के बाद भी गलत स्थल चयन के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.3.5)

पांच जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा) 2008 के खरीफ मौसम हेतु किसानों को भुगतान किए गए बोनस के रिफंड का समय पर दावा करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ब्याज के कारण सरकार को ₹ 2.04 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.3.6)

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रमिकों के लाभ हेतु कल्याण स्कीमों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित ₹ 376.98 करोड़ का उपकर अप्रयुक्त रहा।

(अनुच्छेद 3.3.7)

1.6 लेखापरीक्षा को सरकार की जबाबदेही में कमी

1.6.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.ज) जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और छः सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लम्बित आई.आर.ज की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें लम्बित आई.आर.ज में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा

अनुपालना को सुगम बनाने के लिए विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा) के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2011 तक जारी किए गए आई.आर.ज की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 278.91 करोड़ (परिशिष्ट 1.1) के धन मूल्य वाले 2,267 आई.आर.ज के 6,189 अनुच्छेद 30 जून 2011 को बकाया थे। इनमें से 805 आई.आर.ज से आवेष्टित 1,581 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इन आई.आर.ज, जिनका 30 जून 2011 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामला मार्च 2011 में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा को भेजा गया था।

1.6.2 प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वर्ष 2010-11 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जून तथा सितम्बर 2011 के मध्य संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रियाएं भेजने के आग्रह के साथ अर्ध-सरकारी तौर पर अग्रेषित किए गए थे। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से एक तथा 15 अनुच्छेदों में से एक के विभागीय उत्तर प्राप्त किए गए हैं। उत्तर, जब-जब प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.ज) में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को ए.आर.ज के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि तक के ए.आर.ज में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.ज) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 की अवधि के ए.आर.ज, जो राज्य विधान-मंडल को प्रस्तुत⁶ किए गए थे, में शामिल किए गए 24 प्रशासनिक विभागों के 74 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 23 प्रशासनिक विभागों के मामले में

⁶ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07: मार्च 2008, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007-08: फरवरी 2009 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09: मार्च 2010.

67 अर्न्तर्देशी तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर ए.टी.एनज **परिशिष्ट 1.3** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। प्रशासनिक विभागों अर्थात् लोक निर्माण (भवन एवं सड़क शाखा), सिंचाई जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, विन तथा गृह (पुलिस तथा जेल) ने 67 अर्न्तर्देशी/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 30 के संबंध में ए.टी.एनज प्रस्तुत नहीं किए। ए.टी.एनज प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक विभागों में से छः प्रशासनिक विभागों ने **परिशिष्ट 1.4** में दिए गए विवरणों के अनुसार 10 अर्न्तर्देशी तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 207.27 करोड़ की कुल राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की और प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1970-71 से 2005-06 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 354 सिफारिशें **परिशिष्ट 1.5** में दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई की अब तक प्रतीक्षा कर रही थी।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

❖ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली	पृष्ठ 11
❖ वन विभाग की कार्यप्रणाली	39
❖ जिला जींद	67

2.1 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली

विशिष्टताएं

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1956 में की गई थी। बाद में, 1986 में, विश्वविद्यालय को, राज्य के 11 जिलों के अधिकार-क्षेत्र के साथ उन्नत किया गया था। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने आयोजना, बजट प्रतिपादन, वित्तीय प्रबंधन, लेखाओं के अनुरक्षण इत्यादि में कमियां प्रकट की। कुछ कोर्सों में विद्यार्थियों की सफलता की निम्न दर, शिक्षक तथा गैर-शिक्षक स्टाफ की कमी के कारण थी। अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति तथा अनुसंधान छात्रों द्वारा थीसिस का प्रस्तुतिकरण स्तरीय नहीं था। विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं एवं एक पुस्तकालय तथा लइकों एवं लइकियों दोनों के लिए हास्टल आवास में अपर्याप्त मूलभूत संरचना थी।

विकासशील गतिविधियों के लिए एक दीर्घ-अवधि परिप्रेष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। गत 11 वर्षों से शैक्षिक आयोजना बोर्ड निष्क्रिय रहा।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

बजट प्रक्षेपण वास्तविक नहीं थे तथा प्राप्त नहीं किए जा सके। विश्वविद्यालय की वेतन व्यय में वृद्धि की दर आन्तरिक प्राप्तियों में वृद्धि की दर से बहुत अधिक थी, जो विश्वविद्यालय के वित्तीय आधार को क्षय कर सकती थी।

(अनुच्छेद 2.1.7)

विश्वविद्यालय ने प्रारंभ से ही कोई तुलन-पत्र तैयार नहीं किया परिणामस्वरूप इसकी कुल परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का पता नहीं था। आगे, प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखाओं के अनुरक्षण के लिए विकसित एक आंतरिक साफ्टवेयर प्रोग्राम सुस्पष्ट नहीं था तथा गम्भीर त्रुटियों की ओर प्रवृत्त था।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 एवं 2.1.7.3)

₹ 66.74 लाख की राशि की युवा कल्याण एवं सांस्कृतिक फीस 94 सम्बद्ध कालेजों के विरूद्ध बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.6)

अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण 1998-2011 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए ₹ 5.89 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम असमायोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.1.7.8)

आयोजना के अभाव तथा लापरवाही के कारण विद्यार्थियों की भर्ती क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 30 करोड़ में से ₹ 20 करोड़ उपयोग नहीं किए जा सके।

(अनुच्छेद 2.1.8.7)

54 अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल 17 परियोजनाएं 2006-11 के दौरान पूर्ण की गई थीं। पी.एच.डी. के 117 पंजीकृत अनुसंधान छात्रों में से केवल 28 अनुसंधान छात्रों ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने थीसिस प्रस्तुत किए।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 और 2.1.9.2)

सामान्य कोर्सों के लिए 26 प्रतिशत तथा स्वयं वित्तपोषित कोर्सों के लिए 61 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ की कमी थी, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने से विभिन्न कोर्सों में सफल छात्रों की प्रतिशतता में कमी हुई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा एक पुस्तकालय के लिए अपर्याप्त जगह तथा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हास्टल आवास की समय कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.11.2 और 2.1.11.3)

परिसम्पत्तियों, भण्डारों तथा पुस्तकालय इत्यादि का भौतिक सत्यापन लंबे समय से नहीं करवाया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.12.5)

2.1.1 प्रस्तावना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, विशेष रूप से संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकात्मक¹ प्रकार के विश्वविद्यालय के रूप में 1956 में स्थापित किया गया था। सरकार ने राज्य के 11² जिलों के अधिकार-क्षेत्र के साथ दिसंबर, 1986 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विश्वविद्यालय को एक शिक्षण व संबद्ध विश्वविद्यालय के तौर पर पदोन्नत किया।

31 मार्च 2011 को विश्वविद्यालय के साथ 434 कालेज सम्बद्ध थे। इसमें 23 गैर-शिक्षक विभागों के अतिरिक्त पी.एच.डी. एवं 130 कोर्स प्रदान करने वाले 46 स्नाकोत्तर (पी.जी.)

¹ सम्बद्ध कालेजों के बिना विश्वविद्यालय।

² अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सिरसा, फतेहाबाद, जौंद, हिसार तथा यमुनानगर।

गोपल पुस्कार, उन भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए संस्थापित किए गए हैं, जो मूल तथा लागू विज्ञानों, सामान्यज्ञान, लॉक साइंस तथा भौतिकी में अग्रवर्ती अनुसंधान में संलग्न हैं।

- विज्ञान प्रबन्धन, गतिशीलता तथा संस्थानों की उपयोगिता दक्ष तथा प्रभावी थी;
 - विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की सही आयोजना योजना थी;
- निम्नानुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य निर्धारण करना था कि:

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रधान कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी हैं जो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखता है। उसकी सहायता एक रजिस्ट्रार, एक वित्त अधिकारी, 15 डीन, विभागों/संस्थानों के 45 निदेशकों, दो परीक्षा नियंत्रकों तथा दो मुख्य वाइस डायरेक्टरों द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के प्राधिका (i) न्यायालय (ii) कार्यकारी परिषद (iii) शैक्षिक परिषद (vi) वित्त समिति (v) फेकल्टीज (vi) शैक्षिक योजना बोर्ड तथा (vii) ऐसे अन्य प्राधिका जो सा अध्यादेशों द्वारा घोषित किए गए, हैं।

2.1.2 संवैधानात्मक दायित्व

विश्वविद्यालय ने 2009 में राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यापन परिषद (एन.ए.ए.सी.), बंगलूरु द्वारा श्रेष्ठ 'ए' मान्यता प्राप्त की। आगे, विश्वविद्यालय ने गोपल पुस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए देश में एकल विश्वविद्यालय होने का विशेष स्थान प्राप्त किया था। इकायन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को गोपल पुस्कारों से सम्मानित किया गया था।

- शिक्षण की ऐसी शारणाओं में अनुसंधान एवं अनुदेश हेतु प्रावधान करना जोसा यह ठीक समझे।
 - महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना; तथा
 - भारत में तथा भारत से बाहर समान उद्देश्यों वाले शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना;
 - अनुसंधान व्यक्तियों को मानद डिग्रियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;
 - परीक्षाएं आयोजित करना तथा ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक उपाधियां प्रदान करना जो इसके अध्यादेशों, विनियमों में निर्धारित किए जा सकें;
- करता है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य तथा गतिविधियां हैं:
- शैक्षिक विभाग तथा संस्थान हैं। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय विभिन्न कोर्सों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान

2.1.7 वित्तीय प्रबंध

विश्वविद्यालय को राज्य सरकार, यू.जी.सी. तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों जैसे ए.आई.सी.टी.ई., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) इत्यादि से अनुदानों (प्लान तथा नान-प्लान) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से फीस एवं जुर्मानों, प्रकाशनों तथा अध्ययन सामग्री की बिक्री, पट्टा किराया इत्यादि के जरिए अपनी स्वयं की आय भी उत्पन्न करता है। 2006-11 की अवधि हेतु प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण नीचे तालिका-1 में दिए गए हैं:


तालिका 1: प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	आरंभिक शेष	आय	व्यय	अंत शेष
2006-07	53.07	114.55	110.30	57.32
2007-08	57.32	170.23	129.41	98.14
2008-09	98.14	159.80	154.75	103.19
2009-10	103.19	193.97	197.72	99.44
2010-11	99.44	194.70	227.29	66.85

स्रोत: विश्वविद्यालय का आय एवं व्यय लेखा

नोट: 2010-11 के आंकड़े प्रत्याशित हैं।

सरकार वेतनों के लिए नान-प्लान के अंतर्गत अनुदान प्रदान करती है। यह देखा गया था कि सरकार इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निधियां जारी नहीं कर रही थी। वेतन व्यय, सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों से बहुत अधिक था जैसा कि नीचे चार्ट में चित्रित किया गया है।



सरकार वेतन के लिए विश्वविद्यालय को पर्याप्त निधियां जारी नहीं कर रही थी।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जाएगा कि सरकार से अनुदान 2006-07 में ₹ 23.57 करोड़ से 2010-11 में केवल ₹ 28 करोड़ तक बढ़े जबकि इस अवधि के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 40.21 करोड़ से ₹ 104.96 करोड़ तक बढ़ गया। विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा तथा कोर्सों से प्राप्त आय से घाटा वहन किया गया था। विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर सुविधाओं, हास्टल आवास इत्यादि

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11.3 और 2.1.12.4) के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचना सृजित नहीं कर सका जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा स्वतः वित्तपोषित स्कीमों से प्राप्त आय से सृजित की जा सकती थी।

आगे, आन्तरिक प्राप्तियों से आय 2006-07 में ₹ 36.91 करोड़ से 2010-11 में ₹ 70.70 करोड़ (92 प्रतिशत) तक बढ़ गई जबकि इस अवधि के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 40.21 करोड़ से ₹ 104.96 करोड़ (161 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि जनवरी 2006 से वेतन संशोधन के कारण सरकार को ₹ 94.44 करोड़ का अनुदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन इसने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

2.1.7.1 प्राप्तियों एवं व्यय के बजट अनुमानों की तैयारी

बजट वार्षिक वित्तीय कार्यसूची को नियत करते हैं तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। अतः यह अनिवार्य है कि इसकी तैयारी देय सावधानी तथा परिश्रम द्वारा चिह्नित की जाए। अच्छी तरह प्रतिपादित बजट लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की प्रगति की मानीटरिंग एक महत्वपूर्ण प्रबंध निरीक्षण कार्य है। खराब बजटीय नियंत्रण के फलस्वरूप न केवल विरल वित्तीय संसाधनों का अदक्ष उपयोग होता है बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति को भी रोकता है।

2006-11 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों, वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय के विवरण नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं:

तालिका 2: प्राप्तियों एवं व्यय के बजट अनुमानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां			व्यय		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2006-07	126.58	165.16	114.55	123.38	124.05	110.30
2007-08	149.99	183.73	170.23	162.78	152.75	129.41
2008-09	158.64	246.27	159.80	176.69	197.72	154.75
2009-10	204.11	215.02	193.97	200.17	238.87	197.72
2010-11	193.04	214.16	194.70	235.97	230.56	227.29

अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं थी।

स्रोत: विश्वविद्यालय के बजट तथा आय एवं व्यय लेखे।

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है कि संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अंतर थे। विश्वविद्यालय ने प्राप्तियों की वसूली में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, यद्यपि 2006-07 और 2008-09 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण कमियां थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अनुमान विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किए गए थे परन्तु वास्तविक वसूली बजट प्रक्षेपण से काफी कम थी। इस प्रकार, विभागों ने अवास्तविक अनुमान तैयार किये थे।

2.1.7.2 वार्षिक लेखाओं का संकलन

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 की धारा 26 (1) प्रावधान करती है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष कार्यकारी परिषद के निर्देशों के अंतर्गत वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र तैयार करेगा।

विश्वविद्यालय तुलन-पत्र तैयार नहीं कर रहा था यद्यपि यह कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपेक्षित था।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय केवल आय एवं व्यय लेखे तैयार कर रहा था किन्तु तुलन-पत्र तैयार नहीं कर रहा था। तुलन-पत्रों के अभाव में कार्यों की स्थिति अर्थात् परिसम्पत्तियां, देयताएं, ऋण एवं अग्रिम, व्यय पर आय का संचित आधिक्य या इसके विपरीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अप्रैल 2009 से पहले इसे तुलन-पत्र तैयार करने से छूट थी और वर्ष 2009-10 और 2010-11 के तुलन-पत्र अन्तिमकरण अधीन थे। तुलन-पत्र तैयार करने से छूट संबंधी उत्तर पुष्टि योग्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा तुलन-पत्र तैयार करने की छूट देने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि इस अपेक्षा का कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान किया गया था। अधिनियम के संशोधन के माध्यम से केवल विधानसभा छूट देने हेतु सक्षम थी।

2.1.7.3 रोकड़ बहियां

प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखाओं का अनुरक्षण सुस्पष्ट नहीं था तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर प्रवृत्त था।

पंजाब वित्तीय नियमों जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए थे के नियम 2.2 के प्रावधान के अनुसार सभी धन लेन-देनों, जैसे ही वे घटित हों, को रोकड़-बही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा जांच के टोकन के रूप में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष को रोकड़ बही में रोकड़ शेष का सत्यापन करना चाहिए तथा उस प्रभाव का हस्ताक्षरित और दिनिकित प्रमाण-पत्र दर्ज करना चाहिए।

विश्वविद्यालय तथा इसके विभागों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि यह रोकड़-बही का अनुरक्षण नहीं कर रहा था। लेखा शाखा फाक्स प्रो-बेस में विकसित इन-हाउस प्रोग्राम में प्राप्तियां एवं भुगतान दर्ज कर रही थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि सहायक-रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया जा रहा था और समस्या के समाधान के लिए एक बहुउपभोग लाइसेंस टेली ई.आर.पी. 9 (एक सॉफ्टवेयर) तीन महीनों के भीतर क्रियात्मक क्रियाशील बनाया जाएगा। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि सहायक-रोकड़ बहियां (आय और व्यय रजिस्टर) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं की जा रही थी।

स्वतः वित्तपोषित स्कीमों के नियमानुसार स्वतः वित्तपोषण करने वाले विभागों को उनके कोर्सों के आय एवं व्यय के पृथक लेखे अनुरक्षित करने थे। तीन स्वतः वित्तपोषण विभागों अर्थात् जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी, औषध विज्ञान तथा विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (यू.आई.ई.टी.) के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि ये विभाग आय एवं व्यय के पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं कर रहे थे। इन विभागों की सभी प्राप्तियां जैसे फीस, जुर्माने तथा विविध आय प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय खाते में परिकलित किए गए थे।

अप्रैल 1999 से मार्च 2000: ₹ 0.01 करोड़, अप्रैल 2001 से मार्च 2005: ₹ 3.41 करोड़ तथा अप्रैल 2005 से मार्च 2010: ₹ 1.60 करोड़।

विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार ने बताया (मई 2011) कि लेन-देन में पाई गई कमियां को मिलान के बाद परिकल्पित किया जाएगा। अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा थी (अगस्त 2011)।

बिना रह सकती थी।

इन विसंगतियों ने इंगित किया कि प्राप्ति एवं भुगतानों की लेखांकन प्रणाली सफ्ट नही थी तथा प्रणाली वित्तीय अनिश्चितताओं की ओर प्रवृत्त थी जो मिलान न होने के कारण पता लगाए

किया गया था।

• कोई मिलान किए बिना आय एवं व्यय रजिस्टर से इन्दराज उठाकर संश्लेषित सार तैयार

असमाधानित रहे।

• से अक्टूबर 2009 की अवधि से संबंधित ₹ 153.40 करोड़ की राशि के ड्रॉट एस.बी.आई. खाते की बैंक मिलान विवरणों की जांच ने प्रकट किया कि अप्रैल 2004 द्वारा ड्रॉट की गई राशियां विश्वविद्यालय की लेखा-बहियों के अनुसार थीं। व्यय रजिस्टर का अंत शेष यह सुनिश्चित किए बिना आगे ले जाया गया था कि बैंकों

विश्वविद्यालय की बहियों में परिलगित नहीं किए गए थे।

• फरवरी 2010 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा क्रेडिट किए गए ₹ 1.45 करोड़ इन्दराज विश्वविद्यालय की बहियों में नहीं किए गए थे परिणामतः अप्रैल 1999 से किया गया था। विभागों ने बैंकों की प्रत्यक्षतः राशियां क्रेडिट की तथा तदनुकूली ओ.बी.सी. बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज विश्वविद्यालय की बहियों में परिलगित नहीं

गई ₹ 5.02 करोड़ की आय बैंक द्वारा इस खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी।

• विश्वविद्यालय के बहियों के अनुसार ओ.बी.सी. खाते में क्रेडिट की गई के रूप में दर्शाई

बैंक मिलान विवरणों के विश्लेषण ने निम्नानुसार प्रकट किया:

विश्वविद्यालय 17 बैंक खातों का अनुरक्षण कर रहा था। ऑरिएण्टल बैंक आफ कामर्स (ओ.बी.सी.) के बैंक खाता नम्बर 1201 तथा भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के 50221 की

• लेखा विभाग द्वारा अनुरक्षित आय रजिस्टर का अंत शेष यह सुनिश्चित किए बिना आगे ले जाया गया था कि क्या संगत राशियां संबंधित बैंकों द्वारा क्रेडिट की गई थी या नहीं।

अनुसार वास्तविक रूप से पड़ी राशियों का मिलान अप्रैल 1989 से नहीं किया गया था।

• थी आगे, विश्वविद्यालय के अभिलेखों के अनुसार शेषों का बैंक पास बुक्स के दर्शाने वाली बैंक-वार लेजर तथ्या डी गई तारीख पर अंत शेष सुनिश्चित योग्य नहीं सिद्ध में नहीं रखे गए थे परिणामस्वरूप व्यक्तिगत बैंक खातों में प्राप्ति एवं भुगतान अत्यावश्यक डाटा अर्थात् डिमांड ड्रॉफ्ट नम्बर, बैंकों के नाम इत्यादि फाक्स प्रो-बेस

निम्नलिखित अन्य कमियां देखी गई थी:

2.1.7.4 रोकड़ प्रबंध

त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंध के परिणामस्वरूप सावधि जमाओं में निवेश में विलंब।

विश्वविद्यालय अतिरिक्त निधियां अपने मुख्य बैंक खाते से सावधि जमाओं में निवेश करता था। निदेशक, दूरस्थ शिक्षा तथा युनिवर्सिटी कालेज, कुरुक्षेत्र क्रमशः दो' बचत बैंक खातों तथा एक चालू बैंक खाते का अनुरक्षण कर रहे थे तथा आगे निवेश हेतु इन खातों के शेष प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को मुख्य खाते अर्थात् वी.सी. के संग्रहण खाते में स्थानांतरित की जाती थी। यह देखा गया कि ₹ पांच लाख तथा ₹ 7.41 करोड़ के मध्य श्रृंखलित निधियां बचत/चालू खातों में पड़ी थी। 2006-11 की अवधि के दौरान इन बैंक खातों से कोई व्यय नहीं किया गया था। यदि ये विभाग निधियों को तुरंत विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाते में स्थानांतरित कर देते तो इसे सावधि जमाओं में निवेशित किया जा सकता था।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यह अपनी रोकड़ प्रबंधन नीति की समीक्षा करेगा और केवल अपेक्षित राशि को चालू/बचत लेखाओं में अनुरक्षित करेगा।

2.1.7.5 झूठे उपयोग प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण

₹ 26.26 लाख का झूठा उपयोग प्रमाण-पत्र इग्नू को प्रस्तुत किया गया।

बायोइन्फोमेटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय के निदेशक, दूरस्थ शिक्षा ने 2006-07 से बायो-इन्फोमेटिक्स में पोस्ट-एम.एस.सी. डिप्लोमा तथा बायो-इन्फोमेटिक्स में पी.जी. डिप्लोमा शुरू करने के लिए निदेशक, दूरस्थ शिक्षा, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को ₹ 81.70 लाख की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2006)। इग्नू ने ये कोर्स शुरू करने के लिए ₹ 40 लाख प्रदान किए (जून 2006)। विश्वविद्यालय ने इग्नू को ₹ 26.26 लाख का उपयोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किया (अप्रैल 2008) तथा ₹ 13.74 लाख की शेष राशि वापस कर दी (सितम्बर 2007)। तथापि, देखा गया कि विश्वविद्यालय ने ये नए कोर्स अभी तक आरंभ नहीं किए थे परन्तु चालू कोर्सों पर ₹ 26.26 लाख व्यय कर दिए थे। इस प्रकार, इग्नू को प्रस्तुत किया गया यू.सी. झूठा था क्योंकि व्यय उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए निधियां प्रदान की गई थी। आगे, ये नए कोर्स शुरू नहीं हुए थे जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी इन कोर्सों के लाभ से वंचित रहे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू ने उपयोग प्रमाण-पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यू.सी. ने निधियों का विपथन इंगित किया।

2.1.7.6 एकीकृत निधि की अनुपयोगिता और युवा-कल्याण एवं सांस्कृतिक फीस की अवसूली

एकीकृत निधि नियमों के अनुसार छात्रों से एकीकृत निधि के अंतर्गत संगृहीत राशियों को विद्यार्थियों के लाभ हेतु विशिष्ट मदों जैसे खेल-सामग्री, खेल मैदानों और स्विमिंग पूलों के रख-रखाव, एन.सी.सी. कैंडेट हेतु सुविधाएं तथा ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य शैक्षिक-रूचि के स्थानों की यात्राओं, छात्रों की पाठ्यक्रम से विभिन्न गतिविधियों, खेल टीमों के यात्रा भत्ते, वार्षिक खेलकूद अधिवेशन इत्यादि के आयोजन से संबंधित खर्चों के लिए व्यय किया जाना था।

⁷ ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स का बचत खाता संख्या 11442010000100, 11442010000110 तथा भारतीय स्टेट बैंक का चालू खाता संख्या 10139650016.

विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक संस्थान ने 2004 से 2011 के दौरान इस उद्देश्य के लिए ₹ 61.41 लाख की राशि की निधियां एकत्र कीं। फिर भी, केवल ₹ 10.94 लाख की राशि खर्च की गई थी तथा ₹ 50.57 लाख की राशि अव्ययित पड़ी थी (मार्च 2011)। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को ये सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी जिसके फलस्वरूप निधियां अप्रयुक्त रही तथा इन निधियों में अंशदान के बाद भी छात्र इन सुविधाओं से वंचित रहे।

विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया (अगस्त 2011) कि एकीकृत निधि के अंतर्गत उपलब्ध धन का उपयोग 2011-12 के दौरान किया जाएगा।

94 संबद्ध महाविद्यालयों के विरूद्ध ₹ 66.74 लाख की राशि की युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीस बकाया थी।

इसी प्रकार, महाविद्यालयों द्वारा ₹ 40 प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीस एकत्र की जानी अपेक्षित थी जिसमें से ₹ 30 विश्वविद्यालय के युवा तथा सांस्कृतिक कार्यों के विभाग को भेजे जाने थे तथा ₹ 10 कालेजों द्वारा रखे जाने थे। बी.एड कालेजों सहित तकनीकी संस्थाओं द्वारा ₹ 500 प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर पर फीस एकत्र की जानी अपेक्षित थी, जिसमें से ₹ 375 विश्वविद्यालय को भेजने थे तथा ₹ 125 संबंधित महाविद्यालय द्वारा रखे जाने थे। ये निधियां सांस्कृतिक समारोहों तथा युवा समारोहों को आयोजित करने के लिए प्रयुक्त की जानी थी।

विश्वविद्यालय के युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक विभाग के लेखाओं की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 94 महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थाओं ने मार्च 2011 तक छात्रों से एकत्रित ₹ 66.74 लाख की युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीसें विश्वविद्यालय को जमा नहीं करवाई थी। आगे, विभाग के पास 52 महाविद्यालयों में विभिन्न वर्षों में भर्ती छात्रों की संख्या का ब्यौरा नहीं था। छात्रों की संख्या के अभाव में इन विद्यालयों की बकाया युवा और सांस्कृतिक फीसों की प्रमात्रा परिकलित नहीं की जा सकी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बकाया युवा कल्याण की फीस जमा करवाने तथा 52 महाविद्यालयों के छात्रों की वास्तविक संख्या परिकलित करने का अनुरोध किया गया है।

2.1.7.7 छात्रवृत्ति का अप्रत्यर्पण

अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक स्कीम भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

संस्कृति आदेशों के अनुसार अवितरित राशियां स्थानीय ट्रेजरी में जमा करवाई जानी तथा "0250-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्कीमों से प्राप्ति" शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट किया जाना अपेक्षित था। 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान जी.ओ.आई. ने एस.सी./पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लाभार्थ ₹ 3.18 करोड़ के अनुदान जारी किए। जिनमें से 182 छात्रों से संबंधित ₹ 23.54 लाख⁸ अवितरित पड़े थे (अप्रैल 2011)। विश्वविद्यालय ने अवितरित राशि को संस्कृति आदेशों के अनुसार ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया।

⁸ 2007-08: ₹ 2.11 लाख, 2008-09: ₹ 4.21 लाख, 2009-10: ₹ 1.01 लाख तथा 2010-11: ₹ 16.21 लाख।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यह राशि तथ्य के कारण संवितरित नहीं की जा सकी कि लाभाग्राहियों ने या तो विश्वविद्यालय छोड़ दिया था या उन्हें उच्चतर मूल्य की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी और आश्वासित किया कि बकाया निधियां संबंधित तिमाही में शीघ्र वापस कर दी जायेंगी। विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को इस प्रकार की संभाव्यताओं के परिहार तथा छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति का संवितरण सुनिश्चित करना चाहिये। इस प्रकार यह सुझाव है कि भविष्य में इस प्रकार की चीजों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा योजना तैयार की जानी चाहिए।

2.1.7.8 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन

1998-2011 के दौरान दिए गए ₹ 5.89 करोड़ की राशि के अस्थायी अग्रिम असमायोजित रहे।

विश्वविद्यालय लेखा संहिता के अनुच्छेद 10.13 के अनुसार अस्थायी अग्रिम तीन दिनों के भीतर उपयोग किए जाने तथा आहरण की तारीख से एक माह के भीतर समायोजित किए जाने चाहिए। विभागाध्यक्ष का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि लेखे यथाशीघ्र बना लिए गए थे तथा अवसरों/खरीदों के अतिमकरण के बाद अंवितरित शेष तुरंत वापस कर दिए गए थे।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय कोडल प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप 1998-99 से 2010-11 की अवधि से संबंधित ₹ 5.89 करोड़ के अस्थायी अग्रिम अगस्त 2011 को असमायोजित पड़े थे। अस्थायी अग्रिमों पर अपर्याप्त नियंत्रण निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से सलिप्त है। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि संबंधित विभागों को अग्रिमों के त्वरित समायोजन हेतु परामर्श दिया गया था।

2.1.7.9 कंप्यूटर तथा वाहन अग्रिम पर जुर्माना ब्याज का अनुद्ग्रहण

विश्वविद्यालय के अग्रिमों से कंप्यूटरों तथा वाहनों की खरीद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विश्वविद्यालय लेखा संहिता का अनुच्छेद 20.3.1 प्रावधान करता है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र, क्रय दस्तावेज, बंधक विलेख इत्यादि क्रय के एक माह के भीतर या अग्रिम के आहरण की तारीख से दो माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसके विफल रहने पर 10 प्रतिशत की दर पर जुर्माना ब्याज आहरण की तारीख से उद्ग्रहीत किया जाएगा।

यह देखा गया था कि 1,182 कर्मचारियों, जिन्होंने ₹ 7.04 करोड़ की राशि के कंप्यूटर अग्रिम तथा वाहन अग्रिम लिए थे, ने विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खर्च की गई राशि के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इन मामलों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 3: कम्प्यूटर तथा वाहन अग्रिमों के विवरण

वर्ष	कम्प्यूटर अग्रिम		वाहन अग्रिम	
	कर्मचारियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	कर्मचारियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
2006-07	शून्य	शून्य	102	38.08
2007-08	200	80.00	101	40.90
2008-09	195	58.25	97	94.48
2009-10	75	22.50	196	190.15
2010-11	50	15.00	166	165.08
कुल	520	175.75	662	528.69

स्रोत: अग्रिमों के रजिस्टर।

⁹ 2006-07 तक: ₹ 0.06 करोड़, 2007-08: ₹ 0.18 करोड़, 2008-09: ₹ 0.60 करोड़, 2009-10: ₹ 1.34 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 3.71 करोड़।

विश्वविद्यालय ने न तो दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया और न ही जुर्माना ब्याज उद्गृहीत किया। अपेक्षित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण मानीटर करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रत्येक ऋणी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरण को इंगित करने वाले एक रजिस्टर अनुरक्षित करना चाहिये फिरभी, विश्वविद्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि लेखा शाखा ने ऋणियों से समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी।

2.1.8 शैक्षिक गतिविधियां

2.1.8.1 कोर्सों की आयोजना

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कोर्सों को शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से विनियमित किया जाता है। बोर्ड आफ स्टडीज विभिन्न अवस्नातक (यू.जी.) तथा स्नातकोत्तर (पी.जी.) कोर्सों के लिए विनियम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विवरण तैयार करता है तथा उन्हें शैक्षिक परिषद तथा सिंडीकेट से अनुमोदित करवाता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से एक ऐसे कोर्सों की खोज तथा संचालन करना है जो समाज की वर्तमान आवश्यकताओं से संबद्ध हों। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के नियमित कोर्सों में भर्ती ने तो बढ़ती प्रवृत्ति इंगित की लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रस्तावित कुछ कोर्सों ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई जैसाकि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 4: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृत्ति

कोर्स	नामांकन (संख्या में)					2006-07 के संदर्भ में 2010-11 में प्रतिशतता की कमी
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
एम.ए. ¹⁰	4,599	3,124	3,109	3,915	3,097	33
एम.एस.सी. ¹¹	1,251	1,016	1,007	1,044	859	31
पी.जी. डिप्लोमा ¹²	4,967	4,613	3,843	2,314	1,268	74
एम.सी.ए.	890	795	814	805	539	39
एम.बी.ए.	985	983	798	579	378	62

स्रोत: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अभिलेख।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, इन कोर्सों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी 31 तथा 74 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

निदेशक (दूरस्थ शिक्षा) ने इन कोर्सों में छात्रों के नामांकन में कमी के लिए, छात्रों की तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों में बढ़ती रूचि, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा इत्यादि को अरोपित किया (जनवरी 2011)।

¹⁰ हिन्दी, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फिलॉस्फी, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, लोक प्रशासन तथा इतिहास।

¹¹ गणित तथा भूगोल।

¹² पर्यावरण शिक्षा, पत्रकारिता तथा जनसंचार, निर्यात विपणन प्रबंधन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा अनुवाद।

2.1.8.2 विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय ने 2003 में एक नियोजन कक्ष स्थापित किया था। कक्ष द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित कोर्सों में विद्यार्थियों का नियोजन घटती प्रवृत्ति दर्शा रहा था।

तालिका 5: विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट दर्शानेवाली

विभाग	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या		चयनित विद्यार्थियों की प्रतिशतता
		पात्र	चयनित	
प्रबंधन तथा कंप्यूटर साईस एप्लीकेशन कोर्सों में प्लेसमेंट की प्रवृत्ति अधोगामी थी।	2006-07	75	63	84
	2007-08	130	103	79
	2008-09	130	34	26
	2009-10	140	41	29
कंप्यूटर साईस तथा एप्लीकेशन	2006-07	54	54	100
	2007-08	56	38	68
	2008-09	55	25	45
	2009-10	54	18	33

स्रोत: प्लेसमेंट सैल के अभिलेख।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विद्यार्थियों को कैम्पस प्लेसमेंट की प्रतिशतता प्रबंधन कोर्सों में 84 से 26 प्रतिशत तक तथा कंप्यूटर साईस तथा एप्लीकेशन के संबंध में यह 100 से 33 प्रतिशत तक कम हो गई।

विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2008 से अपना प्लेसमेंट सैल शुरू किया। विभिन्न कोर्सों के विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट अधोगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा था जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका 6: विभिन्न कोर्सों की अधोगामी प्रवृत्ति

वैच	स्ट्रीम	कुल विद्यार्थी	प्लेसमेंट
2004-05 से 2007-08	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	40	33 (82 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	40	30 (75 प्रतिशत)
2005-06 से 2008-09	बायो - टेक्नोलॉजी	40	5 (12 प्रतिशत)
	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	57	7 (12 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	57	11 (19 प्रतिशत)
2006-07 से 2009-10	बायो - टेक्नोलॉजी	40	1 (2 प्रतिशत)
	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	57	7 (12 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	56	7 (12 प्रतिशत)
	बायो - टेक्नोलॉजी	37	शून्य (शून्य प्रतिशत)

स्रोत: यू.आई.ई.टी. के प्लेसमेंट सैल के अभिलेख।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न कोर्सों से विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट बहुत कम था तथा बुरी तरह से घट गया।

विश्वविद्यालय ने छात्रों के अल्प प्लेसमेंट के लिए वैश्विक मंदी तथा प्राईवेट सैक्टर की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नौकरियों के लिए छात्रों की प्राथमिकता को आरोपित किया (अगस्त 2011)।

2.1.8.3 परिणामों की विलम्बित घोषणा

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैलेण्डर के अनुसार परीक्षाओं के परिणाम परीक्षा के समापन के चार सप्ताह बाद प्रकाशित किए जाने चाहिए।

प्रबंधन तथा कंप्यूटर साईस एप्लीकेशन कोर्सों में प्लेसमेंट की प्रवृत्ति अधोगामी थी।

बायो टेक्नोलॉजी के छात्रों की प्लेसमेंट नगण्य थी।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा/परिणाम शाखा ने 2005 से 2010 के दौरान 34 कोर्सों के परिणाम परीक्षाओं की समाप्ति के आठ से 24 सप्ताहों के बाद घोषित किए।

इसी प्रकार, विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने पुनः मूल्यांकन के परिणामों की घोषणा भी विलम्ब से की। अप्रैल 2009 से मई 2010 की अवधि में पुनः मूल्यांकन के 122 मामलों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि आवेदनों की प्राप्ति के छः से 40 सप्ताहों के बाद परिणाम घोषित किए गए थे।

परिणामों की विलम्बित घोषणा आगामी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ को विलम्बित कर सकता था। आगे, परिणामों की घोषणा में विलम्बों के कारण छात्र अपनी रूचि के अन्य संस्थाओं में प्रवेश पाने से वंचित रह सकते थे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने परिणामों की घोषणा में विलम्ब सैमेस्टर प्रणाली के प्रारम्भ को अरोपित किए। जिसने उत्तर पुस्तिकाओं की मात्रा बढ़ा दी। यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय एक कमेटी गठित करेगा जो परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया तेज करने के लिए रास्तों और तरीकों का सुझाव देगी।

2006-10 के दौरान पुनः मूल्यांकन हेतु कुल 2.34 लाख¹³ आवेदन प्राप्त किए गए थे जिसने इंगित किया कि बड़ी संख्या में छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं थे। मूल्यांकन-वार डाटा उन मामलों को मानीटर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया जहां पुनः मूल्यांकन के बाद अंकों में वृद्धि/कमी के कारण परिणामों में परिवर्तन था ताकि मूल्यांकनों का उत्तरदायित्व नियत किया जा सके जिन्होंने उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गलती की।

2.1.8.4 विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतताएं

63 कोर्सों में से 16 कोर्सों (परिशिष्ट 2.1) में छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतताएं बहुत संतोषजनक नहीं थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 7: विद्यार्थियों के परिणामों की स्थिति दर्शानेवाली

वर्ष	परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों की संख्या	सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2006-07	21,397	11,038	52
2007-08	25,654	11,947	47
2008-09	23,809	13,718	58
2009-10	25,541	14,112	55

स्रोत: परीक्षा शाखा के अभिलेख।

परिशिष्ट के डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि एम.एस.सी. (सार्विकी) (22 से 65 प्रतिशत), एम.एस.सी. (गणित) (13 से 28 प्रतिशत), एम.एस.सी. (कंप्यूटर साईंस) (29 से 40 प्रतिशत), एम.ए. (इतिहास) (31 से 54 प्रतिशत), एम.ए. (संस्कृत) (19 से 75 प्रतिशत), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशनज (17 से 28 प्रतिशत) इत्यादि में सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतताएं संतोषजनक नहीं थी। विश्वविद्यालय को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए खराब परिणामों के कारणों सुनिश्चित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि उचित कार्यवाही हेतु मामले की जांच की जाएगी।

¹³

2006-07: 53,223, 2007-08: 57,488, 2008-09: 57,486 तथा 2009-10: 65,660

1. शिक्षा कौशलिंग संकल्पना विश्वविद्यालय, 2. कौशल बेस बेकअप एण्ड विश्वविद्यालय, विश्व कौशलिंग विश्वविद्यालय, कौशल 3. बेस-टेक डू आरआर एण्ड डेवेलपमेंट एण्ड विश्वविद्यालय (बीटीए), कौशल 4. विश्व एण्ड विश्वविद्यालय, कौशल 5. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली।

14

शुरू कर दी थी।

इंजीनियरिंग संस्थान (आई.आई.टी.) ने सरकार से ब्लाक अनुदान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई जारी किए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि इंस्टीट्यूट सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया न ही राज्य सरकार ने प्रयोजन हेतु ब्लाक अनुदान जांच ने आगे प्रकट किया कि इन निधियों के सृजन के लिए न तो विश्वविद्यालय ने राज्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र-अवधि अनुसंधान के लिए सृजित नहीं की गई थी। अभिलेखों की (उपकरण तथा भवनों के अनुसंधान हेतु) स्थापित की जानी थी। यह देखा गया कि गुणवत्ता विकास निधियां, मूल्यह्रास/नवीकरण निधियां (उपकरण प्रतिस्थापन हेतु) तथा अनुसंधान निधियां प्लान निधियों के अतिरिक्त होगी। संस्थाओं द्वारा ब्लाक अनुदानों में से संग्रह निधियां, स्टाफ संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा ब्लाक अनुदानों के माध्यम से निधिबद्ध किया जाएगा जो सामान्य टी.ई.क्यू.आई.पी. के अनुच्छेद 3.4.1 निर्धारित किया कि टी.ई.क्यू.आई.पी. के अनुदान प्राप्त

राशि विश्वविद्यालय के पास पड़ी थी।

खर्च की गई थी, ₹ 3.47 लाख जी.ओ.आई. को लौटाए गए थे तथा ₹ 43.39 लाख की शेष के लिए ₹ 8.20 करोड़ प्राप्त किए (2003-08)। ₹ 7.74 करोड़ की राशि इस प्रयोजन पर विश्वविद्यालय ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा अपनी वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने विश्व बैंक प्रायोजित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) के अनुदान

तकनीकी शिक्षा के लिए अनुसंधान निधियां सृजित नहीं की गई थी उसी टी.ई.क्यू.आई.पी. में विचार किया गया था।

2.1.8.6 तकनीकी शिक्षा के लिए 'अनुसंधान निधियां' का सृजन न करना

लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि एम.ओ.यू. का कार्यान्वयन दसों संवर्धित पार्टियों द्वारा ली गई क्षति पर निर्भर था और इन एम.ओ.यू. को दोबारा लागू करने के परन्तु विश्वविद्यालय को संशुद्धि करने की प्रकिया में है।

एक एम.बी.ए. (अन्तर्द्वितीय) को संशुद्धि करने के लिए एक्स-फैक्टो संशुद्धि प्राप्त हुई थी प्रथम वानकोवर और विश्वविद्यालय, विश्व कौशलिंग विश्वविद्यालय, थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन स्कूल के संशुद्धि नें बताया (मई 2011) कि कनाडा विश्वविद्यालय, गए थे। बकाला पांच "एम.ओ.यू. को परिचालन में चलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई के साथ 12 एम.ओ.यू. हस्तांतरित किए। इनमें से केवल सात एम.ओ.यू. परिचालन में जले कुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 2007-11 के दौरान भारत में तथा बाहर शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से एक था।

भारत तथा विदेश में समान उद्देश्यों वाले शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय रखना

2.1.8.5 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) का अकार्यान्वयन

स्रोत: विभिन्न विभागों से प्राप्त किया गया डाटा।

वर्ष	शुद्ध की गई परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (₹ लाख में)	पूर्व की गई परियोजनाओं की संख्या	पूर्व की गई परियोजनाओं की लागत (₹ लाख में)	लंबित परियोजनाओं की लागत (₹ लाख में)
2006-07	4	44.09	3	32.88	11.21
2007-08	5	45.04	5	45.04	-
2008-09	12	170.58	4	9.10	161.48
2009-10	8	244.36	-	-	244.36
2010-11	3	315.24	-	-	315.24
कुल	32	819.31	12	87.02	732.29

तालिका 8: अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति दर्शाते हैं।

आरंभ की गई, पूर्ण की गई तथा प्रगति में 32 सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के विवरण नीचे तालिका संख्या 8 में दर्शाए गए हैं:

2.1.9.1 सरकार तथा यू.जी.सी. प्रवर्तित अनुसंधान परियोजनाएं

सरकारी, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां विश्वविद्यालय में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करती हैं तथा परियोजनाओं की सफल पूर्णता के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देती हैं।

2.1.9 अनुसंधान गतिविधियां

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि उपकरणों के प्राण की प्रक्रिया लम्बी थी क्योंकि इसमें टेस्टिंग/कोटेशन/मंजूराना/मौल-भाव करना, आयोजन का प्रबंध करना आदि शामिल था तथा अग्रयुक्त शोध के उपयोग के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रस्ताव दिया गया था। अगले यह बताया गया कि कैम्पस्ट्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स साइंस विभाग को उन मदों जिनके लिए निधियां प्रदान की गई थी पर व्यय करने के लिए सलाह दी जायगी।

- कैम्पस्ट्री विभाग ने कैम्पकम्स, फिस्टर प्रेस, ग्लासब्लेपर इत्यादि जैसे उपभोग्य मदों की कमी पर ₹ 37.32 लाख खर्च किए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने फूकल्टी मैशरी के कर्मों के लिए सोफा-सेट, कर्सिपों की खरीद, गैस-फूकल्टी के शिक्षण पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भ्रामान पर ₹ 7.93 लाख खर्च किए।

निधियां विपणित की गई थी जैसा कि नीचे विवरणित है:

गई थी। नमूना-जांच किए गए विभागों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि चिह्नित शर्ती क्षमता पर्याप्त संरचना जैसे उपकरणों, प्रयोगशालाओं इत्यादि प्रदान किए गए बंध विभवविद्यालय की ओर से लापरवाही तथा आघातना की कमी थी। यह देखा गया कि कोर्सों की पूर्ण थी (परिशिष्ट 2.2)। कर्मों के नियोजन तथा उपकरणों की खरीद के लिए (मार्च 2008)। फिर भी, तीन वर्ष के बाद भी, ₹ 19.66 करोड़ की राशि की निधियां अग्रयुक्त उपकरण, प्रयोगशालाएं इत्यादि बढ़ाने के लिए ₹ 30 करोड़ का विशेष अनुदान जारी किया आर्युक्त एवं संचित, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न कोर्सों की शर्ती क्षमता, बढ़ाने के लिए

कमल ₹ 10.34 करोड़
करोड़ के अनुदान में से
प्रदान किए गए ₹ 30
क्षमता बढ़ाने के लिए
खर्च किए गए थे।

2.1.8.7 लाइनेन निधियों की अव-उपयोगिता

सरकार प्रायोजित 32 अनुसंधान परियोजनाओं में से 2006-11 के दौरान केवल 12 पूर्ण की गई थी।

जैसाकि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है कि सरकार प्रायोजित 32 परियोजनाओं में से केवल 12 पूर्ण की गई। इन परियोजनाओं में से पांच, एक से 16 महीनों की देरी के बाद पूर्ण की गई थी।

इसी प्रकार, ₹ 1.37 करोड़ के व्यय से आवेष्टित 22 यू.जी.सी. प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं 2006-11 के दौरान आरंभ की गई थी। इनमें से, 14 परियोजनाएं पूर्णता के लिए देय थी परन्तु केवल पांच परियोजनाएं जून 2011 तक पूर्ण की गई थी। इनमें से तीन, छः से 14 महीने की देरी के बाद पूर्ण की गई थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि अधिकतर परियोजनाएं देय तारीख तक पूर्ण कर ली गई थी किन्तु उपयोग प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतिकरण लम्बित था जो शीघ्र किया जाएगा।

2.1.9.2 थीसिस के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

विश्वविद्यालय के डाक्टरेट आफ फिलास्फी सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार पी.एच.डी. की सामान्य अवधि पूर्णकालिक रिसर्च स्कालरों (आर.एस.) के लिए चार वर्ष तथा अंशकालिक स्कालरों के लिए पांच वर्ष है। नमूना-जांच किए गए विभागों में थीसिस के प्रस्तुतिकरण की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 9: थीसिस के प्रस्तुतिकरण दर्शानेवाली

विभाग का नाम	पंजीकृत आर.एस. की संख्या	निर्धारित अवधि के भीतर थीसिस प्रस्तुत करने वाले आर.एस. की संख्या	निर्धारित अवधि के बाद थीसिस प्रस्तुत करने वाले आर.एस. की संख्या		निर्धारित अवधि के भीतर थीसिस प्रस्तुत करने वाले आर.एस. की प्रतिशतता
			प्रस्तुत की गईं	अभी प्रस्तुत की जाती है	
राजनीति ज्ञान	6	4	2	कून्य	66
मनोविज्ञान	17	8	9	कून्य	47
इलेक्ट्रॉनिक साईंस	13	7	6	कून्य	54
कामर्स	31	कून्य	9	21	कून्य
प्रबंधन	50	9	21	10	18
कुल	117	28	47	31	23

स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त डाटा।

पी.एच.डी. के 117 पंजीकृत रिसर्च स्कालरों में से केवल 28 ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने थीसिस प्रस्तुत किए।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि थीसिस के प्रस्तुतिकरण की स्थिति कामर्स स्टीम में निराशाजनक थी जहां किसी भी रिसर्च स्कालर ने समय पर अपना थीसिस प्रस्तुत नहीं किया। अन्य विभागों में भी निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत थीसिस की प्रतिशतता 18 तथा 66 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। थीसिस के विलम्बित प्रस्तुतिकरण ने विद्यमान मूलभूत संरचना पर भार डाला।

2.1.10 प्रशासन तथा स्थापना

मानव संसाधन तथा मूलभूत संरचना

2.1.10.1 शिक्षक कैडरों में रिक्तियां

सामान्य कोर्सों में शिक्षक स्टाफ की कमी 26 प्रतिशत थी।

विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा नियत मानकों के अनुसार पद संस्वीकृत किए गए थे। मार्च 2011 में विश्वविद्यालय के विद्यमान फैकल्टी सदस्यों (बजटीय शीर्षों में) की संख्या तथा संस्वीकृत संख्या निम्नवत थी:

तालिका 10: सामान्य कोर्सों में शिक्षक स्टाफ की रिक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	कैडर का नाम	अनुमोदित पद	तैनाती	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	प्रोफेसर्स	122	104	18	15
2	एसोसिएट प्रोफेसर्स	120	79	41	34
3	सहायक प्रोफेसर्स	244	175	69	28
	कुल	486	358	128	26

स्रोत: शैक्षिक शाखा के अभिलेख।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कमी 15 तथा 34 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

इसी प्रकार, स्वयं वित्तपोषण स्कीमों के अंतर्गत शिक्षण स्टाफ के 141 पदों (61 प्रतिशत) की कमी थी (मार्च 2011) जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 11: एस.एफ.एस. शिक्षण स्टाफ की रिक्ति की स्थिति दर्शानेवाली

क्रम संख्या	कैडर का नाम	संस्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	प्रोफेसर्स	19	2	17	89
2	एसोसिएट प्रोफेसर्स	39	5	34	87
3	सहायक प्रोफेसर्स	172	82	90	52
	कुल	230	89	141	61

स्रोत: शैक्षिक शाखा से प्राप्त डाटा।

उपर्युक्त तालिका प्रकट करती है कि स्टाफ की कैडर-वार कमी 52 से 89 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि विश्वविद्यालय रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में था। स्वयं वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत, पदों की वित्तीय व्यावहारिता को उनको भरने के समय भी ध्यान में रखा जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया कि सभी रिक्त पदों को भरने से वेतन का भार प्रबलतापूर्वक बढ़ जायेगा तथा विश्वविद्यालय व्यय उठाने योग्य नहीं होगा। इसलिए, सरकार को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया जायेगा। विश्वविद्यालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इसे अपने शुल्क ढांचे की समीक्षा करके अपने संसाधन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

2.1.10.2 शिक्षक - छात्र अनुपात

ए.आई.सी.टी.ई. तथा यू.जी.सी. मानकों के अनुसार एक विश्वविद्यालय में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:15 होना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 31 मार्च 2011 को तकनीकी कोर्सों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात 1:31 का तथा गैर-तकनीकी के लिए यह 1:18 था। अपर्याप्त शिक्षक-छात्र अनुपात असंतोषजनक परिणामों तथा कम प्लेसमेंट के कारणों में से एक हो सकता था जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चित था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अध्यापन कार्य के लिए अध्यापकों को ठेका आधार पर रखा गया था।

2.1.10.3 गैर-शिक्षक कौड़रों में रिक्तियां

गैर-शिक्षक स्टाफ में 31 प्रतिशत की कमी थी।

गैर-शिक्षक कौड़रों की विभिन्न श्रेणियों में 2,555 संस्कृत पदों के विरुद्ध 31 मार्च 2011 को वास्तविक संख्या 1,769 थी। निश्चित श्रेणियों, अर्थात् स्वतः वित्तपोषण कोर्सों में लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स कोच, इंकर, लर्नर, बाइंडर, चपड़ासी तथा स्वीपर्ज तथा परीक्षा शाखा में तकनीकी सहायकों में कमी 100 प्रतिशत थी क्योंकि एक भी पद भरा नहीं गया था। स्टाफ की कमी विश्वविद्यालय के प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यद्यपि सरकार नई भर्ती पर रोक लगने के कारण रिक्त पदों को नहीं भर सकी, बाहरी सूत्रों के माध्यम से कार्य प्रबन्धित किया जा रहा था। फिरभी, यह अवलोकित किया गया कि बाहरी सूत्रों का स्तर सभी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा था।

2.1.10.4 शिक्षक स्टाफ की दक्षता उन्नयन

विश्वविद्यालय/संबद्ध कालेजों में शैक्षिक फौकल्टी की सहायता करने के लिए उनके चुने हुए सुविज्ञता क्षेत्रों में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.) की स्थापना की गई थी। यह देखा गया कि कालेज में ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे जैसाकि योजनागत था। कमियां 29 से 50 प्रतिशत तक थी जैसाकि नीचे विवरणित है:

तालिका 12: प्रशिक्षण कोर्सों की स्थिति दर्शानेवाली

वर्ष	नियोजित कोर्सों की संख्या	आयोजित कोर्सों की संख्या	कमी
2005-06	16	8	8 (50 प्रतिशत)
2006-07	15	10	5 (33 प्रतिशत)
2007-08	17	12	5 (29 प्रतिशत)
2008-09	18	11	7 (39 प्रतिशत)
2009-10	19	12	7 (37 प्रतिशत)
कुल	85	53	32 (38 प्रतिशत)

85 प्रतिशत कोर्स आयोजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 53 कोर्स आयोजित किए गए थे।

स्रोत: शैक्षिक स्टाफ कालेज से प्राप्त डाटा।

यह देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी, लाइफ साईंसिज, रिसर्च मैथडोलोजी तथा संस्कृत पर दक्षता उन्नयन कोर्सों की योजना 2007-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष बनाई गई थी किन्तु प्रशिक्षण कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे। आगे, विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षक स्टाफ की दक्षता उन्नयन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि आवेदकों की अपर्याप्त संख्या के कारण कोर्स आयोजित नहीं किये जा सके क्योंकि राज्य में बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर तथा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में दो और शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना की गई थी।

2.1.10.5 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना

विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेंटर के कार्यकलापों में से एक विश्वविद्यालय स्टाफ को कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रदान करना था। दो वर्षों में, केन्द्र ने 96 सदस्यों के लिए सितंबर और दिसंबर 2010 के मध्य एक सप्ताह की अवधि वाले केवल पांच ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किये। केवल 30 सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया और वह भी एक दिन से पांच दिन की उपस्थिति के साथ। विश्वविद्यालय द्वारा उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। इसने इंगित किया कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण के प्रति लापरवाही थी। इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटर के अनुप्रयोगों में अधिकांश स्टाफ अप्रशिक्षित रहा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति रिकार्ड स्थापना शाखा को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि किसी कार्य योजना के अभाव के कारण कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रदान करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

सम्पदा प्रबंधन तथा सहायक सेवाएं

2.1.11.1 परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण

सम्पदा अधिकारी की अध्यक्षता वाली सम्पदा विंग विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के अनुरक्षण/नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है तथा 506 एकड़ कृषीय भूमि का स्वामित्व रखता है जो कि कृषीय प्रयोजन के लिए खुली नीलामी के माध्यम से पट्टा आधार पर दी जाती है। विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय मार्केट काम्प्लेक्स में 55 दुकानें, गर्ल्स हास्टल काम्प्लेक्स में 10 दुकानें तथा 14 कैंटीन और टी बूथस भी हैं। प्रभावी सम्पदा प्रबंधन के लिए विंग को भूमि/परिसम्पत्तियों के स्वामित्व, भूमि के पट्टे, किराओं के संग्रहण इत्यादि से संबंधित डाटाबेस का अनुरक्षण करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि विश्वविद्यालय समेकित परिसम्पत्ति अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रहा था। विभिन्न शाखाएं विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों से डील कर रहे थे अर्थात् सम्पदा कार्यालय शाखा कृषीय भूमि से डील कर रही थी, सामान्य शाखा मकानों तथा दुकानों के आबंटन से डील कर रही थी और निर्माण शाखा भवन अभिलेखों से डील कर रही थी। इनमें से किसी को भी परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन का ज्ञान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियों, चालू परिसम्पत्तियों इत्यादि की प्रमात्रा सुनिश्चित योग्य नहीं थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि परिसम्पत्तियों के अभिलेख समेकित करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

2.1.11.2 शिक्षण क्षेत्र में मूलभूत संरचना की अपर्याप्तता


ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के अनुसार क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं/वर्कशापों तथा लाइब्रेरी/रीडिंग रूमों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों के आकार क्रमशः 66, 200 तथा 400 वर्गमीटर होने चाहिए।

यह देखा गया कि यू.आई.ई.टी. में क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा लाइब्रेरियों/रीडिंग रूमों के वास्तविक आकार क्रमशः 57.01, 57.81 तथा 184.32 वर्गमीटर थे। इस प्रकार, विद्यार्थी संकुलित वातावरण में कार्य करने हेतु बाध्य थे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि वर्ष 2010 में ए.आई.सी.टी.ई. के मानक यू.आई.ई.टी. में लागू हुए थे तथा इसके भवन के निर्माण की योजना वर्ष 2003 में बनाई गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम 1987 में लागू हुआ तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं इत्यादि के आकार ए.आई.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार होने चाहिए।

2.1.11.3 अपर्याप्त हास्टल आवास

विश्वविद्यालय के कैम्पस विद्यार्थियों को हास्टल आवास प्रदान किया गया था। जांच ने दर्शाया कि 2006-07 से 2009-10 तक हास्टलों में भारी भीड़ थी क्योंकि विद्यार्थियों की औसत संख्या भर्ती क्षमता से बहुत अधिक थी जैसा नीचे विवरण दिया गया है:



उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 5,005 विद्यार्थियों की भर्ती क्षमता के विरुद्ध वास्तविक अधिभोग 5,856 था। हास्टलों की अत्यधिक भीड़, अध्ययन तथा स्वच्छ जीवन-यापन के लिए सहायक नहीं थी। आगे 97 बिस्तरों की भर्ती क्षमता हेतु स्थान कार्यालय कार्य के लिए प्रयोग किया गया था इसने भी भीड़ को बढ़ाया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि 1200 छात्रों की आवास क्षमता वाले और हास्टल निर्माणाधीन थे तथा उनके पूर्ण होने पर और छात्रों को आवासित किया जा सकता था।

2.1.11.4 बुक बैंक

गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए बुक बैंक के सृजन के लिए अनुदान यू.जी.सी. द्वारा प्रदान किये जाते हैं। यह तथापि, देखा गया कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में

कोई बुक बैंक स्थापित नहीं किया गया था। आगे, 2006-11 के दौरान यू.जी.सी. से प्रयोजन हेतु कोई अनुदान नहीं मांगा गया था।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि कालेजों/विभागीय पुस्तकालयों में बुक बैंक उपलब्ध थे और मुख्य पुस्तकालय में बुक बैंक के सृजन के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव यू.जी.सी. को शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2.1.11.5 विश्वविद्यालय प्रिंटिंग प्रैस

विश्वविद्यालय के पास 74 कार्यरत स्टाफ की संख्या वाली स्वयं की अपनी प्रिंटिंग प्रैस है। यह अवलोकित किया गया कि विश्वविद्यालय की प्रैस आधुनिक प्रौद्योगिकी से भलीभांति सुसज्जित नहीं थी। इसके उपकरण के इतिहास के विश्लेषण ने दर्शाया कि उपकरण के 30 मर्दों में से 28 बहुत पुराने थे तथा दिसंबर 1964 तथा मार्च 2005 के बीच खरीदे गये थे। प्रैस ने 2006-10 के दौरान नीचे दिखाई गई तालिका 13 के अनुसार ₹ 4.44 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया।

तालिका 13: प्रिंटिंग प्रैस के आय तथा व्यय

वर्ष	आय	व्यय	आय के ऊपर अतिरिक्त व्यय
2006-07	1.40	2.14	0.74
2007-08	1.48	2.38	0.90
2008-09	1.51	2.81	1.30
2009-10	1.33	2.83	1.50
2010-11	1.26	1.86	0.60
कुल	6.98	12.02	5.04

स्रोत विश्वविद्यालय के आय और व्यय की विवरणियां।

विश्वविद्यालय ने अपना कुछ प्रिंटिंग कार्य इस तर्क के साथ बाहर से करवाया था कि प्रैस सुसज्जित नहीं थी। आगे यह देखा गया कि उत्तर-पुस्तिका सहित कई प्रिंटिंग कार्य ₹ 56.24 लाख व्यय करके निजी यूनितों से करवाये गये थे (2009-11)। विश्वविद्यालय ने न तो हानि के कारणों का विश्लेषण किया और न ही प्रैस को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई कार्यवाही की।

2.1.11.6 सीमा शुल्क पर परिहार्य व्यय

जी.ओ.आई. ने अधिसूचित किया (जुलाई 1996) कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के पास पंजीकृत एक संस्था इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपस्करों एवं उपकरणों पर सीमा शुल्क से छूट का लाभ उठा सकता है। विश्वविद्यालय डी.एस.आई.आर. के पास पंजीकृत था।

चार¹⁵ विभागों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया (जनवरी तथा फरवरी 2011) कि इन विभागों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपस्करों एवं उपकरणों का आयात किया और ₹ 12.41 लाख की राशि के सीमाशुल्क का भुगतान किया। इसने जागरूकता की कमी दर्शाई तथा इस प्रकार ₹ 12.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि खोजबीन के बाद सीमा शुल्क विभाग से सीमा शुल्क की वापसी मांगी जायेगी।

¹⁵

इलेक्ट्रॉनिक साईंस (₹ 8.12 लाख), कैमिस्ट्री (₹ 2.47 लाख), विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 0.84 लाख) तथा फीजिक्स (₹ 0.98 लाख)।

16. संशोधन 26(1) दर्शाता है कि वार्षिक लेखे तथा वृत्तन-पत्र की लेखापरीक्षा, पीछेक, स्थानीय निधि लेखे (अथ निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा) द्वारा की जाएगी।

17. 2002-03: ₹ 1.76 लाख, 2003-04: ₹ 3.08 लाख, 2004-05: ₹ 0.01 लाख, 2005-06: ₹ 0.58 लाख, 2007-08: ₹ 0.42 लाख।

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा के वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो के अनुसार विभिन्न प्रकृति (लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, भागों तथा लघु आपत्तियों) की 489 आपत्तियाँ जैसे पांच" मामलों में ₹ 5.85 लाख के गबन, निर्माण लेखाओं में अनियमितताएँ, आभिलेखों की अपूर्णता/वैतिपूर्ण अनुरक्षण तथा चूको एवं कमीशन के अनेक अन्य मामलों 1962-63 से लम्बित थे। 2009-10 में केवल आठ अनुच्छेद, तीन भागों एवं पांच आपत्तियाँ समायोजित की गई थी। इसने निदेशक स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय की अप्रतिक्रियाशीलता दर्शाता है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि लम्बित आपत्तियों को समायोजित करने के लिए अनवरत प्रयत्न किए जायेंगे और अन्ततम स्थिति निर्धारण हेतु संवाहित विभागों के साथ बैठक बुलाई जाएगी।

विश्वविद्यालय के लेखे 26 अगस्त 2009 तक प्रतिदिन आधार पर तथा उसके बाद संशोधित पूर्व-लेखापरीक्षा प्रणाली पर वैसाक दिन विभाग द्वारा आरंभ की गई, निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने जारी रहे। पूर्व-लेखापरीक्षा प्रणाली आरंभ करने के पश्चात कुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 26(1) के प्राधान्य के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए कोई प्राधिकारी नामित नहीं किया गया। परिणामतः, पूर्व लेखापरीक्षा तथा पञ्च लेखापरीक्षा तब से उसी प्राधिकारी द्वारा की जा रही थी जो अनियमित थी।

2.1.12.2 निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा


विश्वविद्यालय ने फोकसप्रोब्स, जो बहुत पुराना था, में अपने लेखे आर्थिक रूप से किए गए लेखापरीक्षा परिणाम आन्तरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाते करते हैं। अनुमान के बिना आरंभ किए गए थे। अनुच्छेद 2.1.7.3, 2.1.7.8, 2.1.7.9, 2.1.8.3 में दिए कम्प्यूटरीकरण थे। इन-हाउस कार्पुकिमी की समर्थित वेधता जांच नहीं करवाई गई थी तथा

विश्वविद्यालय ने फोकसप्रोब्स, जो बहुत पुराना था, में अपने लेखे आर्थिक रूप से किए गए लेखापरीक्षा परिणाम आन्तरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाते करते हैं। अनुमान के बिना आरंभ किए गए थे। अनुच्छेद 2.1.7.3, 2.1.7.8, 2.1.7.9, 2.1.8.3 में दिए कम्प्यूटरीकरण थे। इन-हाउस कार्पुकिमी की समर्थित वेधता जांच नहीं करवाई गई थी तथा

कर्मचारियों के अस्थाई अधिमाँ पर कोई उचित मानीटरिंग नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप करीबो रूपों से आवेष्टित अनेक सम्पदान अपरिगणित पड़े थे। किए गए थे। बैंक शेषों के नियमित मिलान की पत्रावली का अनुसरण नहीं किया गया था। बिना आगे ले जाए गए थे कि संगत डेबिट एवं क्रेडिट स्टन्टाज बैंकों द्वारा सही ढंग से प्रदान के मामलों की वास्तविक स्थिति सनिश्चित नहीं की जा सकी। बैंक शेष यह सुनिश्चित किए इसके प्रारंभ से कोई वृत्तन-पत्र वेधार नहीं किया था। वृत्तन-पत्र के अभाव में विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के लेन-देनों एवं अन्य गतिविधियों से भेल नहीं खाना। विश्वविद्यालय ने आवेधसन प्रदान करती है। ये देखा गया कि विश्वविद्यालय में आन्तरिक नियंत्रण वैतिपूर्ण था आन्तरिक नियंत्रण, लागू होने वाले नियमों तथा विनियमों की अनुपालन बारे प्रबंधन को उचित

2.1.12.1 आन्तरिक नियंत्रण

2.1.12 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन



वर्ता के विशेषण ने निम्नानुसार प्रकट किया: 70 छात्र थे, की विश्वविद्यालय की विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन करने की कहा गया था। उपस्थिति में प्रभावशील प्रणाली द्वारा लिया गया था। 153 विद्यार्थियों, जिसमें 83 छात्रों तथा फीडबैक उनके संतोष स्तर का निर्धारण करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकाधिकारियों की निष्पादन लेखपरीक्षा के दौरान नमूना-जांच किए गए 14 विभागों के 153 विद्यार्थियों का ध्यान में सुधारने के लिए फीडबैक लेने के लिए कोई सही यथावती विकल्प नहीं की गई थी। किया जाना अपेक्षित था। फिर भी, यह देखा गया कि विद्यार्थियों से उनकी शिकायतों का फीडबैक के निर्धारण हेतु फीडबैक प्रकट करने के लिए विश्वविद्यालय में एक मान्यता प्राप्त सेवा विद्यार्थियों की शिकायतों का पता लगाने तथा विद्यार्थियों द्वारा समानता की जाने वाली शिकायतों

2.1.12.4 निष्पादन मूल्यांकन

पद्धति का कुछ देर में पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि इससे और प्रभावी बनाया जा सके। खतरा था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि शैतिक संस्थापन की विश्वविद्यालय की पता नहीं था। इस अनियमितता से विश्वविद्यालय की इतिहास का अत्यधिक शैतिक संस्थापन के अभाव में परिसम्पत्तियों, भण्डारों इत्यादि की कमी/चोरी, यहि कोई ही, का

स्रोत: संबंधित विभागों से सन्निहित किए गए।

विभाग का नाम	अन्तिम शैतिक संस्थापन की तारीख
विश्वविद्यालय प्रशासन	1996-97
उपचार प्राप्त सेवा प्रदाता (गैर प्रत्यक्ष)	अगस्त 1992
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का प्रत्यक्ष	1996-97
विश्वविद्यालय अधिकाधिकार एवं प्रशासकीय संस्थापन	2005-06
शैक्षिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स शोध विभाग	2006-07
गैर विभाग विभाग	2006-07

तालिका 14: शैतिक संस्थापन न किया जाना

संस्थापन की स्थिति निम्नानुसार थी: संस्थापन किए जाते हैं, से दर्ज की जानी चाहिए। नमूना-जांच किए गए विभागों में शैतिक संस्थापन का प्रमाण-पत्र, सूची तथा माल रजिस्ट्रार, जोसा भी मामला है, उहाँ ऐसे संस्थापन प्रत्येक वर्ष से कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। इसके परिणामों पत्रावलि वित्तीय नियमों के नियम 15.16 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी भण्डारों का शैतिक

2.1.12.3 शैतिक संस्थापन

कक्षाओं का निर्धारण करना है जो कि विद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएं। कार्यकारी परिषद की कार्रवाई है। यह, इसकी श्रेणी में कर्मचारियों को संबोधित करने का प्रयास है और ऐसे अन्य समीक्षा करता है तथा उसके वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखाओं पर प्रस्ताव पास प्रत्येक चार माह बाद बैठक करता है। कोर्ट विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों की कक्षा विश्वविद्यालय कलेक्टर खण्ड - III के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट, वर्ष में तीन बार या

2.1.12.5 कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद की बैठकें

तथा समन्वित कार्यवाही की जाएगी।

(अप्रैल 2011) कि विश्वविद्यालय के प्रशासन ने सर्वेक्षण की अध्यक्षता की मान लिया था उपलब्ध सुविधाओं को उत्कृष्ट मूल्यांकित किया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया उपर्युक्त ये यह भी देखा जा सकता है कि केवल 16 प्रतिशत विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में

• छात्राओं ने कम्पस में विद्यमान सुरक्षा स्थिति से असंतुष्टता प्रकट की।

अधिक था जैसा अक्टूबर 2.1.11.3 में चर्चा की गई है।

• यह भी देखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट में शीर्ष-मार्ग थी क्योंकि अधिष्ठाता भी क्षमता से विद्यार्थी प्रतिशत विद्यार्थी इस्टेबल सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे। लेखापरीक्षा के दौरान

नहीं थी।

• यवन प्रतिशत विद्यार्थी प्रयोगशालाओं में प्रदान किए गए मूल्योत्तर देना से संतुष्ट

(50 प्रतिशत) साइंस स्ट्रीम से संबंधित थी।

• कोर्स सारांश का खराब या औसत मूल्यांकित किया। इस श्रेणी के अधिकांश विद्यार्थी साक्षात्कार किए गए 34 प्रतिशत विद्यार्थी अपने कोर्स सारांश में परिवर्तन चाहते थे तथा

द्वारा ये सुविधाएं जटिलपूर्ण रूप में मूल्यांकित की गई थी।

(60 प्रतिशत) तथा मानविकी (59 प्रतिशत) स्ट्रीम से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों (100 प्रतिशत); फीजिक्स (78 प्रतिशत); कम्प्यूटर्स (75 प्रतिशत); कम्पस

समय 59 प्रतिशत विद्यार्थी कम्प्यूटर सुविधाओं से संतुष्ट थे। तथापि, राजनीति शास्त्र सुधार चाहते थे।

• उनहतर प्रतिशत विद्यार्थी मूस सुविधा से प्रसन्न नहीं थे तथा भोजन की गुणवत्ता में

अक्टूबर 2.1.10.2 में चर्चा की गई है।

विद्यार्थियों की असंतुष्टता के घटकों में से एक हो सकता था जैसा कि देखा गया कि इन स्ट्रीमज में फूकल्टी स्ट्रेमज की कमी थी जो इन स्ट्रीमज में

(70 प्रतिशत) में असंतुष्ट अधिक घोषित की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी विषयतः यूआईईटी (76 प्रतिशत); कम्प्यूटर साइंस (64 प्रतिशत) तथा एमबीए

32 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपनी असंतुष्ट व्यक्त की। स्वतः विन्यास कोर्स, 68 प्रतिशत विद्यार्थी फूकल्टी से संतुष्ट थे जबकि साक्षात्कार किए गए

- प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- रोकर-बही सही ढंग से अनुरक्षित की जानी चाहिए तथा बैंक भिन्न भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। बकाया अस्थाई अग्रिमों पर जांच रखने के लिए समर्पित
- विश्वविद्यालय को अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए वृत्तन-पत्र तैयार करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य इंगित करते हुए दीर्घ-अवधि परिसूच्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2.1.14. सिफारिशें

उत्तर था।

अंतर्गत कोर्सों दोनों के लिए शिक्षण स्टाफ की कमी ने भी शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डाला था। लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए आवास उपलब्ध था। सामान्य तथा ए.एस.एफ.एस. के संरचना जैसे क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, यू.आई.ई.ई.टी. में पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय होस्टलों तथा कुछ कोर्सों में विद्यार्थियों की सफलता की निम्न दरें थीं। आगे, विश्वविद्यालय में मूलभूत विज्ञान प्रबंध, लेखाओं के अनुरक्षण इत्यादि में उचित था। परिणामों की घोषणा में विलम्ब, रिजल्ट्स कालों द्वारा शीघ्र के प्रस्तुतिकरण में भारी विलम्ब थे। आयोजना, बजट प्रतिपादन, नहीं था क्योंकि 54 में से केवल 17 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की गई थीं। आगे, पी.एच.डी. था। विश्वविद्यालय का निष्पादन, जहां तक अनुसंधान गतिविधियों का संबंध है, संतोषजनक विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उत्तम शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अनुदेश प्रदान करना

2.1.13 निष्कर्ष

उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि इस संबंध में उचित कार्रवाही की जायेगी।

लिखित अनुरोधों पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने थी। उत्तर प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती बैठकों के प्रस्तावों के कार्यान्वयन की समीक्षा के थी। विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2011) कि कर्मियों का कार्यक्षेत्रों की अनुपलब्धता के कारण कोर्ट बैठकों में कमी 53 प्रतिशत थी जबकि कार्यकारी परिषद बैठकों के लिए यह 44 प्रतिशत

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त डेटा।

वर्ष	कोर्ट बैठकें		कार्यकारी परिषद बैठकें	
	लक्ष्य	वास्तविक	कमी	लक्ष्य
2006	3	1	2	10
2007	3	1	2	10
2008	3	1	2	10
2009	3	2	1	10
2010	3	2	1	10
कुल	15	7	8	50
				28
				22

तालिका 15: कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद बैठकों की स्थिति

कार्यकारी परिषद की आयोजित बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

बैठकें गार्मियों की छुट्टियों की छुट्टीकर प्रत्येक माह आयोजित की जानी है। कोर्ट तथा

उच्चतर शिक्षा विभाग की संदर्भित किए गए थे। उच्चतर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

- परिसम्पत्तियों का शैतिक सत्यापन निर्धारित अन्तरालों पर किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को समय-समय पर अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जा सकें।
- विश्वविद्यालय को निर्धारित अवधि के भीतर परियोजनाओं की घोषणा सन्निहित करने हेतु अपनी प्रभावशीलता ठीक करनी चाहिए तथा उपचारत्मक कार्रवाही करने हेतु कुछ कोर्सों में विद्यार्थियों की निम्न सफलता दर हेतु कारणांकों को पता लगाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को समय-समय पर अध्ययन कोर्सों की समीक्षा, अलोकप्रिय कोर्सों को बंद करने तथा नए कोर्सों को शुरू करना चाहिए।

वन विभाग

2.2 वन विभाग की कार्यप्रणाली

विशिष्टताएं

पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण स्थिरता, जैव-विभिन्नता संरक्षण, स्वाद्य सुरक्षा तथा देश के क्रमिक विकास में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य देश के एक तिहाई भू-वैज्ञानिक क्षेत्र को वनों एवं पेड़ों से आच्छादित करना है। राज्य सरकार ने अपनी वन नीति में 2010 तक राज्य के 10 प्रतिशत क्षेत्र को वनों एवं पेड़ों से आवृत्त करने पर विचार किया। विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने इसकी नीति के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत को वनों एवं पेड़ों के अंतर्गत लाने की एक दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न करने, वन-भूमि की सीमा तय न करने, इको-टूरिज्म के लिए वन भूमि का विकास न करने, वन विकास स्कीमों का धीमा कार्यान्वयन, निधियों का विपथन, पौधारोपण की निम्न उत्तरजीविता तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों का परस्पर व्यापन प्रकट किया। इसके अतिरिक्त, गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन-भूमि के उपयोग हेतु मुआवजे के रूप में वसूल की गई भारी निधियां उपयोग किए बिना रहीं।

सरकार की नीति के अनुसार 2010 तक राज्य के कुल भू-वैज्ञानिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत को वन एवं पेड़ के अंतर्गत आवृत्त करने की एक दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

चार मण्डलों में ₹ 5.56 करोड़ की राशि प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंध एवं आयोजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के पास जमा करवाने की बजाए बैंक खातों में रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.7.5)

₹ 4.60 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध वन भूमि उपयोगकर्त्ताओं से मुआवजे के रूप में केवल ₹ 2.61 करोड़ वसूल किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.7)

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत पौधारोपण की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.2)

प्रतिपूरक वन रोपण के लिए समुचित योजना नहीं बनाई गई थी तथा परिणामतः गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोगकर्त्ताओं से मुआवजे के रूप में नमूना-जांच किए गए 12 मंडलों में वसूल की गई ₹ 109.18 करोड़ की राशि उपयोग नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.11)

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विपरीत आरक्षित वन/संरक्षित वनों/वन्यजीव मृग-वन में 11 हर्बल पार्क विकसित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.12)

निर्धारित अवधि के भीतर मितव्ययी पर्यटन की परियोजनाओं की अपूर्णता के कारण विभाग ₹ 1.30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका।

(अनुच्छेद 2.2.13.1)

विभाग/उपायुक्त, गुड़गांव द्वारा अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन हुआ परिणामस्वरूप वन संसधानों को क्षति पहुंची।

(अनुच्छेद 2.2.15.3)

2.2.1 प्रस्तावना

हरियाणा, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिण-पश्चिम में अरावली पहाड़ियों तथा पश्चिम में शुष्क मैदानों से घिरे गंगा के मैदानों में स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44.2 लाख हेक्टेयर है। मार्च 2011 को राज्य का वन क्षेत्र 1.59 लाख हेक्टेयर (राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 3.60 प्रतिशत) में फैला हुआ था जिसमें से 15.72 प्रतिशत आरक्षित¹⁹, 72.96 प्रतिशत संरक्षित²⁰ तथा 11.32 प्रतिशत अवर्गीकृत एवं अन्य अधिसूचित वन²¹ था। इसके अतिरिक्त, 1.41 लाख हेक्टेयर (राज्य के क्षेत्र का 3.19 प्रतिशत) क्षेत्र वृक्ष आवरण के अंतर्गत था। इस प्रकार, वन एवं पेड़ आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 6.79 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में विचार किए गए अनुसार वन एवं पेड़ आवरण के अंतर्गत एक तिहाई क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत नीचे था। चूंकि राज्य की 81 प्रतिशत भूमि कृषि अधीन थी, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं थी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य वन नीति तैयार की (नवम्बर 2006) जिसने 2010 तक 10 प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने तथा अन्तिम रूप से इसे स्तरों में 20 प्रतिशत तक लाने का विचार किया। राज्य में कालेसर तथा सुल्तानपुर में दो राष्ट्रीय पार्क, 10 वन्य जीव मृग-वन तथा तीन छोटे चिड़ियाघर, अर्थात् पिपली, भिवानी तथा रोहतक में, हैं। राज्य वन नीति के कार्यान्वयन के लिए वन विभाग उत्तरदायी है। वन विभाग की गतिविधियों में प्राकृतिक वनों एवं वन्य जीव प्राकृतिक वास का संरक्षण, मृदा एवं जल का संरक्षण, वन भूमि, सार्वजनिक भूमि एवं संस्थागत भूमि पर पौधारोपण करवाना तथा किसानों एवं संस्थानों को अच्छे बीजों के सवितरण के माध्यम से एग्रो-फारेस्ट्री का उन्नयन करना शामिल है। विभाग, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 के वैधानिक ढांचे के भीतर अपनी गतिविधियां संचालित करता है।

¹⁹ सरकारी भूमि, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 के अंतर्गत आरक्षित वन के रूप में संघटित की गई है।

²⁰ सरकारी भूमि, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की गई है।

²¹ भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 38 तथा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के अंतर्गत अधिसूचित किन्तु आरक्षित एवं संरक्षित वनों के अंतर्गत आवृत्त न किया गया क्षेत्र।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (एफ.सी.पी.एस.), हरियाणा सरकार, वन विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। पंचकुला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) नीति-निर्माण, बजटीय नियंत्रण, निदेश जारी करने एवं विभाग के समग्र कार्यचालन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय पर उनकी सहायता के लिए दो अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (एक वानिकी के लिए तथा दूसरा वन्यजीव के लिए), छः मुख्य वन संरक्षक तथा दो मुख्य परियोजना निदेशक (सी.पी.डी.) होते हैं। दो सी.पी.डीज एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना तथा सामुदायिक वनखंड परियोजना नामक दो परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य को चार वन विकास परिमंडलों, एक वन्यजीव परिमंडल, एक उत्पादन परिमंडल, दो सामुदायिक वनखंड परिमंडलों तथा मानीटरिंग एवं मूल्यांकन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, सामाजिक वनखंड, प्रभार एवं विस्तार और कार्यचालन योजना के लिए प्रत्येक को एक परिमंडल में बांटा गया है। वन संरक्षक परिमंडलों के मुखिया हैं। उपर्युक्त 14 परिमंडलों को आगे 37 वन तथा चार वन्यजीव मण्डलों में बांटा गया है। मंडल स्तर पर मंडलीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओज) तथा मण्डलीय वन्यजीव अधिकारी (डी.डब्ल्यू.एल.ओज) क्रमशः विभाग की वन तथा वन्यजीव से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- एक दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाएं सरकारी नीति के अनुसार विभाग के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए थे;
- विभाग में विद्यमान आर्बिट्रट प्राथमिकताओं के संबंध में दक्ष वित्तीय प्रशासन;
- विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्रदानगी के संबंध में प्रभावी कार्यक्रम प्रबंध;
- दक्षता उन्नयन हेतु कार्मिक भर्ती, तैनाती एवं प्रशिक्षण के संबंध में मानव संसाधन का प्रबंध दक्ष था; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली सहित पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग की विद्यमानता।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा परिणामों की बेंचमार्किंग के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नानुसार थे:

- वन विभाग से संबंधित नीति एवं योजना दस्तावेज, अधिनियम तथा नियम;
- हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब बजट मैनुअल तथा पंजाब वित्तीय नियमों/खजाना नियमों के प्रावधान;
- राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएं तथा अनुदेश;
- विभागीय नियमपुस्तकें, नियम तथा विनियम;

- स्कीमों/कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया; तथा
- वनों के संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

वन विभाग के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2006-11 की अवधि के लिए संचालित की गई थी। पी.सी.सी.एफ., अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) तथा सभी 14 परिमंडलों के अभिलेख संवीक्षा के लिए चयन किए गए थे। सभी 21 प्रादेशिक वन मंडल (एक इको-टूरिज्म मंडल सहित) नमूना-जांच के लिए चुने गए थे। चार वन्यजीव मंडलों में से दो²², चार उत्पादन मंडलों में से दो²³, पांच सामुदायिक वनखंड मण्डलों में से तीन²⁴ 'प्रतिस्थापन के बिना आकार की आनुपातिक स्तरित संभावना यादृच्छिक नमूना पद्धति' का उपयोग करके नमूना-जांच के लिए चुने गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मापदण्ड तथा लेखापरीक्षा के क्षेत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए एफ.सी.पी.एस. वन विभाग के साथ एण्ट्री कान्फ्रेंस अप्रैल 2011 में आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए एफ.सी.पी.एस. के साथ 4 अगस्त 2011 को एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी। विभाग के दृष्टिकोण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अन्तिमकरण करते समय ध्यान में रखे गए थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 वन नीति तथा आयोजना

2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग को वन के अंतर्गत आवृत्त करने की दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वन संसाधनों के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य के सृजन के 40 वर्षों के बाद 2006 में इसकी वन नीति तैयार की। नीति ने 2010 तक विद्यमान 6.63 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक तथा अन्ततः स्तरों में 20 प्रतिशत तक राज्य में वन तथा पेड़ आवरण के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य नियत किया। पंचायती, सार्वजनिक तथा संस्थागत भूमि के अतिरिक्त एग्रो-वनखंड, फार्म वनखंड तथा शहरी वनखंड के माध्यम से निजी भूमि पर अधिक पेड़ लगाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था।

विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए अपना दृष्टिकोण निम्नानुसार तैयार किया:

- वन तथा वृक्ष आवरण 12 प्रतिशत तक बढ़ाना;
- एग्रो वनखंड तथा फार्म वनखंड का विस्तार;
- औषधीय पौधों के प्रचार, कृषि एवं विपणन का प्रतिपादन करना;

²² मण्डलीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकुला तथा रोहतक।

²³ मण्डलीय वन अधिकारी (उत्पादन), करनाल तथा कुरुक्षेत्र।

²⁴ मण्डलीय वन अधिकारी (सामुदायिक वनखंड परियोजना), अंबाला, हिसार तथा कुरुक्षेत्र।

- इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना;
- मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से मृदा का क्षरण रोकना;
- वनों एवं वन्यजीवन की सुरक्षा; तथा
- सार्वजनिक-निजी सहभागिता से वन्यजीवन संरक्षण शिक्षा केन्द्र की स्थापना।

यह देखा गया था कि विभाग ने 2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत की व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने के लिए भौतिक लक्ष्य तैयार करने के लिए कोई दीर्घ-अवधि योजना तैयार नहीं की। विभाग ने यह विनिर्दिष्ट किए बिना, कि इन स्कीमों के माध्यम से क्षेत्र का 10 प्रतिशत वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित किया। आगे, विभाग ने वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाए जाने वाले राज्य के क्षेत्रों को चिह्नित करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बजटीय समर्थन, मण्डल/परिमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इत्यादि की विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। समुचित आयोजना के अभाव में नीचे दिए गए विवरणानुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.79 प्रतिशत तक ही वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई:

तालिका 1: राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य का कुल क्षेत्र	आरक्षित वन	संरक्षित वन	अवर्गीकृत वन	वृक्ष आवरण	कुल वन एवं वृक्ष आवरण
2006	44.20	0.25 (0.57)	1.16 (2.62)	0.15 (0.34)	1.37 (3.10)	2.93 (6.63)
2011	44.20	0.25 (0.57)	1.16 (2.62)	0.18 (0.41)	1.41 (3.19)	3.00 (6.79)

(टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल क्षेत्र की प्रतिशतता इंगित करते हैं)

इस प्रकार, 2006-11 के दौरान वन तथा वृक्ष आवरण से संबंधित स्कीमों पर ₹ 539.58 करोड़ खर्च करने के बाद भी वन एवं वृक्ष आवरण में कुल वृद्धि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.16 प्रतिशत ही थी। यद्यपि विभाग का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था, विभाग ने न तो अपनी नीति की समीक्षा की और न ही राज्य वन नीति 2006 में विचार किए गए अनुसार राज्य के 20 प्रतिशत क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई नई योजना प्रतिपादित की। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जुलाई 2011) कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की योजना राज्य में फार्म भूमियों पर गहन वनरोपण तथा सभी बेकार भूमियों एवं संस्थान भूमियों पर वृक्ष पौधारोपण के माध्यम से थी तथा ये प्रयास 2008-09 में शुरू किए गए थे जो 2011-12 के बाद परिणाम देंगे क्योंकि छतरियों तथा सैटेलाइट दृश्यों में हरे आवरण के रूप में प्रतिबिम्बित होने वाले क्षेत्रों को विकसित होने में सामान्यतः चार से पांच वर्ष लगते हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि विशिष्ट लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं किए गए थे कि वन तथा वृक्ष आवरण के अधीन 10 प्रतिशत क्षेत्र लाने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा।

गैर-वन प्रयोजनों के लिए वनभूमि के विपथन के कारण उपयोगकर्ता एजेंसियों से सभी प्राप्तियां क्रेडिट करने के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंध एवं आयोजना प्राधिकरण का गठन किया गया (अप्रैल 2004) था। प्राप्त किया गया धन जी.ओ.आई. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्राकृतिक सहायता-प्राप्त पुनरूद्धार, वन प्रबंध तथा वन रोपण स्कीमों के लिए उपयोग किया जाना था। यह देखा गया था कि जून 2011 को निधि

में ₹ 274.86 करोड़ के संचयन के बावजूद प्रतिपूरक वन रोपण के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई थी, जैसा बाद में अनुच्छेद 2.2.7.6 में विचार-विमर्श किया गया है।

इस प्रकार, आयोजना की कमी ने राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को 2006-11 की अवधि के दौरान लगभग निष्क्रिय बना दिया।

2.2.7 वित्तीय प्रबंध

विभाग की गतिविधियों का पालन करने के लिए सरकार बजट के माध्यम से विभाग को निधियां प्रदान करती है। पी.सी.सी.एफ. बजट अनुमानों को तैयार करने तथा सरकार के पास प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग ने 14 प्लान स्कीमें (दो केन्द्रीय प्रायोजित साझेदार आधार पर, एक बाहरी सहायता-प्राप्त तथा 11 राज्य प्लान स्कीमें) तथा 12 गैर-प्लान स्कीमें (परिशिष्ट 2.3) कार्यान्वित कीं। इसके अतिरिक्त इको-टूरिज्म के विकास के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 2007-08 में ₹ 5.18 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी। वन विभाग की प्राप्तियां मुख्यतः वन उत्पाद जैसे पेड़ों, घास, बांस इत्यादि की बिक्री से थी।

2.2.7.1 बजट तथा व्यय नियंत्रण

वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बजट महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी तरह से तैयार किए गए बजट लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की मानीटरिंग महत्वपूर्ण प्रबंध कार्य है। स्वराब बजटीय नियंत्रण से अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अदक्ष उपयोग ही नहीं होता अपितु यह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब बजट नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 5.3 में निर्धारित किए गए अनुसार सामान्य व्यय के बजट अनुमानों को जहां तक संभव हो ठीक-ठीक तैयार किया जाना चाहिये। व्यय की सभी मदें, जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, जुटाई जानी तथा उचित उप-शीर्षों के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिये। सवितरण अधिकारियों से प्रस्तावों के विवरण निर्धारित फार्म में नियंत्रक अधिकारी को अग्रेषित करने की अपेक्षा की जाती है, जो बजट अनुमानों की तैयारी के लिए उनकी आगे जांच करता है।

2006-11 के दौरान प्लान, गैर-प्लान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक प्राप्तियों तथा उनके विरुद्ध किया गया व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 2: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट आबंटन			अन्तिम बजट आबंटन			व्यय			मूल बजट के विरुद्ध आधिक्य (+)/ बचत (-)	वास्तविक प्राप्तियां
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल		
2006-07	99.95	49.37	149.32	91.14	49.51	140.65	124.79	49.45	174.24	(+) 24.92	38.62
2007-08	103.54	35.05	138.59	98.96	34.00	132.96	102.07	34.02	136.09	(-) 2.50	33.79
2008-09	117.15	37.52	154.67	118.25	38.23	156.48	120.87	39.32	160.19	(+) 5.52	40.74
2009-10	101.40	93.75	195.15	95.79	91.49	187.28	94.95	91.87	186.82	(-) 8.33	56.13
2010-11	128.53	66.56	195.09	130.91	75.30	206.21	119.41	86.68	206.09	(+) 11.00	33.56
कुल	550.57	282.25	832.82	535.05	288.53	823.58	562.09	301.34	863.43	(+) 30.61	202.84

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है 2006-07, 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान मूल बजट आबंटनों तथा 2007-08 एवं 2009-10 के दौरान बचत पर आधिक्य था। किसी औचित्य के बिना मूल बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के मध्य भारी अंतर ने दोषपूर्ण बजटिंग इंगित की। 2006-07 में ₹ 24.92 करोड़ के कुल आधिक्य में से ₹ 23.46 करोड़ हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना के संबंध में था। यह मामला 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) - हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 2.3.8 में इंगित किया गया था। तथापि, लोक लेखा समिति की सिफारिशों प्रतीक्षित थी। यह आगे देखा गया था कि यद्यपि विभाग ने सवितरण अधिकारियों से विवरण प्राप्त करके नान-प्लान व्यय के संबंध में बजट अनुमान तैयार किए किन्तु प्लान अनुमानों के संबंध में ऐसी कोई कवायद नहीं की जा रही थी।

पी.सी.सी.एफ. ने बताया (मई 2011) कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आधिक्य, मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा भवनों के अनुरक्षण के कारण थे जबकि बचतें रिक्त पदों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन पर कम व्यय के कारण थी। उत्तर इंगित करता है कि बजट नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि मजदूरी की दरों में वृद्धि, भवनों का अनुरक्षण, रिक्त पद इत्यादि पूर्वानुमान योग्य थे तथा व्यय की इन मदों को ध्यान में रखने के बाद अनुमान तैयार किए जाने चाहिये।

अभिलेखों की जांच ने निम्नलिखित कमियां प्रकट कीं:

- चार²⁵ स्कीमों (परिशिष्ट 2.4) में 2006-10 दौरान ₹ 1.55 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन राशि वापस की जानी थी। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जून 2011) कि इन स्कीमों के लिए प्रदान की गई निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण स्कीमों निष्पादित नहीं की जा सकी। इस प्रकार, इन स्कीमों के लिए बजट में समुचित प्रावधान नहीं किये गये थे।
- हरियाणा वन नियम-पुस्तिका के अनुसार वेतनों से बचतों को व्यय के अन्य मानक उद्देश्यों की ओर पुनः विनियुक्त नहीं किया जाना था। दो स्कीमों (परिशिष्ट 2.5) पर किया गया ₹ 25.13 लाख का अतिरिक्त व्यय, वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन वेतनों से बचत में से पुनः विनियुक्त किया गया था जो न केवल वन नियमपुस्तक के प्रावधानों के विपरीत था बल्कि खराब बजटीय नियंत्रण भी इंगित किया।

2.2.7.2 बजट नियंत्रण रजिस्टर का रख-रखाव न करना

हरियाणा बजट नियमपुस्तक खण्ड-II (अनुच्छेद 14.3.5) के अनुसार पी.सी.सी.एफ. द्वारा बजट नियंत्रण रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना था, जिसमें विभाग के वित्तों पर प्रभावी जांच एवं नियंत्रण के लिए वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ आज तक के सभी हस्तांतरणों, संस्वीकृतियों, पुनः विनियोग तथा अतिरिक्त अनुदानों, यदि कोई हो, को दर्शाया जाना था। यह देखा गया था कि यद्यपि विभाग के सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.ज) पी.सी.सी.एफ. को प्रत्येक माह वास्तविक व्यय एवं प्राप्ति विवरणी भेज रहे थे, डी.डी.ओ. - वार

25

सूचना प्रौद्योगिकी; राज्य संसाधन प्रबंध आजीविका परियोजना; वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग; कृषि वानिकी क्लोनल तथा नान-क्लोनल का विकास।

नी" जिलों में वन उत्पाद की काट गिराने एवं हटाने का कार्य विभागा के उत्पादन मंडलों द्वारा तथा हरियाणा वन विकास निगम (एच.एफ.डी.सी.) द्वारा किया जाता है। किसानों को उनके वृक्षों तथा अन्य वन उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ 1989 में एच.एफ.डी.सी. की स्थापना की गई थी। एच.एफ.डी.सी. से रायल्टी की राशि (वन उत्पाद की बिक्री से प्राप्त हो रही) को सरकारी खाते में जमा करने के लिए विभागा के पास जमा कराना अपेक्षित है। यह देखा गया था कि क्षेत्रीय प्रबंधक, एच.एफ.डी.सी., गुडगांव ने 2008-11 की अपेक्षित हेतु रायल्टी के कारण ₹ 2.54 करोड़ की राशि सरकारी खाते में जमा करवाने के लिए विभागा के पास जमा नहीं कराई। आगे, विभागा के पास यह जानकारी होने के बावजूद कि क्षेत्रीय प्रबंधक, गुडगांव अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रायल्टी की राशि का उपयोग कर रहा था तथा इसे विभागा के पास जमा नहीं करा रहा था, उसके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप बाकया रायल्टी की राशि 2008-09 में ₹ 60 लाख से बढ़कर 2010-11 में ₹ 2.54 करोड़ हो गई। एच.एफ.डी.सी. की परियोजनाओं की और सरकार की प्राप्ति का उपयोग अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इतिहास किए जाने पर (फरवरी 2011) पी.सी.सी.एफ. ने संबंधित डी.एफ.ओ. के पास राशि जमा करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, एच.एफ.डी.सी., गुडगांव के साथ मामला उठाया (मई 2011)। तथापि,

हरियाणा वन विकास निगम ने ₹ 2.54 करोड़ का राजस्व सरकारी खाते में जमा नहीं कराया।

2.2.7.4 राजस्व की सरकारी खाते में जमा न करवाना

तमाई जाए।

राज्य वित्तीय नियम (नियम 2.21 (5) एवं 8.13) में प्रावधान है कि भूगतान किए गए सभी वाउचरों की "भूगतान किए गए एवं निरस्त किए गए" के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए ताकि झूठे दावे प्रस्तुत करने के लिए पुनः उनके दुरुपयोग से बचा जा सके। आगे, इन नियमों के अन्वय में ₹ 1000 से कम वाली मदों के आकस्मिक उप-वाउचर आहरण अधिकारियों के कार्यालयों में रखे जाते हैं। नमूना-जांच किए गए मंडलों तथा परिमंडलों के मार्च 2010 के वाउचरों की जांच ने प्रकट किया कि इन मंडलों तथा परिमंडलों में से किसी ने भी भूगतान किए गए वाउचरों में "भूगतान किया गया एवं निरस्त किया गया" के रूप में चिह्नित नहीं किया। इससे धारणा, द्विनिर्माण इत्यादि के जोखिम हो सकते हैं। यह इतिहास किए जाने पर (मई 2011) पी.सी.सी.एफ. ने सभी मुख्य वन संरक्षकों (पी.सी.सी.एफ.)/वन संरक्षकों (सी.एफ.) तथा डी.एफ.ओ. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जून 2011) कि भविष्य में भूगतान किए गए सभी वाउचरों पर भूगतान किया गया एवं निरस्त किया गया के रूप में सीहर

2.2.7.3 भूगतान किए गए वाउचरों को निरस्त न करना

पुनः विनियोगों के कई मामले थे।

बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय के मध्य विभिन्नताएं तथा वर्ष के अन्तिम दिन प्रकार, विभागा निर्धारित व्यय नियंत्रण यंत्रणा पर ध्यान नहीं दे रहा था जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के संबंध में व्यय का मार्गीतर एवं नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस निर्धारित फार्म में तैयार नहीं किया गया था। केवल डी.डी.ओ.-वार व्यय दर्ज किया गया था, जो बजट आबंटन तथा उसके विरुद्ध किए गए व्यय दर्शानेवाला अपेक्षित बजट नियंत्रण रजिस्टर

संरक्षण के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था।
 संरक्षण के रूप में पंजीकृत किया जाना था। राज्य सी.ए.एम.पी.ए. को अब तक (अगस्त 2011) (जनवरी 2010)। इसे संरक्षण पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा के प्रबंध हेतु जी.ओ.आई. विज्ञानियों के अनुसार राज्य सी.ए.एम.पी.ए., हरियाणा का गठन किया सरकार ने वनसंरक्षण गतिविधियों के लिए जी.ओ.आई. के माध्यम से सी.ए.एम.पी.ए. से प्राप्त निधियों सेहतवाता प्राप्त पुनः उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना था।

प्राप्त किया गया धन जी.ओ.आई. द्वारा अनुसंधान वनरोपण स्कीमों, वन प्रबंध तथा प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किस्तों में धन जारी करना था। तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्तिमकृत वार्षिक परिवर्तन योजना के अनुसार राज्य स्तरीय प्रबंध निधियाँ सी.ए.एम.पी.ए. को हस्तांतरित की जानी थी। सी.ए.एम.पी.ए. को बदले में संबंधित राज्य गठन किया (अप्रैल 2004)। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले ही वर्षों की गई अव्ययित केंद्रीय सरकार द्वारा निहित किसी अन्य शर्त (शर्तों) की अनुपालना हेतु सी.ए.एम.पी.ए. का केंद्रित करने अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुसंधान प्रदान करते समय वर्तमान मूल्य, क्वॉटिफिकेशन परिया ट्रेडिंग प्लान की ओर उपयोगकर्ता एजेंसियों से सभी प्राप्ति (एम.ओ.ई.एफ.) ने प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि के निवल सर्वेक्षण न्यायालय के अक्टूबर 2002 के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

2.2.7.6 प्रतिपूरक वनरोपण निधि का प्रबंध

निधियाँ/वर्तिनीयताओं हो सकते हैं।
 अनुसंधान से प्रतिपूरक वनरोपण निधियों को सरकारी लेखा से बाहर अथवा बैंक खाते में रखने से करने के इस्तेमाल रोक-बंदी में नहीं किए गए थे। रोक-बंदी निधियों के समन्वित रूप से विनीय निधियों का उत्पन्न था। आगे, इस खाते पर प्राप्ति तथा उन्हें बैंक खाते में जमा बजाए संबंधित डी.ए.फ. ऑन के बैंक खाते में रखी गई थी। निधियों को बैंक खाते में रखना एजेंसियों से प्राप्त की गई ₹ 5.56 करोड़ की कुल राशि सी.ए.एम.पी.ए. के पास जमा करवाने की 20 प्राप्ति मण्डलों में से चार में अक्टूबर 2004-दिसम्बर 2010 के दौरान उपयोगकर्ता

वर्षों की जाने वाली कोई राशि सी.ए.एम.पी.ए. के पास जमा करवाई जानी थी।
 निवल वर्तमान मूल्य इत्यादि की अव्ययित निधियाँ अथवा उपयोगकर्ता एजेंसी से अभी तक (अक्टूबर 2002) के अनुसार राज्य सरकार के पास पूरी प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि के रख-रखाव करेगा जिसमें वह सभी लेन-देन दर्ज करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों सेवितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, फार्म एफ.ए.सी.-6 में रोक-बंदी का वन नियमपुस्तक के पूरा 13.38 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी, जिसे सरकारी धन प्राप्त एवं

2.2.7.5 बैंक खाते में धन का अवरोधन

विक्रम कार्टवर्ड का आश्वासन दिया।
 दौरान एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने मामले को गंभीरता से देखा तथा संबंधित अधिकारियों के संपादन करे कि सभी प्राप्ति सरकारी खाते में जमा करवाई गई थी। एपिलेट कानून के अगली प्रगति प्रतीक्षित थी। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित प्रणाली का

रखा गया था।
 बजाए बैंक खाते में
 पास जमा करवाने की
 को सी.ए.एम.पी.ए. के
 करोड़ की कुल राशि
 चार मण्डलों में ₹ 5.56

29	अबला, फतेहबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, फिरोज में औरनी तथा सिरसा।
30	भारत संघार निगम लिमिटेड: ₹ 0.19 करोड़, हरियाणा शाही विकास प्राधिकरण: ₹ 0.13 करोड़ तथा लोक निर्माण विभाग: ₹ 1.67 करोड़।

20 प्रादेशिक मण्डलों में से सात" में यह देखा गया था कि उपयोगकर्ता एजेंसियों ने 14 मामलों में निर्माण कार्य करने के लिए 26.34 हेक्टेयर भूमि के विपथन हेतु आवेदन दिया (नवम्बर 2006 - अप्रैल 2011)। जी.ओ.आई. ने इन मामलों में इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया कि कथित मूआवजे के संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा ₹ 4.60 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसियों ने ₹ 2.61 करोड़ जमा करवाए किन्तु ₹ 1.99 करोड़ की शेष राशि जी.ओ.आई. के सिद्धान्त: अनुमोदन की प्रदानगी के एक से चार वर्षों की समाप्ति के बावजूद मार्च 2011 तक जमा नहीं करवाई गई थी। यद्यपि उपयोगकर्ता एजेंसियों ने कार्य निष्पादित किए, विभाग ने कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान शेष राशि वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध कोर्टों काट्टे कार्यवाही नहीं की। विभाग की एन.पी.वी. के निक्षेप के बिना उपयोगकर्ता एजेंसियों को कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

₹ 4.60 करोड़ की एन.पी.वी. की शेष राशि के विरुद्ध वन भूमि की उपयोगकर्ता एजेंसियों ने केवल ₹ 2.61 करोड़ का भुगतान किया।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसियों, जिनके पक्ष में वनभूमि का विपथन गैर-वन उपयोग के लिए अनुमति देया गया है, से प्रतिपूरक वन रोपण, आतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, अनुपूरक जर्माणा, क्वॉट्टे एरिया टैटमेंट, संरक्षित क्षेत्रों के विपथन इत्यादि के लिए प्रभार जमा करवाने अपेक्षित है। एम.ओ.ई.एफ. दिशानिर्देशों (सितम्बर 2003) के अनुसार वन भूमि के विपथन हेतु अन्तिम अनुमोदन देने से पहले उपयोगकर्ता एजेंसियों से भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) वसूल किया जाना चाहिए।

करना

2.2.7.7 गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु मूआवजा वसूल न

उचित रूप से पूरा नहीं हुआ था। करने के लिए कोर्टों में समाविष्ट योजना तैयार नहीं की गई थी तथा निधियों के सृजन का प्रयोजन प्रकार, प्राकृतिक सहायता प्राप्त, वन प्रबन्धन तथा वनरोपण स्कीम हेतु निधियों का उपयोग तक एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अनुसंक्षिप्त हरियाणा राज्य सी.ए.ए.पी.ए. लेखा में संचित की गई थी। इस बैंक खातों में ₹ 28.35 करोड़ के शेष के अतिरिक्त ₹ 274.86 करोड़ की राशि जून 2011 योजना तैयार नहीं की गई थी। यह आगे देखा गया था कि पी.सी.सी.ए.एफ. तथा डी.एफ.ओ.ए. के जी.ओ.आई. द्वारा जारी की गई ₹ 18.89 करोड़ की निधियों का उपयोग करने के लिए कोर्टों में डी.एफ.ओ.ए. के पास उनके बैंक खातों में अव्ययित पड़ी थी। अक्टूबर 2010 में ₹ 9.65 करोड़ की राशि उपयोग की गई थी तथा ₹ 3.87 करोड़ की राशि ₹ 5.59 करोड़ की राशि जुलाई 2011 को बैंक खाते में पड़ी थी (पारिशिष्ट 2.6)। जारी की गई राशि जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य केवल ₹ 13.52 करोड़ की राशि जारी की तथा के व्यय की योजना अनुमोदित (जून 2010) की गई थी, विभाग ने डी.एफ.ओ.ए. की सविध, हरियाणा की अख्यता वानी राज्य सी.ए.ए.पी.ए. की संचालन संचालित द्वारा ₹ 19.11 करोड़ (अप्रैल 2009: ₹ 19.11 करोड़, अक्टूबर 2010: ₹ 18.89 करोड़) की गई थी। यद्यपि मूल्य यह देखा गया था कि ₹ 38 करोड़ की राशि इस निधि में से जी.ओ.आई. द्वारा जारी

₹ 24.48 करोड़ की निधियों का उपयोग करने के लिए समाविष्ट योजना तैयार नहीं की गई थी।

31 मार्च 2011 की समाप्त वर्ष हेतु तैयारपरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सिवल)

2.2.7.8 सी.ए.एम.पी.ए. को निधियों का हस्तान्तरण न करना

विभाग ने राज्य राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सी.ए.एम.पी.ए. की ₹ 4.06 करोड़ की राशि जमा करवाई।

20 प्रादेशिक मण्डलों में से सात³¹ जी.ओ.आई. ने 56 मामलों में गैर-वन उपयोग हेतु वनभूमि के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की (जुलाई 2003 - नवम्बर 2010)। उपयोगकर्ता अभिकरणों ने सी.ए.एम.पी.ए. के पास जमा करवाने के लिए विभाग के पास ₹ 25.37 करोड़ की राशि जमा करवाई। यह देखा गया था कि इन निधियों में से इन मंडलों ने जी.ओ.आई. के तंत्र विदेशनिदेशों के विपरीत राज्य सरकार के जमा शीर्ष 8782 - वन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 4.06 करोड़ की राशि प्रेषित की। इसने ₹ 4.06 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूरक वनरोपण निधि के संचयन को प्रभावित किया। दो³² डी.एफ.ओज ने बताया (फरवरी 2011) कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूले गए फेल्लिंग चार्जिज से संबंधित राजस्व शीर्ष के अंतर्गत निधियां जमा करवाई गईं। उत्तर जी.ओ.आई. के निदेशों से मेल नहीं खाता क्योकि फेल्लिंग चार्जिज, प्रतिपूरक वनरोपण प्रभारों के परिकलन में शामिल किए गए थे तथा उसी रूप में सी.ए.एम.पी.ए. के पास जमा करवाए जाने थे।

2.2.7.9 हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती संग्रह निधि

वन विभाग ने लकड़ी आधारित उद्योगों को लाईसेंस प्रदान करने के लिए लाईसेंस फीस के प्रावधान को अधिसूचित किया (मार्च 2006, सितम्बर 2009) तथा लाईसेंस फीस के माध्यम से सृजित निधियों के प्रबंध के लिए हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती निधि नियम 2009 का वन प्रबंध नामक नियम बनाए। एकत्र की गई निधियां भूमि के अधिग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् मिट्टी, जल, पौधों एवं प्राणियों तथा वनखंड को बढ़ावा देने के लिए समिति द्वारा अनुमोदित किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग की जानी थी। जून 1997 में जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार सरप्लस निधियां केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए ऋण प्रपत्रों, राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों इत्यादि के पास सावधि जमाओं में निवेश की जानी थी।

वनखंड को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती संग्रह निधि के ₹ 26.18 करोड़ खर्च करने की बजाए बचत बैंक खाते में रखे गए थे।

मार्च 2007 से जून 2010 तक की अवधि के दौरान लाईसेंस फीस के कारण विभाग द्वारा ₹ 26.18 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। सम्पूर्ण राशि को नियमों में निर्धारित उद्देश्यों पर उपयोग करने की बजाए बचत बैंक खाते में रखा गया था। विभाग ने राशि न तो वनखंड के उन्नयन पर खर्च की और न ही नियमित अन्तरालों पर सावधि जमाओं में राशि निवेश की यद्यपि 2007 - 2011 के दौरान बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष ₹ 71.99 लाख से ₹ 16.41 करोड़ तक रहे। विभाग ₹ 63.31 लाख का ब्याज अर्जित करता यदि अतिरिक्त धन को सावधि जमाओं में निवेश किया जाता। आगे, वनखंड को बढ़ावा देने के लिए इस निधि को सृजित करने का प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

विभाग ने तीन परियोजनाओं सहित 14 प्लान स्कीमें (दो केन्द्रीय प्रायोजित साझेदार आधार पर, एक बाहरी सहायता प्राप्त तथा 11 राज्य प्लान स्कीमें) तथा 12 गैर-प्लान स्कीमें कार्यान्वित की। कुछ प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे विचार - विमर्श किया गया है:

³¹ अंबाला, फतेहाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ़, पिंजौर में मोली, रेवाड़ी तथा रोहतक।

³² फतेहाबाद तथा महेन्द्रगढ़।

2.2.8 एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कापॉरेशन (जे.बी.आई.सी.) {अब जापान इंटरनेशनल कापॉरेशन एजेसी (जे.आई.सी.ए.)} द्वारा निधिकृत बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना थी। 2004-05 में आरंभ हुई परियोजना 2010-11 तक चालू थी। परियोजना क्षेत्र में राज्य के गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों को छोड़ते हुए 19 जिलों में से 17 जिलों के 800 गांव शामिल किए गए। परियोजना के मुख्य उद्देश्य, पारिस्थितिकी रूप से जारी रीति में वन भूमियों को पुनः स्थापित करना; वन के नजदीक बसे ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार करना; पुनः वनरोपण, वन रोपण, उन्नत मृदा एवं जल संरक्षण उपायों इत्यादि के माध्यम से एकीकृत ढंग से डीग्रेडिड वनों तथा सार्वजनिक भूमियों का विकास एवं प्रबंध करना थे।

परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 286 करोड़ थी जिसमें से साफ्ट लोन के रूप में जे.आई.सी.ए. का हिस्सा ₹ 234.33 करोड़ था। इसके विरुद्ध ₹ 279.48³³ करोड़ की राशि 2010-11 तक खर्च की गई थी। जे.आई.सी.ए. ने प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जी.ओ.आई. को साफ्ट लोन प्रदान किया। उपर्युक्त ऋण 10 वर्षों की ग्रेस अवधि सहित 30 वर्षों में वापस भुगतान किया जाना था। जी.ओ.आई. ने परियोजना प्रावधानों के अनुसार यह ऋण राज्य सरकार को हस्तांतरित किया।

विभाग ने जे.आई.सी.ए. से 2004-11 के दौरान ₹ 235.18 करोड़ की राशि का प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया। जे.आई.सी.ए. ने तथापि, ₹ 3.87 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 231.31 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। यह देखा गया था कि निधियों के विपथन, पौधों की कम उत्तरजीविता इत्यादि जैसी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कारण प्रतिपूर्ति अननुमत की गई थी।

स्कीम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित बिन्दु देखे गए थे:

2.2.8.1 भौतिक लक्ष्य

परियोजना में विभिन्न घटकों³⁴ के अंतर्गत 48,800 हेक्टेयर के पौधारोपण का लक्ष्य 17³⁵ मण्डलों में आबंटित किया गया था। इसके विरुद्ध परियोजना अवधि (2004-11) के दौरान 45,685 हेक्टेयर में पौधारोपण किया गया था परिणामतः 3,115 हेक्टेयर के वनरोपण में कमी थी। फार्म वनखंड घटक के अंतर्गत लक्ष्य 37 प्रतिशत तक प्राप्त किए बिना रहे किन्तु अन्य घटकों के अंतर्गत लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त किए गए थे। परियोजना निदेशक, जे.आई.सी.ए. परियोजना ने बताया (जून 2011) कि स्थानीय लोगों द्वारा पौधों की कम मांग के कारण पौधारोपण में कमी थी तथा पौधों की उन्नत किस्मों से भविष्य में पौधों की मांग में वृद्धि होगी।

³³ 2004-05: ₹ 15.04 करोड़, 2005-06: ₹ 48.50 करोड़, 2006-07: ₹ 57.79 करोड़, 2007-08: ₹ 65.50 करोड़, 2008-09: ₹ 55.84 करोड़, 2009-10: ₹ 26.77 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 10.04 करोड़।

³⁴ निरावृत्त वन पौधारोपण, ब्लाक वन पौधारोपण, सामुदायिक भूमि पौधारोपण तथा फार्म वनखंड।

³⁵ अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

2.2.8.2 पौधों की कम उत्तरजीविता

पी.सी.सी.एफ. के आदेशों (जनवरी 1992) के अनुसार बागानों की न्यूनतम उत्तरजीविता प्रतिशतता 70 तक होनी अपेक्षित थी। आगे, उन मामलों में जहां पौधारोपण में उत्तरजीविता की प्रतिशतता मानक से कम थी, कुछ अपवादों, अर्थात् बाढ़, अग्नि के कारण नुकसान अथवा कुछ अन्य विकास गतिविधियों के लिए पौधा लगाई गई भूमि का विक्यपरिवर्तन, के अधीन पौधों की निम्न उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से पौधारोपण की लागत वसूल की जानी थी।

पौधारोपणों की उत्तरजीविता की निम्न प्रतिशतता के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग के मानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा इंगित किए गए अनुसार नमूना-जांच किये गये 17 प्रांतीय मंडलों में से आठ³⁶ में 2005-08 के दौरान ₹ 2.52 करोड़ की लागत पर उठाए गए 263.5 हेक्टेयर तथा 473.45 कतार किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न घटकों के अंतर्गत पौधारोपण की उत्तरजीविता में असामान्य विफलता थी। इन मामलों में उत्तरजीविता की प्रतिशतता शून्य तथा 65 के मध्य रही जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 77.45 लाख की हानि हुई। मानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा रिपोर्टिंग की तारीख से 21 से 33 माह की समाप्ति के बावजूद अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परियोजना निदेशक, जे.आई.सी.ए. परियोजना ने तथ्यों को स्वीकारते समय बताया (जून 2011) कि पौधों की खराब उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की जा रही थी।

2.2.8.3 गरीबी उपशमन के लिए सामुदायिक संगठन

• एण्ट्री प्वाइंट गतिविधियां

वानिकी विकास तथा आय उत्पादक गतिविधियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्रामीणों द्वारा वाछित लघु मूलभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए एण्ट्री प्वाइंट गतिविधियां (ई.पी.ए.) प्रारंभिक प्रोत्साहन हैं। सामुदायिक विकास कार्यों जैसे पेयजल, लघु सिंचाई, स्वच्छता सुविधाएं, सार्वजनिक स्थल तथा स्कूलों के सुधार के लिए थोड़ी राशि खर्च की जाती है।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार ई.पी.ए. के लिए स्ट्रिप, ब्लॉक अथवा सामुदायिक पौधारोपणों वाले प्रत्येक लक्षित गांव को इस शर्त पर ₹ एक लाख की राशि जारी की जानी थी कि ग्रामवासी ₹ एक लाख का 10 प्रतिशत रोकड़ में अथवा इस प्रकार कि कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, का योगदान करेंगे।

आगे यह देखा गया था कि 14³⁷ प्रादेशिक मंडलों ने दो से पांच वर्षों की समाप्ति के बावजूद एण्ट्री प्वाइंट गतिविधियों पर किए गए ₹ 6.11 करोड़ के व्यय के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.ज) प्रस्तुत नहीं किए (मार्च 2011)।

³⁶ हिसार, झज्जर, जींद, कुच्छेव, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक तथा यमुनानगर।

³⁷ अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुच्छेव, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार ई.पी.एज वर्ष 2008-09 तक चलाए जाने थे तथा तत्पश्चात् इन गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया जाना था। परन्तु परियोजना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में नमूना-जांच किए गए आठ³⁸ प्रादेशिक मंडलों में 2009-10 के दौरान ई.पी.एज पर ₹ 30 लाख की निधियां खर्च की गई थी।

• आय उत्पादक गतिविधियां

वन क्षेत्रों के नजदीकी गांवों से गरीब बेरोजगार व्यक्तियों की पहचान की जानी थी तथा क्षेत्र से संबंधित आय उत्पादक गतिविधियों अथवा माइक्रो-एण्टरप्राइजिज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। आवश्यक उपकरण, क्रेडिट तथा विपणन का प्रबंध, ग्रामीण वन समितियों (वी.एफ.सीज)/गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज) के माध्यम से किया जाना था। इस उद्यम में भूमिहीन गरीबों, मौसमी बेरोजगार तथा रोजगाराधीन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी थी।

महिलाओं को आत्म-स्वाल्म्बी बनाने के लिए स्वयं स्वास्थ्य समूहों (एस.एच.जीज) के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जानी थी। आय उत्पादक व्यवसायों का उन्नयन न केवल ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति बल्कि उनको सशक्त बनाने के लिए भी वांछनीय था।

दिशानिर्देशों के अनुसार आय उत्पादक गतिविधियों³⁹ (आई.जी.ए.) एस.एच.जीज का गठन करके चयनित गांवों में चलाई जानी थी। एस.एच.जीज को ऋण देने के लिए आवर्ती निधियों का सृजन करके ₹ दो लाख के बीज धन वी.एफ.सीज को प्रदान किए जाने थे। एस.एच.जीज द्वारा वी.एफ.सीज से ऋण लेकर आई.जी.ए. को बढ़ावा देना था।

नमूना-जांच किए गए 15 प्रादेशिक मण्डलों में आय उत्पादन करने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम वन समितियों को ₹ 13.35 करोड़ जारी करने के विरुद्ध स्वयं सहायता समूहों को केवल ₹ 6.88 करोड़ का भुगतान किया गया था।

नमूना-जांच किए गए 15⁴⁰ प्रादेशिक मण्डलों में 2005-10 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान 1,732 एस.एच.जीज से बने 668 वी.एफ.सीज को ₹ 13.35 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इन वी.एफ.सीज ने तथापि, दिसंबर 2010 तक एस.एच.जीज को ₹ 6.88 करोड़ की राशि के ऋण आगे जारी किए तथा ₹ 6.47 करोड़ की शेष राशि वी.एफ.सीज के पास अव्ययित पड़ी रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि एस.एच.जीज सक्रिय नहीं थे। आगे, राज्य में 2,400 एस.एच.जीज के गठन के लक्ष्य के विरुद्ध 2,013 एस.एच.जीज बनाए गए थे। आई.जी.एज चलाने के लिए किसी भी एन.जी.ओ. को शामिल नहीं किया गया था।

2.2.8.4 क्षेत्रों की ओवर लैपिंग पर अनुचित व्यय

परियोजना में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्रों को वनों से संबंधित अन्य किसी केन्द्रीय/राज्य/बाहरी सहायता प्राप्त स्कीम द्वारा आवृत्त के साथ ओवरलैप नहीं किया गया था।

³⁸ करनाल, महेन्द्रगढ़, पिंजौर में मोरनी, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

³⁹ मत्स्यपालन, मधुमक्खी-पालन, कुटीर उद्योग, कृमि खाद बनाना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, पुष्पोत्पादन तथा साइलो में रखना।

⁴⁰ अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, पिंजौर में मोरनी, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

उन क्षेत्रों, जो अन्य स्कीमों के अंतर्गत पहले ही आवृत्त किए गए थे, में ई.पी.ए. तथा आई.जी. ए. स्कीम पर ₹ 92 लाख का व्यय किया गया था।

नमूना- जांच किए गए 20 प्रादेशिक मण्डलों में से छः⁴¹ में यह देखा गया था कि यद्यपि परियोजना दस्तावेज में यह दर्ज किया गया था कि प्रस्तावित क्षेत्रों को किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत आवृत्त नहीं किया गया था, ई.पी.ए. तथा आई.जी.ए. हेतु लिए गए 32 गांव अन्य स्कीमों⁴² के अंतर्गत पहले ही आवृत्त पाए गए थे। ई.पी.ए. तथा आई.जी.ए. स्कीमों पर ₹ 92 लाख का व्यय किया गया था। तीन⁴³ डी.एफ.ओज ने बताया (नवम्बर 2010 से फरवरी 2011) कि परियोजना जी.ओ.आई. के माध्यम से जे.बी.आई.सी. द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा प्रस्ताव पी.सी.सी.एफ. द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इन गांवों की पहचान परियोजना तैयार करते समय डी.एफ.ओज द्वारा की गई थी।

2.2.8.5 निधियों का विपथन

परियोजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अंबाला जिला में नर्सरियों के उत्थान पर ₹ 1.01 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में नौ⁴⁴ जिलों में सामुदायिक भूमि पर पौधारोपण किया जाना था। इस घटक के अंतर्गत अंबाला जिला को पौधारोपण के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में जिला में 250 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि में नर्सरी बनाने पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यय किया गया (2008-09) था। लेखापरीक्षा (मई 2010) में इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व नियत करने की कार्रवाई आरंभ की (जून 2010) किन्तु मामले में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2011)।

2.2.8.6 स्वतंत्र मानीटरिंग एवं मूल्यांकन संचालित करने में विलम्ब

परियोजना दिशानिर्देशों में इसकी गतिविधियों की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र बाहरी परामर्शदाता का प्रावधान किया गया। उसे भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का निर्धारण करने, सामाजिक-आर्थिक मानकों में लाए गए परिवर्तनों को स्पष्टतया प्रकट करने, ग्राम संस्थाओं द्वारा निर्भाई गई भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करने, परियोजना कार्यान्वयन में प्राधिकारियों द्वारा देखे गए दबावों तथा प्रतिबंधों का विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए अध्ययन करना था।

मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के अध्ययन का कार्य पदान करने में विलम्ब के कारण सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कम समय रह गया था।

अध्ययन, आबंटन की तारीख (फरवरी 2009) से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण करने की शर्त पर ₹ 27.47 लाख की लागत पर एक फर्म को आबंटित किया गया (नवम्बर 2008) था। प्रतिफल राशि का पच्चीस प्रतिशत भुगतान आबंटन के समय किया जाना था तथा 50 प्रतिशत अन्तरिम रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर और शेष 25 प्रतिशत अन्तिम रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर।

यह देखा गया था कि 25 प्रतिशत भुगतान आबंटन के समय किया गया था जबकि 50 प्रतिशत भुगतान अन्तरिम रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सितम्बर में 2010 में परियोजना निदेशक द्वारा जारी किया गया था। मुख्य गतिविधियां वर्ष 2008-09 के अंत तक चलाई जानी थी तथा परियोजना अवधि मार्च 2011 में समाप्त होनी थी। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए

41 अंबाला, हिसार, कैथल, महेन्द्रगढ़, पिंजौर में मोरली तथा सिरसा।

42 सामुदायिक वनखंड परियोजना (सी.एफ.पी.) तथा एफ.डी.ए. के माध्यम से राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (सी.एफ.पी. के अंतर्गत 12 गांव तथा एफ.डी.ए. के अंतर्गत 20 गांव)।

43 अंबाला, हिसार तथा महेन्द्रगढ़।

44 भिवानी, हिसार, ब्रजज, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

(नवम्बर 2010) अध्ययन के परिणाम फील्ड कार्यकारियों को दिसम्बर 2010 में कार्रवाई हेतु भेजे गए थे। प्रतिवेदन ने कई वी.एफ.सीज तथा एस.एच.जीज का गठन न करना, एन.जी.ओज की असहभागिता, एस.एच.जीज की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन न करना इत्यादि इंगित किया। चूंकि परियोजना अवधि मार्च 2011 तक थी, सुधारात्मक उपायों के लिए बहुत कम समय बचा था। इस प्रकार, अध्ययन का कार्य प्रदान करने में विलम्ब के अतिरिक्त रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब ने मूल्यांकन रिपोर्ट के उद्देश्य को मात दी तथा ₹ 20.60 लाख के व्यय को बृहद रूप से निष्फल बना दिया।

2.2.9 सामाजिक तथा फार्म वनखंड

सामाजिक तथा फार्म वनखंड, आठवीं पंच-वर्षीय योजना से राज्य प्लान स्कीम के रूप में निरन्तर जारी है। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य महत्व राज्य में वृक्ष आवरण में समग्र वृद्धि लाने के उद्देश्य से पौधारोपण के लिए किसानों, सरकारी संस्थानों इत्यादि को मुफ्त पौध आपूर्ति करना और वृक्ष उगाने वाले किसानों की आय में वृद्धि करना है। 2006-11 के दौरान 13.39 करोड़⁴⁵ पौधे ₹ 44.02 करोड़⁴⁶ का व्यय करके राज्य में बांटे गए थे।

विभाग के मानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा 4,193 लाभार्थियों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 2007-10 के दौरान 21 मण्डलों की नर्सरियों से 17 लाख पौधों के निर्गम के विरुद्ध 16.78 लाख पौधे आपूरित किए गए थे। स्कीम के अंतर्गत उत्तरजीविता प्रतिशतता नीचे दर्शाए गए अनुसार 13 तथा 33 के मध्य पाई गई:

तालिका 3: पौधों की उत्तरजीविता दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	नर्सरी अभिलेखों के अनुसार आपूरित पौधे	पौधों की वास्तविक आपूर्ति	उत्तरजीवित पौधे	उत्तरजीविता की प्रतिशतता
2007-08	490	1,81,548	1,81,030	23,727	13
2008-09	1,989	8,73,985	8,69,675	1,49,396	17
2009-10	1,714	6,44,454	6,27,549	2,05,879	33
कुल	4,193	16,99,987	16,78,254	3,79,002	23

सामाजिक तथा फार्म वनखंड के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता 2007-10 के दौरान केवल 23 प्रतिशत थी।

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है पौधों की औसत समग्र उत्तरजीविता केवल 23 प्रतिशत थी। सामाजिक तथा आर्थिक वनखंड के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता के लिए कोई मानक नियत नहीं किया गया था। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जुलाई 2011) कि सामाजिक वनखंड घटक के अंतर्गत पौधों की खराब उत्तरजीविता स्थानीय लोगों, जिन्हें पौधे निःशुल्क आपूरित किए गए थे तथा उनके रख-रखाव एवं आगे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे, पर विभाग के नियंत्रण के अभाव के कारण थी। पौधों की उत्तरजीविता बढ़ाने के दृष्टिकोण से विभाग को सामाजिक वनखंड के अधीन पौधारोपण कार्य पर नियंत्रण करने के लिए एक समुचित यंत्रावली का सूत्रपात करना चाहिये।

⁴⁵ 2006-07: 2.33 करोड़ पौधे, 2007-08: 2.54 करोड़ पौधे, 2008-09: 2.75 करोड़ पौधे, 2009-10: 3 करोड़ पौधे तथा 2010-11: 2.77 करोड़ पौधे।

⁴⁶ 2006-07: ₹ 7.07 करोड़, 2007-08: ₹ 7.19 करोड़, 2008-09: ₹ 9.71 करोड़, 2009-10: ₹ 9.26 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 10.79 करोड़।

2.2.10 सामुदायिक वनखंड परियोजना

हरियाणा सामुदायिक वनखंड परियोजना (सी.एफ.पी.) को प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार करने तथा सहभागी रूप में लिए गए प्राकृतिक संसाधनों के भली-भाँति प्रबंध के माध्यम से भूमि उर्वरता का अनुरक्षण करने के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ नवम्बर 1998 से परिचालित किया गया था। परियोजना जून 2008 में बंद कर दी गई थी।

इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार के **अनुच्छेद 3.1** में समाविष्ट की गई थी। परियोजना के अनुवर्तन से संबंधित नमूना-जांच में देखे गए बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

2.2.10.1 अनुरक्षण के लिए ग्रामीण समुदायों को बांधों की सुपूर्दगी न करना

सी.एफ.पी. दिशानिर्देशों के समाविष्ट प्रावधान के अनुसार डीगोडिड वनों के पुनरूद्धार के लिए अंबाला तथा यमुनानगर जिलों शिवालिक पहाड़ियों में वाटर-हार्वेस्टिंग डैमस् बनाए जाने थे। डैमस् के निर्माण के पश्चात इन्हें, ग्रामीण समितियों द्वारा पानी का समान वितरण, सुरक्षा तथा कैममेंटस का प्रबंध सुनिश्चित करने की शर्त के साथ उनके रख-रखाव के लिए ग्रामीण समुदायों को सुपूर्द किया जाना था।

अंबाला तथा यमुनानगर जिलों में ₹ 5.72 करोड़ की लागत पर निर्मित उन्नीस वाटर हार्वेस्टिंग डैमस स्कीम में विचार किए गए अनुसार ग्रामीण समुदायों को नहीं सौंपे गए थे।

अंबाला तथा यमुनानगर जिलों में अंबाला तथा कुरूक्षेत्र (सी.एफ.पी.) मण्डल द्वारा ₹ 5.72 करोड़ की लागत पर परियोजना अवधि (1998-2008) के दौरान 19 बांध बनाए गए थे। निर्माण तथा परियोजना की समाप्ति के पश्चात विभाग ने इन बांधों को उनकी सुरक्षा तथा प्रबंध के लिए ग्रामीण समुदायों को नहीं सौंपा। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन बांधों को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा तथा 2010-11 में उनकी मरम्मत पर ₹ 31.70 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार, ग्रामीण समुदायों को बांध न सौंपने के कारण सरकार को यह परिहार्य व्यय करना पड़ा। लेखापरीक्षा द्वारा दिसंबर 2010 में इंगित किए जाने पर परियोजना निदेशक (सी.एफ.पी.) ने बताया (जून 2011) कि मार्च 2011 में मरम्मतों के बाद बांध ग्रामीण समुदायों को सौंप दिए गए थे।

2.2.10.2 वन उत्पाद की बिक्री प्राप्ति में से पुनः पौधारोपण

परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भूमि, ग्रामीण सामान्य भूमि (कई ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व प्राप्त), नदी के किनारों तथा संस्थानात्मक भूमि के 7400 हेक्टेयर में बुडलोट्स⁴⁷ स्थापित किए जाने थे। तीन वर्ष बाद पौधे आगे प्रबंध के लिए समुदाय को सौंपे जाने थे। ग्राम संसाधन प्रबंध समितियों (वी.आर.एम.सीज), ग्राम पंचायतों तथा विभाग के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार के अनुसार फारेस्ट हार्वेस्टिंग की बिक्री प्राप्ति का 30 प्रतिशत पुनः पौधारोपण पर उपयोग किया जाना था। वन विभाग को यह मानीटर करना था कि क्या बिक्री प्राप्तियां हार्वेस्टिंग के समय पुनः पौधारोपण पर खर्च की जा रही थी।

47

वन उत्पादों के लघु-पैमाना उत्पादन के लिए सक्षम वन का एक खंड बुडलॉट है।

डी.एफ.ओ. (सी.एफ.पी.), कुरुक्षेत्र (नमूना-जांच किए गए तीन सी.एफ.पी. मंडलों में से) के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि ग्राम संसाधन प्रबंध समितियों (वी.आर.एम.सीज) ने सितम्बर 2010 तक कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर जिलों में 21,330 पेड़ गिराए तथा इन्हें ₹ 79.95 लाख में बेचा, किंतु बिक्री प्राप्तियों की अपेक्षित प्रतिशतता पुनः पौधारोपण पर उपयोग नहीं की गई थी। गत तीन वर्षों से कोई अनुवर्तन नहीं था। एजिट कान्फ्रेंस के दौरान एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने विभागीय अधिकारियों को परियोजना के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

2.2.11 गैर-वन उपयोग के लिए विपथित भूमि के बदले में क्षेत्रों का वनरोपण न करना

₹ 109.18 करोड़ के मुआवजे की वसूली के बावजूद 12 मंडलों में पूरक वनरोपण शुरू नहीं किया गया था।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नमूना-जांच किए गए 20 प्रान्तीय मंडलों में से 12⁴⁸ में गैर-वन उपयोग हेतु कुल 749.37 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन की अनुमति प्रदान की (जुलाई 2003 से मार्च 2010)। अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि अनुमति की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण शुरू किया जाएगा। ₹ 109.18 करोड़ की राशि जुलाई 2003-अप्रैल 2010 के दौरान प्रतिपूर्ति के कारण भूमि उपयोगकर्ता एजेंसियों से विभाग द्वारा एकत्र की गई थी किंतु मुआवजे की वसूली के बाद 12 से 92 माह की समाप्ति के बावजूद वांछित पूरक वनरोपण आरंभ नहीं किया गया था। छः⁴⁹ मंडलीय वन अधिकारियों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2011) कि पी.सी.सी.एफ. द्वारा उन्हें इन पौधारोपणों के लिए भौतिक लक्ष्य तथा बजट प्रावधान प्रदान नहीं किए गए थे। अन्य मंडलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.2.12 हर्बल पार्कों का विकास

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में जी.ओ.आई. के अनुमोदन के बिना आरक्षित वन/संरक्षित वन/वन्य जीव सुगवन में 11 हर्बल पार्क विकसित किए गए थे।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार तेल वाले पौधों, बागवानी फसलों अथवा औषधीय पौधों की खेती गैर-वनरोपण गतिविधियां हैं तथा प्रतिबंधों, जैसे वनों के डी-रीजर्वेशन तथा गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए लागू हैं, को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार, वन भूमि तथा वन्यजीव सुग-वनों पर फलदार वृक्षों, तेल वाले पौधों अथवा औषधीय पौधों की खेती के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

औषधीय पौधों का संरक्षण करने, अनुसंधान एवं अध्ययन करने, भारतीय औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती का प्रचार एवं उपयोग करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में हर्बल पार्क का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा हर्बल पार्कों के विकास हेतु एक स्कीम का प्रतिपादन (अप्रैल 2005) किया गया था। इसमें किसानों को सवितरण के लिए उत्तम बीज तथा पौध तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया। पार्कों की स्थापना जितनी जल्दी संभव हो सके या तो वन क्षेत्र के भीतर (राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारणों से बाहर) अथवा अन्य किसी उपयुक्त सरकारी भूमि पर की जानी थी।

⁴⁸ अंबाला, फतेहाबाद, गुडगांव, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह में मेवात, पिंजौर में सोनी, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

⁴⁹ अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह में मेवात तथा सोनीपत।

यह देखा गया था कि 10⁵⁰ हर्बल पार्क, जी.ओ.आई. से अनुमति प्राप्त किए बिना आरक्षित/संरक्षित वन के 151.60 हेक्टेयर क्षेत्र पर ₹ 8.26 करोड़ की लागत पर विकसित किए गए थे। विभाग ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में वन्यजीव मृग-वन में झज्जर (भिण्डावास हर्बल पार्क) जिला में एक हर्बल पार्क विकसित किया।

नमूना-जांच किए गए सात⁵¹ प्रादेशिक मंडलों में यह देखा गया था कि 2005-11 के दौरान सात हर्बल पार्कों में 2,82,319 हर्बस/शर्वस उत्पन्न किए गए थे। हर्बल पार्कों को कायम रखने के लिए विभाग को पौधे जनता को बेचने थे। कैथल तथा पानीपत मंडलों में केवल ₹ 0.67 लाख की राशि उगाही गई थी। हर्बल पार्कों को कायम रखने के लिए अन्य पांच मंडलों में कोई पौधे नहीं बेचे गये थे। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एगिजट काफ्रेस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.2.13 इको-टूरिज्म का विकास

2.2.13.1 इको-टूरिज्म परियोजना की अपूर्णता

पर्यटन मंत्रालय ने ₹ 6.48 करोड़ की लागत पर हरियाणा में मोरनी-पिंजौर हिल्स, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा कालेसर में इको-टूरिज्म के विकास के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2007) तथा ₹ 5.18 करोड़ (परियोजना लागत का 80 प्रतिशत) की राशि जारी की (सितम्बर 2007)। परियोजनाएं, संस्वीकृतियों के निर्गम से 24 माह के भीतर वन विभाग द्वारा पूर्ण की जानी थी। विलम्ब के कारण लागत वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। परियोजना लागत का शेष 20 प्रतिशत मूल योजना के अनुसार परियोजना की पूर्णता/आरम्भन तथा उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण पर वापस किया जाना था। सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व सरकार का था।

इको-टूरिज्म की परियोजनाओं की अपूर्णता के कारण विभाग ₹ 1.30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा सका।

₹ 5.18 करोड़ की निधियां निदेशक, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्राप्त की गई (दिसम्बर 2007) थी। योजना के अनुसार इको-टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटक सुविधा सृजन के लिए ₹ 6.42 करोड़ की लागत पर 90 कार्य किए जाने थे। आगे, पूर्ण किए गए भवन तथा अन्य सुविधाएं, प्रबंध के लिए पट्टा आधार पर निजी आपरेटरों को सुपुर्द की जानी थी।

90 में से 54 कार्य आरम्भ किए गए थे तथा ₹ 5.03 करोड़ की राशि परिशिष्ट 2.7 में दिए गए विवरणानुसार उनके कार्यान्वयन (32 पूर्ण तथा 22 अपूर्ण) पर खर्च की गई (मई 2010) थी। यह देखा गया था कि विभाग ने शेष 36 कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि परियोजना लागतों का 20 प्रतिशत, जो उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण पर जी.ओ.आई. द्वारा लौटाया जाना था, परियोजनाओं की पूर्णता हेतु सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था।

⁵⁰ भिवानी (चौधरी सुरेन्द्र सिंह मेमोरियल पार्क), फरीदाबाद (रतनजोत वाटिका), गुड़गांव (आंवला हर्बल पार्क), हिसार (शतावर वाटिका), कैथल (जामुन वाटिका), कुरुक्षेत्र (अर्जुन वाटिका), महेन्द्रगढ़ (गूगल वाटिका), पंचकुला (कपूर वाटिका, थपली हर्बल पार्क) तथा यमुनानगर (रूद्राक्ष वाटिका)।

⁵¹ फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

प्लान तथा नान-प्लान के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा उनके विरुद्ध वन्यजीव विकास के लिए

बसंतौर (जिला यमुनानगर) में एक दृश्या पुनर्वास केंद्र निर्माणाधीन था।

हिरण, पक्षी, बदर इत्यादि हैं।

हैं। विहिंडियाघरों में रखे गए मुख्य जानवरों में बाघ, तेंदुआ, हिरण, आग, मगरमच्छ, घड़ियाल, क्षेत्र 106.65 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में रोहतक, भिवानी तथा पितली में तीन विहिंडियाघर कालेसर में, हैं। राज्य में आठ वन्यजीव अभ्यारण हैं। राज्य में वन्यजीव अभ्यारणों का कल राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान, एक गंडगाव जिला में सुल्तानपुर में तथा दूसरा यमुनानगर जिला में अभ्यारणों तथा विहिंडियाघरों का प्रबंध तथा विकास करना भी स्कंध का महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यान्वयन के प्रावधानों की लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय पार्कों, वन्यजीव के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभाग के वन्यजीव स्कंध की वनों के साथ-साथ वन क्षेत्रों से बाहर वन्यजीव की सुरक्षा करने

2.2.14 वन्यजीव विकास

था। आग, मौसम में परिवर्तनों के कारण इन भवनों की स्थिति बिगड़ रही थी।

भवनों एवं क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रख-रखाव प्रभारों पर ₹ 17.55 लाख की राशि खर्च की गई। मार्च 2011 तक क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। विभाग द्वारा विजली बिलों के भुगतान तथा योजना का संचालन किया और न ही किसी सोसाइटी का गठन किया। डेको-टैरिज्म के लिए संचालन करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, इस प्रयोजन के लिए विभाग ने न तो किसी (मई 2010) में इस क्षेत्र का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए एक योजना का गया था। एफ.सी.पी.एस, पर्यटन विभाग की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित बैठक डेको-टैरिज्म का विकास करने के लिए वन विभाग द्वारा क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथ में लिया द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् विभाग द्वारा गठित की जाने वाली सोसाइटी के माध्यम से विहिंडिया कम्पलेक्स का प्रबंध जून 2009 तक ग्राम पंचायत, आंडेसी के माध्यम से तहसीलदार यागा केंद्र (बी.वाइ.के.) नामक 47 कमरों तथा चार नलकूपों से बने 13 भवनों से आवेष्टित 1927 की धारा 38 के अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित किया (मार्च 2004)। भारत राज्य सरकार ने आंडेसी गांव (गंडगाव जिला) के 588.5 एकड़ क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम

गया था।

विकसित नहीं किया

डेको-टैरिज्म के लिए

आंडेसी क्षेत्र

2.2.13.2 डेको-टैरिज्म के लिए आंडेसी क्षेत्र का उपयोग न करना

का आवेष्टित किया।

वांचित रखा गया। एफ.सी.पी.एस, वन विभाग ने एग्रीजेंट कान्फ्रेंस के दौरान आवेष्टक कार्टाई राजस्व अर्जन, जो प्राइवेट आपरटोरों की संचनाएं लीज पर देने से अर्जित की जा सकती थी, से ₹ 1.30 करोड़ की शेष कर्नाट सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी, इसके अतिरिक्त सरकार को दिया (मई 2010)। समय-समय पर अर्जित परियोजनाओं की पूरा न करने के कारण डेको-टैरिज्म का निर्माण आरंभ किया तथा ₹ 30.14 लाख का व्यय करने के पश्चात् बंद कर विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में बसंतौर नेचर कैम्प से संबंधित

किया गया व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 4: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट प्रावधान	अन्तिम बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट प्रावधान के संबंध में बचत (-)/आधिक्य (+)
2006-07	4.98	4.11	4.25	(-) 0.73
2007-08	5.82	4.91	4.94	(-) 0.88
2008-09	7.67	7.20	7.20	(-) 0.47
2009-10	7.92	5.99	6.05	(-) 1.87
2010-11	8.62	10.55	10.55	(+) 1.93
कुल	35.01	32.76	32.99	(-) 2.02

स्रोत: विनियोग लेखा आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2006-08 तथा 2009-10 के दौरान मूल बजट आबंटन की तुलना में बचत तथा 2010-11 के दौरान आधिक्य था।

यह इंगित किए जाने (जुलाई 2011) पर अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) ने बताया (अगस्त 2011) कि 2006-10 के दौरान बचतें जी.ओ.आई. से सहायता की विलम्बित निर्मुक्ति के कारण थी तथा 2010-11 के दौरान आधिक्य संशोधित वेतनमानों के कारण बकायों के भुगतान के कारण था।

नमूना-जांच के दौरान देखे गए बिन्दुओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2.2.14.1 'हाथी परियोजना' की पूर्णता में विलम्ब

हाथी पुनर्वास केन्द्र की अपूर्णता के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने यमुनानगर जिला में बसंतौर में ₹ 90.75 लाख की लागत पर हाथी पुनर्वास केन्द्र अर्थात् 'हाथी परियोजना' हरियाणा का निर्माण अनुमोदित किया (नवम्बर 2006)। केन्द्र का उद्देश्य बीमार हाथियों के साथ-साथ महावतों⁵³ द्वारा अनधिकृत रूप से रखे गए हाथियों का पुनर्वास करना था। स्कीम के अनुसार सोलर पावर फेन्स लगाने, जी.आई. वायर लगाने, हाथियों के लिए 10 शैड्स का निर्माण, हाथियों के लिए पानी के तालाब खोदने, गहरे नलकूपों का निर्माण तथा दो फीड स्टोर्स, दो गुप IV क्वाटर्स, चार महावत क्वाटर्स, दो गार्ड हट्स, डाक्टर का एक कमरा इत्यादि के निर्माण पर व्यय किया जाना था। ₹ 50 लाख की राशि की पहली किस्त 2006-07 में जी.ओ.आई. द्वारा जारी की गई थी।

यह देखा गया था कि विभाग ने 2008-09 के दौरान गार्डस हट्स, महावत क्वाटर्स, हाथियों के शैड्स के निर्माण तथा नलकूपों की बोरिंग पर ₹ 50 लाख की राशि खर्च की। शेष कार्य निष्पादित नहीं किए गए (मार्च 2011) थे तथा परियोजना अपूर्ण रही। अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) ने बताया (जून 2011) कि जी.ओ.आई. द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हाथी पुनर्वास केन्द्र को पूरा नहीं किया जा सका। जी.ओ.आई. ने विभाग को सूचित किया कि केन्द्र के निकट निर्मित इको-हट्स⁵⁴ को हटाए जाने के बाद ही निधियां जारी की जाएंगी। मामले के अनुसरण पर जी.ओ.आई. ने मई 2011 में ₹ एक करोड़ जारी किए। उत्तर इंगित करता है कि इको-टूरिज्म परियोजना तथा इस परियोजना के मध्य समन्वय की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हो रहा था। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

⁵³ महावत उस व्यक्ति को कहते हैं जो हाथियों को संभालता है।

⁵⁴ पर्यटन संभावना को काम में लाने के लिए वन में इको-हट्स बनाई गई।

2.2.14.2 रोहतक जू के जानवरों के बाड़े का निर्माण न करना

केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने रोहतक जू के जानवरों के बाड़ों के निर्माण के लिए ₹ 1.81⁵⁵ करोड़ की लागत के सहायता अनुदान को अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 2005) तथा इस शर्त पर ₹ 50 लाख जारी किए (अक्टूबर 2005) कि कार्य अनुदान जारी करने के 18 माह के भीतर पूरे किए जाएंगे। कार्य के निष्पादन में किसी विलम्ब अथवा कार्य योजना में विचलन के मामले में वित्तीय सहायता को रोक लिया जाना था।

एच.एफ.डी.सी. ने उन्हें सौंपे गए (सितंबर 2006) अर्थात् मगरमच्छ बाड़ा तथा इंचार्ज रूम के निर्माण कार्य ₹ 38.09 लाख की लागत पर पूर्ण किए (जून 2009) जो अनुमोदित लागत से ₹ 19.17 लाख अधिक था। तेंदुआ बाड़ा से संबंधित कार्य प्रगति पर था तथा इस पर ₹ 12.94 लाख का व्यय किया गया था। कार्यों के धीमे निष्पादन के कारण केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने आगे सहायता-अनुदान जारी नहीं किया तथा इसके परिणामस्वरूप जू का विकास वाछित स्तर तक नहीं किया जा सका। पी.सी.सी.एफ. ने कार्यों के निष्पादन में विलम्ब स्वीकार करते समय बताया (जुलाई 2011) कि केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने निधियां जारी नहीं की जिसके कारण बाड़े अपूर्ण रहे। इस प्रकार, कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण विभाग ₹ 1.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता से वंचित रह गया था। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

2.2.14.3 निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखना

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने भाखड़ा मेन लाईन (हांसी-बुटाना शाखा बहुउद्देश्य लिंक चैनल), जो पूर्ववर्ती सरस्वती वन्य जीव रिजर्व से गुजरती है, के एक भाग के निर्माण के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया (अक्टूबर 2007) कि सिंचाई विभाग, वन्य जीव संरक्षण के लिए ₹ एक करोड़ का योगदान देगा। तदनुसार, सिंचाई विभाग ने राज्य में वन्यजीव मृग-वनों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास राशि (₹ एक करोड़) जमा करवाई (जून 2008)। विभाग ने उस राशि को वैयक्तिक बही खाते (पी.एल.ए.) में जमा करवाने की बजाए बैंक खाते में जमा करवा दिया (जून 2008)। मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता वाली राज्य सी.ए.एम.पी.ए. की संचालन समिति ने ट्रैक्यूलाईजिंग गनस, ट्रैपिंग नेट्स की खरीद तथा सरस्वती वन में गहरे नलकूपों के साथ वाटर पाण्डस की स्थापना को अनुमोदन दिया (जून 2010)। ₹ एक करोड़ में से ₹ 26.65 लाख की राशि सरस्वती वन में पानी के तालाबों के निर्माण तथा गहरे नलकूपों के स्थापन हेतु जारी की गई (फरवरी-मार्च 2011) थी। ₹ 73.35 लाख की शेष राशि जुलाई 2011 को बैंक में पड़ी थी। सरकारी खाते से बाहर धन के अवैध अवरोधन के परिणामस्वरूप सरकार को मार्च 2011 तक ₹ 23.09⁵⁶ लाख के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य में वन्य जीव अभ्यारणों तथा राष्ट्रीय पार्कों के विकास पर निधियों के उपयोग के प्रयोजन को पूरा लाभ नहीं मिला। अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यू.एल.) ने बताया (जुलाई 2011) कि पी.एल.एल. खोलने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि बैंक खाते में रखी गई थी तथा कि ₹ 68 लाख की 21 ट्रैक्यूलाईजिंग गनस की खरीद का मामला प्रगति में था।

जानवरों के बाड़ों के निर्माण में विलम्ब के कारण सरकार ₹ 1.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा सकी।

वन्य जीव संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योगदान की गई निधियां सरकारी खाते की बजाए बैंक खाते में जमा करवाई गई थी।

55 हिमालय ब्लैक विपर बाड़े का निर्माण: ₹ 45 लाख, सियार बाड़े का निर्माण: ₹ 27.37 लाख, बुल्फ बाड़े का निर्माण: ₹ 24.95 लाख, मगरमच्छ बाड़े का निर्माण: ₹ 18.92 लाख तथा तेंदुआ बाड़े का निर्माण: ₹ 65.10 लाख।

56 बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज घटाकर खजाना बिल दरों पर परिगणित।

2.2.15 वनों का संरक्षण

वन, मुक्त पहुंच संसाधन हैं तथा चोरी, आग, चराई एवं अनाधिकार-प्रवेश जैसे विभिन्न प्रकार के खतरों से असुरक्षित हैं। वन भूमियों के अतिक्रमण पर गिरफ्तारी की जानी थी तथा इसकी निरन्तरता को रोकने एवं वनों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। 2006-10 की अवधि के दौरान वन अपराध मामलों जैसे अग्नि, अवैध कटान, अनधिकृत चराई इत्यादि के कारण वनों को हानियों के विवरण निम्नानुसार थे:

तालिका 5: 2006-10 के दौरान दर्ज किए गए तथा निर्णीत वन अपराधों के विवरण

वर्ष	31 मार्च को लम्बनता	वर्ष के दौरान नए मामले	कुल	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	अज्ञात मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2006-07	7,962	7,390	15,352	8,004	7	7,341
2007-08	7,341	10,432	17,773	9,494	31	8,248
2008-09	8,248	11,460	19,708	11,398	111	8,199
2009-10	8,199	10,822	19,021	10,022	51	8,948

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, 2006-10 के दौरान मामलों की लम्बनता 7,962 से 8,948 तक बढ़ गई। 2006-10 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए आग के 215 मामलों में से 193 मामलों में आग के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गत एक से 15 वर्षों के लिए छः⁵⁷ जिलों में 2,427 मामलों में कुल 763.53 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमणाधीन था।

2.2.15.1 वन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया

सरकार ने मोरनी हिल्स में 50807 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (1969-1979) तथा क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित वनों के रूप में घोषित किया। संरक्षित वन को आरक्षित वन के रूप में घोषित करने तथा अतिक्रमणों का पता लगाने, चोरियां रोकने इत्यादि के लिए वन समाधान अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी (सिविल), कालका (अब अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकुला) के पर्यवेक्षण के अधीन वन समाधान परिचालन आरम्भ किए गए (1987) थे। 1989-90 में एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो, छः पटवारियों इत्यादि को इस कार्य में लगाया गया था। तथापि अक्टूबर 1995 तक केवल 522 एकड़ क्षेत्र की पैमाइश की गई थी। तत्पश्चात कोई प्रगति नहीं थी। 1990-91 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.64 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि स्टाफ को राजस्व विभाग की ओर विपथित किया गया था किंतु उनके वेतन एवं भत्ते वन विभाग से आहरित किए गए। विभाग के अभिलेखों से यह भी देखा गया था कि स्थानीय निवासियों द्वारा 1,376 एकड़ क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था।

प्रयोजन के लिए कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.64 करोड़ खर्च करने के बावजूद मोरनी हिल्स में वनभूमि का सीमांकन नहीं किया गया था।

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई (जून 2007) बैठकों में समाधान कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजस्व स्टाफ को लगाने का निर्णय लिया गया था। कुल सात स्टेशन मशीनों⁵⁸ की खरीद के लिए एक प्रस्ताव पी.सी.सी.एफ. के अनुमोदन हेतु वन संरक्षक (उत्तर), पंचकुला द्वारा प्रस्तुत किया गया (मई 2008) था किन्तु मार्च 2011 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वन तथा राजस्व विभागों द्वारा कार्य की अपूर्णता ने स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किए गए ₹ 1.62 करोड़ के आनुपातिक व्यय को बेकार कर दिया।

⁵⁷ झज्जर, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक तथा सोनीपत।

⁵⁸ इन मशीनों का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की पैमाइश के लिए किया जाता है।

उठाए गए थे (जून 2011)।

(जून 2011)। आगे, राज्य के सम्पूर्ण वन क्षेत्र की वीडियोग्राफिंग के लिए कोई कदम नहीं की सम्पत्ति के बावजूद वनभूमि का अधिष्ठित संयुक्त सीमांकन नहीं किया गया था एवं 5 के अंतर्गत अधिसूचित कर्ल⁵⁵ क्षेत्र का संकलन किया, न्यायालय के आदेशों के 22 माह यह तथापि, देखा गया था कि यद्यपि विभाग ने जनवरी 2010 में पी.एन.पी.ए. 1900 की धारा 4

वीडियोग्राफिंग के लिए तैयार एक स्कीम आरंभ करनी चाहे।

करने के लिए स्थल पर आवाधिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, की वन क्षेत्र, विशेष रूप से निजी वन भूमियाँ जिन्हें वास्तविक वन आरक्षण का निर्धारण सरकार की अपनने वन, खदान एवं भू-विज्ञान विभागों के माध्यम से राज्य के सम्पूर्ण

से वन भूमि के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

की संबंधित जिला खनन अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम पी.एन.पी.ए. 1900 की धारा 4 एवं 5 के अद्यतन अधिसूचनाओं के अंतर्गत आवृत्त भूमि

तथा सभी जिला खनन अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।

भीतर संकलित की जानी तथा सभी मण्डलीय वन अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत अधिसूचना न्यायालय आदेश की प्राप्ति के एक माह के

नहीं किया जाना चाहिए।

खनन से बचाया जाना चाहिए तथा गैर-वन प्रयोजन के लिए इन क्षेत्रों का इस्तेमाल अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाओं द्वारा आवृत्त वन भूमि को अवैध तथा अवैज्ञानिक

सितम्बर 2009) कि:

उच्च न्यायालय ने वनभूमि की स्थिति रखने के उद्देश्य से आदेश दिया (मई तथा निविद्ध किया गया। चौक बनों का संरक्षण विभिन्न अवधि के लिए था, पंजाब एवं हरियाणा स्थानान्तरण, पत्थरी का उत्खनन, भूमि की क्लियरिंग/बोका इत्यादि अधिनियम के अंतर्गत पर अधिसूचनाएं जारी कीं। केवल अधिसूचित अवधि में पूर्ण की कटाई, घास का संग्रहण या पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एन.पी.ए.) 1900 की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत समय-समय सरकार ने विभिन्न अवधि के लिए भू-जल के संरक्षण तथा भू-क्षरण की रोकथाम के लिए

2.2.15.2 पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

अतिक्रमण की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका।

अधिष्ठित वन के रूप में दर्ज किया गया था। क्षेत्र का सीमांकन न होने के कारण भूमि के सीमांकन किया गया और न ही लगभग 30 वर्षों की सम्पत्ति के बावजूद राजस्व अभिलेखों में भू-रेकर्ड का बंद की अधिष्ठित वन के रूप में घोषित किया। यह देखा गया था कि क्षेत्र का न तो इस्ती प्रकर, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत सरकार ने नई उप-मण्डल

पी.एन.पी.ए. की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत अधिष्ठित वन भूमि का सीमांकन तथा वीडियोग्राफी नहीं की गई थी।

2.2.15.3 अरावली पहाड़ियों का अवैध खनन

पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 3(2) (V) और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5(3) (घ) के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधानों पर बल देने के उद्देश्य से एम.ओ.ई.एफ. ने खनन प्रक्रियाओं तथा परियोजना की मनाही के लिए अधिसूचना जारी की (मई 1992)। तथापि, अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जी.ओ.आई. की अनुमति से खनन पट्टों का नवीकरण करने, पांच हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्रों सहित खनन परियोजनाओं (प्रमुख खनिज) के मामलों में ही खनन की अनुमति दी गई थी।

विभाग तथा उपायुक्त, गुड़गांव अरावली हिल्स में अवैध खनन से क्षति रोकने में विफल रहे।

एम.ओ.ई.एफ. ने सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति तथा सरकार को उल्लंघन प्रकरणों की रिपोर्ट करने के लिए उपायुक्त (डी.सी.), गुड़गांव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति गठित करके सुरक्षा उपाय करने की इच्छा प्रकट की (नवम्बर 1999)।

सरकार को पर्यावरणीय महत्वों को एकीकृत करते हुए क्षेत्र के विकास तथा क्षेत्र के भावी भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार करना तथा अधिसूचना की निर्गम तारीख (नवम्बर 1999) से दो वर्षों के भीतर उसे अन्तिम रूप से प्रकाशित करना था। यद्यपि, सरकार ने नवम्बर 2001 में उपर्युक्त दोनों समितियों का गठन किया किंतु इसने एम.ओ.ई.एफ. की इच्छानुसार क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। डी.सी., गुड़गांव की अध्यक्षता वाली मानीटरिंग कमेटी ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार को सूचित नहीं किया। तथापि, अरावली क्षेत्र के तीन⁶⁰ जिलों/मण्डलों में अरावली पहाड़ियों के 9 गांवों में अवैध खनन में ₹ 1.39 करोड़⁶¹ मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों की क्षति से आवेष्टित 35 मामले डी.एफ.ओ.ज, गुड़गांव, मेवात तथा महेन्द्रगढ़ द्वारा देखे गए (जनवरी 2006 - सितम्बर 2009) थे। उपर्युक्त में से नौरंगपुर (जिला गुड़गांव) में अरावली पहाड़ियों में ₹ 1.20 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 0.40 लाख) की क्षतियों से आवेष्टित 12000 वर्ग मीटर क्षेत्र (प्रत्येक 4000 वर्ग मीटर) में स्टोन क्रशर्स के अवैध परिचालन से संबंधित तीन मामले थे। भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए डी.एफ.ओ., गुड़गांव द्वारा क्षति रिपोर्ट पंजीकृत (सितंबर 2009) की गई थी। ये मामले पर्यावरण न्यायालय में अन्तिमकरण हेतु लम्बित पड़े थे (अगस्त 2011)। इस प्रकार, अवैध खनन से वन संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए विभाग/डी.सी., गुड़गांव द्वारा पर्याप्त मानीटरिंग नहीं की गई थी।

2.2.16 मानव संसाधन विकास

2.2.16.1 वन्यजीव गाड़ों की कमी

31 मार्च 2010 को स्टाफ की 76 श्रेणियों के 4,772 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 869 रिक्त पदों (18 प्रतिशत) को छोड़ते हुए 3,903 कर्मचारी थे।

⁶⁰ मण्डलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ तथा मेवात (नूंह)।

⁶¹ महेन्द्रगढ़ मण्डल के 11 अवैध खनन मामलों का धन मूल्य शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह अभिलेख में दर्ज नहीं था।

वनखंड तथा वन्यजीव गतिविधियों को चलाने के लिए भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) अधिकारियों (13 प्रतिशत), हरियाणा वन सेवा अधिकारियों (17 प्रतिशत), वन रेंजर्स (18 प्रतिशत), उप-रेंजर्स (11 प्रतिशत), वन गार्ड्स (14 प्रतिशत) तथा वन्यजीव गार्ड्स (32 प्रतिशत) जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे (परिशिष्ट 2.8)। मूल स्तर पर वन तथा वन्यजीव का प्रबंध करने के लिए बनाए गए वनगार्डों तथा वन्यजीव गार्डों के सहायक संवर्ग में कमी के कारण वन तथा वन्यजीव अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन मंद पड़ सकते थे।

2.2.16.2 प्रशिक्षण

वन विभाग के पिंजौर तथा सोहाना में दो प्रशिक्षण मंडल हैं। इन मंडलों का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्टाफ तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। वन अधिकारियों तथा विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों को वानिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2006-11 की अवधि के दौरान स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 6: प्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी/अधिक्य
2006-07	270	282	(+) 12
2007-08	210	203	(-) 7
2008-09	160	140	(-) 20
2009-10	145	126	(-) 19
2010-11	155	144	(-) 11
कुल	940	895	(-) 45

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने इसके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों को अधिक या कम प्राप्त किया है क्योंकि कमी केवल पांच प्रतिशत थी।

2.2.17 आन्तरिक नियंत्रण

कार्य की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने, त्रुटियों/चूकों तथा अनियमितताओं को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। यह देखा गया था कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

आवधिक निरीक्षणों के पश्चात, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों साथ लेखा परीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.ज) जारी करत हैं। कार्यकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इंगित की गई त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से दूर करे तथा अनुपालन रिपोर्ट छः सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित करें। छः माह से अधिक लम्बित आई.आर.ज की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भी लम्बित आई.आर.ज में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मानीटर करने तथा अन्तिम रूप देने के लिए विभाग के संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजी जाती है।

राज्य में विभाग के विभिन्न कार्यालयों के 31 मार्च 2011 तक जारी आई.आर. की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 126.16 करोड़ के धन मूल्य वाले 134 आई.आर.ज के 395 अनुच्छेद

(परिशिष्ट 2.9) 31 मार्च 2011 के अंत तक बकाया पड़े रहे। इनमें से, ₹ 10.53 करोड़ के धन मूल्य वाले 87 अनुच्छेदों से समाविष्ट 43 आई.आर.ज पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इन आई.आर.ज, जो 31 मार्च 2011 को बकाया थीं, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी - वार विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिए गए हैं।

2.2.18 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, विकास की प्रगति का पता लगाने तथा विकास गतिविधियों की प्रारम्भिक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु परिवर्तनों का पता लगाने, प्रभाविकता एवं दक्षता निर्धारण और भावी विकास योजना के पाठ सीखने के लिए प्रबंधकों, योजनाकारों तथा निर्णय लेने वालों के लिए साधन प्रदान करते हैं। वन विभाग ने फील्ड स्टाफ द्वारा निष्पादित कार्यों विशेष रूप से वन भूमि में पौधारोपणों तथा वृक्षों की आवधिक मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए करनाल तथा हिसार में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन मण्डलों का गठन किया। यह देखा गया था कि विभाग ने इको-टूरिज्म, हर्बल पार्को, वन्यजीव गतिविधियों इत्यादि जैसी अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग के लिए ऐसी किसी यंत्रावली का सूत्रपात नहीं किया है। आगे, जैसा पहले चर्चा की गई है, निधियों के विपथन, स्कीमों का धीमा कार्यान्वयन, सी.ए.एम.पी.ए. का उपयोग न करने, पौधों की कम उत्तरजीविता इत्यादि के मामलों ने इंगित किया कि मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी तथा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए राज्य प्लान स्कीमों का मूल्यांकन न तो विभागीय रूप से किया गया था और न ही किसी बाहरी एजेंसी से करवाया गया था।

2.2.19 निष्कर्ष

विभाग, राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को वर्तमान 6.63 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वन नीति 2006 के अंतर्गत नियत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इस अवधि के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.16 प्रतिशत थी। जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, विभाग का निष्पादन कई क्षेत्रों, जैसे दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न करना, गैर-वन प्रयोजनों तथा अतिक्रमणों के लिए वन भूमि का उपयोग रोकने के लिए वन भूमियों का सीमांकन न करना, इको-टूरिज्म के लिए स्थलों का विकास न करना, अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन, निधियों का विपथन, आय उत्पादक गतिविधियों का धीमा कार्यान्वयन, पौधों की कम उत्तरजीविता, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों की ओवर लैपिंग, इत्यादि में कमियों द्वारा बाधित था। भारी राशियां सी.ए.एम.पी.ए. तथा हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग रिवाल्विंग कार्पस निधि में संचय की जा रही थी किन्तु वनखंड तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए उनका उपयोग करने के लिए समुचित योजना नहीं बनाई गई थी।

- विभागा, राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दीर्घ-अवधि परियोजना योजना तैयार करे।
 - विभागा, वन रक्ष तथा वन्यजीव संरक्षण के विकास के लिए सी.ए.ए.म.पी.ए. तथा अन्य समान निधियों के उपयोग हेतु समुचित योजना तैयार करे।
 - विभागा, पृथ्वीरोपणों की उत्तरजीविता दर 70 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय करे।
 - विभागा, निवेश की गई निधियों के लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की अत्यावश्यक रूप से पूरा करे।
 - विभागा गैर-वन प्रयोजन, अतिक्रमणों तथा अवैध खनन के लिए वन भूमि का उपयोग रोकने के लिए वन के सीमांकन हेतु योजना तैयार करे।
- से बिन्दु अर्ध-सरकारी रूप से मई 2011 से वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभागा को भेजे गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2011)।

2.2.20 अनुसंधान

आयुक्त, हिसार मण्डल

2.3 जिला जीद

विशिष्टताएं

जीद जिले की एक जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा प्रभाव निर्धारित करने हेतु की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जिला आयोजना समिति ने कोई सापेक्ष योजना नहीं बनाई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप यह, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर कम करने तथा पूर्वप्रसव देखभाल, संस्थानात्मक प्रसव इत्यादि बढ़ाने हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में पिछड़ रहा था। शिक्षा क्षेत्र में, मरम्मत कार्यों निष्पादन पर मानीटरिंग की कमी थी तथा बृहदसंख्या में स्कूल विज्ञान प्रयोगशालाओं के बिना थे। तेरह गांवों में, न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेय जल प्रदान नहीं किया गया था। जिले में पांच कस्बों में से, जुलाना कस्बा किसी सिवरेज सुविधा से रहित था तथा सफीदों कस्बा सिवरेज उपचार संयंत्र से रहित था। ठोस अपशेष उपचार संयंत्र जीन्द तथा उचाना शहरों में प्रदान नहीं किए गए थे।

वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में झुटियां थी जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभग्राहियों को खाद्य मदों के वितरण में विलम्ब, पर्यवेक्षण की कमी इत्यादि। वहां पुलिस कर्मचारियों की कमी थी तथा जिले में अपराधों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

पंचायती राज संस्थाओं में झुटियां थी जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ना, निधियों का विपथन, मन्द निष्पादन, अनियमित व्यय, परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अनुरक्षण, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक भुगतान इत्यादि।

जिला आयोजना समिति ने, जिले के समग्र विकास हेतु सभी गतिविधियों को आवृत्त करते हुए एक पंचवर्षीय संदर्श योजना अथवा एक संघटित जिला योजना तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.3.6)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अन्तराल चिह्नित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.8.1)

वहां स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में डाक्टरों की कमी थी तथा मूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचनाएं थीं।

(अनुच्छेद 2.3.8.2 से 2.3.8.3)

2006-11 के दौरान पेय जल के 8,969 नमूनों में से 851 में जीवाणु वैज्ञानिक तौर पर संदूषण था जो इंगित करता है कि निवासियों को सुरक्षित पेय जल प्रदान नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.3.12.4)

जुलाना कस्बे में सिवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं थी जबकि सफीदों कस्बे में सीवेज उपचार संयंत्र प्रदान नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.3.13)

पंचायती राज संस्थाओं में, त्रुटियां थी जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ना, मन्द निष्पादन, अनियमित व्यय, निधियों का विपथन, परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अननुरक्षण, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक भुगतान इत्यादि।

(अनुच्छेद 2.3.16)

किसी डम्पिंग स्थल की अनुपलब्धता के कारण, जींद में प्रति दिन उत्पादित होने वाला 30 टन कूड़ाकर्ट शहर के चारों ओर विकीर्ण किया जा रहा था। जींद और उचाना शहरों के लिए कोई ठोस अपशेष उपचार संयंत्र नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.3.17.1)

वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में त्रुटियां थी जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभग्राहियों को खाद्य मदों के वितरण में विलम्ब, पर्यवेक्षण की कमी, इत्यादि।

(अनुच्छेद 2.3.18)

जिले में पुलिस कर्मचारियों की कमी थी तथा अपराधों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

(अनुच्छेद 2.3.19.1 तथा 2.3.19.3)

2.3.i प्रस्तावना

जिला जींद, पूर्व में पानीपत तथा सोनीपत जिलों, उत्तर में करनाल एवं कैथल जिलों, दक्षिण में रोहतक जिले, पश्चिम में हिसार एवं फतेहाबाद जिलों तथा उत्तर-पश्चिम में हरियाणा पंजाब सीमा से घिरा हुआ है। यह हिसार मण्डल के अधीन आता है। जिले की परिगणना, राज्य की जनसंख्या (211.45 लाख) का 11.90 लाख (5.62 प्रतिशत) है जिसके 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका हेतु कृषि पर आश्रित है। जिला, तीन⁶² उपमण्डलों, चार⁶³ तहसीलों तथा तीन⁶⁴ उपतहसीलों से समायुक्त है। ग्रामीण विकास के प्रयोजन हेतु जिले को, 300 ग्राम पंचायत (जी.पी.एस.) आवृत्त करते हुए सात विकास खण्डों में बांटा गया है। जिले में दो म्यूनिसीपल परिषद्⁶⁵ तथा तीन म्यूनिसीपल समितियां⁶⁶ हैं। साक्षरता दर 62.12 प्रतिशत है जबकि समग्र राज्य में 67.91 प्रतिशत है।

⁶² जींद, नरवाना तथा सफीदों।

⁶³ जींद, जुलाना, नरवाना तथा सफीदों।

⁶⁴ अलेवा, पिल्लुखेड़ा तथा उचाना।

⁶⁵ जींद तथा नरवाना।

⁶⁶ जुलाना, सफीदों एवं उचाना।

- निधारित मानीटरिंग यंत्रणा।
- समन्वित कार्यक्रमों एवं स्कीमों के मापनितंत्र।
- गए थे।
- पंजाब वितीय नियम तथा पंजाब बजट मैन्युअल जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए थे।
- जिला योजना तथा वार्षिक कार्य योजना।
- लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नवत थे:

विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन निधारण करने हेतु लागू किए गए

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

- कारगर मानीटरिंग यंत्रणा तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।
 - कारगरता से कार्यान्वयन की गई थी; तथा
 - टारगेट्स एवं आउटपुट्स/आउटकमस प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम एवं स्कीमों दक्षता एवं
 - जिले का वितीय प्रबन्धन मितव्ययी तथा दक्ष था;
 - विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों हेतु वार्षिक आयोजना प्रक्रिया कारगर थी;
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निधारण करने हेतु थे कि:

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

करते हैं।

(ई.ओ.ए) तथा म्यूनिसीपल समितियों के सचिव, डी.सी. की ओवर आल कमाण्ड के अधीन कार्य जिला परिषद (जि.पी.), द्वारा की जाती है। म्यूनिसीपल परिषदों के कार्यकारी अधिकारी हैं। ए.डी.सी. की सहायता, एक जिला आयोजना अधिकारी (डी.पी.ओ.) तथा एक उप सी.ई.ओ., तैयार करने तथा प्राथमिकीकरण तथा उनके कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा समीक्षा हेतु की जाती है। ए.आर.डी.ए. तथा एक मुख्य आयोजना एवं विकास अधिकारी (सी.पी.डी.ओ.) द्वारा, स्कीमों की डी.सी. की सहायता, एक अपर उपायुक्त (ए.डी.सी.) सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.),

है।

संस्थाओं (पी.आर.आई) तथा सरकार के सभी अन्य विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता ग्रामीण विकास आभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का चेयरमैन भी है। वह, वर, डी.आर.डी.ए., पंचायती राज समिति (डी.पी.सी.) नियंत्रक निपाय है। उपायुक्त (डी.सी.) जिले का प्रभारी है तथा जिला जिले के विकास हेतु स्कीमों का शैल्फ अर्जमादन करने हेतु जिला स्तर पर, जिला आयोजना

2.3.2 प्रशासनिक ढांचा

- भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार (आई.पी.एच.एस.) प्रत्येक 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या के लिए एक सी.एच.सी. होनी चाहिए, 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या के लिए एक पी.एच.सी. होनी चाहिए तथा प्रत्येक 5,000 लोगों के लिए

वहाँ, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी थी।

2.3.8.2 मूलभूत संरचना

सिविल सर्जन, जी.ए. ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि योजना तैयार करने हेतु निम्नतर कक्षाकर्मियों अर्थात् सी.एच.सी.ज, पी.एच.सी.ज तथा एस.सी.ज से इनपुटस सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से बैठकों के दौरान ले लिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सही आयोजना हेतु इनपुटस, सी.एच.सी.ज तथा एस.सी.ज से लिखित रूप में प्राप्त किए जाने थे।

विषयगत संशोधित करने हेतु सही आयोजनाएं नहीं की जा सकी। विना तैयार की गई थी। इस सर्वेक्षण के बिना, जिले में, विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के मध्य प्रकट किया कि ये योजनाएं, निम्नतर कक्षाकर्मियों से घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण की प्रक्रिया के श्रेणियों से इनपुटस के साथ वार्षिक योजना तैयार की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा सर्वेक्षा ने मिशन अवधि (2005-12) हेतु एक संदेश योजना तथा जिले के लिए, सरकार के निम्नतर एन.आर.एच.एस. के मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिला स्वास्थ्य समिति (डी.एच.एस.) द्वारा, समग्र

घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किया गया।

सिविल सर्जन, जी.ए. ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि उत्तर प्रशासकियों से, घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण करने हेतु प्रथम निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.आर.एच.एस. के मार्गनिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अन्तर्गत चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित था।

एन.आर.एच.एस. के अन्तर्गत, सलथ, समर्थ एवं उचित स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के प्रति प्रथम कदम के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अन्तर्गत चिन्हित करने हेतु एक घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया था।

2.3.8.1 आयोजना

विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के विचार से आरम्भ की गई। क्षेत्रों में, विशेषतः जनसंख्या के निर्धन एवं असुरक्षित वर्गों को, सलथ, समर्थ, कारगर एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एस.), भारत सरकार द्वारा अर्जून 2005 में, ग्रामीण

साध्यम से लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। सिविल सर्जन, जी.ए. ने अस्पतालों, सान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.ज), 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.ज), 158 उप केंद्रों (एस.सी.ज) तथा 27 प्रसूति गृहों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है।

2.3.8 स्वास्थ्य

(एन.आर.एच.एस.), सर्वेक्षण अभियान (एस.एस.ए.) तथा चरित ग्रामीण जन आर्पित कक्षाकर्म (ए.आर.डब्ल्यू एस.पी.) जिले में कार्यान्वित किए गए। इस क्षेत्र से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम निम्न परिणामित हैं।

एक एस.सी. होनी चाहिए। इन मानकों के निबन्धन में, जिले में सी.एच.सीज, पी.एच.सीज तथा एस.सीज की कमी थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 2: सी.एच.सीज, पी.एच.सीज तथा एस.सीज की आवश्यकता उपलब्धता दर्शाते हुए

क्रमांक	सी.एच.सी.			पी.एच.सी.			एस.सी.		
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
सफीये	1	1	-	4	2	2	27	20	7
उजाना	2	1	1	6	5	1	40	27	13
जुलाना	2	1	1	4	4	-	26	24	2
कण्डेला	1	1	-	3	2	1	26	18	8
उधाना	2	1	1	7	5	2	40	29	11
स्वर्कामजी	1	1	-	3	2	1	22	17	5
योग	9	6	3	27	20	7	181	135	46

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा

नोट: अलेवा ब्लॉक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- आगे, 31 जनवरी 2011 को, जिले में, सी.एच.सीज (सात में से) तथा पी.एच.सीज (21 में से) अपर्याप्त मूलभूत संरचनाएं थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3: सी.एच.सीज तथा पी.एच.सीज में मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता दर्शाते हुए

क्र.सं.	विवरण	केन्द्रों की संख्या जहां सेवा उपलब्ध नहीं थी	
		सी.एच.सीज	पी.एच.सीज
1	प्रतीक्षालय	1	10
2	लेबर रूम	-	4
3	आप्रेशन थियेटर	3	17
4	क्लीनिक रूम	-	2
5	आपातकालीन/आकस्मिक सेवाएं	2	13
6	पुरुष एवं स्त्री रेगियों हेतु पृथक इकाइयां	4	10

स्रोत: सम्बन्धित सी.एच.सीज द्वारा आपूरित डाटा

स्वास्थ्य केन्द्रों में, पर्याप्त मूलभूत संरचनाओं की अनुपस्थिति में, ग्रामीण जनसंख्या को मूलसुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी।

- स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जानी अपेक्षित मूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, अनेक केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। जिले में, सी.एच.सीज तथा पी.एच.सीज में 31 जनवरी 2011 को, इस सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 4: सी.एच.सीज तथा पी.एच.सीज में मूल स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता

विवरण	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं थी	
	सी.एच.सी.	पी.एच.सी.
रक्त भण्डारण	3	लागू नहीं
नवजात देखभाल	1	12
24X7 प्रसव	शून्य	6
अन्तः रेमी सेवाएं	2	6
एक्स-रे	3	18
अल्ट्रासाउंड	4	लागू नहीं
ईसीजी	4	लागू नहीं
प्रसव सेवाएं	2	10
आपात क्लीनिक सेवाएं (24 घंटे)	2	7
ट्यूबकटमी तथा वेसेकटमी	3	लागू नहीं
माइनाकोलोजी की आन्तरिक जांच	2	10
पैथियॉलॉजिक सेवाएं	3	लागू नहीं

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा

उपर्युक्त मूल सेवाओं की अनुपस्थिति में, इन क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या इन सेवाओं से वंचित रही।

सिविल सर्जन, जींद ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि मूलभूत संरचनाओं के सुधार से सम्बन्धित मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया हुआ था।

2.3.8.3 मानवशक्ति प्रबन्ध

चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता तथा दक्षता बृहद्तः मानवशक्ति स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने, 31 दिसम्बर 2010 को चिकित्सा अधिकारियों की कमी दर्शाई जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 5: चिकित्सा अधिकारियों की कमी

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	29	19	10	34
2	जी.एच. नखाना	11	7	4	36
3	सी.एच.सी. सफीदों	14	6	8	57
4	सी.एच.सी. कालवा	12	4	8	67
5	सी.एच.सी. कण्डेला	8	3	5	63
6	सी.एच.सी. उचाना	12	11	1	8
7	सी.एच.सी. जुलाना	5	3	2	40
8	सी.एच.सी. उझाना	9	6	3	33
9	सी.एच.सी. खर्कतमजी	7	5	2	29
योग		107	64	43	40

जिले में डाक्टरों की कमी 40 प्रतिशत थी।

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वहां डाक्टरों की ओवरआल 40 प्रतिशत कमी थी।

आगे, अस्पतालों एवं सी.एच.सी.ज (परिशिष्ट 2.11) में जुलाई 2011 की समाप्ति पर नर्सों एवं बहुप्रयोजन स्वास्थ्य कर्मिकों (स्त्री) की कमी क्रमशः 14 एवं 20 प्रतिशत तक थी।

सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि डाक्टरों एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने हेतु मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

2.3.8.4 पलंग अधिभोग

सामान्य अस्पताल, जींद में पलंग अधिभोग अच्छा था तथा 2006-10 के दौरान 75 एवं 108 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित था। फिरभी, सी.एच.सी.ज में पलंग अधिभोग बहुत कम था तथा 2006-11 के दौरान शून्य एवं 54 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित था। जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 6: अल्प पलंग अधिभोग

अस्पताल/सी.एच.एस. का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सामान्य अस्पताल, जींद	108	79	78	88	75
सी.एच.सी., कण्डेला	डाटा नहीं दिया गया	7	17	29	41
सी.एच.सी., जुलाना	10	8	10	16	21
सी.एच.सी., उझाना	7	7	7	7	7
सी.एच.सी., सफीदों	डाटा नहीं दिया गया	14	15	33	54
सी.एच.सी., उचाना	डाटा नहीं दिया गया	12	10	11	1
सी.एच.सी., खर्कतमजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: डाटा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाओं से प्राप्त किया।

यह अवलोकित किया गया कि अल्प पलंग अधिभोग सी.एच.सी.ज में डाक्टरों की कमी के कारण था तथा जिले में उपलब्ध असन्तोषजनक स्वास्थ्य सेवाएं इंगित की।

2.3.8.5 कोल्ड चैन प्रबन्धन

कोल्डचैन उपकरणों को 6,432 मर्दों में से 1,722 खराब थे।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम के समर्थन हेतु, कोल्ड चैन प्रबन्धन सभी सी.एच.सीज तथा पी.एच.सीज में सुनिश्चित किया जाना था। कोल्ड चैन सुविधा की उपलब्धता बेसिनज की पोटेसी अनुरक्षित करने हेतु पूर्व वांछित थी। यह अवलोकित किया गया (जनवरी 2011) कि जिले में मार्च 2011 में 6,432 कोल्ड चैन उपकरणों, जैसे बृहद् आइस लाइन रेफ्रीजरेटर (आई.एल.आर.), लघु आई.एल.आरज, गहन फ्रीजरज, स्टेबिलाइजरज, थर्मामीटरज, वैसिन वाहक, कोल्ड बॉक्सज तथा आईस तथा आईस पैकस, में से केवल 4,710 मर्दें क्रियाशील थी तथा 1,722 मर्दें निष्क्रिय पाई गई।

उत्तर में सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि केवल मुख्य उपकरण तात्पर्य बृहद् आई.एल.आरज, लघु आइ.एल.आरज, लघु गहन फ्रीजरज प्रतिस्थापित किए गए थे। विभाग के उत्तर ने इंगित किया कि अन्य प्रकार के उपकरण तात्पर्य स्टेबिलाइजरज, वैसिन वाहक, आईस पैकस इत्यादि प्रति स्थापित नहीं किए गए थे जो कोल्ड चैन अनुरक्षण हेतु समान रूप से अनिवार्य थे।

2.3.8.6 पूर्व प्रसव डिटेक्शन टैस्ट अधिनियम

जिले में लिंग अनुपात घट रहा था। 2006-10 के दौरान 1,000 पुरुषों के विरुद्ध महिला जनसंख्या का अनुपात 861 एवं 896 के मध्य श्रृंखलित था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 7: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लिंग अनुपात दर्शाते हुए

वर्ष	लिंग अनुपात		
	शहरी	ग्रामीण	औसत
2006	842	928	891
2007	866	920	896
2008	859	930	895
2009	852	870	861
2010	849	890	868

जिले में महिला लिंग अनुपात कम था।

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा।

जिले में अल्प लिंग अनुपात के कारण, पूर्व प्रसव डिटेक्शन टैस्ट (पी.एन.डी.टी.) एक्ट का सख्त कार्यान्वयन, विपरित लिंग अनुपात पूरा करने हेतु एक मूल पद्धति थी। अवैध गतिविधियां रोकने हेतु अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के छापे मारने एवं निरीक्षण करने हेतु समर्पित अधिकारियों की एक टीम से समायुक्त जिलास्तर पर एक कार्यबल संघटित किया जाना था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई कार्यबल संघटित नहीं किया गया।

जिले में 50 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्र थे। यद्यपि, 2006-10 के दौरान विभाग द्वारा इन केन्द्रों के 271 निरीक्षण किए गए थे, पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु किसी अल्ट्रासाउंड केन्द्र के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं था।

एन.आर.एच.एम. के अधीन, 2008-11 के दौरान ₹ चार लाख का बजट प्रावधान गतिविधियों, हेतु जैसा कानूनी जागरूकता हेतु कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करना, कानूनी विशेषज्ञ किराय पर लेना, स्ट्रीट नाटक करवाना तथा स्वास्थ्य एवं पी.एन.डी.टी. जागरूकता कैम्प आयोजित करवाने, हेतु किया गया जिसमें से ₹ 1.40 लाख स्वास्थ्य एवं पी.एन.डी.टी. जागरूकता कैम्प

आयोजित करवाने पर व्यय किए गए। फिरभी, दो गतिविधियों अर्थात् कानूनी विशेषज्ञ किराय पर लेना तथा स्ट्रीट नाटक करवाने पर कोई व्यय नहीं किया गया।

सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि समर्पित अधिकारियों की एक टीम से समायुक्त एक कार्यबल, पी.एन.डी.टी. एक्ट के कार्यान्वयन हेतु संघटित किया जा रहा था जो महिला भ्रूण हत्या इत्यादि के विरुद्ध विनियामक उपाय करने हेतु अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण करेगा। एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान आयुक्त, हिसार मण्डल ने सिविल सर्जन, जींद को अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का कारगर ढंग से निरीक्षण करने हेतु निदेश दिया।

2.3.8.7 अन्धता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

अन्धता के नियंत्रण (एन.पी.सी.बी.) हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976-77 में आरम्भ किया गया। एन.आर.एच.एम., हरियाणा की स्टेटस रिपोर्ट (2005-10) के अनुसार 1.49 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर के विरुद्ध हरियाणा में अन्धता की मौजूदा दर 1.13 प्रतिशत थी। जिले में कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत थी:

एन.पी.सी.बी. के अन्तर्गत, अन्धता की मौजूदा दर, वृद्धित केटरेक्ट सर्जरी, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच, दान की गई आंखों का संग्रहण, दान केन्द्रों तथा आंख बैंको का सृजन, मूलभूत संरचनाओं के मजबूतीकरण इत्यादि के माध्यम से, 2010 तक 0.50 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी थी।

जिले में अंधता की मौजूदगी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से अधिक थी।

2006-11 के दौरान, केटरेक्ट सर्जरी एवं स्कूली बच्चों की आई स्क्रीनिंग हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जिले में, 24,951 केटरेक्ट सर्जरी तथा 1,29,768 स्कूली बच्चों की आंख स्क्रीनिंग की गई तथा बच्चों को 6,107 ऐनके दी गई। 2009-10 में जिले में अन्धता की विद्यमानता, एन.पी.सी.बी. के 0.50 प्रतिशत के लक्ष्यों की तुलना में 1.70 प्रतिशत थी। यह, राज्य औसत (1.13 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय औसत (1.49 प्रतिशत) से भी उच्चतर थी।

सिविल सर्जन ने बताया (अगस्त 2011) कि आई सर्जनों की कमी के कारण, केटरेक्ट सर्जरी हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके जिसने जिले में अंधता की उच्च दर की विद्यमानता को बढ़ाया। उसने, फिर भी, आश्वासन दिया कि जिले में अब पांच आई सर्जनों की तैनाती के साथ पर्याप्त लक्ष्य, केटरेक्ट सर्जरी हेतु निर्धारित एवं प्राप्त किए जाएंगे।

2.3.8.8 मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

आई.एम.आर., एम.एम.आर., तथा टी.एफ.आर. में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एन.आर.एच.एम. द्वारा विचारित एक योजना मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए.) नामक मान्य महिला समुदाय स्वास्थ्य कर्मिकों की नियुक्ति थी। प्रत्येक एक हजार लोगों के लिए एक ए.एस.एच.ए. नियुक्त की जानी थी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मध्य अन्तरा पृष्ठ के रूप में कार्य करना था।

विभाग द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार, जिले में, 960 ए.एस.ए.एज, 2011 जनसंख्या के अनुसार नियुक्त की जानी अपेक्षित थी। फिरभी, 880 ए.एस.एच.एज चयन की गई, जिसमें से 25 ए.एस.एच.एज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार वहां 105 ए.एस.एच.एज की कमी थी। ए.एस.एच.एज की कमी ने, समुदाय को स्वास्थ्य के निर्धारकों पर सूचना, जैसे पोषण जन्म तैयारी

पर महिलाओं को परामर्श से पृथक, मूल सफाई एवं स्वास्थ्यप्रद प्रथाएँ, सुरक्षित प्रसव, दुग्धपान इत्यादि पर सूचना से वंचित किया।

सिविल सर्जन ने बताया (अगस्त 2011) कि कमी को पूरा करने हेतु ए.एस.एच.एज बहुत शीघ्र चयन की जाएंगी ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ देहली पर दी जा सकें।

2.3.9 परिवार कल्याण

2.3.9.1 टर्मिनल पद्धतियाँ तथा स्पेसिंग पद्धतियाँ

टर्मिनल पद्धतियाँ तथा स्पेसिंग, कुल प्रजनन शक्ति पर नियंत्रित करने तथा युगल सुरक्षा अनुपात बढ़ाने हेतु प्रयोग की जाती है।

दिसम्बर 2010 तक कुल जनन क्षमता दर में 2.3 से 2.05 तक कमी के माध्यम से जनसंख्या स्थिरिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत अनेक अभिक्रम आरंभ किए गए थे (अप्रैल 2005)। 2006-10 अवधि हेतु कुल नसबंदी के संबंध में लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किए गए तथा प्राप्ति 66.46 तथा 89.66 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

ओरल पिल्स, कान्डोमस तथा इंटर-यूटरीन डिवाइसिज (आई.यू.डी.), प्रजनन क्षमता विनियमित करने तथा युगल सुरक्षा अनुपात बढ़ाने हेतु परिवार नियोजन के तीन विद्यमान स्पेसिंग पद्धतियाँ हैं। यद्यपि, 2006-07 से 2009-10 अवधि हेतु उपर्युक्त स्पेसिंग पद्धतियों हेतु लक्ष्यों के सम्बन्ध में प्राप्ति की प्रतिशतता 100 से अधिक थी, जन्म दर 2006-07 में 2.3 से दिसम्बर 2010 में 2.5 तक बढ़ गई।

सिविल सर्जन ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि जन्म दर घटाने हेतु उचित प्रयास किए जाएंगे।

2.3.9.2 गर्भपात चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता

गर्भपात चिकित्सा (एम.टी.पी.) हेतु सुविधाओं की संख्या एवं गुणवत्ता बढ़ाना, पुनरुत्पादक तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था। एम.टी.पी. अधिनियम 1971 के अन्तर्गत एम.टी.पी. कुछ परिस्थितियों में अनुमत थी। एम.टी.पी. सुविधा, जीन्द और नरवाना में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थी, जहाँ कुल 4,731 एम.टी.पी. की गई थी। जिले में कुल सात सी.एच.सीज में से एम.टी.पी. की सुविधा केवल सी.एच.सी. जुलाना में उपलब्ध थी।

विभाग ने एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि एम.टी.पी. की सुविधाएँ, डाक्टरों की कमी के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सी.एच.सीज में सही चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना उनका दायित्व था।

कुल नसबंदी कार्यक्रम में कमी के कारण जन्म दर में वृद्धि थी।

2.3.9.3 स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन सूचक

स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन सूचकों की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 8: स्वास्थ्य सेवाओं को निष्पादन सूचकों की स्थिति

(डाटा प्रतिशतता में)

क्र.सं.	सूचक	मूल स्थिति 2006-07	दिसम्बर 2010 तक लक्ष्य	दिसम्बर 2010 तक उपलब्धि
1	शिशु मृत्यु दर में कमी	46.7	25	41
2	जन्म दर में कमी	22.3	18	23
3	कुल प्रजनन क्षमता दर में कमी	2.3	2.05	2.5
4	मृत्यु दर में कमी	6.3	5.2	7
5	पूर्व प्रसव देखभाल में वृद्धि	93	98	68.9
6	आयरन एवं फोलिक एसिड टेबलेट्स लेने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि	92.33	98	132.5
7	दो टेनेस टाक्साइड टीके लेने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि	96.84	99.58	89.75
8	संस्थानात्मक प्रसवों में वृद्धि	32.55	45	75
9	निपुण जन्म परिचारिकाओं द्वारा संस्थानात्मक प्रसवों में वृद्धि	60	88	59.8
10	कन्ट्रसेप्टिव विद्यमान दर में वृद्धि	60.5	73	63
11	बच्चों (12-23 माह की आयु के) के पूर्ण परिचक्षण में वृद्धि	87	99	103
12	एस.टी.आई./आर.टी.आई. की विद्यमानता में कमी ⁶⁹	19,471 मामले	11,000 मामले	1,498 मामले

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित आंकड़े।

निष्पादन सूचकों के विरुद्ध प्राप्ति में कमियों ने जिले में सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का असन्तोषजनक कार्यान्वयन दर्शाया। कुछ प्रकरणों में, विशेषतः (i) जन्म दर में कमी (ii) कुल प्रजनन क्षमता दर में कमी (iii) पूर्व प्रसव देखभाल में वृद्धि, के प्रकरणों में दिसम्बर 2010 में स्थिति, 2006-07 में मूल स्थिति से भी बुरी थी। उपर्युक्त सूचकों की प्राप्ति में कमी मुख्यतः अपर्याप्त मूलभूत संरचनाओं तथा डाक्टरों तथा पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी के कारण थी।

2.3.10 प्राथमिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) जी.ओ.आई. का एक व्यापक एवं संघटित फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो 2000-01 में आरम्भ किया गया था। एस.एस.ए. का मुख्य उद्देश्य, एक मिशन रूप में, राज्य में बेसिक शिक्षा का वैश्वीकरण प्राप्त करना था। एस.एस.ए. का लक्ष्य, छः से 14 वर्षों के आयु वर्ग में सभी बच्चों को लाभदायक एवं सम्बद्ध शिक्षा प्रदान करना था। 2006-11 के दौरान ₹ 91.99 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹ 74.64 करोड़ (81 प्रतिशत) की राशि इस कार्यक्रम पर खर्च की गई थी।

⁶⁹ लैंगिक रूप से संचारित संक्रमण /पुनरुत्पादक पाचन क्षेत्र संक्रमण

2.3.10.1 स्कूलों में नामांकन की स्थिति

जिले में, 2006-11 के दौरान, बच्चों के नामांकन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों में बढ़ गए थे जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 9: स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या

वर्ष	प्राथमिक स्कूल		उच्चतर प्राथमिक स्कूल	
	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
2006-07	470	95,687	286	47,830
2007-08	470	96,983	306	46,248
2008-09	470	88,202	306	44,783
2009-10	470	88,501	307	44,977
2010-11	470	1,25,487	307	70,910

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

2006-11 के दौरान, स्कूलों में विद्यार्थियों की वृद्धित संख्या समायोजित करने के विचार से, जिला परियोजना समन्वयकर्ता, जींद ने 735 अतिरिक्त क्लासरूम निर्मित करने हेतु योजना बनाई। इनमें से 652 क्लासरूमस का निर्माण पूर्ण हो गया था, 80 क्लासरूम का निर्माण कार्य प्रगति पर था जबकि तीन क्लासरूमस हेतु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था (अगस्त 2011)।

2.3.10.2 स्कूल से बाहर बच्चों

डी.पी.सी., एस.एस.ए., जींद ने, न तो बच्चों का प्राथमिक स्कूलों से अलग होना मानीटर किया और न ही 2006-11 अवधि के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों से सम्बन्धित कोई डाटा अनुरक्षित किया। फिर भी, 40 नमूना-जांच किए गए प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2006-11 के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या तीन और सात प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 10: स्कूल से बाहर बच्चों की स्थिति दर्शाते हुए

वर्ष	चिन्हित बच्चों की संख्या (6-14 वर्ष)	नामांकित बच्चों की संख्या	स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या	स्कूल से बाहर बच्चों की प्रतिशतता
2006-07	12,013	11,278	735	6
2007-08	12,110	11,668	442	4
2008-09	11,754	11,450	304	3
2009-10	12,182	11,788	394	3
2010-11	12,594	11,680	914	7

स्रोत: खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड संसाधन समन्वयकर्ता द्वारा आपूरित डाटा।

डाटा इंगित करता है कि 40 नमूना-जांच किए स्कूलों में छः से 14 वर्षों के आयुवर्ग में बहुत कम बच्चे स्कूल से बाहर रहे। इस प्रकार, मूल शिक्षा के वैश्वीकरण का एस.एस.ए. का लक्ष्य समीप आता दिखाई दिया।

जिले में माध्यमिक शिक्षा, 118 राजकीय उच्च विद्यालयों (जी.एच.एस.एस.), 89 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (जी.एस.एस.एस.), एक नवीय विद्यालय, 205 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों तथा 9 सहायता प्राप्त उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के नेटवर्क के माध्यम से दी जा रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), शैक्षणिक विकास हेतु स्कूलों के कार्यान्वयन हेतु जिले का नियंत्रक अधिकारी था। विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति

2.3.11 माध्यमिक शिक्षा

दर्शाई।

प्राशिक्षण नहीं दिया जा सका। इसने जिला एवं राज्य समन्वयकों के मध्य समन्वय की कमी बनाया (अगस्त 2011) कि राज्य परियोजना निदेशक से प्राशिक्षण सारणी की अपूर्णता के कारण ₹ 44.30 लाख के प्रावधान के बावजूद सेवाकालीन प्राशिक्षण नहीं दिया गया। डी.पी.सी., जीट ने 2009-10 के दौरान जिले में अध्यापकों की प्रयोजन हेतु बजट में क्रमशः ₹ 62.94 लाख तथा प्राशिक्षण दिया जाना अपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2008-09 तथा एस.एस.ए. मार्गनिर्देशों के अनुसार, सभी अध्यापकों को, प्रति वर्ष 30 दिन की सेवाकालीन

2.3.10.5 सार्वजनिक अध्यापकों की प्राशिक्षण

की जाएगी।

शेष स्कूलों को, रसीदें घरी के निर्माण हेतु निर्दिष्ट, सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान 224 स्कूलों को ₹ 2.82 करोड़ की निर्दिष्ट रसीदें घरी के निर्माण हेतु प्रदान की गई थी तथा डी.पी.सी., जीट ने तब्य स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि 2010-11 के दौरान

सकती था।

केवल अस्वास्थ्यकर था बल्कि विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की एकता को भी प्रभावित कर रसीदें घरी की अनपस्थिति में, भोजन या ती क्लासरूम में या खिले में तैयार किए जा रहे थे जो न 212 उच्चतर प्राथमिक स्कूल (मध्यम भोजन तैयार करने हेतु कोई रसीदें घरी नहीं थे। पृथक यह अवलोकित किया गया कि जिले में 777 स्कूलों में से 399 स्कूलों में (187 प्राथमिक तथा राज्य में सभी प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में मध्यम भोजन प्रदान किया जाता है।

2.3.10.4 मध्यम भोजन हेतु रसीदें घरी

सबसे प्रसृत किए बिना व्यय की सूचना निर्दिष्टों के तृष्णयोग के जोखिम से संचालन है। कार्य वास्तव में करवाया गया था अथवा नहीं। किए जा रहे व्यय के समर्थन में कोई लिखित किसी विलेख के अनपस्थिति में यह संचालित नहीं किया जा सका कि स्कूलों द्वारा मरम्मत स्कूल, फिर भी, इन निर्दिष्टों की उपयोगिता के समर्थन में कोई अभिलेख प्रसृत नहीं कर सका। तथा 307 उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को मरम्मत कार्य हेतु ₹ 2.50 करोड़ निर्मुक्त किए। अनुदान हेतु योग्य थे जबकि तीन क्लासरूम से अधिक वाले स्कूल ₹ 7,500 प्रति वर्ष के जी.ओ.आई. के निर्देशों के अनुसार, तीन क्लासरूम वाले स्कूल, ₹ 5,000 प्रति वर्ष के अनुदान

2.3.10.3 मरम्मत कार्य

निम्नवत थी:

तालिका 11 : विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति

कक्षा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
IX	12,773	20,047	19,417	19,849	21,876
X	16,251	18,001	21,136	18,978	21,439
XI	3,065	13,242	12,818	15,331	15,415
XII	2,760	9,990	12,719	11,166	16,052

स्रोत: जिला शिक्षा अधिकारी जींद द्वारा आपूरित डाटा

डाटा इंगित करता है कि 2006-11 के दौरान कक्षा IX से XII हेतु विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि थी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.⁷⁰) के अन्तर्गत किए गए सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि जिले में 207 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 30 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं थे, जबकि 51 स्कूलों में विद्यमान खेल के मैदानों में सुधार की आवश्यकता थी, 45 स्कूलों में चार दीवारी को मरम्मत की आवश्यकता थी तथा दो स्कूलों में चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता थी।

2.3.11.1 शिक्षा की गुणवत्ता

गुणवत्ता शिक्षा तभी दी जा सकती है जब स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता हो। यह हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बोर्ड परिणामों से आंकी जा सकती है।

जिले में, फरवरी 2011 को अध्यापकों के रिक्त पदों की श्रेणीवार स्थिति **परिशिष्ट 2.12** में दी गई है। परिशिष्ट में डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि शिक्षण स्टाफ के संस्वीकृत पदों के 23 प्रतिशत तथा प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के संस्वीकृत पदों के 54 प्रतिशत रिक्त थे। फिर भी, विभाग ने संस्वीकृत पदों के 17 प्रतिशत की सीमा तक अतिथि शिक्षण स्टाफ नियोजित किया था। प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों तथा अध्यापकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 80 थी परन्तु विद्यार्थी, जिन्होंने दसवीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक से अधिक प्राप्त किए, की प्रतिशतता लगभग 28 थी (लड़के: 27.41, लड़किया: 28.03)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न भी प्रकट किया:

विज्ञान प्रयोगशालाएं केवल 11 प्रतिशत स्कूलों में उपलब्ध थीं।

- जिले में 207 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में से केवल 22 स्कूलों में (11 प्रतिशत) में विज्ञान प्रयोगशालाएं थीं।
- उपर्युक्त सभी 207 स्कूलों में शौचालय जल कनेक्शनों सहित थे परन्तु केवल 40 स्कूलों में, शौचालय में प्रयोग हेतु जल के लिए भण्डारण सुविधाएं थीं।

⁷⁰ आर.एम.एस.ए., सार्वभौमिक सुगम एवं गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, 2009 में आरम्भ की गई थी।

2.3.11.2 स्कूलों का निरीक्षण

स्कूलों की निरीक्षण टिप्पणियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

डी.ई.ओ. अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई बुराई अवलोकित की जाती है तो डी.ई.ओ. द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि डी.ई.ओ. ने, उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। 2006-11 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 12: 2006-11 के दौरान किए गए स्कूलों के निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	माध्यमिक	उच्च	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	योग
2006-07	15	25	28	68
2007-08	35	55	45	135
2008-09	53	78	65	196
2009-10	48	63	79	190
2010-11	70	95	72	237

स्रोत: डी.ई.ओ., जींद द्वारा प्रस्तुत डाटा

निरीक्षण टिप्पणियों की अनपुष्टि में, निरीक्षण के दौरान इंगित की गई त्रुटियों पर कार्यवाही के अनुवर्तन को लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

2.3.11.3 छात्रवृत्ति स्कीम

समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की दर कम करने के विचार से, सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न बिंदु प्रकट किए:

- जींद और नरवाना में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 4,844 विद्यार्थी वर्ष 2008-09 में, सरकार से बजट को अप्राप्ति के कारण ₹ 20.98 लाख की राशि के स्टाइपेंड से वंचित रहे।
- 11 नमूना-जांच किए गए स्कूलों के विभिन्न श्रेणियों के कुल 728 विद्यार्थी 2006-10 के दौरान निधियों की कमी के कारण ₹ 4.04 लाख के स्टाइफंड से वंचित रहे।
- राजकीय उच्च विद्यालय, खड़कबुरा में, ₹ 2.26 लाख का स्टाइपेंड, स्कूल द्वारा बैंक खाते न खोलने के कारण वितरित नहीं किया जा सका तथा विभिन्न श्रेणियों के 134 विद्यार्थी लाभों से वंचित रहे जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 13: स्टाइपेंड से वंचित विद्यार्थियों की संख्या

श्रेणी	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
अनुसूचित जाति	2008-09	16
	2009-10	32
	2010-11	22
पिछड़ा वर्ग	2009-10	36
	2010-11	26
गरीबी रेखा से नीचे	2010-11	2
योग		134

स्रोत: सम्बन्धित स्कूलों द्वारा प्रदत्त डाटा

एक्विजिट कान्फ्रेंस के दौरान डी.सी. ने बताया कि बैंक अकाउंट खोलने से सम्बन्धित मामला, बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने के पश्चात् सुलझा लिया जाएगा।

2.3.12 जल आपूर्ति

सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित पेय जल का प्रावधान केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों के लिए प्राथमिक क्षेत्र रह चुका है। जींद जिले में, दो मण्डलों (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल, जींद एवं नरवाना) के माध्यम से पेय जल प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा राज्य प्लान स्कीमें कार्यान्वित की गई थी। जिले में जलापूर्ति स्कीमों पर 2006-11 के दौरान ₹ 186.14 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.12.1 जलापूर्ति की स्थिति

गांव में सभी जिले को पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) में किए गए प्रावधान के अनुसार न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) जल आपूर्ति करने के प्रावधान के विरुद्ध जिले में 307 गांवों में से 13 में जल आपूर्ति स्कीमों का संवर्द्धन संसदीकृत किया परन्तु 40 एल.पी.सी.डी. से कम जल आपूर्ति की स्थिति 20 एवं 35 एल.पी.सी.डी. के मध्य श्रृंखलित थी। सरकार ने, जल आपूर्ति 40 से 70 एल.पी.सी.डी. तक बढ़ाने हेतु ₹ 25.01 करोड़ की अनुमानित लागत पर 28 जल आपूर्ति वाले 13 गांव इन संवर्द्धन स्कीमों में सम्मिलित नहीं थे। एक्विजिट कान्फ्रेंस में, सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सभी गांवों को 40 एल.पी.सी.डी. जल प्रदान किया जा चुका था।

मार्च 2011 को, 28 संवर्द्धन स्कीमों में से 25 पूर्ण कर दी गई थी, एक प्रगति में थी तथा दो छोड़ दी गई थी परन्तु बाद में अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ले ली गई थी।

2.3.12.2 प्राक्कलनों से अधिक व्यय

वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि प्राक्कलनों हेतु तकनीकी संस्वीकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्राक्कलनों से अधिक व्यय सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना चाहिए। जिले में जन स्वास्थ्य मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 17 प्रकरणों में ₹ 2.03 करोड़ की कुल राशि, प्राक्कलनों से अधिक व्यय की गई।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल (पी.एच.ई.डी.), जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि अधिक व्यय, प्राक्कलनों की तैयारी तथा कार्य के आबंटन की अवधि के मध्य सामग्री एवं श्रमिक की लागत में वृद्धि के कारण था। ई.ई., पी.एच.ई.डी., नरवाना ने बताया (अगस्त 2011) कि अभिलेखों की जांच की जाएगी तथा संशोधित प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात् अधिक व्यय विनियमित करवा लिया जाएगा।

एक्विजिट कान्फ्रेंस के दौरान एस.ई. ने बताया (सितम्बर 2011) कि आठ प्रकरणों में अधिक व्यय विनियमित करवा लिया गया था तथा शेष प्रकरणों में अधिक व्यय सक्षम प्राधिकारी से विनियमित करवा लिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना विभागीय

प्राधिकारियों द्वारा किया गया अधिक व्यय वित्तीय नियमों के अतिक्रमण में था तथा ऐसा करना अनुमत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विभागीय अधिकारियों की ओर से ऐसी प्रवृत्ति से गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।

2.3.12.3 जल एवं सीवरेज प्रभारों की अवसूली

सरकार ने, जल की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रभार्य जल शुल्क की दरें निर्धारित की। मार्च 2011 तक रिहायशियों के विरुद्ध ₹ 1.42 करोड़ (जींद मण्डल: ₹ 0.77 करोड़ तथा नरवाना मण्डल: ₹ 0.65 करोड़) के जल शुल्क बकाया थे।

2006-11 के दौरान, अनुसूचित जाति परिवारों को इन्दिरागांधी पेय जल स्कीम के अधीन कुल 56,715 कनेक्शन दिए गए थे। ये प्रकरण, उपभोक्ता लैजरो में दर्ज नहीं किए गए तथा उनके विरुद्ध बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 1.47 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 14: एस.सी. परिवारों से बकाया जलप्रभार

कनेक्शनों की संख्या	अवधि	माह	प्रति माह दर (₹ में)	राशि (₹ लाख में)
285	अप्रैल 2007 से जून 2011	51	10	1.45
21,555	अप्रैल 2008 से जून 2011	39	10	84.06
13,329	अप्रैल 2009 से जून 2011	27	10	35.99
16,169	अप्रैल 2010 से जून 2011	15	10	24.25
5,377	अप्रैल 2011 से जून 2011	3	10	1.61
		योग		147.36

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित राशि

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी परिवारों को दिए गए जल कनेक्शनों के वितरण न तो अनुरक्षित किए गए थे न ही जल आपूर्ति हेतु कोई बिल प्रस्तुत किए गए थे।

ई.ई., पी.एच.ई.डी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि लैजरे तैयार की जा रही थी तथा इस कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिल प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.3.12.4 जल गुणवत्ता

राज्य में जल स्वास्थ्य मानकों को सुधारने तथा स्वच्छ पेय जल प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करते हुए अनुच्छेद 47 के साथ, भारत के संविधान में स्वच्छ पेय जल के प्रावधान को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए जल नमूनों की जांच हेतु 2,400 नमूनों के मानक निर्धारित किए थे। पेय जल आपूर्ति विभाग, जी.ओ.आई. द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2010) के अनुसार एक प्रयोगशाला एक माह में 300 नमूनों की तथा एक वर्ष में 3500-4000 की जांच कर सकती है। यह भी बल दिया गया कि प्रत्येक स्रोत से जल वर्ष में एक बार रासायनिक जांच तथा एक वर्ष में दो से चार बार जीवाणु वैज्ञानिक जांच के अध्यधीन होना चाहिए। इसके आधार पर सरकार ने एक वर्ष के जल नमूनों के लक्ष्य 3500 प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिए (मई 2010)।

जींद स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2400/3500 जांचों के विरुद्ध केवल 1,455 से 2,117 जांच 2006-11 के दौरान किए गए। इसने दर्शाया कि वांछित संख्या की जांच नियमित रूप से नहीं की गई। 8,969 नमूनों में से 851 के परिणामों ने

जिले का विकास बढ़ाने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अन्तर्गत पूरा करने के लिए मौलिक संरचनाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। यह अर्थव्यवस्था की संतुलित वृद्धि हेतु दर-दराज के क्षेत्र को जिला मुख्यालयों के समीप लाने में भी सहजता करती है।

आर्थिक सेवाएं

केंद्रों, ने, एंकिजट कान्फ़ेस के दौरान सूचित किया कि सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य योजना प्रक्रिया अधीन थी।

स्वास्थ्य खतरा पड़वाते हुए बढ़ाया जा रहा था। उपचार संयंत्र प्रदान नहीं किया गया था तथा मल रवली नालियों में, क्षेत्र के रिहायशियों को अन्ततः निपटारा जाना चाहिए। यह अवलोकित किया गया कि सफ़ीदो शहर में कोई सीवरेज डिग्री तक उपचारित किया जाना चाहिए तथा कोई स्वस्थ एवं पर्यावरणीय समस्या किए बिना समुदायों से मल जल अथवा उत्सर्जन तथा मलिनजल सही ढंग से संग्रहीत, वाहित तथा अपक्षित आठ बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

में सीवरेज कार्य प्रगति पर थी। फिर भी, सफ़ीदो शहर में अभी तक (अगस्त 2011) (जीव: 11 तथा सफ़ीदो: आठ) में सीवरेज सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। जीव की 11 बस्तियों यह अवलोकित किया गया कि जीव तथा सफ़ीदो शहरों में 98 बस्तियों में से 19 बस्तियों लिए अनुमोदित की गई थी (मई 2010) तथा कार्य प्रगति पर था।

सुविधाएं अभी प्रदान की जानी बाकी थी। जलाना के लिए सीवरेज स्कीम ₹ 14.65 करोड़ के जिले में पांच" शहरों में से चार" में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की गई थी। जलाना में, सीवरेज

2.3.13 सफ़ाई एवं सीवरेज सुविधाएं

जल नमूनों के संग्रहण में संलिप्त किया जाना चाहिए। पचापती को देय जल की गुणवत्ता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए तथा जांच के लिए बीमारियों से पीड़ित न हो। डी.सी. तथा सम्बन्धित एस.ई. ने सुझाव भी दिया कि भाव्य में ऐसी चूकों के परिहार हेतु विभाग को परामर्श दिया ताकि लोग, जल से उत्पन्न विभिन्न एंकिजट कान्फ़ेस के दौरान, डी.सी. ने जीवाणु वैज्ञानिक संदर्षण का मामला गंभीरता से लिया तथा

नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। संतोषजनक पाई गई। उत्तर ने दर्शाया कि जीवाणुवक संदर्षण के परिहार हेतु, ब्लॉकिंग पाऊडर प्रस्ताव जल के नमूने पुनः लिए गए तथा जांच किए गए तथा उसके बाद जल की गुणवत्ता केंद्रों, पी.एच.ई.डी., नरवाना ने बताया (अप्रैल 2011) कि ब्लॉकिंग पाऊडर प्रयोग करने के

हेप्टाइटिस: 706) जिले में 2006-10 के दौरान अवलोकित किए गए। से उत्पन्न बीमारियों के 40,641 मामले (हजारिया: 39,935 तथा पीलिया/वाइरल जीवाणु वैज्ञानिक संदर्षण दर्शाया। आगे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूर्णित सूचना के अनुसार, जल

संरचना में सभी वैदर सड़कों, रेलवे कनेक्टिविटी, वायुयान सेवाएं तथा सिंचाई आवश्यकताओं का प्रावधान सम्मिलित होता है।

जींद जिला, रेल यातायात से भली भांति संयोजित है। अलेवा को छोड़कर सभी ब्लॉक रेलवे लाइनों से संयोजित हैं।

2.3.14 सड़क संयोजनता

2.3.14.1 सड़क कनेक्टिविटी की स्थिति

हरियाणा राज्य में बहुत अच्छी सड़क संयोजनता है। जिले में सड़क संयोजनता तथा सड़क लम्बाई की स्थिति निम्नवत् थी:

तालिका 15: सड़क लम्बाई की स्थिति दर्शाते हुए

सड़क की प्रकार	सड़क लम्बाई (किलो मीटरज में)
राष्ट्रीय राजमार्ग	127
राज्य राजमार्ग	154
मुख्य जिला सड़कें	50
अन्य सड़कें (गांव सड़कें)	905

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

दो गांवों अर्थात् बाराबन तथा तेगबहादुरपुर (307 गांवों में से) को छोड़ कर सभी गांव, सभी प्रकार की सड़कों से संयोजित हैं। एक्टिव कान्फ्रेंस के दौरान डी.सी. की पहल पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2011) कि शेष दो गांवों को लिंक सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत लिया जाएगा।

2.3.14.2 सड़क कार्यों का निष्पादन

जिले में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) स्कीमों के अन्तर्गत नई सड़कों के मजबूतीकरण, चौड़ा करने तथा निर्माण करने के 47 कार्य लिए गए हैं जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 16: निष्पादित सड़क कार्यों की स्थिति

वर्ष	लिए गए कार्यों की संख्या		अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)		पूर्ण किए		व्यय (₹ करोड़ में)	
	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई
2006	13	2	32.14	9.69	13	2	28.93	9.60
2007	7	2	24.51	13.00	7	2	22.89	13.21
2008	4	2	4.87	7.32	4	2	4.46	7.71
2009	7	7	41.11	46.19	5	7	13.52	39.81
2010	2	1 (सी.आर.एफ.)	2.17	19.38	-	-	-	-
योग	33	14	104.80	95.58	29	13	69.80	70.33

स्रोत: एम.आई.एस. रिपोर्टों से संकलित।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सड़क संयोजनता से सम्बन्धित कार्य की प्रगति संतोषजनक थी क्योंकि 47 कार्यों में से 42 पूर्ण हो चुके थे। शेष पांच कार्य, फिरभी, उनकी पूर्णता की देय तिथियों के तीन से 11 माह बीतने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किए जा सके।

नहीं है क्योंकि माइनों की 24 दिन बन्द अवधि के विचार से गार सफाई का पर्याप्त समय था। काठ की आवश्यक प्रकृति के कारण लघु अवधि के अन्दर करवाई जानी थी। उत्तर स्वीकार्य है, जल सेवा मण्डल, सफाई ने बताया (अप्रैल 2011) कि माइनों/ड्रेनस की गार सफाई, ड्रै, जा सकती थी।

काठ एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए. के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने ली ₹ 4.88 करोड़ की राशि बचाई जा सकती थी। एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए. के अर्थात् गार सफाई का काठ नहीं करवाया था। यदि ये दौरान एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए. के अर्थात् गार सफाई का काठ करवाया था। फिरोजी, अन्य गार्ड थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जल सेवा मण्डल, नरवाना ने, 2010-11 के ₹ 2.69 करोड़ सफाई मण्डल: ₹ 2.19 करोड़ तथा नरवाना मण्डल: ₹ 0.14 करोड़ व्यय की के माध्यम से ड्रेनस एवं माइनों की गार सफाई पर ₹ 5.02 करोड़ की राशि (जीए डेकरों इन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 2008-11 के दौरान डेकरों अन्तर्गत ड्रेनस एवं माइनों की गार सफाई करने का काठ लेने का निर्णय किया (मार्च 2007)।

अप्रैल 2008 से जिले में स्कीम कार्यान्वित की गई। सरकार ने, एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए. के मानव श्रमकों हेतु मजदूरियों की समय लागत जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान की जाती है। गारटी एक्ट (एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए.) अधिनियमित किया। इस स्कीम के अन्तर्गत, आनिर्णय जी.ओ.आई. ने, शमीण लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु महात्मामांश्री राष्ट्रीय शमीण रोजगार गारटी एक्ट (एम.जी.एन.आर.ड्रै.जी.ए.) अधिनियमित किया। इस स्कीम के अन्तर्गत, आनिर्णय

ड्रेनस की गार सफाई की गार

2.3.15.1 महात्मामांश्री राष्ट्रीय शमीण रोजगार गारटी एक्ट के अन्तर्गत नहरों एवं

₹ 194.39 करोड़ का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा की अव्यक्तियां नीचे वर्णित हैं: 2006-11 के दौरान नई नहरों तथा ड्रेनस के निर्माण, ड्रेनस की पुनर्मांश्री तथा अन्वेषण पर करते हैं। नहर के अतिरिक्त, ये मण्डल भी जिले में ड्रेनस निर्माण तथा अन्वेषण करते हैं। जिले में, तीन मण्डल (जल सेवा मण्डल, जीए, नरवाना तथा सफाई) नहर प्रणाली को अन्वेषित

जिले की श्रम एवं सैवी श्रम हेतु सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर जल है। कुल सिंचाई किए गए क्षेत्र का नहर सिंचाई, अधिक से अधिक 85 प्रतिशत संचालित करती है।

2.3.15 सिंचाई

वर्ष कर सकती थी। करके डेकर से पूर्ण करवाया जाना चाहिए था। काठ की पूर्णता में विलम्ब इस की लागत में था। उत्तर पूर्विकृत्युक्त नहीं है क्योंकि काठ अन्वेषण के अन्तर्गत बाजार से सामग्री की व्यवस्था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1 मार्च 2010 के अन्तर्गत खदानों पर प्रतिबन्ध (अप्रैल 2011) कि सड़कों की पूर्णता में विलम्ब सामग्री की अन्वेषणता के कारण था क्योंकि तब कुवल ₹ 3.57 करोड़ व्यय किए गए थे। ड्रै, प्रान्तीय मण्डल, जीए ने बताया की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि बाईपास सड़क का काठ बहिन थीमा था क्योंकि मार्च 2011 18 महीनों अर्थात् सितम्बर 2010 तक पूर्ण किया जाना था। प्रान्तीय मण्डल, जीए के अभिलेखों अन्वेषित की गई थी (अक्टूबर 2008)। काठ मार्च 2009 में शुरू किया गया तथा ड्रैफ्टक सुनिश्चित करने हेतु एक नई सड़क परियोजना ₹ 17.71 करोड़ की अन्वेषित लागत पर उपर्युक्त में से, जीए-हासी सड़क से जीए-असन्ध सड़क तक (एक बाईपास सड़क) संचालित

2.3.15.2 पुनर्वास एवं पुनर्समायोजन नीति के अधीन वार्षिकी का अभुगतान

भू-स्वामियो/भूमि अधिग्रहण वंचिती के पुनर्वास तथा पुनर्समायोजन (आर.आर.) नीति ने उनको, जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई थी, वार्षिकी के भुगतान हेतु प्रावधान किया। योग्य भू-स्वामियों को, ₹ 15,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर पर 33 वर्षों तक वार्षिकी भुगतान किए जाने थे। वार्षिकी ₹ 500 प्रतिवर्ष बढ़ाई जानी थी। वार्षिकी की राशि, सितम्बर 2010 से ₹ 21,000 प्रति वर्ष तक, ₹ 750 प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ, संशोधित कर दी गई थी।

यह देखा गया था कि जल सेवाएं मण्डल, जींद द्वारा 2006-11 के दौरान माइनों तथा ड्रेनों के निर्माण के लिए 140.69 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी किन्तु किसानों को दिसम्बर 2010 तक भुगतान हेतु देय ₹ 82.63 लाख की राशि की वार्षिक भृति का भुगतान नहीं किया गया था। ई.ई., जल सेवाएं मण्डल, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

यह अवलोकित किया गया कि सरकार, सम्बन्धित कृषकों को कथित भुगतान करने तथा सरकार की आर.आर. नीति कार्यान्वित करने में विफल रही थी। भुगतानों में विलम्ब के परिणामस्वरूप भू-स्वामि, ऐसे बकाया देयों पर ब्याज के भुगतान हेतु न्यायिक हस्तक्षेप का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं तथा सरकार को हानि हो सकती है।

2.3.16 अन्य विकासशील गतिविधियां तथा रोजगार उत्पादन

जिले में अन्य विकासशील गतिविधियां, जैसे गलियों, ड्रेनस, चौपालों का निर्माण, सफाई, वर्षजल हार्वेस्टिंग, ग्रामीण हाऊसिंग इत्यादि, जिला योजनागत स्कीम के अन्तर्गत, बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों कुल सफाई अभियान, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदानों, इंदिरा आवास योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम इत्यादि से ली गई थी ये निम्न अनुच्छेदों में चर्चित हैं:

2.3.16.1 जिला प्लान स्कीम

जिला प्लान स्कीम, जिले में विकासशील कार्य, विशेषतः सड़कों एवं गलियों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य संस्थाओं, चौपालों इत्यादि का निर्माण आवृत्त करते हुए निष्पादन करने हेतु सरकार द्वारा अप्रैल 2008 से आरंभ की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत कार्य डी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। 2008-11 के दौरान, ₹ 29.03 करोड़ की राशि निष्पादन एजेसियों को निर्मुक्त की, जिसमें से केवल ₹ 16.95 करोड़ खर्च किए गए थे। यह अवलोकित किया गया कि नई डी.पी.सी., सभा एवं पंचायत चुनावों के पश्चात् फरवरी 2011 में बनाई गई थी। चूंकि डी.पी.सी. के निर्माण में विलम्ब था, 2010-11 हेतु ₹ 8.35 करोड़ की राशि की समग्र निधियां अप्रयुक्त रही तथा लोग समयपूर्व लाभों से वंचित रहे।

अपान्त की आरोपित की गई।
 १। समुदाय सफाई परिवारों के निर्माण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, जीपीज से प्रस्तावों की सफाई परिवारों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध, इस अवधि के दौरान केवल 41 निर्मित किए गए लैटरिनज के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 51,075 निर्मित की गई थी। आगे, 82 समुदाय ₹ 8.20 करोड़ उपयोग कर ली गई थी। बी.पी.एल. परिवारों के लिए 58,000 व्यक्तिगत परिवार इस स्कीम के अन्तर्गत, ₹ 8.59 करोड़ की राशि की निधियां प्राप्त की गई थी, जिसमें से करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई आवृत्ति त्वरित करनी थी। 2006-11 के दौरान जिले द्वारा में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना तथा 2012 तक सभी को सर्वोच्च शौचालय प्रदान जी.ओ.आर्डी. द्वारा 1999 में आरम्भ किए गए कुल सफाई अभियान के मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों

2.3.16.3 कुल सफाई अभियान

बी.डी.पी.ओ., अलेवा की ओर से निष्कायना के कारण, उनके लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। जारी किए गए थे। इस प्रकार, सबमर्सीबल पम्पों के प्रतिष्ठान के बावजूद, जीपीज तथा (सितम्बर 2011) कि सभी जीपीज को, विद्युत कनेक्शनों के लिए आवंटन करने हेतु निर्देश जल प्रदान करने का अभिप्रेत प्रयोजन अग्रस्त रहा। बी.डी.पी.ओ., अलेवा ने उत्तर दिया आवंटन नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सभी पम्प निष्क्रिय एवं थे तथा ग्रामीणों को पंप नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया कि सम्बन्धित जीपीज द्वारा विद्युत कनेक्शनों के लिए पम्पों के प्रतिष्ठान पर 21 जीपीज द्वारा ₹ 42.16 लाख का व्यय किया गया (2005-10)। पंचायतीराज संस्थाओं की निधियां प्रदान करती है। अलेवा ब्लॉक में पंचजल हेतु सबमर्सीबल जी.ओ.आर्डी., कन्दौय तिन आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न विकासशील गांवों/निधियों हेतु

सबमर्सीबल पम्पों पर
 ₹ 42.16 लाख का व्यय
 किया गया परन्तु विद्युत
 कनेक्शन प्राप्त नहीं
 किए गए।

2.3.16.2 बारहवें विन आयोग द्वारा अर्दान

इस प्रकार, बी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट गलत थी।
 ₹ 1.05 करोड़ राशि की निधियां बी.डी.पी.ओ. के पास अव्ययित पड़ी थी (मार्च 2011)।
 १। फिर भी, कौशिकों (सामान्य एवं एस.सी. घटक) की जांच में प्रकट किया कि राशि की निधियां उपयोग की गईं दर्शाई गई थी। 128 कार्यों में से 86 पूर्ण किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 के दौरान प्राप्त ₹ 2.39 करोड़ में से, ₹ 2.18 करोड़ बी.डी.पी.ओ., जीड द्वारा ए.डी.सी., जीड की प्रस्तुत नवम्बर 2010 की मासिक प्रगति

कारण ₹ 8.35 करोड़ तक कम कर दिया गया (मार्च 2011)।
 १। आबंटित की थी (मई 2010)। यह आवंटन निर्माण कार्यों की बहूत धीमी प्रगति के सरकार ने 2010-11 के लिए जिला प्लान स्कीम हेतु ₹ 12.65 करोड़ राशि की निधियां

कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की जांच में निम्न प्रकट किया:

इस स्कीम के कार्यान्वयन में निम्न त्रुटियां अवलोकित की गईं:

- लेखापरीक्षा द्वारा पांच समुदाय सफाई परिसरों की संवीक्षा ने प्रकट कि कलोदाकला एवं भीखेवाला गांवों में दो परिसर, सम्बन्धित जी.पी.ज द्वारा ही ढंग से अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे जैसा कि नीचे दर्शाए गए छाया चित्रों से स्पष्ट है:



निधियों का विपथन।

- टी.एस.सी. स्कीम की निधियों में से, ₹ 7.50 लाख छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कारण वेतन के बकायों के कारण, डी.आर.डी.ए., जींद के तीन कर्मचारियों को इस दलील पर भुगतान किए गए (2009-10) कि ये कर्मचारी कथित स्कीम के लिए कार्य कर रहे थे। संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि ये सभी कर्मचारी नियमित थे तथा बकाया डी.आर.डी.ए. प्रशासन स्कीम से भुगतान योग्य थे। इस प्रकार ₹ 7.50 लाख की टी.एस.सी. अनुदान विपथित किया गया।

2.3.16.4 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एच.आर.डी.एफ.) बोर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासशील गतिविधियां करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निधियां प्रदान करता है। एच.आर.डी.एफ. बोर्ड से जिले द्वारा 2006-11 के दौरान, ₹ 59.39 करोड़ की राशि की निधियां प्राप्त की गई थी तथा ₹ 61.72 करोड़ व्यय की गई। ₹ 2.33 करोड़ का अधिक व्यय, ई.ई. (पंचायती राज), जींद द्वारा अन्य स्कीमों से निधियां विपथित करके, किया गया था। निधियां, चौपालो के निर्माण तथा मरम्मत, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्तियों⁷³ में गलियों/नालियों के निर्माण हेतु व्यय की गई थी। निम्नलिखित त्रुटियां अवलोकित की गईं:

- पांच गांवों⁷⁴ में गलियों/सड़कों के निर्माण हेतु अलेवा ब्लॉक के पांच जी.पी.ज को डी.सी, जींद द्वारा ₹ 16.02 लाख की राशि की निधियां निर्मुक्त की गई थी (मार्च 2010)। केवल गोहियां गांव में कार्य पूर्ण किया गया था जबकि अन्य चार गांवों में कार्य आरंभ नहीं किया गया था। ₹ 12.05 लाख की राशि अव्ययित पड़ी थी (मार्च 2011)। इसी प्रकार, ₹ 38 लाख की राशि की निधिया, बी.डी.पी.ओ., जींद को, 21 गांवों में गलियों/सड़कों के निर्माण हेतु निर्मुक्त की गई थी (मार्च 2010)

⁷³ महात्मागांधी ग्रामीण बस्ति योजना के अन्तर्गत (2 अक्टूबर 2008 को आरंभ की गई) 100 वर्ग गज के प्लॉट बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित किए जाने थे।

⁷⁴ छुहरपुर, दीलुवाला, गोहियां कुचरानाकलां तथा कुचराना खुर्द।

परन्तु 18 गांवों में कार्य आरंभ नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)। बी.डी.पी.ओ. जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि अव्ययित निधियों को उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.3.16.5 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) 75:25 के अनुपात में जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार के मध्य लागत शेयर आर पर वित्त पोषित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य, मुख्यतः, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों (एस.सी./एस.टी.) के सदस्यों, मुक्त बंधवा मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे अन्य गैर एस.सी./एस.टी. ग्रामीण परिवारों की आवासी इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु, उनको एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर, सहायता करना था। स्कीम के अन्तर्गत 2006-11 के दौरान जिले के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्तियां निम्नवत थी:

तालिका 17: 2006-11 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्तियां

वर्ष	भौतिक लक्ष्य/प्राप्तियां		उपलब्ध निधियां	
	(संख्या में)		(₹ करोड़ में)	
2006-07	314	326	1.18	1.18
2007-08	435	438	1.09	1.09
2008-09	435	436	2.24	1.53
2009-10	843	864	3.03	3.02
2010-11	583	597	2.71	2.69
योग	2,610	2,661	10.25	9.51

स्रोत: ए.डी.सी., जींद द्वारा आपूरित डाटा।

जैसा कि उपर्युक्त डाटा से स्पष्ट है, विभाग इस अवधि के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा नमूना-जांच के दौरान, निम्न अनियमितताएं अवलोकित की गईं:

- पुरुष लाभग्राहियों को अनियमित भुगतान

स्कीम के मार्ग निर्देशों के अनुसार, लाभग्राही महिलाएं होनी चाहिए अथवा रिहायसी इकाई पत्नी और पति दोनों के नाम से होनी चाहिए। नमूना ब्लॉक्स में अभिलेखों की नमूना ने प्रकट किया कि स्कीम के मार्गनिर्देशों के अतिक्रमण में 77⁷⁵ पुरुष लाभग्राहियों को 2008-11 के दौरान ₹ 29.15 लाख के अनुदान वितरित किए गए। बी.डी.पी.ओ., अलेवा ने बताया (दिसम्बर 2010) कि ए.डी.सी., जींद द्वारा चयन किए गए लाभग्राहियों को राशियां वितरित की गई थी। एकजट कान्फ्रेंस के दौरान, डी.सी. ने बताया (सितम्बर 2011) कि मामले की जांच की जाएगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

- झूठे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतिकरण

बी.डी.पी.ओ., अलेवा पिल्लुखेड़ा के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 2009-10 के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹ 26.60 लाख एवं ₹ 25.90 लाख के समग्र अनुदानों हेतु उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे। फिरभी, मार्च 2010 के समापन पर बैंक पास बुकस के अनुसार क्रमशः ₹ 10.63 लाख तथा ₹ 8.70 लाख के संवरण शेष थे। इसने इंगित

⁷⁵

अलेवा: 13, जींद : 27, पिल्लुखेड़ा : 21 तथा उचाना : 16

किए कि युसीज में तथ्यों का गलत निरूपण था। बी.डी.पी.ओ. अलेवा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि ऐसी अनियमितताएं भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।

- पूर्ण किए गए मकानों की संख्या की गलत सूचना

ए.डी.सी., जींद द्वारा सरकार को प्रस्तुत भौतिक निष्पादन प्रगति रिपोर्ट्स के अनुसार 2,610 के लक्ष्यों के विरुद्ध 2,661 मकानों का निर्माण, लाभग्राहियों द्वारा पूर्ण किया गया दर्शाया गया। फिर भी, नमूना-जांच किए गए ब्लॉकस के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 20 प्रकरणों में, न तो मकान पूर्ण किए गए थे न ही द्वितीय किशत निर्मुक्त की गई थी। इस प्रकार, ए.डी.सी., जींद ने सरकार को, स्कीम के अन्तर्गत भौतिक निष्पादन गलत सूचित किया।

2.3.16.6 पंचायती राज संस्थाओं में सामान्य


अनियमितताएं पंचायती राज संस्थाओं में निम्न सामान्य अनियमितताएं अवलोकित की गईं:

- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम) की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार, एक जी.पी. द्वारा, सभा क्षेत्र में आबादी देह⁷⁶ का मानचित्र, उसमें भवनों की चारदीवारियां, सार्वजनिक गलियां तथा अन्य सार्वजनिक खुले स्थान दर्शाते हुए, तैयार किया जाना चाहिए। नमूना-जांच के लिए चयन की गई किसी भी जी.पी. द्वारा कोई ऐसा मानचित्र तैयार नहीं किया गया था।
- अधिनियम की धारा 12 (iv) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार एक जी.पी. द्वारा, इसके द्वारा अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा लिए गए सभी विकासशील कार्यों हेतु लागतें, कार्य की पूर्णता की तिथि, परिसम्पत्तियों का नाम इत्यादि विनिर्दिष्ट करते हुए एक पूर्ण रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना चाहिए। नमूना-जांच किए गए किसी भी जी.पी. द्वारा कोई ऐसा रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।
- हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 12 के अनुसार, प्रत्येक जी.पी. द्वारा, निर्माण कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिकाएं, प्राप्ति पुस्तिका, निर्गम रजिस्टर, उपस्थित नामावली निर्गम रजिस्टर, निर्धारित प्रपत्र में अचल सम्पत्ति रजिस्टर, यह प्रमाणित करने हेतु कि निर्माण कार्य वस्तुतः निष्पादित किए गए थे, अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे। नमूना-जांच किए गए किसी भी जी.पी. में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित किए नहीं पाए गए थे।
- सरकार द्वारा जारी किए गए (अगस्त 2006) मार्गनिर्देशों के अनुसार ₹ तीन लाख तक के सभी निर्माण कार्य एस.डी.ओ. (पंचायती राज) द्वारा तथा ₹ तीन लाख से ऊपर तथा ₹ 20 लाख तक ई.ई. (पी.आर.) द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान तथा निष्पादन के पश्चात् अनिवार्य रूप से निरीक्षित किए जाने अपेक्षित थे। निरीक्षण रिपोर्ट्स, सम्बन्धित डी.सी. को भेजी जानी अपेक्षित थी।

- फिर भी, ऐसी कोई रिपोर्ट डी.सी. को नहीं भेजी गई थी। सरकारी निर्देशों (अगस्त 2006) के अनुसार, निर्माण कार्यों के निष्पादन पर निगरानी रखने हेतु ब्लॉक स्तर तथा गांव स्तर पर सतर्कता समितियां संघटित की जानी थी। नमूना-जांच किए गए ब्लॉक/जी.पी.ज में कोई ऐसी समितियां संघटित नहीं की गई थी।
- सरकारी मार्गनिर्देशों (सितम्बर 2007) के अनुसार, जी.पी.ज द्वारा निष्पादित विकास कार्यों का तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाया जाना था। फिर भी, नमूना-जांच किए गए किसी भी जी.पी. द्वारा, कोई ऐसा निरीक्षण नहीं करवाया गया था।

पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों तथा सरकारी निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों की अननुपालना के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताएं स्थान ले सकती हैं। बी.डी.पी.ओ. (अलेवा, जीन्द, पिल्लुखेड़ा) ने तथ्य स्वीकार करते समय बताया (अगस्त 2011) कि पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों तथा सरकारी निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना करने के प्रयास किए जाएंगे।

- जी.पी.ज में निर्माण कार्यों के निष्पादन में अवलोकित अनियमितताएं निम्नवत थी:

क्र. सं.	जी.पी.ज का नाम	आवेष्टित राशि (₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
1.	रधाना	2,000	मार्च 2010 में ₹ 16,864 की उपस्थिति नामावली के विरुद्ध कैशबुक में ₹ 18,864 का भुगतान दर्शाया गया था।
		42,296	तीन प्रकरणों में, उपस्थिति नामावली भुगतान, मजदूरों के नाम एवं पते उल्लिखित किए बिना, किए गए थे (फरवरी-अप्रैल 2010)।
		17,976	एक ड्रेन के निर्माण हेतु मजदूर 21 से 31 मई 2009 तक कार्य पर लगाए गए थे जबकि निर्माण सामग्री जुलाई 2009 में क्रय की गई थी।
2.	पांडु पिंडारा	96,000	जनवरी 2010 में क्रय की गई ईंटे न तो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट की गईं न ही किसी कार्य पर उपभुक्त की गईं।
		97,000	गांव के पावन तालाब के पास क्षतिग्रस्त ड्रेन ने अवमानक कार्य का निष्पादन (दिसम्बर 2006) इंगित किया। 
3.	भैरोंखेड़ा	82,650	ईंटे, वास्तविक खपत के आधिक्य में जारी की गईं (नवम्बर 2006 तथा मई 2007) दर्शाई गईं।
		10,715	श्रमिकों के हस्ताक्षरों/अंगूठे के निशानों के बिना उपस्थितनामावली भुगतान किया गया (फरवरी-अप्रैल 2008 तथा जून 2008)।
4.	खेड़ी मसानियां	16,840	दो प्रकरणों में उपस्थिति नामावली भुगतान श्रमिकों के हस्ताक्षरों/अंगूठे के निशानों के बिना किए गए (मार्च 2009 तथा मार्च 2010)

आवृत्त गतिविधियों पर खर्च किए गए थे।
 ₹ 12.79 करोड़ की निधियां जारी की गई थी, जिसमें से ₹ 11.81 करोड़ स्कीम के अन्तर्गत करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना है। 2008-11 के दौरान ए.डी.सी. द्वारा सृजन, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने तथा दूरियों के बीच सामाजिक समानता विकसित 100 दिनों का गारंटीड मजदूरी योजनाएं प्रदान करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निष्पन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का मूल उद्देश्य एक एक परिवार को कम से कम एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस, जी.ओ.आर.ई.जी.एस, तथा राज्य सरकार के मध्य लगाने हिस्सेदारी आधार पर

2.3.16.8 महान्यायाधीश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

शामिल नहीं की जा सकी।
 का शैतिक सत्यापन संचालित किया। उसी रूप में, परिसम्पत्तियों की स्थिति वार्षिक योजना में वार्षिक योजना में शामिल किए जाने थे। डी.आर.डी.ए., जी.ड ने स्वरोजगारियों की परिसम्पत्तियों संचालन आधार पर किया जाना अपेक्षित था तथा ऐसे सत्यापन के परिणाम आगामी वर्ष की स्वरोजगारियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का वार्षिक शैतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर

• शैतिक सत्यापन तथा मानीट्रिंग

बताया कि सहायताप्राप्त परिवारों के जीवन स्तरों में कुछ सीमा तक सुधार हुआ था।
 भी अर्बुत 1999 में स्कीम के प्रारंभ से गरीबी रेखा को पार नहीं किया। ए.डी.सी., जी.ड ने रिपोर्टों के अनुसार एम.जी.ए.एस.वाई. के अन्तर्गत सहायताप्राप्त बी.पी.ए.न, परिवारों में से किसी ने ऊपर लाना था। तथापि, 2006-11 के दौरान ए.डी.सी., जी.ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई सृजन हेतु बैंक क्रेडिट तथा सरकारी परिसंपत्तियों के माध्यम से गरीबी रेखा से इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को आय उत्पादक परिसम्पत्तियों के

• स्कीम के उद्देश्यों की अपेक्षा

निम्नलिखित कथियां देखी गई थी:
 करने के उद्देश्य से आरंभ की गई (अर्बुत 1999) थी। जिना में इस स्कीम के कार्यान्वयन में महिलाउद्योग, ग्रामीण विकास, मूलभूत संरचना विकास तथा मार्केट लोकेज, का परिवर्तन प्रशिक्षण के लिए गरीबों का स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संघटन, क्रेडिट स्वयं-सहायता समूहों (एस.जी.ए.एस.वाई.), स्वरोजगार के सभी पहलुओं, जैसे

2.3.16.7 स्वरोजगार याम स्वरोजगार योजना

जांच के पश्चात् सूचककक्षाओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।
 एंजिनेट कान्फ्रेंस के दौरान, डी.सी. ने मामला गंभीरता से लिया तथा आश्वासन दिलाया कि उचित

के निशान प्राप्त किए बिना, किया (मई 2010)।
 डी.सी. प्रकार, बी.डी.पी.ओ., अलवा ने श्रमिकों को ₹ 8,827 का भुगतान, उनसे हस्ताक्षर/अंगूठे

डी.आर.डी.ए. तथा जिला के नमूना-जांच किए गए चार ब्लाकों के अभिलेखों की जांच ने निम्नानुसार प्रकट किया:

● **परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न करना**

स्कीम के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार उन कार्यों, जो समुदाय के लिए लाभदायक होंगे तथा दीर्घ-अवधि रोजगार उत्पादन तथा क्षेत्र का कायम रखने योग्य विकास मुहैया करवाएंगे, की किस्मों की पहचान कर अग्रिम योजना को सुगम बनाने के लिए एक पंच-वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जानी थी। परन्तु जिला में योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अभाव में, ए.डी.सी. ने बी.डी.पी.ओ.ज द्वारा अनुमोदित कार्यों के आधार पर निधियां जारी की।

ए.डी.सी. ने यह स्वीकार करते समय कि 2006-10 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी, बताया कि योजना तैयारी अधीन थी।

● **भौतिक निष्पादन**

मार्च 2011 को जिला में पंजीकृत, जॉब कार्ड्स जारी किए गए परिवारों/व्यक्तियों, रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या तथा उन परिवारों की संख्या, जिन्होंने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया। अर्जित किया, निम्नानुसार थी:

तालिका 18 : एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत उत्पादित रोजगार की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत की संख्या		जॉब कार्ड्स जारी किए गए	रोजगार प्रदान किए गए		परिवारों की संख्या (100 दिवस पूर्ण किए)	प्रति परिवार औसत दिवस
	परिवार	व्यक्ति		परिवार	व्यक्ति दिवस		
2008-09	22130	52,953	22130	6749	193500	210	28.67
2009-10	24999	54,812	24999	5456	147500	96	27.03
2010-11	27075	63016	27075	7084	191845	137	27.08

स्रोत: ए.डी.सी. - सह - सी.ई.ओ., डी.आर.डी.ए. जींद द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपर्युक्त आंकड़े के विश्लेषण ने प्रकट किया कि सभी पंजीकृत परिवारों को 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के विरुद्ध 22,130 परिवारों में से केवल 210 (एक प्रतिशत) परिवार 2008-09 के दौरान 100 दिनों का रोजगार पूर्ण/अर्जन कर सके। 2009-10 में 24,999 पंजीकृत परिवारों में से केवल 96 (0.38 प्रतिशत) तथा 2010-11 में 27,075 पंजीकृत परिवारों में से केवल 137 (0.50 प्रतिशत) 100 दिन का मजदूर रोजगार प्राप्त/अर्जन कर सके।

उपर्युक्त आंकड़े की आगे जांच ने प्रकट किया कि दिनों, जिनके लिए एक परिवार को मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था, की औसत संख्या 2008-09 में 29 थी जो 100 के लक्ष्य के विरुद्ध 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 27 तक कम हो गई।

ए.डी.सी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि हरियाणा में मजदूर एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में ज्यादा सम्बद्ध नहीं थे क्योंकि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत से खुले बाजार में मजदूरी दरें उच्चतर थी।

एम्.सी.जे. क्षेत्र प्रतिदिन लगभग 30 टन कूड़ा-कचरा का उत्पादन करता है। कूड़ा-कचरा एकत्र करने के लिए एम्.सी.जे. के पास केवल 25 कटनर्स, एक डम्पर लोडर तथा तीन ट्रैक्टर रॉलिया उपलब्ध थी। स्थाई इंधन स्थल की अनुपलब्धता के कारण कूड़ा-कचरा प्रतिदिन आधार पर नहीं उठाना जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप कटनर ऊपर तक भर रहे थे तथा कूड़ा-कचरा गडर में इधर-उधर फूल रहा था। एकत्रित सॉलिड वेस्ट को इंधन स्थलों तक खुली ट्रैक्टर रॉलियों में ले जाया जा रहा था। इसी प्रकार, एम्.सी.जे. ने इंधन के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण सॉलिड वेस्ट को इधर-उधर फूल रहा था। एकत्रित सॉलिड वेस्ट को इंधन स्थलों तक

एम्.सी.जे. क्षेत्र प्रतिदिन लगभग 30 टन कूड़ा-कचरा का उत्पादन करता है। कूड़ा-कचरा एकत्र करने के लिए एम्.सी.जे. के पास केवल 25 कटनर्स, एक डम्पर लोडर तथा तीन ट्रैक्टर रॉलिया उपलब्ध थी। स्थाई इंधन स्थल की अनुपलब्धता के कारण कूड़ा-कचरा प्रतिदिन आधार पर नहीं उठाना जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप कटनर ऊपर तक भर रहे थे तथा कूड़ा-कचरा गडर में इधर-उधर फूल रहा था। एकत्रित सॉलिड वेस्ट को इंधन स्थलों तक खुली ट्रैक्टर रॉलियों में ले जाया जा रहा था। इसी प्रकार, एम्.सी.जे. ने इंधन के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण सॉलिड वेस्ट को इधर-उधर फूल रहा था। एकत्रित सॉलिड वेस्ट को इंधन स्थलों तक

2.3.17.1 सॉलिड वेस्ट उपचार संयंत्र

सॉलिड वेस्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि की खरीद हेतु सरकार से एम्.सी.जे. ने ₹ 80.18 लाख के अनुदान प्राप्त किए (2005-08) तथा एम्.सी.जे. ने ₹ 67.43 लाख प्राप्त किए (2006-10)। वेस्ट मैनजमेंट पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देश के अनुपालन में एम्.सी.जे. को अनुदान संवीकृत किया गया था। तथापि, भूमि नहीं खरीदी गई (अगस्त 2011) थी तथा सम्पूर्ण राशि को परिषद के बचत बैंक खातों में रखा गया था। यह देखा गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जून 2005 में जारी की गई थी किन्तु ग्राहियों, जिनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, के विशेष के कारण भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकी। एम्.सी.जे. द्वारा कोई प्रयास नहीं किए देखे गए क्योंकि इस संबंध में सितम्बर 2007 के बाद कोई पत्राचार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

कारखाने की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पकट किया:

नगरपालिका परिषद, जींद (एम्.सी.जे.) तथा नगरपालिका कमीटी, उद्याना (एम्.सी.जे.) के उद्याना कस्बों के लिए तीन नगरपालिका कमीटियां हैं।

नगरों में मौलिक सुविधाओं का प्रावधान करना नगरपालिका प्रशासन का उत्तरदायित्व है। जींद जिला में जींद तथा नरवाना कस्बों के लिए दो नगरपालिका परिषदें तथा सफीदा, जलाना एवं

2.3.17 नगरपालिका प्रशासन द्वारा नागरिक सुविधाएं

एम्.सी.जे. जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि सामाजिक लेखापरीक्षा स्क्रीन रिपोर्टों के अनुसार छ: माह में एक बार की जाएगी।

सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा जांच ने पकट किया कि नर्मना-जांच किए गए ब्याकों में वर्ष में केवल एक बार लिए छ: माह में कम-से-कम एक बार आम सभा की बैठकें आयोजित की जानी थी। सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए (जून 2009) अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के कर्तव्य से सामाजिक लेखापरीक्षा की एम्.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत केन्द्रीय भूमिका परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जन-उत्तरदायित्व तथा निरन्तर जन-सतर्कता सुनिश्चित करने

● सामाजिक लेखापरीक्षा

एम.सी.जे. द्वारा एकत्रित सालिड वेस्ट शहर में ही विभिन्न स्थानों पर डम्प किया जा रहा था क्योंकि एम.सी. ने कोई सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किया है, उसके द्वारा अनुपचारित वेस्ट तथा प्रदूषण के खतरों से जनता को जोखिम में डाला जा रहा था।



सचिव, एम.सी.जे. ने बताया (अगस्त 2011) कि सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयास किए जा रहे थे।

2.3.17.2 निधियों का गबन

नीचे दिए गए विवरणानुसार 2009-10 के दौरान एम.सी.जे. स्टॉफ द्वारा ₹ 11,790 की राशि का गबन किया गया था:

- ₹ 4,272 के वेतनों के संवितरण हेतु स्व: चैक संख्या 852449 दिनांक 20 अप्रैल 2009 के माध्यम से ₹ 11,272 की राशि आहरित की गई थी। वाउचर संख्या 138 दिनांक 21 अप्रैल 2009 के अन्तर्गत ₹ 4,272 के वेतनों के संवितरण के पश्चात् ₹ 7,000 की राशि का गबन किया गया था।
- गृह कर शाखा ने रसीद संख्या 42/1480 दिनांक 22 मार्च 2010 के अन्तर्गत ₹ 715 की राशि वसूल की किन्तु रोकड़ बही में केवल ₹ 115 का लेखांकन किया गया था तथा ₹ 600 की शेष राशि का गबन किया गया था।
- वाउचर संख्या 98 तथा 99 दिनांक 10 नवम्बर 2009 के अन्तर्गत उन्हीं सात श्रमिकों को ₹ 2,720 का दोहरा भुगतान किया गया था। इन सात श्रमिकों के नाम 10 तथा 11 अक्टूबर 2009 के दोनों मास्टर रोलस में प्रकट हो रहे थे।
- उसी प्रकार, दूसरे मामले में एक श्रमिक का नाम 10 से 19 जून 2009 तक के दो भिन्न मास्टर रोलस में प्रकट हुआ। इस व्यक्ति को वाउचर संख्या 31 दिनांक 27 जुलाई 2009 तथा 35 दिनांक 30 जुलाई 2009 के अन्तर्गत दो बार ₹ 1,470 का भुगतान किया गया था।

जनवरी 2011 में यह इंगित किए जाने पर सचिव, एम.सी.जे. ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकारते समय उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि सम्बन्धित कर्मचारियों

एन्जिस्ट कान्फ्रेंस के दौरान आयुक्त, हिसार मंडल ने सुझाव दिया कि मामला राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के समक्ष उठाया जाना चाहिए तथा बीएस राशन कार्ड को छानने के लिए समर्पित कक्षाएं की जानी चाहिए।

नहीं लगाया गया था।
दिया गया (अक्टूबर 2008) था। तथापि, अक्टूबर 2010 तक एक भी बीएस राशन कार्ड पता 8,941 बीएस राशन कार्ड थे। डी.पी.डी.एस.सी., जी.टी.डी. को बीएस राशन कार्ड को छानने का निर्देश (ए.ए.आई.) परिवारों को पहले ही 2,56,465 राशन कार्ड जारी किए थे। इसलिए, जिला में कार्यालय ने जिला में जारी रखे से ऊपर (ए.पी.एल.), बी.पी.एल. तथा अंत्योदय अन्न योजना संचालित सर्वेक्षण के अनुसार जिला में केवल 2,47,524 परिवार थे किन्तु डी.पी.डी.एस.सी. में स्थित किया (अक्टूबर 2008) कि डी.आर.डी./जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.ग्रा.डी.ए.) द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक (डी.एफ.एस.सी.), जी.टी.डी. को कार्यालय की जानी थी।

को छानने के लिए जी.ओ.आई. द्वारा आरंभ की गई थी, जो राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2006 से टी.पी.डी.एस. के स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर नौ-बिन्दु कार्यालय बीएस राशन कार्ड योजना आयोजन तथा जी.ओ.आई.-एम.ए.आर.जी. के कार्यक्रम मूल्यांकन संयोजन द्वारा राज्यों में

2.3.18.1 टी.पी.डी.एस. में बीएस राशन कार्ड्स

करवाए गए थे। अभिलेखों की जांच के निम्नलिखित प्रकार किया:
काई जारी किए गए थे तथा उन्हें विशेष रूप से परिवहन किए गए मूल्यों पर अनावृत्त मंडिया करके (जून 1997) पी.डी.एस. को सुदृढ़ किया। इसके अन्तर्गत, बी.पी.एल. परिवारों की विशेष भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने लक्षित जन सवितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) की स्वीकृति आरंभ

निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
विशेष रूप से समाज/समूह के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक सर्वसुविधाओं की सुख सुविधाएं हैं। पी.डी.एस. का मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ में यात्रा, गैर, बीबी, खाद्य तेल, केरोसीन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित अन्य ऐसी किसी सर्वसुविधाओं का सम्पूर्ण भाग उपलब्ध करवाने के लिए अभियान नहीं है। सुख सुविधाओं प्रकृति अनुरूपक है तथा समाज के एक परिवार अथवा एक भाग को इसके अन्तर्गत सवितरण के प्रबंध हेतु पी.डी.एस. सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। पी.डी.एस. की सवितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का संचालन किया गया। वर्षों के दौरान, देश में खाद्य अर्थनीति कमी के प्रबंध की प्रणाली के रूप में तथा उचित मूल्यों पर अनाज के सवितरण के लिए जन

2.3.18 जन सवितरण प्रणाली

के ₹ 11,790 की सम्पूर्ण राशि बसूल कर ली गई थी। गबन के उपर्युक्त मामलों ने कमजोर विनीय निवृत्तों को दिया।

2.3.18.2 गेहूँ का आबंटन तथा उठान

निम्न तालिका गत पांच वर्षों के दौरान टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत गेहूँ के श्रेणीवार आबंटन तथा उठान इंगित करती है।

तालिका 19: गेहूँ का श्रेणी-वार आबंटन तथा उठान

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

वर्ष	गरीबी रेखा से ऊपर			गरीबी रेखा से नीचे			अत्योद्य अन्न योजना		
	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता
2006-07	-	-	-	10,020	9,519	95.0	9,504	9,124	96.0
2007-08	3,960	-	-	10,080	9,616	95.4	10,152	9,746	96.0
2008-09	3,960	-	-	20,772	19,858	95.6	8,784	8,379	95.4
2009-10	3,960	-	-	19,908	19,310	97.0	8,820	8,520	96.6
योग	11,880	शून्य	-	60,780	58,303	95.92	37,260	35,769	96.0

स्रोत: डी.एफ.एस.सी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, 2006-10 के दौरान ए.ए.वाई. के अन्तर्गत 35,769 मीट्रिक टन (एम.टीज) गेहूँ, जी.ओ.आई. द्वारा 37,260 एम.टी. के आबंटन के विरुद्ध उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ मूल्य के 1,491 एम.टी. गेहूँ का कम सवितरण हुआ।

ए.पी.एल. परिवारों को भी ए.पी.एल. परिवार पहचान-पत्रों के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाए गए हैं। ए.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत गेहूँ के निर्गम का पैमाना 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह ₹ 6.86 प्रति किलोग्राम की दर पर नियत किया गया है। 2006-10 के दौरान ₹ 11.21 करोड़ मूल्य के 11,880 एम.टी. के आबंटन के विरुद्ध कोई गेहूँ नहीं उठाया गया था। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जींद ने ए.पी.एल. परिवारों द्वारा गेहूँ की नान-लिफ्टिंग, उनके उपभोग हेतु हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान अनाजों के कारण तथा गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को आरोपित की। यह आगे बताया गया था कि इस श्रेणी के लिए गेहूँ का आबंटन नियमित नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि 2006-10 के दौरान ए.पी.एल. परिवारों द्वारा गेहूँ बिल्कुल भी नहीं उठाया गया था। इसलिए, स्कीम के लाभों के बारे में लाभार्थियों के बीच विभाग द्वारा जागरूकता सृजित नहीं की गई थी।

2.3.18.3 अन्य अनियमितताएं

- सरकार से बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. परिवारों की सूचियों की अपात्र परिवारों को हटाने तथा पात्र परिवारों को शामिल करने के प्रयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष समीक्षा करनी अपेक्षित थी। तथापि, बी.पी.एल./ए.ए.वाई. लाभार्थियों की सूचियां सितम्बर 2008 के बाद संशोधित नहीं की गई थी। जी.ओ.आई. द्वारा संचालित सर्वेक्षण (अक्टूबर 2008) के अनुसार जिला में ए.ए.वाई. सहित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 0.37 लाख थी जबकि डी.आर.डी.ए. तथा डी.यू.डी.ए. ने सितम्बर 2008 में संचालित उनके सर्वेक्षण के दौरान जिला में 0.72 लाख बी.पी.एल. परिवारों की पहचान की। चूंकि बहुत विभिन्नता थी, लाभार्थी परिवारों की समीक्षा तथा जांच की जानी अपेक्षित थी क्योंकि इसमें नीचे दिए गए विवरणानुसार सितम्बर 2008 से मार्च 2010 तक ₹ 2.86 करोड़ के परिदान

शामिल किए गए:

तालिका 19: बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. के अन्तर्गत परिदान की वित्तीय अर्थापत्ति

वर्ष	गैह्र की प्रमात्रा (एम.टी. में)	राज्य बजट में किया गया प्रावधान (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
2008-09 (सितम्बर 2008 से मार्च 2009)	7,380	14.91	14.98
2009-10	13,429	271.22	271.22
योग	20,809	286.13	286.20

स्रोत: डी.एफ.एस.सी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि अनाज, प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एसज) को उपलब्ध करवाए गए थे। जिला के छः ब्लकों में 611 एफ.पी.एसज में से चार ब्लकों के 40 एफ.पी.एसज नमूना-जांच के लिए चयन किए गए थे। चयनित एफ.पी.एसज की नमूना-जांच के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड (कॉन्फेड) अनाजों के उठान हेतु थोक नोडल एजेंसी है। एफ.पी.एसज से सोलह शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कॉन्फेड द्वारा चीनी की डोरस्टेप डिलीवरी नहीं की गई थी।
- सभी एफ.पी.एसज ने कानफेड से माह की आठवीं तथा 20वीं तारीख के मध्य अनाज तथा केरोसीन प्राप्त किया, जो अनुदेशों के अनुसार नहीं था;
- 38 प्रतिशत एफ.पी.एसज (15) द्वारा स्टॉक बोर्ड दैनिक रूप से अद्यतन नहीं किए गए थे;

लेखापरीक्षा के साथ परस्परिक प्रभाव के लिए बुलाए गए 495 लाभार्थियों में से 417 लाभार्थियों से संपर्क किया जा सका तथा जिला में पी.डी.एस. पर उनकी टिप्पणियां निम्नानुसार थी:

- चालीस प्रतिशत लाभार्थियों (174) ने बताया कि एफ.पी.एसज नियमित रूप से नहीं खोले गए।
- सत्तर प्रतिशत लाभार्थियों (311) ने बताया कि पी.डी.एस. मदें उन्हें पहले विजिट पर प्रदान नहीं की गई थी।
- साठ प्रतिशत लाभार्थियों (276) ने बताया कि स्टॉक की उपलब्धता बोर्ड पर प्रकाशित नहीं की गई थी।
- खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय ने डी.एफ.एस.सी. को राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तरों पर अपेक्षित समितियां गठित करने का निदेश दिया (अक्टूबर 2008)। यह तथापि, देखा गया था कि पी.डी.एस. की मानीटरिंग तथा जन शिकायतों के समाधान के लिए जुलाई 2010 तक जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समितियां गठित नहीं की गई थी।
- पी.डी.एस. (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार सरकार से जिलों में स्थापित किए गए राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों (एन.आई.सी.) के कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एफ.पी.एसज स्तर पर पी.डी.एस. की कार्यप्रणालियों की मानीटरिंग सुनिश्चित करना अपेक्षित थी। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक एफ.पी.एस. को कम्प्यूटरकृत कोडस भी जारी किए गए थे। यह देखा गया कि पी.आर. केन्द्रों (सफीदों, उचाना, अलेवा तथा पिलुखेड़ा) में सितम्बर 2010 में प्राप्त किए गए ₹ 9.25 लाख की लागत वाले चार कम्प्यूटर

नेटवर्किंग किट्स क्रियाशील नहीं थे। उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप एफ.पी.एस.ज सतर पर पी.डी.एस. के कार्यचालन की मानीटरिंग का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ था।

सामान्य सेवाएं

2.3.19 पुलिस सेवाएं

पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), जींद को जिला में अपराध रोकने एवं पता लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। जिला में यातायात पुलिस स्टेशनों सहित 12 पुलिस स्टेशन हैं। उप-मण्डलों (जींद, सफीदों तथा नरवाना) में पुलिस-उपाधीक्षकों के तीन कार्यालय हैं।

2.3.19.1 स्टॉफ की कमी

जिला में विभिन्न संवर्गों, जैसे निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों, हेड-कांस्टेबल इत्यादि, में पुलिस कर्मिकों की संयुक्त कार्यचालन संख्या 1,234 की संयुक्त संस्वीकृत संख्या के विरुद्ध 1,058 थी। विभिन्न संवर्गों में रिक्तियां 11 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थी। रिक्ति स्थिति के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 20: पुलिस कर्मिकों की रिक्ति स्थिति

	संवर्ग	संस्वीकृत	तेनात	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
पुरुष	डी.एस.पी.	4	3	1	25
	निरीक्षक	18	16	2	11
	एस.आई.	37	23	14	37
	ए.एस.आई.	108	84	24	22
	हेड कांस्टेबल	176	185	9 अधिक	-
	कांस्टेबल	798	679	119	15
	कुल	1,141	990	151	13.23
महिला	डी.एस.पी.	-	-	-	-
	निरीक्षक	शून्य	2	2 अधिक	-
	एस.आई.	3	2	1	33
	ए.एस.आई.	6	4	2	33
	हेड कांस्टेबल	9	3	6	66
	कांस्टेबल	75	57	18	24
	कुल	93	68	25	27
	सकल योग	1,234	1,058	176	14.26

स्रोत: एस.पी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

जिला में पुलिस-जनता अनुपात, राज्य के लिए 1:516 के अनुपात के विरुद्ध 1:1085 था। पुलिस कर्मिकों की कमी के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध स्थल पर पहुंचने के समय को कम करना बहु मुश्किल हो जाता है।

उत्तर में एस.पी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

2.3.19.2 प्रतिक्रिया समय

फील्ड पुलिसिंग के लिए मोबिलिटी में वृद्धि घटना के बाद स्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस के प्रतिक्रिया समय को कम करती है। यह तथापि देखा गया था कि सरकार ने प्रतिक्रिया समय का निर्धारण करने के लिए न तो कोई मानक तय किए और न ही इसे कम करने के लिए इसने कोई अनुदेश जारी किए।

2.3.19.3 अपराध प्रवृत्तियां

एक क्षेत्र में अपराध की घटना वहां पर तैनात पुलिस बल के निष्पादन की सूचक है। 2006-10 तथा 2011 (मार्च 2011) तक के दौरान दर्ज किए गए अपराधों की संख्या के साथ-साथ लम्बित अपराध मामलों की संख्या नीचे तालिका में दिए गए अनुसार थी:

तालिका 21: जिला में अपराध प्रवृत्ति को दर्शाने वाली

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान सुलझाए गए मामले	वर्ष के अन्त पर लम्बित मामलों की संख्या
	(प्रथम सूचना रिपोर्ट)			
2006	451	3,653	3,128	976
2007	976	2,984	2,804	1156
2008	1156	3,251	2,604	1803
2009	1803	3,612	2,916	2499
2010	2499	3,082	1,811	3770
2011	3770	591	962	3399

स्रोत: एस.पी., जींद द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अपराधों को हल करने में प्रगति थी किन्तु अपराध दर में कोई सुधार नहीं था। आंकड़ा भी सुझाव देता है कि अपराध दर में वृद्धि थी तथा लम्बित मामलों में इसकी सदृश वृद्धि लोगों के हौसले को क्षति पहुंचाएगी जैसा कि इसने इन मामलों को हल करने में पुलिस की असमर्थता इंगित की।

जिला में वर्ष 2006-10 के दौरान न्यायालयों में जमा करवाए गए कुल 14,049 मामलों में से 1,923 (14 प्रतिशत) मामलों में अपराधियों का पता नहीं लग पाया।

2.3.19.4 शस्त्रागार

आन्तरिक सुरक्षा को बढ़ते खतरों से प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निपटने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए जी.ओ.आई. द्वारा पुलिस बल का आधुनिकीकरण स्कीम आरंभ की गई थी। एस.पी., जींद ने पुलिस महानिदेशक को हथियारों के लिए मांग-पत्र भेजा (दिसम्बर 2008) किन्तु अप्रैल 2011 तक जिला में कोई अतिरिक्त हथियार उपलब्ध नहीं करवाया गया था। जिला में विभिन्न हथियारों की आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 22: हथियारों की आवश्यकता, उपलब्धता की स्थिति दर्शानेवाली

हथियार का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशतता में कमी
एस.एल.आर.	732	632	100	14
रिवालवर .38 बोर	205	55	150	73
पिस्टल 9 एम.एम.	209	109	100	48
इनसैस 5.6 एम.एम.	100	-	100	100
कारबाइन 9 एम.एम.	200	100	100	50
ए.के. 47	64	14	50	78
बम निरोधक उपकरण	1	-	1	100

स्रोत: एस.पी., जींद द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, रिवाल्वर .38 बोर, पिटल 9 एम.एम., इनसैस 5.6 एम.एम., कारबाइन 9 एम.एम., ए.के.47 तथा बम निरोधक उपकरण की बहुत कमी थी। आधुनिक हथियारों के अभाव में पुलिस को प्रभावी तथा दक्ष ढंग से आन्तरिक सुरक्षा को बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए मुश्किल होगी।

2.3.19.5 पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण

हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब पुलिस नियमों में प्रावधान है कि जिला में प्रत्येक पुलिस स्टेशन तथा चौकी की वर्ष में दो बार राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। ऐसा कम से कम एक निरीक्षण, अधीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010 में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

उत्तर में, एस.पी. जींद ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित निरीक्षण नहीं किए जा सके। तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में अपेक्षित संख्या में निरीक्षण किए जाएंगे।

2.3.20 ई - दिशा परियोजना

ई-दिशा, सरकार तथा नागरिकों के मध्य आई.टी. संचालित इलेक्ट्रॉनिक अंतरापृष्ठ है। विविध जन सेवाओं के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग में डी-नेट पर नागरिक अंतरापृष्ठ के रूप में एन.आई.सी. - एच.आर.एस.सी. द्वारा विकसित किए गए थे। परियोजना का कार्यान्वयन जिला आई.टी. सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम चरण में, जिला स्तरीय ई-दिशा केन्द्र (डी.एल.ई.डी.सी.) को शस्त्र लाईसेंसों के नवीनीकरण एवं हस्तांतरण; जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों तथा ड्राइविंग लाईसेंसों के निर्गम; वाहन पंजीकरण; पासपोर्टों के संसाधन; विभिन्न कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति; नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान तथा राजस्व अभिलेखों एवं गृह कर डाटा प्रश्नों के लिए टच स्क्रीन कियोस्कस से संबंधित सेवाएं प्रदान करना था। यह देखा गया था कि जींद में ई-दिशा केन्द्र जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण-पत्रों के निर्गम, राजस्व अभिलेखों के लिए टच स्क्रीन कियोस्कस तथा विभिन्न कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा था।

उत्तर में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ई-दिशा, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि जन्म एवं मृत्यु सेवाओं से संबंधित सेवाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैक-लॉग डाटा की अपूर्णता के कारण प्रदान नहीं की गई थी। टच स्क्रीन कियोस्कस के संबंध में यह बताया गया था कि टच स्क्रीनज दूसरे चरण में स्थापित की जाएंगी। विभिन्न समाज कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति के बारे में यह बताया गया था कि लघु-सचिवालय भवन से जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय की शिफ्टिंग के कारण सेवा बाधित थी।

2.3.21 निष्कर्ष

जिला योजना समिति ने जिला के समग्र विकास के लिए सभी गतिविधियों की आवृत्त करते हुए पंच-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना अथवा एकीकृत जिला योजना तैयार नहीं की। निधियां व्ययित के रूप में दर्शाई गई थी जैसे ही ये वास्तविक उपयोग हेतु प्रतीक्षा किए बिना अगले स्तर को जारी की गई थी। जिला में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी

जिसके परिणामस्वरूप यह शिशु मृत्यु दर, जन्म-दर, मृत्यु-दर कम करने तथा जन्म-पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसवों की वृद्धि, इत्यादि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा था। छः से 14 वर्षों के आयु-वर्ग में लगभग सात प्रतिशत बच्चे जिला में स्कूल से बाहर थे। तेरह गांवों को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मुहैया नहीं करवाया गया था। जिला में पांच नगरों में से जुलाना नगर में कोई मलनिर्वास सुविधा नहीं थी तथा सफाई नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों के कार्यान्वयन में कमियां, जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ने, निधियों का विपथन, धीमे कार्यान्वयन, अनियमित व्यय, परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अननुरक्षण, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक भुगतान, इत्यादि थी। जींद तथा उचाना नगरों में सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र मुहैया नहीं करवाए गए थे। जन सवितरण प्रणाली में कमियां, जैसे बोगस राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभार्थियों को खाद्य मदों के सवितरण में विलम्ब, इत्यादि, थी। जिला में पुलिस कार्मिकों तथा शस्त्रागार की कमी तथा अपराध में उभरती प्रवृत्ति थी।

2.3.22 सिफारिशें

- उपयुक्त, सभी विभागों की गतिविधियों को आवृत्त करते हुए जिला के लिए होलीस्टिक परिप्रेक्ष्य तथा एकीकृत योजनाएं तैयार करें।
- कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों की मात्र निर्मुक्ति से पृथक के रूप में निधियों के वास्तविक उपयोग दर्शाने वाली समुचित लेखांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग मूलभूत संरचना, उपकरण, मानवशक्ति में अन्तर्गत को मानको के अनुसार उन्हें समय-बद्ध रीति में भरना सुनिश्चित करें।
- सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित यंत्रावली स्थापित की जानी चाहिए।
- जी.पी.जे. द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यंत्रावली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- वेस्ट प्रबंध योजनाओं को नगर पालिकाओं द्वारा तत्परता आधार पर अन्तिमकृत किया जाना चाहिए।

ये बिन्दु जुलाई 2011 में अर्ध-सरकार रूप से आयुक्त, हिसार मण्डल को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

अध्याय 3

सम्पादनों की
लेखापरीक्षा

सम्पादनो की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनके क्षेत्र संघटन तथा स्वायत्त निकायों की सम्पादन लेखापरीक्षा ने प्रबन्ध संसाधनों में चूकों तथा विनियमितता, औचित्य एवं मितव्ययता के मानकों की अनुपालना में विफलता के विभिन्न उदाहरण प्रकट किए। ये अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत विषयपरक शीर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

3.1 नियमों की अननुपालना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु यह अनिवार्य है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाता है। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं छलकपटों को रोकता है बल्कि अच्छा वित्तीय अनुशासन अनुरक्षित करने में भी सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों की अननुपालना पर कुछ लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिला रैड क्रॉस सोसाइटी)

3.1.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन

भूमि अभिलेखों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों के जारी करने हेतु उद्गृहीत सेवा प्रभारों की प्राप्तियों एवं जमा से सम्बन्धित वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण जिला रैड क्रॉस सोसाइटी, करनाल में ₹ 3,76,250 का गबन हुआ।

युद्ध के दौरान बीमार एवं घायल तथा समान प्रकृति के अन्य प्रयोजन को चिकित्सा एवं अन्य सहायता के प्रयोजन हेतु जनता से प्राप्त विभिन्न धनों एवं उपहारों के प्रबंध हेतु तथा शान्तिकाल में भी जारी रहने हेतु भारतीय रैड क्रॉस सोसाइटी (आई.आर.सी.) गठित की गई (1920) थी।

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2), जैसा कि हरियाणा सरकार को एवं रैड क्रॉस सोसायटियों को भी लागू हो, एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करते हैं कि सभी वित्तीय सम्पादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। कर्मचारी जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह कैश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करने अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रातः कोषालय/बैंक में राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित है। कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा, कैशबुक में सभी प्रविष्टियों के योगों सहित सभी प्रविष्टियों की जांच किया जाना अथवा कैश बुक के लेखक से अन्य

- (1) शिक्षा, कल्याण, उषर, विनियम, शिक्षा या कोर्ट के आदेश, पट्टा, पट्टे का अभ्युपग, शहबोस के विवेक, पात्र के विवेक, शादी पंजीकरण, पट्टे का अन्तग,
- (!!) बन्धक पत्र, अभिशुद्धा, सामान्य शक्ति प्राधिकार अभिशुद्धा हेतु प्राधिकार, विशेष प्राधिकार, कोई अन्य दस्तावेज जो मूल्यकन, सामाजिकन, निर्मितन के अन्तग है तथा
- (!!!) सभी प्रकार के निस्वीकरण, बिल, अबाई, करार, कोई अन्य।
- फुटनोट 1 में उल्लिखित नहीं हेतु सेवा प्रभार क्रम सं. (I): ₹ 200, क्रम सं. (II): ₹ 150 तथा क्रम सं. (III): ₹ 100.

पावनी पुस्तकों के संबंध में लेख भी प्रस्तुत नहीं किए थे।

जी.ई.ओ. ने, 94951-95000, 95001 से 95051 तथा 100951 से 101000 संख्या वाली पुस्तकें सेवा प्रभार एकत्र किए थे, द्वारा गबन के ताल्य है। असन्ध तहसील में इसके परिणामस्वरूप ₹ 3,76,250 कम जमा हुए जो पंजीकरण कलकौ/जी.ई.ओ., में से केवल ₹ 63,68,600 जी.आर.सी.एस., करनाल के पास जमा करवाए गए थे। सेवा प्रभारों की तुलना में प्रकट किया कि सामान्य जनता से एकत्रित ₹ 67,44,850 अवधि के दौरान दो तहसीलों (असन्ध एवं निस्सा) की नमूना-जांच में, एकत्रित धन कैडियर के पास जमा करवा दिया था या नहीं। 2001-02 से नवम्बर 2010 की भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि पंजीकरण कलकौ/जी.ई.ओ. द्वारा एकत्रित सारा जी.आ. द्वारा जमा करवाई गई राशियाँ से मूल खाली थी, कभी नहीं मागे गए थे। यह करने हेतु कि जनता से एकत्रित सेवा प्रभारों की राशियाँ पंजीकरण कलकौ/जी.ई.ओ. मास के दौरान एकत्रित राशियों के विवरण जी.आर.सी. द्वारा, तहसीलों से सुनिश्चित (जी.ई.ओ.जा) के माध्यम से जी.आर.सी.ज के कैडियर के पास जमा करवा रहे थे। एकत्र करने वाले तहसीलों के पंजीकरण कलकौ या तो स्वयं या डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जांच में प्रकट किया (दिसम्बर 2010) कि जी.आर.सी.ज की ओर से सेवा प्रभार अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत जी.आर.सी.ज, करनाल के अभिलेखों भारत के निबंधक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त)

जिला एवं तहसीलवार विस्तृत अभिलेख अनुरोधित किए जाने अपेक्षित थे। जी.आर.सी.ज द्वारा दैनिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर एकत्रित सेवा प्रभारों के अथवा अन्ततम अगले दिन तक बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। प्रतियों में पावतियाँ जारी की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संग्रहीत राशि, उसी दिन थी। जी.आर.सी.ज द्वारा सेवा प्रभार एकत्र किए जाने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दो प्रकार के विवरणों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के जारी करने हेतु निर्धारित किए गए थे। जी.आर.सी.ज द्वारा सेवा प्रभार, राजस्व विभाग के प्रदान करने हेतु ₹ 200, ₹ 150, ₹ 100 की दर पर सेवा प्रभार, राजस्व विभाग के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य जी.आर.सी.ज को सौंपा गया। ये सेवाएँ के अन्तर्गत श्रद्धा अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा विभिन्न प्रकार के विवरणों के (हेरिस) कार्यान्वित करने का निषेध किया (अक्टूबर 2000)। तदनुसार, पणाली सीसाइंटियों (जी.आर.सी.एस.) के माध्यम से हरियाणा पंजीकरण सूचना पणाली सरकार ने आइ.आर.सी. के संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में जिला रैड कास

के रूप में आशाएँ किया जाना अपेक्षित है।

किसी जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा इसे करवाया जाना तथा सभी पावतियों को परिशुद्ध

कार्यकारी अधिष्ठाता (ई.ई.), निर्माण मंडल सं. 3, कथल नै भारतखंड मैन लाइन-हासी-बुटाना धारवा-बहुप्रयोजन लिंक चैनल पर 36100/36555 रोच डिस्टेंस (आर.डी.) पर, यमगर नदी कासिया 134600 आर.डी. पर जल सेव नाले के निर्माण का कार्य ₹ 33.16 करोड़ में मूँसर्ज बूकबोन परियोजना लिमिटेड की आर्बाटिड किया (जनवरी 2007)। कार्य 12 माह के भीतर अर्थात् 31 दिसम्बर 2007 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अनुबंध मूल्य, सीमेंट, स्टील, ईंधन एवं लुब्रिकैंट्स की दरी एवं मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी हेतु, अनुबंध डाटा में दिए गए फार्मूले के अनुसार समायोजित किए जाने अपेक्षित थे। मूल्य समायोजन, निर्धारित समय स्वीकृत विस्तारणा सहित के बाद किए गए कार्य, ठेकेदार की आरोप्य कारणों हेतु लागू नहीं था। स्टील के मूल्य समायोजन हेतु, विद्यारथीन क्वार्टर के लिए भारत सरकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय

अमल अनियमित विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 5.35 करोड़ की हानि हुई।
स्टील की गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने कारण, ठेकेदार को ₹ 62.25 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया। ठेकेदार को दिए गए समय के

3.1.2 स्टील की गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने के कारण अतिरिक्त भुगतान

लोक निर्माण विभाग (सिवाई धारवा)

(अगस्त 2011)।

सहायक विभाग विभाग को भेजा गया (मई 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। मामला, विचार्यक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं

सम्बन्ध में निर्देश पुनः दोहराए (अगस्त 2011)।

इतिहास हेतु, अर्वाचिक सचिव, भारतीय रूट कास सोसायटी, हरियाणा राज्य धारवा, एण्ड्रीगट नै, सेवा प्रभारों की प्राप्ति एवं जमा पर सर्वेक्षित आन्तरिक नियंत्रण एवं मूल्य विक्रय विलेखों के पंजीकरण के साथ सेवा प्रभारों के लेखाओं के मिलान सुनिश्चित करने हेतु सश्री डी. डी.आर.सी.एस. को सेवा प्रभारों की प्राप्ति एवं जमा के

हो गया।

पाठधानों की अनुरूपानना तथा अपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण के कारण गलत तथा केशर्षक सही ढंग से परिभाषित कर ली गई थी। इस प्रकार नियमों के धारा कि सेवाप्रभारों के कारण सश्री प्राप्ति सरकारी लेखों में प्रेषित कर दी गई थी सचिव, डी.आर.सी.एस., डी.डी.ओ. होने के कारण, यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी

परीक्षित था।

हेतु जिला राजस्व अधिकाारी, करनाल को अनुरोध किया गया था। अन्तिम परिणाम था। उसने आगे बताया कि चूककर्ता कर्मचारियों की उत्तरदायिता निर्धारित करने (दिसम्बर 2010 एवं अर्बल 2011)। ₹ 1,52,650 की शेष राशि भी वर्सूल की जानी 19 दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान एकत्रित ₹ 2,23,600 जमा करता दिए थे करते हुए बताया (अर्बल 2011) कि चूककर्ता कर्मचारियों ने 31 अगस्त 2005 से यह इतिहास किए जाने पर, सचिव, डी.आर.सी.एस., करनाल ने इन तथ्यों को स्वीकार

(एम.आई.डी.), नई दिल्ली द्वारा यथा प्रकाशित स्टील (बार एवं रोडस) की अखिल भारतीय औसत थोक बिक्री मूल्य सूची लागू थी।

ई.ई., निर्माण मण्डल सं. 3, कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ठेकेदार को कार्य के आबंटन के पश्चात्, साईफन के डिजाइन एवं आरेखणों में भारतीय तकनीकी संस्थान, रुड़की द्वारा सुझाए गए परिवर्तन के कारण कार्य का क्षेत्र ₹ 33.16 करोड़ से ₹ 48 करोड़ तक बढ़ गया। ठेकेदार 31 दिसम्बर 2007 तक कार्य पूर्ण नहीं कर सका तथा ई.ई. ने समय सीमा 31 मई 2008 तक बढ़ा दी। ठेकेदार कार्य को पूरा करने में पुनः विफल रहा। अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), निर्माण परिमण्डल, कैथल ने समय सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दी। ठेकेदार ने कार्य दिसम्बर 2008 में पूरा किया तथा जनवरी 2009 में ₹ 48 करोड़ का भुगतान किया गया जिसमें स्टील के मूल्य समायोजन के कारण ₹ 1.38 करोड़ भी सम्मिलित थे।

आगे यह अवलोकित किया गया कि स्टील हेतु मूल्य समायोजन परिकल्पित करते समय, स्टील (बार एवं रोडस) के लिए अखिल भारतीय औसत थोक विक्रय मूल्य सूची की बजाय आयरन एवं स्टील हेतु थोक-विक्रय मूल्य सूची परिगणना में ली गई तथा ₹ 75.89 लाख की स्वीकार्य वृद्धि के विरुद्ध ₹ 1.38 करोड़ की राशि की वृद्धि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, स्टील के लिए गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 62.25 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (27 जुलाई 2010), ई.ई., निर्माण मण्डल संख्या 3, कैथल ने अधिक भुगतान स्वीकार करते समय सूचित किया (फरवरी 2011) कि प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा ने अधिक भुगतान की जांच हेतु दो मुख्य अभियंताओं, एक मुख्य लेखाधिकारी तथा एस.ई. निर्माण परिमण्डल, कैथल की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अधिक भुगतान के लिए तत्कालीन ई.ई. को जिम्मेदार ठहराया (जनवरी 2011)। कमेटी ने यह भी निर्णय दिया कि एस.ई. द्वारा मई 2008 के बाद मूल्य वृद्धि के साथ समय सीमा में विस्तारण सही नहीं था तथा कपटपूर्ण दिखाई देता था। कमेटी ने इस कार्य पर कुल हानि ₹ 5.97 करोड़ समेकित की (निर्धारित क्षतियों के अनुद्ग्रहण के कारण ₹ 4.80 करोड़, स्टील, सीमेंट एवं लुब्रीकैंट्स की अमान्य मूल्य वृद्धि के कारण ₹ 0.55 करोड़ तथा आडिट द्वारा इंगित किया गया ₹ 0.62 करोड़) जिसके लिए एस.ई. एवं ई.ई. जिम्मेदार ठहराए गए।

ई.ई. ने आगे सूचित किया कि गलत मूल्य सूची अपनाने के कारण एजेंसी को किया गया ₹ 62.25 लाख का अधिक भुगतान तत्कालीन ई.ई. के विविध अग्रिम में रखा गया था तथा वसूली के लिए मामले अलग से प्रोसेस किए जा रहे थे। भुगतान की गई अधिक राशि वसूल करने हेतु आगे कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अगस्त 2011)।

मामला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय

सार्वजनिक निधियों से व्यय का प्राधिकरण, सार्वजनिक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित किया जाना होता है। व्यय करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता प्रवर्तित करने की आशा की जाती है जैसा सामान्य ज्ञान का एक व्यक्ति अपने निजी

रिवाज वेल निष्कय रहे तथा उनके निर्माण से परित्यक्त पड़े रहे।
बनाने हेतु कोई कायदावाही नहीं की गई। इस प्रकार, ₹ 89 लाख की लागत पर निर्मित
अभियंता एवं जिला प्रशासन से बार-बार निर्देशों के बावजूद इन रिवाज वेल की क्रियाशील
प्रयोजन की पूर्ण नहीं किया था। मामला दो मण्डलों के मध्य पत्राचार अधीन रहा परन्तु प्रमुख



रिवाज वेल पर सिल्ट/घास जमाते वाली रंगोई खरीफ चैनल
आर.डी.96000

होने के कारण निष्कय थे तथा वांछित
की सतह पर सिल्ट एवं बीड़ल के जमा
(मई 2007) क्योंकि ये, बीरवल्ल पर डैन
भी, वेल का प्रभार लेने से मना कर दिया
कर दिए (दिसम्बर 2006)। उसने फिर
न्यायक्षेत्र में क्षेत्र में आता था, की अनर्हित
(एफ.डब्ल्यू.एस.) मण्डल, फतेहाबाद जिले के
बीर वेल डे.डू., फतेहाबाद जल सेवाएं
सेवाएं (एन.डब्ल्यू.एस.) मण्डल, सिर्सो ने
की पूर्ति के पश्चात् डे.डू., नहराना जल
116 रिवाज वेल के निर्माण के काय
अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि

किया गया।

116 रिवाज वेल निर्मित किए। मात्र 2007 तक काय पर ₹ 89 लाख का व्यय
जनवरी 2006 में एक एजेंसी को काय आवंटित कर दिया। एजेंसी ने 2006-07 के दौरान
चार प्राक्कलन संस्वीकृत किए। कायकारी अभियंता, नहराना जल सेवाएं मण्डल, सिर्सो ने
अक्टूबर 2005 में ₹ 1.29 करोड़ की लागत पर 168 पुनर्भरण कूपों के निर्माण हेतु
₹ 325 बीरज का प्रावधान किया गया। तदनुसार, मुख्य अभियंता (निर्माण), सिचाई विभाग ने
भूमिजल के पुनर्भरण हेतु उपयुक्त अन्तर्गामी पर रंगोई नाला एवं रंगोई खरीफ चैनल की सतह
अर्ध के दौरान सिचाई सुविधाएं प्रदान करना तथा भूमिजल की कायमता अनुरक्षित करना था।
(नवम्बर 2002)। परियोजना का लक्ष्य फतेहाबाद जिले के डे.डू.-निर्दे के क्षेत्रों की खरीफ
चैनल की खूबवाई एवं धारा नदी के साथ निष्कय। एक परियोजना संस्वीकृत की
में आर.डी. -24500 - आर हाथी धारा डैन में निरने वाली आर.डी. 0 से 278000 रंगोई खरीफ
सरकार ने नाबाई राइडफ - VII भाग - I के अन्तर्गत ₹ 34.43 करोड़ की "जिला फतेहाबाद

रिवाज वेल पर व्यय ₹ 89 लाख करके निर्मित बीरवल्ल निष्कय
रहे परिणामतः व्यर्थ व्यय हुआ।

3.2.1 रिवाज बीरवल्ल के निर्माण पर व्यर्थ व्यय

लोक निर्माण विभाग (सिचाई शाखा)

से कुछ निम्नवत् है:

धन के संबंध में करेगा तथा प्रत्येक कदम पर वित्तीय आडर एवं कड़ी निवृत्तता प्रवर्तित
करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के उदाहरण पता लगाए हैं, जिनमें

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर, ई.ई., एन.डब्ल्यू.एस., सिरसा ने बताया (अगस्त 2011) कि ई.ई., एफ.डब्ल्यू.एस. मण्डल, फतेहाबाद ने रिचार्ज बोरज की क्रियाशीलता हेतु जांच एवं परीक्षण केन्द्रीय मिट्टी एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल से करवा ली थी, जिसने बताया कि इस प्रकार के रिचार्ज वैलज बाढ़ के जल हेतु व्यवहार्य नहीं थे तथा सुझाव दिया कि रिचार्ज बोरवैल क्रियाशीलता हेतु फिट नहीं थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बोरवैलज का, उनकी उपयोगिता निर्धारित किए बिना निर्माण तथा बाद में उनके परित्याग ने ₹ 89 लाख का व्यय व्यर्थ बना दिया। भूमिगत जल रिचार्ज करने की स्कीम का अभिप्रेत प्रयोजन भी प्राप्त नहीं हुआ।

मामला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) को अप्रैल 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा)

3.2.2 ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता

अनुबंध की समाप्ति की प्रक्रिया के दौरान एजेंसी को भुगतान करने हेतु कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मण्डल, कैथल के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा करार की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली के परिणामस्वरूप ₹ 3.99 करोड़ की अवसूली तथा ₹ 47.93 लाख की अदेय वित्तीय सहायता हुई।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), प्रान्तीय मण्डल, कैथल ने दो कार्य, अर्थात् “कैथल-असंध सड़क पर रेलवे स्टेशन के नजदीक 200.300 किलोमीटर पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज की दो लेन अप्रोचिस (कार्य ए) तथा तीन सड़कों का उन्नयन जिसमें उनका चौड़ा करना तथा मजबूतीकरण सम्मिलित था (कार्य बी) एक एजेंसी को ₹ 19.31 करोड़ तथा ₹ 15.34 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्रमशः जनवरी 2008 एवं दिसम्बर 2007 में आबटित किए। ए तथा बी कार्य, आबंटन पत्रों के निर्गम की तिथि से 15 एवं 12 महीनों के अन्दर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे। कार्य ए के लिए, एजेंसी द्वारा कार्य आरम्भ करने की तिथि से क्रमशः 15, 35, 55 एवं 75 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। कार्य बी के लिए, कार्य की पूर्ति हेतु अनुमत अवधि के तीन, छः, नौ एवं बारह महीने में आद्य अनुबन्ध मूल्य का क्रमशः कम से कम 12, 38 तथा 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना था।

दोनों कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी तथा एजेंसी बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। नौ माह की समाप्ति पर कार्य 'ए' का 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध एजेंसी ने केवल आठ प्रतिशत कार्य पूर्ण किया तथा कार्य 'बी' के 67 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध उसी अवधि के दौरान केवल 29 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था। कार्यों की पूर्ण करने में विफलता पर ₹ 8.09 करोड़ (कार्य 'ए' के लिए ₹ 5.47 करोड़ तथा कार्य 'बी' के लिए ₹ 2.62 करोड़) की निर्धारित क्षतियां उद्गृहीत करने के पश्चात्

⁴ (i) पहाड़पुर से चाकू से रामथली (लम्बाई 7 कि.मी.)।
(ii) राज्य राजमार्ग-II से भूना अगोध माजरा (15.8 कि.मी.) ; तथा
(iii) खेड़ी गुलाम अली से कंगथली वाया पहाड़पुर सायर (लम्बाई 5 कि.मी.)।

जनवरी 2009 में समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 1.31 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवांसिज (कार्य ए के लिए ₹ 0.73 करोड़ एवं कार्य बी के लिए ₹ 0.58 करोड़) के कारण वसूलीय थे। बैंक गारंटी (₹ 3.70 करोड़), प्रतिभूति जमा (₹ 0.28 करोड़) तथा किए गए कार्य का मूल्य (₹ 1.08 करोड़) से समयोजन के पश्चात् ₹ 4.34 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ कार्य ए के लिए तथा ₹ 0.17 करोड़ कार्य बी के लिए) एजेंसी से वसूल किए जाने थे, जिसमें से ₹ 0.35 करोड़ प्रान्तीय मण्डल सं. 2, सोनीपत में वसूल कर लिए गए थे। शेष ₹ 3.99 करोड़ वसूल नहीं किए गए थे (अगस्त 2011)।

ई.ई., प्रान्तीय मण्डल, कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2010) ने प्रकट किया कि जब एजेंसी के अनुबंध करार समाप्त करने हेतु कार्यवाही नवम्बर 2008 से प्रक्रिया अधीन थी तो ई.ई. ने दिसम्बर 2008 में ₹ 45.56 लाख (₹ 13.94 लाख कार्य ए के लिए तथा ₹ 31.62 लाख कार्य बी के लिए) के भुगतान जारी किए। यह आगे प्रकट किया गया था कि कार्य 'ए' के लिए वसूली हेतु देय ₹ 7.10 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरूद्ध, केवल ₹ 4.73 लाख रनिंग बिलों से वसूल किए गए परिणामतः ₹ 2.37 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम की कम वसूली हुई। इस प्रकार, अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान भुगतानों की निर्मुक्ति तथा अनुबंधों की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की अवसूली एजेंसी को अदेय वित्तीय सहायता के समान थी।

इसके इंगित किए जाने पर, ई.ई. ने बताया (सितम्बर 2010) कि एजेंसी को भुगतान, कार्य पूरा करने हेतु उसे प्रोत्साहित करने के लिए किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में एजेंसी की विफलता पर अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया ई.ई. के ध्यान में थी। इस प्रकार, भुगतान जारी करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप एजेंसी को अदेय लाभ हुआ।

मामला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

3.2.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

सोहना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु स्पष्ट स्थान उचित समय में प्रदान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पुनः निविदा पर ₹ 1.09 करोड़ अतिरिक्त व्यय हुए।

भवन एवं सड़क विभाग के आदेशों की नियमपुस्तिका (अनुच्छेद 6.15) प्रावधान करती है कि भवन के निर्माण हेतु परियोजना लेने से पूर्व, भवन का स्थल विस्तृत डिजाइन एवं अनुमान तैयार करने से पूर्व निश्चित किया जाना चाहिए। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा चयन किए गए एवं अनुमोदित किए गए स्थान के पश्चात् विस्तृत आरेखन एवं अनुमानों को तैयार करने से पूर्व क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण उसकी स्थल आकृति सम्बन्धी विशेषताएं तथा रूपरेखाएं दर्शाते हुए किया जाना।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं वोकेशनल विभाग ने मई 2007 में ' औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), सोहना जिला गुडगांव के भवन के

अनुवृत्त एवं संचित, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भवन एवं सड़क शाखा (बी.एच.आर.) ने ₹ 2.39 करोड़ के लिए, चरखी दाही (जिला भिवानी) के शहरी

कार्य के अंतर्गत निष्पादन के कारण क्षतिग्रस्त सड़क पर किया गया ₹ 2.52 करोड़ का व्यय निष्कल ही गया। इसके अतिरिक्त, अर्जुन की दोष उन्मूलन कार्य के कारण मरम्मत पर ₹ 30 लाख का परिशिष्ट व्यय हुआ।

3.2.4 अंतर्गत कार्य के निष्पादन के कारण व्यय

(अगस्त 2011)।

मानवा विनाशित एवं प्रधान संचित, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) हरियाणा सरकार की अधून 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

की जिम्मेदारी थी।

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य आरंभ करने से पूर्व ठेकेदार की साफ स्थल प्रदान करना विभाग परियोजना भवन की मॉडर्नाईकरण के कारण कार्य के आर्जन के समय पूर्णतः साफ नहीं था। उत्तर इसके इंतजाम किए जाने पर, ई.ई. ने संचित किया (फरवरी 2011) कि कार्य का स्थल, प्रदान

के अन्तर्गत के बिना एजेंसी की कार्य के आर्जन के कारण था।

जो कार्य निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व वांछित था, करवाए बिना तथा डिजाईन एवं आरेखणों तथा विभाग की ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अतिरिक्त व्यय, स्थल साफ, प्रकट किया कि दर, जिन पर कार्य द्वितीय एजेंसी को आर्जन किया गया था, उच्चतर थी की उन दरों, जिन पर कार्य द्वितीय एजेंसी को आर्जन किया गया था, के साथ तुलना में किया गया (10वां रनिंग बिल)। दरों, जिन पर कार्य प्रथम एजेंसी को आर्जन किया गया था गया। यह एजेंसी कार्य निर्माणित कर रही थी तथा मार्च 2011 में ₹ 4.61 करोड़ का अमानत अगस्त 2009 में ₹ 5.22 करोड़ की अमानत लागत पर अन्य एजेंसी को आर्जन किया गया। एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर निविदाएं फरवरी 2009 में आमंत्रित की गईं तथा कार्य के अन्तर्गत आगे कार्यवाही दिसम्बर 2008 में की गई तथा एजेंसी से कार्य वापिस ले लिया अन्तर्गत ₹ 41.29 लाख की शक्ति लगा दी (अक्टूबर 2008)। अर्जुन करार की धारा III एजेंसी को निर्माण हेतु फ्री साईट देने की बजाय विभाग ने अर्जुन करार की धारा II के लिए संभव नहीं है तथा विभाग के पास जमा उनके अन्तर्गत धन के रिफंड हेतु अनुरोध किया। संचित किया कि बर्तनी दरों के कारण कार्य आरंभ करने के लिए आगे इंतजाम करना उनके दे सका तथा स्थल साफ नहीं करवा सका। इसलिए, जुलाई 2008 में एजेंसी ने ई.ई. को लौटा जाना था। एजेंसी द्वारा बार-बार अर्जुन करार के बावजूद भी विभाग बर्तनी आरेखण नहीं (एल.टी.) तथा उच्च दाब (एच.टी.) लाईनें थी। इसके अतिरिक्त वहां एक पुराना भवन था जो बर्तन से वृक्ष तथा प्रस्तावित भवन स्थल के ऊपर से गुजरने वाली अनेक विद्युतीय निम्न दाब फिर भी, एजेंसी, निर्माण स्थल संपन्न न होने के कारण कार्य आरंभ न कर सकी क्योंकि वहां के निर्माण की तिथि से परिकल्पित किया जाना, की समय सीमा के साथ आर्जन कर दिया। ₹ 4.13 करोड़ की अमानत लागत पर मार्च 2008 में एक एजेंसी को 18 माह, स्वीकृति पत्र एवं आरेखणों के अन्तर्गत बिना जनवरी 2008 में कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की। कार्य प्राथम्य मण्डल सं. 1, गुडगांव ने स्थल संपन्न करवाए बिना तथा सक्षम प्राधिकारी से डिजाईन विस्तारण' कार्य हेतु ₹ 4.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। कार्यवाही अभियान (ई.ई.),

हिस्से में 0.00 से 2.600 कि.मी. चार लेन की दादरी-लोहारू सड़क का निर्माण कार्य प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया (नवम्बर 2007)। कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), प्रान्तीय मण्डल, चरखी दादरी ने निविदाएं आमंत्रित (जनवरी 2008) करने के पश्चात् कार्य एक ठेकेदार को, 3.32 करोड़ की अनुमानित लागत पर, आठ माह के पूर्ति समय के साथ आबंटित किया। चूँकि सड़क शहरी हिस्से में थी, ट्रैफिक की सघनता तथा कुछ रीचिज में भारी वर्षा के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधीक्षण अभियंता, भिवानी परिमण्डल ने संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन करवाने हेतु प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) को ₹ 5.14 करोड़ का, वृद्धित कार्य क्षेत्र के साथ संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2008)। संशोधित प्रस्ताव में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंटस, वाटर बाऊंड मकेडेम (डब्ल्यू.बी.एम.), बिल्ड अप स्प्रे ग्राऊट (बी.यू.सी.जी.) तथा 75 एम.एम. गाढ़ा निम्न बिटुमिनस मकेडेम (एल.बी.एम.) का प्रावधान किया गया। स्थल पर कार्य, सक्षम प्राधिकारी से कार्य के विनिर्देशनों एवं क्षेत्र में परिवर्तनों के अनुमोदन के बिना संशोधित प्रस्ताव के अनुसार निष्पादित ₹ 5.02⁵ करोड़ का व्यय करके 31 दिसम्बर 2009 को पूर्ण किया गया था। ठेकेदार के साथ अनुबंध में प्रावधान था कि कार्य पूर्ण होने की तिथि से 24 माह की अनुरक्षण अवधि के दौरान अवलोकित कोई त्रुटियां ठीक करने के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होगा जिसकी विफलता पर ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर कार्य निष्पादित करवाया जाएगा।

जून एवं अगस्त 2009 में ई.ई. द्वारा निरीक्षण के दौरान, किए गए कार्य की कोटि बहुत घटिया पाई गई। किए गए कार्य के सैम्पल, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.), भिवानी से टैस्ट करवाए गए (जून/जुलाई 2009) तथा किए गए कार्य की कोटि विनिर्देशनों से निम्न तथा अवमानक पाई गई। परिणामस्वरूप, लगभग ₹ 2.52⁶ करोड़ की लागत पर निर्मित, एक कि.मी. तथा 2.60 कि.मी. के मध्य नवनिर्मित सड़क का 1.480 कि.मी. क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी गहन मरम्मत/पुनर्निर्माण अपेक्षित था। यद्यपि अवमानक कार्य को ठीक करने हेतु ठेकेदार को अनेक बार कहा गया था जिसका उसने सुधार नहीं किया परन्तु उसे सितम्बर एवं दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2010 में आठवे, नौवें एवं दसवें रनिंग बिलों में क्रमशः ₹ 35.06 लाख, ₹ 6.38 लाख एवं 29.19 लाख का भुगतान किया गया। सड़क को ट्रैफिक योग्य बनाने के लिए कार्य, ₹ 50.03 लाख की अनुमानित लागत पर बी टाईप सील कोट सहित 20 एम.एम. मोटा प्रीमिक्स कारपेट प्रदान करते हुए आबंटित किया (जनवरी 2011)। कार्य प्रगति पर था (अप्रैल 2011)।

यह अवलोकित किया गया (अक्टूबर 2010) कि ₹ 2.52 करोड़ व्यय करके सीमेंट कंक्रीट पेवमेंटस, डब्ल्यू.बी.एम., बी.यू.एस.जी., एल.बी.एम. इत्यादि सहित विनिर्देशनों के साथ निर्मित सड़क की, ठेकेदार, जो अनुबंध की त्रुटि अनुरक्षण देयता प्रावधान के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने हेतु उत्तरदायी था, के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए बिना बी टाईप सील कोट सहित 20 एम.एम. थिक प्रीमिक्स कारपेट प्रदान करने के साधारण विनिर्देशन के साथ मरम्मत करवाई। इस प्रकार, कार्य के अवमानक निष्पादन के कारण, सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण पर किए गए ₹ 2.52 करोड़ के व्यय ने इसका अपेक्षित प्रयोजन पूरा नहीं

⁵ ठेकेदार: ₹ 4.42 करोड़; दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पोल शिफ्ट करने हेतु ₹ 24.29 लाख तथा वन विभाग वृक्ष काटने हेतु : ₹ 15.17 लाख।

⁶ ठेकेदार को भुगतान की गई राशि/सड़क की कुल लम्बाई X क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई अर्थात् : ₹ 442.41 लाख/ 2.60 कि.मी. X 1.480 कि.मी. = ₹ 251.83 अर्थात् ₹ 2.52 करोड़।

किया एवं निष्फल सिद्ध हुआ। यदि सड़क, मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर मरम्मत/पुनर्निर्मित की गई होती तो मरम्मत पर किए गए ₹ 30 लाख (लगभग) के व्यय का परिहार किया जा सकता था।

इसके इंगित किए जाने पर, ई.ई. ने सूचित किया (अक्टूबर 2010) कि त्रुटियां दूर करने तथा अवमानक कार्य को ठीक करने के लिए एजेसी को बार-बार नोटिस जारी किए गए थे परन्तु एजेसी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दोषपूर्ण कार्य निष्पादित करवाने हेतु शास्ति धारा लगाई जानी अपेक्षित थी।

सामला, वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

3.2.5 अपूर्ण कोल्ड स्टोरेज कार्य पर निष्फल व्यय

डिजाइनज एवं आरेखण तथा विस्तृत अनुमानों को फाइनल किए बिना कोल्ड स्टोरेज का निर्माण आरम्भ करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मुख्य अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), पंचकूला ने विभिन्न सब्जी मण्डियों के उन्मयन तथा राज्य में मण्डियों में ग्री-कूलरज, राइपनिंग चेंबरज/ग्रेडिंग लाइनों सहित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं संस्थापित करने हेतु बोर्ड के चेयरमैन का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया (दिसम्बर 2006)। अनुमोदन में, सोनीपत में मशरूम एवं अन्य सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रदान करने हेतु ₹ 4.40 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था। कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) एच.एस.ए.एम.बी., सोनीपत ने विस्तृत अनुमानों एवं तकनीकी संवीकृति के अनुमोदन के बिना, 'सोनीपत में कोल्ड स्टोरेज तथा पैक हाऊस सुविधाओं के संस्थापन हेतु ग्री-इंजीनियरड भवन (पी.ई.बी.) तथा ढांचे के निर्माण' का कार्य ₹ 0.56 करोड़ में, तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण करने की शर्त के साथ, एक एजेसी को आबंटित किया (अगस्त 2007)। एजेसी द्वारा नींव एवं पी.ई.बी. ढांचे के डिजाइन एवं आरेखण प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा सिविल कार्य निष्पादित किया जाना था।

ई.ई., एच.एस.ए.एम.बी. डिवीजन, सोनीपत के अभिलेखों की जांच (मार्च 2010) ने प्रकट किया कि कार्य के आबंटन के पश्चात्, कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी को इस प्रयोजन हेतु नई सब्जी मण्डी में भूमि प्रदान करने हेतु कहा गया (अगस्त 2007)। उसने तथापि, मण्डी में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अपनी असमर्थता दर्शाई। चूंकि परिवर्तित स्थान पर दी गई (अप्रैल 2008) भूमि निम्न क्षेत्र में थी, बेसमेंट निर्माण करने हेतु निर्णय किया गया। एजेसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा अनुमोदित सट्रक्चरल डिजाइन एवं आरेखण आपूर्ति किए थे (सितम्बर 2007) जो अन्य कोल्ड स्टोरेज के लिए भी कॉमन था। चूंकि मानक कॉमन डिजाइन तथा आरेखण परिवर्तित स्थान के लिए उपयुक्त नहीं थे, ई.ई. को, उपलब्ध भूमि के अनुसार ले-आऊट प्लान/साइट प्लान का अनुमोदन करवाने हेतु कहा गया। इतने में एजेसी ने ग्री-इंजीनियरड भवन सट्रक्चर आपूर्ति किया (जुलाई 2008) तथा जुलाई 2008

विचार्यक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ने सीनोपन जिले में मोहना में एक पुलिस स्टेशन का निर्माण हेतु ₹ 43.93 लाख की प्रशासनिक सहायता दी (जून 2001)। काठु हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) के माध्यम से निर्धारित करवाया गया। मोहना में पुलिस स्टेशन के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के बिना, एच.पी.एच.सी.एल. ने विस्तृत अनुमानों के अनुमोदन बिना मोहना पुलिस स्टेशन भवन तथा 20 एकड़ों का निर्माण (₹ 83.94 लाख हेतु) आर्बिट्रिकिया (अक्टूबर 2002)। चौकी प्रशासनिक अनुमोदन पुलिस स्टेशन के निर्माण हेतु था, सरकार के निर्णय के अनुसार पुलिस विभाग के लिए आवासीय एवं गैर-आवासीय अकॉमोडेशन बढ़ाने के लिए 16 एकड़ों (दो टर्सेप्ट V, 12 टर्सेप्ट VI एवं 2 टर्सेप्ट VII) के निर्माण हेतु ₹ 54.05 लाख का अन्य रूप लागत अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन देने हेतु प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2004) जो अब भी

मूल सुविधाओं के बिना ₹ 56.26 लाख व्यय करके निर्मित मकान जनवरी 2006 से खाली पड़े थे जिससे व्यय निष्फल बन गया।

3.2.6 पुलिस स्टेशन, मोहना में निर्मित आवासीय मकान खाली रहे

गृह विभाग

माननीय विचार्यक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ (मई 2010) को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

₹ 4.40 करोड़ से ₹ 7.02 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

परिणामस्वरूप राजकोष पर अतिरिक्त भार डालते हुए परियोजना की लागत में भी विभाग के उत्तर ने दर्शाया कि न केवल लाभग्राही विद्यार्थी सुविधाओं से वंचित थे बल्कि

उसने आगे बताया कि काठु पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। परिचयना, डिजाइन में परिवर्तन तथा बेसमेंट सुविधाएं सम्मिलित करने के कारण विलम्बित हुई। तथ्य स्वीकार करते समय, सी.ए., एच.ए.एस.ए.एम.बी., पंचकूला ने बताया (अगस्त 2011) कि

के व्यय में, अपेक्षित प्रयोजन पूरा नहीं किया तथा निष्फल बन गया। करने के कारण कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण पर किए गए ₹ 1.72 करोड़ (अप्रैल 2011) उपलब्ध भूमि के अनुसार विस्तृत अनुमान, आर्कटेक्चरल डिजाइन एवं आरेखों के तैयार न काठु, विस्तृत आरेखों एवं अनुमानों की कमी के कारण सेक दिया गया था। इस प्रकार, में, अप्रैल 2010 तक ₹ 1.19 करोड़ का व्यय करके अंशतः निर्मित किया गया था तथा शेष द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। बेसमेंट, कुल 53 मीटर क्षेत्र में से केवल 32.90 मीटर क्षेत्र जून 2011 में डिजाइन एवं आरेखण अनुमोदित किए परन्तु विस्तृत अनुमान, संक्षम प्राथिकारी संशोधित प्लान, उसे सम्मिलित करने हेतु वापिस कर दिया। सी.ए., एच.ए.एस.ए.एम.बी. ने आउट प्लान आपूर्ति किया तथा ई.ई., एच.ए.एस.ए.एम.बी., सीनोपन ने (मार्च 2010) तदनुसार एच.ए.एस.ए.एम.बी. ने बेसमेंट इत्यादि के लिए कोई प्रावधान किए बिना मार्च 2010 में संशोधित से के निर्माण का काठु विभागीय तौर पर लिया गया (नवम्बर 2008)। मुख्य प्रशासक (सी.ए.), में ₹ 0.53 करोड़ का भूगतान किया गया। श्री-इंजीनियरड भवन स्ट्रक्चर खड़ा करने हेतु नींव

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)

3.3.1 पेय जलापूर्ति को दूषित करती निष्क्रिय डिच ड्रेन

प्रदूषणमुक्त पेय जल प्रदान करने के लक्ष्य से ₹ 10.28 करोड़ की लागत पर उपचारित/अनुपचारित निस्सरण ले जाने हेतु निर्मित एक डिच ड्रेन डिस्चार्ज कायम रखने में विफल रही तथा पश्चिमी जमुना नहर जो राज्य तथा दिल्ली में बृहद् जनसंख्या को पेय जल प्रदान करती है, में निस्सरणों को बहाया गया।

हरियाणा कैनाल एवं ड्रेनेज अधिनियम, 1974 की धारा 64 के अन्तर्गत सरकार ने सामान्य जनता के लिए जुलाई 2003 में एक आदेश जारी किया गया कि किसी व्यक्ति को कोई उपचारित/अनुपचारित व्यापार निस्सरण अथवा मल निस्सरण नहरों में छोड़ने हेतु अनुमत नहीं होगा।

यमुनानगर एवं जगाधरी के जुड़वां शहरों में चार मुख्य उद्योग⁷ तथा अन्य लघु घरेलु उद्योग हैं जिनको सीवरेज नहीं दिया गया था, अपने निस्सरण कुछ घरेलु व्यर्थ के साथ रीच डिस्टेंस पर पश्चिमी जमुना कैनाल (डब्ल्यू.जे.सी.) मुख्य लाइन निम्नतर (एम.एल.एल.) में (आर.डी. 71,000 दाईं ओर) छोड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) भी दो सीवरेज उपचार संयंत्रों⁸ के माध्यम से उपचारित निस्सरण, दाईं ओर 71,000 आर.डी. पर तथा बाईं ओर 59,000 आर.डी. पर डब्ल्यू.जे.सी. में तत्सम्बन्धी नदी जल प्रदूषित करते हुए छोड़ा जा रहा था। हरियाणा एवं दिल्ली की बृहद् जनसंख्या डब्ल्यू.जे.सी. का जल पेय प्रयोजनों हेतु प्रयोग कर रही थी तथा इसलिए, नदी में छोड़े गए निस्सरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे।

इस समस्या को नियंत्रित करने के विचार से, सरकार द्वारा, 'धनौड़ा एसकेप में गिरने वाली डब्ल्यू.जे.सी., एम.एल.एल. के साथ, यमुनानगर एवं जगाधरी के निस्सरणों के निपटान हेतु एक डिच ड्रेन का निर्माण' परियोजना ₹ 13.71 करोड़ हेतु प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की (जून 2007)। परियोजना में डब्ल्यू.जे.सी., एम.एल.एल. की दाईं ओर 71,000 आर.डी. से 60 क्यूसेक क्षमता वाली एक अरेखांकित 23 कि.मी. लम्बी डिच ड्रेन के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया। डिच ड्रेन, उपचारित/अनुपचारित निस्सरणों को धनौड़ा एसकेप चैनल में ले जाने हेतु थी। धनौड़ा एसकेप चैनल अन्ततः करनाल जिले में यमुना नहर में गिरती है। इस प्रकार निस्सरणों को यमुना नदी में गिरने से पूर्व 50 कि.मी. की दूरी पार करनी पड़ती थी, इसके परिणामस्वरूप निस्सरणों के अंश, वातन एवं अन्य अवसादन प्रभावों के कारण व्यापक रूप से तनुकृत हो जाते हैं। पी.एच.ई.डी. तथा निस्सारण छोड़ने वाले चार मुख्य उद्योगों को परियोजना की लागत अंशतः बांटनी थी। सिंचाई विभाग द्वारा डिच ड्रेन निर्मित की जानी थी जिसके लिए

⁷ (i) बलापुर उद्योग लिमिटेड, यमुनानगर, (ii) भारत स्टाईल मिल, यमुनानगर, (iii) सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर तथा (iv) हरियाणा डिस्टिलरी, यमुनानगर।

⁸ सीवरेज उपचार संयंत्र: (i) 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) की क्षमता का तथा (ii) 10 एम.एल.डी. का।

⁹ लागत निम्नवत बांटी जानी थी:

(i) बलापुर उद्योग : ₹ 6.76 करोड़; (ii) भारत स्टाईल : ₹ 0.22 करोड़; (iii) हरियाणा डिस्टिलरीज: ₹ 1 करोड़; (iv) सरस्वती शुगर मिल: ₹ 1.54 करोड़ तथा पी.एच.ई.डी.: ₹ 4.19 करोड़।

लेखापरीक्षा से पूर्वताछ किए जाने पर, ई.ई., दादपुर ने दरार की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि ई.ई.न 60 क्यूबिक पानी के बहाव हेतु डिजाइन की गई थी परन्तु वर्षा ऋतु में बहाव बहुविध बहने लगा जिसके परिणामस्वरूप दरार पड़ गई। उसने आगे बताया कि ये घटक डिजाइन अन्तिम करते समय ध्यान में नहीं रखे गए तथा ई.ई.न, पूर्णतः मिट्टी की होने, इसकी मुख्य शीघ्र में भारी कटाव होने के कारण, लाइनिंग के बिना क्रियाशील नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकारा नहीं है क्योंकि परियोजना की तकनीकी व्यवस्थापना परियोजना पर विचार करने से पूर्व जांच की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार, उपचारित/अनुपचारित निस्सरा से जाने हेतु निर्मित हैं, राज्य एवं दिल्ली की बृहद जनसंख्या को प्रदूषण मुक्त पंच जल प्रदान करने का अपेक्षित प्रयोजन पूरा करने में विफल हो गई क्योंकि यह निष्कष्य रही। इस प्रकार, निर्माण पर किया गया ₹ 10.28 करोड़ का व्यय न केवल व्यर्थ हुआ बल्कि जन स्वास्थ्य हेतु किए गए

उपायों की भी जाँच में जाल दिया था।

करते हुए छोड़े जा रहे थे।
गए तथा उपचारित/अनुपचारित निस्सरा निस्सरा ड्यू.जे.सी. में तस्बंदी जल को प्रदूषित गया। तब से विच ई.न उपेक्षित पड़ी थी तथा इसे क्रियाशील बनाने हेतु कोई प्रयास नहीं किए परिणामस्वरूप, महाने के पास इसका किनारा दरारमुक्त हो गया तथा सितम्बर 2009 में बह

सहित कटे हुए हिस्से में थी।

समायुक्त 20 फीट ऊंचे टिब्बे काटा हुआ हिस्सा

पहिली जगना नहर के पानी को प्रदूषित करने वाली विच ई.न का



पहिली जगना नहर के पानी को प्रदूषित करने वाली विच ई.न का
कटा हुआ हिस्सा

ई.ई., ड्यू.एस.डी., दादपुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2011) के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि उपचार के पश्चात् शहर से प्रवाहित होने निस्सरा विच ई.न में छोड़े गए थे। फिर भी, दोषपूर्ण डिजाइन के कारण निस्सरा ने विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दिया क्योंकि 3000 फीट लम्बी विच ई.न, रेतीली मिट्टी से

समायुक्त 20 फीट ऊंचे टिब्बे काटा हुआ हिस्सा

नमूना-जांच (मार्च 2011) के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि उपचार के पश्चात् शहर से प्रवाहित होने निस्सरा विच ई.न में छोड़े गए थे। फिर भी, दोषपूर्ण डिजाइन के कारण निस्सरा ने विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दिया क्योंकि 3000 फीट लम्बी विच ई.न, रेतीली मिट्टी से

नमूना-जांच (मार्च 2011) के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि उपचार के पश्चात् शहर से प्रवाहित होने निस्सरा विच ई.न में छोड़े गए थे। फिर भी, दोषपूर्ण डिजाइन के कारण निस्सरा ने विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दिया क्योंकि 3000 फीट लम्बी विच ई.न, रेतीली मिट्टी से

मुख्य अभियंता, लोहाक नहर यूनित ने मानकावास माइनर के निर्माण हेतु ₹ 47.73 लाख जी ₹ 51.19 लाख तक संशोधित किया गया (फरवरी 2005), का प्राकल्पन संवीकृत किया (सितम्बर 2000)। कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), लोहाक जल सेवाएं (एल.डब्ल्यू.एस.) मण्डल, चरवीदादरी ने माइनर का सिंगल लेयर ब्रिक लाइनिंग तथा भूमिकाय एक एजेंसी को आवंटित कर दिया (जुलाई 2003)। कार्य जुलाई 2003 में आरम्भ हुआ तथा सितम्बर 2005 में पूर्ण किया गया। दो पम्परायों के निर्माण तथा पम्परायों के निर्माण के प्रतिष्ठापन का कार्य जनवरी 2005 में पूर्ण किया गया। पम्परायों की प्रतिष्ठापन के पश्चात् जनवरी 2005 में पूर्ण किया गया। पम्परायों की प्रतिष्ठापन के पश्चात् ई.ई., एल.डब्ल्यू.एस. कैम्पलिस डिवाजन चरवीदादरी ने दोनों पम्परायों की विद्युत कनेक्शन देने हेतु दक्षिण दिशा में बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के पास ₹ 26.70 लाख (₹ 22 लाख दिसम्बर 2004 में तथा ₹ 4.70 लाख जनवरी 2005 में) जमा करवाए। दोनों पम्परायों की विद्युत कनेक्शन 2009 में दिये गये थे। मार्च 2007 तक कार्य पर ₹ 1.15 करोड़ व्यय किया गया था।

प्रावधान किया गया था।

के उठान के माध्यम से ले जाया जाना था जिसके लिए उपयुक्त स्थानों पर दो पम्परायों की 1585 एकड़ भूमि की सिंचाई विचारित थी। विषम भू-भाग के कारण जल लगभग 36 फीट बहाव के निर्धारण पर आधारित चार गांवों (मानकावास, चिरही खर्द, पांडवान तथा रसीवास) की 31 मार्च 2002 की या उससे पहले पूर्ण की जानी अपेक्षित थी। स्कीम में 7.25 क्यूसेक्स ₹ 1.36 करोड़ तक की लागत पर प्रशासनिक: अनुमोदित की (मई 1999)। परियोजना निर्मित करने हेतु एक परियोजना ₹ 96.64 लाख, बाद में संशोधित (अक्टूबर 2005) आधारित की किटलाना वित्तिका आर.डी. 28650/एल पर निरने वाली मानकावास माइनर सरकार ने, भिवानी जिले में लोहाक नहर प्रणाली जो पश्चिमी घुर्मा नहर प्रणाली के जल पर लिया। ऋण, आहरण की तिथि से सात वर्षों के अन्दर पुनर्भूतान किया जाना अपेक्षित था। ब्याज पर ऋण लेकर नई माइनरों के निर्माण तथा माइनरों के उत्थान एवं विस्तारण का कार्य हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) से 12 प्रतिशत प्रतिवृत्ति अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई अधीन लाने तथा स्थित क्षेत्र की गहनता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, वर्तमान जल स्रोतों का संशोधित प्रबन्ध के माध्यम से उपलब्ध जल का दक्षता से उपयोग करके

सितम्बर 2005 में इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ी थी।

₹ 75.90 लाख के ब्याज भुगतान के साथ उत्पन्न लागत पर निर्मित सिंचाई नहर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से उधार लिए गए ₹ 1.15 करोड़ एवं उस पर

3.3.2 सिंचाई नहर इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ी रही



किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

माननीय विनियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग की मई 2011 में प्रेषित

मासला विनियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई आखा) को अर्बुल 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

का व्यय, जिस पर ₹ 75.90 लाख का ब्याज नाबाड को दिया गया था, अप्रयुक्त रहा। तथा पूर्णता में विलम्ब के कारण बचत गत छः वर्षों से निष्क्रिय पड़ी रही तथा ₹ 1.15 करोड़ जाएगी। इस प्रकार, सिंचाई विभाग के सिंचित एवं सकेतिकल प्रभागों में समन्वय की कमी होगी तथा बचत की सरम्भत शीघ्र करवा ली जाएगी तथा अन्तिम भाग तक क्रियाशील की करवाने हेतु ₹ 0.50 लाख तथा क्षतिग्रस्त पुल की सरम्भत हेतु ₹ 1.25 लाख की आवश्यकता आरंभित किया गया (जून 2011)। उसने आगे सूचित किया (अर्बुल 2011) कि सिस्ट साफ प्रावधान करने हेतु प्राक्कलन के संशोधन के कारण 2003 में काल विलम्ब से आरंभ करने की विलम्ब, प्राक्कलन के विलम्बित अन्वेषण तथा पूर्ववर्ती एक प्रावधान के विरुद्ध दो पत्रपत्रों का कनेक्शन नहीं दिया गया। ई.ई., एल.डब्ल्यू.एस. डिवाजन, चरखी दादरी ने कार्य की पूर्णता में जुलाई 2007 में प्रदान किए गए थे परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा काल की अपूर्णता के कारण परिचालन डिवाजन डी.एच.बी.बी.एन., चरखीदादरी ने बताया कि इन कार्यों के लिए दो टेंडरकारों द्वारा उनके स्टोक में टेंडरकारों की अनपलब्धता के कारण नहीं दिया जा सका। परन्तु ई.ई., चरखीदादरी ने सूचित किया (जून 2011) कि पत्रपत्रों को विद्युत कनेक्शन, डी.एच.बी.बी.एन. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2010) ई.ई., एल.डब्ल्यू.एस. सकेतिकल डिवाजन के अधीन सभी को पूरा नहीं किया था।

₹ 1.15 करोड़ के व्यय ने, सिंचाई अर्थीन अतिरिक्त क्षेत्र लाने तथा सिंचित क्षेत्र की मात्रा बढ़ाने लागत पर ₹ 75.90 लाख का ब्याज भुगतान किया गया था, से माइनर के निर्माण पर किए गए इस प्रकार, नाबाड से उच्च लागत उधार, जिस पर गत साठे पांच वर्षों के दौरान 12 प्रतिशत की

सिस्ट से शरी बचत	बचत तथा पुल का कल हुआ हिस्सा
	

माइनर गार्युक्त हो गई तथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया तथा माइनर क्रियाशील नहीं की जा सकी। में पूर्ण की गई। तत्पश्चात् विद्युत कनेक्शन लेने में विभाग ने चार वर्ष लिए। इतने में असामान्य विलम्ब था। मार्च 2002 में पूर्ण किए जाने हेतु अपेक्षित परियोजना जनवरी 2005 लेखापरीक्षा (जुलाई 2010) के दौरान यह अवलोकित किया गया कि परियोजना की पूर्ति में

लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

3.3.3 पहले से ही सुरक्षित पेय जल मुहैया करवाए गए गांवों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

पेय जल आपूर्ति किए जाने वाले चौतीस गांव जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु चयन किए गए थे परन्तु शुद्ध जल की सुविधा का लाभ उठाने में ग्रामीण की समुचित प्रतिक्रिया ने इन संयंत्रों पर किए गए ₹ 4.21 करोड़ के व्यय को निष्फल बना दिया।

हरियाणा में जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेय जल आपूर्ति करने के विचार से, राज्य सरकार ने, तीन जिलों के चयन किए गए 100 गांवों (कैथल-30, झज्जर-35 तथा महेन्द्रगढ़-35) के लिए रिवर्स ओसमोसिस एवं सम्बन्धित प्रौद्योगिकी पर आधारित एक परियोजना ₹ 11.25 लाख प्रति संयंत्र की दर पर ₹ 11.25 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत की (जुलाई 2008)। सभी उपकरणों एवं भण्डारण प्रणाली के साथ सुरक्षित पेय जल संयंत्रों के प्रतिष्ठापन एवं चालू करने का कार्य जुलाई 2008 में ₹ 11.25 करोड़ में मैसर्स नदी फाऊंडेशन को आबंटित कर दिया। सामुदायिक जल प्रणाली के परिचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा अनुबद्ध सेवा प्रभागों के संग्रहण तथा सुरक्षित पेय जल तथा हाइजीन कानसेप्टस बढ़ाने हेतु गतिविधियां करने के लिए एजेंसी जिम्मेदार थी। प्रथम वर्ष के दौरान फिल्टरड प्योरीफाईड जल हेतु प्रभार ₹ 0.10 प्रति लीटर, आपसी समझौते के साथ आगे संशोधन के अध्याधीन निर्धारित किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग द्वारा ट्यूबवैल इत्यादि ड्रिल करवा कर अपरिष्कृत जल का स्रोत प्रदान किया जाना था। गांव, पी.एच.ई. विभाग द्वारा एजेंसी के परामर्श से चयन किए जाने थे।

समझौता नोट की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, ₹ 11.25 करोड़ का भुगतान एजेंसी को समान राशि की बैंक गारंटियों के प्रस्तुतिकरण पर दो किशतों में किया गया। ₹ सात करोड़ की प्रथम किशत एजेंसी को नवम्बर 2008 में दी गई तथा ₹ 4.25 करोड़ की दूसरी किशत अक्टूबर 2009 में दी गई। एजेंसी ने अक्टूबर 2010 तक चयन किए गए तीन जिलों में 100 जल शुद्धिकरण संयंत्र प्रतिष्ठापित कर दिए।

पी.एच.ई. डिवीजन, कैथल, झज्जर एवं बहादुरगढ़ की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2010 तथा जनवरी 2011) के दौरान यह अवलोकित किया गया कि 34 गांवों (कैथल-13, झज्जर-4 तथा बहादुरगढ़-17) में जहां, नलकूप आधारित जलापूर्ति को पहले ही नहर आधारित जलापूर्ति के साथ परिवर्तित कर दिया गया था, में जल शुद्धिकरण संयंत्र प्रतिष्ठापित किए गए थे। सुरक्षित पेय जल की पर्याप्त मात्रा 40 एवं 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) इन गांवों को आपूर्ति की जा रही थी। शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के बाद भी बहुत कम गांव" इन संयंत्रों से जल प्रयोग कर रहे थे। इस प्रकार, शुद्धिकरण संयंत्र के प्रतिष्ठापन हेतु

21 गांवों में, शुद्धिकरण संयंत्रों से जल प्रयोग करने वाले ग्रामीणों की प्रतिशतता पांच से कम थी, सात गांवों में प्रतिशतता पांच और दस के मध्य श्रृंखलित थी, तीन गांवों में यह दस और 20 के मध्य थी तथा तीन गांवों में प्रतिशतता 20 और 28 के मध्य श्रृंखलित थी।

इन गांवों का चयन आवश्यकता आधारित नहीं था तथा 34 शुद्धिकरण पम्पों/संयंत्रों के प्रतिष्ठापनों पर किया गया ₹ 4.21 करोड़ का व्यय अधिकांश निष्फल था।

इसके इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई. डिवीजन, कैथल एवं झज्जर ने सूचित किया (मार्च एवं मई 2011) कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पर्याप्त अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता के कारण ये संयंत्र प्रतिष्ठापित किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 40 और 70 एल.पी.सी.डी. के मध्य श्रृंखलित जल की पर्याप्त मात्रा इन गांवों को नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति की जा रही थी। ई.ई., पी.एच.ई. मण्डल, बहादुरगढ़ ने प्रयोगकर्त्ताओं की अल्प प्रतिक्रिया, इन गांवों में नहर आधारित जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे सुरक्षित पेय जल को आरोपित की (जनवरी 2011)।

इस प्रकार, जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु गांवों के चयन, जहां नहर आधारित स्कीमों के माध्यम से सुरक्षित पेय जल आपूर्ति किया जा रहा था, के परिणामस्वरूप ₹ 4.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। ये लाभ अन्य गांवों को, जहां भूमि जल पीने योग्य नहीं था, दिए जा सकते थे।

मामला वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शाखा को अप्रैल 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

3.3.4 निष्क्रिय सीवरेज स्कीम

सिवानी कस्बे के लिए, ₹ 2.99 करोड़ व्यय करके निर्मित सीवरेज स्कीम, निपटान बिंदु के अनिर्माण तथा रिहायशियों को सीवर कनेक्शनों की अप्रदानगी के कारण निष्क्रिय रही।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई (दिसम्बर 1993) सीवरेज, सीवेज एवं उपचार पर नियमावली ने प्रावधान किया कि व्यर्थ जल संग्रहण, उपचार एवं निपटान प्रणालियां डिजाइन करते समय योजना सामान्यतः अन्तिम निपटान बिंदु (अन्तिम छोर) से पीछे की ओर जाते हुए, टोपोग्राफी एवं उपलब्ध हाइड्रोलिक शीर्षों, यदि अनिवार्य हो तो पम्पिंग द्वारा आपूर्ति, के अनुकूल संघटित एवं आशापूर्ण डिजाइन आरम्भ किया जाना था।

भिवानी जिले में सिवानी कस्बे में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के विचार से राज्य सैनिकी बोर्ड, हरियाणा ने ₹ 5.71 करोड़ की एक स्कीम जुलाई 2007 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की। अनुमान में स्त्रीनिंग चैम्बर, संग्रहण टैंक, पंप चैम्बर, चारदीवारी के निर्माण तथा पम्पिंग मशीनरी, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तथा स्टोनवेयर पाइप सीवर लाइनज बिछाने, निपटान स्थल पर निपटान बिंदु इत्यादि के लिए प्रावधान किया गया। अनुमान में, निपटान स्थल के लिए 2.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान सम्मिलित था। अनुपचारित सीवरेज जल का कच्चा सलेज अपवाहिका के माध्यम से सिंचाई हेतु खेतों में निपटान किया जाना था। फिर भी घरेलु सीवरेज के साथ औद्योगिक निस्सरणों के मिलने से सीवरेज जल ई.ई., पी.एच.ई. मंडल, तोशाम द्वारा फसलों के लिए हानिकारक माना गया। अतः, सीवरेज उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) के निर्माण हेतु अन्य अनुमान ₹ 4.55 करोड़ के लिए प्रमुख अभियंता को जनवरी 2006 में

भासना विनियमन एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका शाला) चण्डीगढ़ को मई 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

निर्दिष्ट सीवरज स्कीम निष्कष रही तथा नगरवासी सीवरज सुविधाओं से वंचित रहे। इसके अलावा, सीवर लाइन बिछाने तथा निपटान बिर्द के निर्माण के लिए पूर्ण भूमि अधिग्रहण

एवं अस्वास्थ्यकर था।

का निर्माण अनुमोदित नहीं किया था यद्यपि खले क्षेत्र में निपटान फसलों के लिए दानिकारक बिछाने बिना कार्य आरंभ किया गया था। विभाग ने सीवरज वेस्ट के निपटान हेतु एस.टी.पी. उत्तर में दर्शाया गया कि निपटान बिर्द के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण तथा सीवर लाइन

निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने हेतु कायदाहीन अंशों की जानी थी। भूमि परन्तु निपटान बिर्द पर पञ्चम श्रेणीय प्रतिष्ठापित अंशों की जानी थी। एस.टी.पी. के बिछाने की गई थी। उसने आगे बताया कि निपटान बिर्द के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई कलीप्रेस की विनियमन से प्राप्त की गई थी। सीवर के कुछ हिस्से को छोड़ कर, सीवर लाइन से इसके इतिहास किए जाने पर (अगस्त 2010), ई.ई. ने बताया (अप्रैल 2011) कि वन विभाग से

परिणामस्वरूप, सीवरज स्कीम मार्च 2011 की अधीन रही। की प्रस्तुत (फरवरी 2006) प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया था (मार्च 2011)। इसके बिना कार्य आरंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त, एस.टी.पी. के निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता बिना तथा सीवर लाइनें बिछाने के लिए वन विभाग एवं एच.बी.बी.वी.एन. से कलीप्रेस प्राप्त किए (अगस्त 2010) ने प्रकट किया कि विभाग ने, निपटान बिर्द के लिए भूमि का अधिग्रहण किए कायदाहीन अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग, लोडान, लोडान के अभियंता की संस्था

का व्यय किया गया था।

मीजिंगों के कारण कार्य अधूरा छोड़ दिया। फरवरी 2011 तक कार्य पर कुल ₹ 2.99 करोड़ जो हरियाणा विजली विभाग (एच.बी.बी.वी.एन.) द्वारा प्रोफ्ट की जानी अपेक्षित थी, की भूमि की अनुपलब्धता तथा कुछ हिस्से, जो वन विभाग द्वारा अधिग्रहित थे तथा विद्युत लाइनों, ₹ 1.53 करोड़ का कार्य उपलब्ध होना पर निर्भरित किया तथा निपटान बिर्द के निर्माण हेतु अन्तर अर्थात् फरवरी 2010 तक पूर्ण किया जाना था। एप्रैल 2010 तक निर्माण, सीवर लाइन का बिछाना तथा तस्वीरों सही अन्य आकस्मिक का कार्य 12 माह के ₹ 2.17 करोड़ की लागत पर एक एप्रैल की दिया गया (फरवरी 2009) "निपटान बिर्द का

इस अनुमान में 9.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान भी था। अनुमोदनायु प्रस्तुत किया गया जो अब भी अनुमोदित किया जाना बाकी है (अप्रैल 2011)।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

3.3.5 संघटित हाऊसिंग एवं स्लम विकास कार्यक्रम - आशियाना

योग्य आवेदकों की सूची के अन्तिम न करने के कारण ₹ 62.01 करोड़ व्यय करके पंचकूला में निर्मित 2,072 आवासीय इकाइयां दो वर्षों से खाली पड़ी थी। अम्बाला में, 1,640 इकाइयों का निर्माण, ₹ 55.49 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी गलत स्थान चयन के कारण, पूर्ण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, झुग्गी वासियों के पुनर्वास तथा सरकारी भूमि खाली करवाने का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे ₹ 117.50 करोड़ का व्यय निष्फल बन गया।

3.3.5.1 प्रस्तावना

स्लम वासियों को मूल सुविधाओं के साथ स्वास्थ्यकर लिविंग स्पेस प्रदान करने के विचार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने, 'संघटित हाऊसिंग तथा स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई.एच.एस.डी.पी.)' 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)' भारत सरकार (जी.ओ.आई.), शहरी निर्धनता उन्मूलन एवं हाऊसिंग मंत्रालय की स्कीम के अन्तर्गत आशियाना परियोजना अनुमोदित की (दिसम्बर 2006)। स्कीम के अन्तर्गत, हुडा द्वारा दो कमरे वाले मकानों का, या तो सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के साथ 20 वर्षों में भुगतान की जाने वाली मासिक किश्तों के भुगतान पर या सरकार द्वारा निर्णीत योग्यता मानदण्ड¹² पर आधारित मासिक लाइसेंस फीस पर, आबंटन करने हेतु, विभिन्न शहरी सम्पदाओं में निम्न लागत आवासीय इकाइयां निर्मित की जानी थी। वरीयता सरकारी/हुडा भूमि के अतिक्रमणकर्त्ताओं को दी जानी थी जो दीर्घ समय से विद्यमान झुग्गी/झोपड़ी कालोनी के विनियमन तथा निष्कासन से पूर्व विकल्पी शेल्टर प्रदान करने हेतु न्यायालों में चले गए थे।

मुख्य प्रशासक, हुडा पंचकूला कार्यकारी अभियंता, हुडा डिवीजन, अम्बाला के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2010 तथा जनवरी 2011) ने निम्न अनियमितताएं प्रकट की:

3.3.5.2 आवासीय इकाइयों के अनाबंटन के कारण निधियों का अवरोधन

पंचकूला में, 7,114 झुग्गी वाले स्लमस के 13 समूहों को तीन चरणों में पुनर्वासित करने हेतु आयोजना बनाई गई। प्रथम चरण में, 2,072 झुग्गी मालिकों को सैक्टर 20, 26, 28 एवं

¹² (i) न्यायालय मामलों के अपीलकर्त्ताओं को प्रथम वरीयता जिन्होंने 19 अप्रैल 1999 को पांच वर्षों से अधिक समय से हुडा भूमि को अप्राधिकृत रूप से अधिकृत की हुई थी।
(ii) द्वितीय वरीयता उन आवासियों/अधिभोक्ताओं को, जो 03 अप्रैल 2008 को पांच वर्षों से अधिक समय से हुडा भूमि का अप्राधिकृत रूप से अधिभोग कर रहे थे।
(iii) तृतीय वरीयता उन आवासियों/अधिभोगियों को, जो 01 अप्रैल 2003 को सरकारी/सरकारी एजेंसी भूमि का अप्राधिकृत रूप से अधिभोग कर रहे थे।
(iv) तत्पश्चात् अप्राधिकृत अधिभोगी जिन्होंने हुडा/सरकारी/सरकारी एजेंसी भूमि का अतिक्रमण किया जिसने सड़क, जलपूर्ति, सीवेज, पुल इत्यादि आवश्यक सेवाओं को प्रभावित किया।
(v) शेष आवासीय इकाइयां, योग्य की-पीएल आवेदकों को लॉटस के डू द्वारा आबंटित की जानी थी जैसा कि जिला शहरी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।


सैक्टर 33 में) किया गया परन्तु स्कीम अर्पण रही। कायदासी अभियान, डेडा, डिवाजन,



करोड़ सैक्टर 34 में तथा ₹ 21.27 करोड़ था। ₹ 55.49 करोड़ का व्यय (₹ 34.22 तथा विद्युत खम्बों के साथ गार्डरूँड वाला क्षेत्र जा सका क्योंकि आर्बिटीन स्थल लाला, वृक्ष किए गए। फिर भी, कार्य पूर्ण नहीं किया 15 माह की समय सीमा के साथ, आर्बिटीन एवं ₹ 23.59 करोड़ के लिए, पूर्ति हेतु सितम्बर 2008 में क्रमशः ₹ 36.87 करोड़ कार्य एक एजेंसी को जुलाई 2008 तथा के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए।

3.3.5.3 स्कीम की पूर्ति में असामान्य विन्यास

नवम्बर 2008 में ₹ 36.45 करोड़ एवं ₹ 24.06 करोड़ हेतु, क्रमशः सैक्टर 34 एवं सैक्टर 33 में) के निर्माण हेतु मुख्य अभियाना, डेडा, पंचकाला ने दो रूप लागत अनुमान फरवरी तथा अम्बाला में, 1,640 बहुमंजिल आवासीय इकाइयों (1,000 सैक्टर 34 में तथा 640 सैक्टर 33 आर्बिटीन की जाएगी। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था (अगस्त 2011)।



कि योग्य आवेदकों के अन्तिमकरण के पश्चात आवासीय इकाइयों लॉन्स के डेडा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया था। उत्तर में, सम्पदा अधिकारी, डेडा, पंचकाला ने बताया (अप्रैल 2011) करवाने हेतु मकानों के निर्माण का प्रयोजन ₹ 62.01 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी आधिकारिकताओं की पुनर्वासित करने तथा अधिकमणकताओं से सरकारी भूमि खाली किया गया था। योग्य लाभग्राहियों की सूची के अन्तिमकरण के कारण निर्माण के दो वर्ष तीन कारोबारियों में कुल 875 आवेदक योग्य पाए गए। कम्प्लेटी का अन्तिम निर्णय यद्यपि नहीं आवेदकों की योग्यता निष्पत्ति एवं संवीक्षा हेतु एक कम्प्लेटी गठित की गई (अप्रैल 2010)।

पंचकाला की अध्यक्षता के अधीन हुए थे। अतिरिक्त उत्पायकत, थे तथा 3,339 आवेदन पत्र प्राप्त तथा पुनः अप्रैल 2010 में मांगे गए हेतु आवेदन पत्र जनवरी 2009 इन आवासीय इकाइयों के आर्बिटीन जून 2009 में पूर्ण किए गए थे। ₹ 62.01 करोड़ का व्यय करके निर्धारित करवाये गए तथा कार्य पांच ठेकेदारों के माध्यम से

(1) अनाज मण्ड्री सेक्टर 8, अन्बाला शहर, (ii) रेलवे और बिजुल के नीचे, अन्बाला शहर तथा (iii) अन्बाला मॉडर्न ग्रामी कालोनी, अन्बाला शहर।

13

मासाला विनियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (मई 2011) को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

खाली करवाने के प्रयोजन की अप्रार्थित के अतिरिक्त ₹ 55.49 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इस प्रकार, आवासीय इकाइयों के लिए स्थल के मालक यथन से यथिमत्त मांग के निधारण बिना स्कीम को आरम्भ करने के परिणामस्वरूप स्लम-वासियों को पुनर्वासित करने एवं सरकारी भूमि खाली करवाने का व्यय निष्फल हुआ।

हुई।

सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि उच्चतर लागत तथा आवासीय इकाइयों के रै स्थल होने के परिणामस्वरूप इकाइयों के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए स्लम-वासियों की अप्रार्थितकिया

- आवासीय इकाइयों की लागत (₹ 3.41 लाख) 99.5 प्रतिशत (180 स्लम-वासी में से 179) की भूगतान क्षमता से बाहर थी।
- आवासीय इकाइयों की लागत (₹ 3.41 लाख) 99.5 प्रतिशत (180 स्लम-वासी में से 179) की भूगतान क्षमता से बाहर थी।
- 99.5 प्रतिशत (180 स्लम-वासियों में से 179) आबंटन के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि आवासीय इकाइयों उनके कार्य क्षेत्र से काफी दूर थी।
- 89 प्रतिशत (180 स्लम-वासियों में से 160) उनके पुनर्वास हेतु निर्मित 1,640 आवासीय इकाइयों की स्कीम से अनभिज्ञ थे।

सर्वेक्षण में कुल 180 निवासियों (12 प्रतिशत) ने भाग लिया जिन्होंने प्रकट किया कि: ग्रामी भूपांडियों से समायुक्त तीन "ग्रामी भूपांडी कालोनियों का सर्वेक्षण किया (अगस्त 2011)। अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण, अन्बाला की एक संयुक्त टीम ने अन्बाला में 1,455 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा अतिरिक्त उपयुक्त-सह-सूच्य कार्यकारी स्लम-वासियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। स्थिति के निधारण हेतु कार्यालय प्रधान विच्छेद गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से केवल 445 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। परन्तु 1,640 आवासीय इकाइयों के आबंटन हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किए (अप्रैल 2010) जिसके संवीक्षा ने आगे प्रकट किया कि सम्पदा अधिकारी, हंडा, अन्बाला ने स्लम-वासियों को उपयुक्त

कार्य अपूर्ण रहा।

2011)। इस प्रकार, 1,640 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु स्थल के मालक यथन के कारण कि कार्य बहुत जल्दी पूर्ण करवा लिया जाएगा। परन्तु कार्य अब भी प्रगति में था (जून अन्बाला ने आवासीय इकाइयों की पूर्ति में विनम्र स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2011)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.3.6 कृषकों को भुगतान किए गए बोनस की वापसी का दावा करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

2008 की खरीफ ऋतु के लिए कृषकों को दिए गए बोनस का रिफण्ड दावा समयपूर्व करने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विफलता तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिफण्ड में विलम्ब के परिणामस्वरूप सरकार को ब्याज के कारण ₹ 2.04 करोड़ की हानि हुई।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (एफ.एस.डी.), हरियाणा, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मण्डियों से धान प्रापण करता है। तथा इसे मिल करवाने के पश्चात् परिणामी चावल एफ.सी.आई. को निर्धारित सारणी के अनुसार वितरित करता है। भारत सरकार (जी.ओ.आई.), मिल्ड चावल व्यापार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.), सांविधिक प्रभार तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार निर्धारित करता है। इन दरों के आधार पर विभाग, चावल की सुपर्दगी के पश्चात् अनाजों की लागत तथा अन्य प्रभारों का प्रतिपूर्ति दावा एफ.सी.आई. से करता है।

चूंकि एफ.सी.आई. को वितरित स्टॉक में आवेष्टित निधियों की बृहद् राशि थी तथा वसूली में कोई विलम्ब सरकार की अर्थोपाय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करेगी, सरकार ने समय-समय पर बल दिया कि एफ.सी.आई. को वितरित स्टॉक हेतु भुगतान उनसे, बिना किसी विलम्ब प्राप्त किए जाने चाहिए। संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) द्वारा सुनिश्चित किया जाना था कि डिस्पैच किए गए स्टॉक हेतु दस्तावेज/बिल जो एफ.सी.आई. को स्टॉक के डिस्पैच/वितरण के प्रतिदिन (सायंकाल में) सर्वकल कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते थे, एफ.सी.आई. को उनके कार्यालय में अगले दिन प्रस्तुत किए जाते थे तथा तदनु रूप भुगतान, उरी दिन बैंकिंग समय में, इससे प्राप्त किए जाते थे। खरीफ विपणन ऋतु 2008-09 के दौरान धान के क्रय हेतु सरकार ने ₹ 215.96 करोड़ का नकद ऋण संस्वीकृत किया जिसके विलम्ब विभाग ने ₹ 200 करोड़ की नकद ऋण सीमा का लाभ उठाया।

जी.ओ.आई. ने खरीफ ऋतु 2008 के लिए एम.एस.पी. के ऊपर धान पर ₹ 50 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस घोषित किया (अक्टूबर 2008)। प्रोत्साहन बोनस का भुगतान इस शर्त से अध्यधीन था कि सरकार बोनस को वैट सहित सभी राज्यकरों एवं उद्यहणों से छूट देगी। राज्य एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना था कि बोनस की राशियां वस्तुतः कृषकों को भुगतान की गई थी।

पांच डी.एफ.एस.सीज¹⁴ की लेखापरीक्षा (अक्टूबर/नवम्बर 2009) के दौरान यह अवलोकित किया गया कि खरीफ सीजन 2008 के दौरान प्राप्त किए गए धान के विलम्ब कृषकों को ₹ 22.06 करोड़ की राशि के बोनस का भुगतान किया गया। कृषकों को प्रदत्त बोनस की प्रतिपूर्ति हेतु दावे, जो एफ.सी.आई. को 31 मार्च 2009 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे,

¹⁴

अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

इस प्रकार, उत्तर ने दर्शाया कि कल्याण स्कीमों पर लाभ व्यय करने हेतु कोई सही पंजाबली माइलिटेज संचित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप कार्मिकों हेतु कल्याण स्कीम चलाने के नहीं थी। चार वर्षों के दौरान अनुसूचित कल्याण स्कीमों की कार्यान्वित करने हेतु लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

अधिक लाभग्राहियों की विभिन्न कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत लाभ दिए गए थे। की पूर्ति के पश्चात् अपने वैयक्तिक स्थानों को लौट जाते थे। उसने आगे बताया 2,500 से रहे थे क्योंकि निर्माण कार्यों में संचित अधिकार कार्मिक अन्य राज्यों से थे जो परियोजनाओं लगा रहा था, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित कर रहा था। तथापि, लाभग्राही आगे नहीं आ जाते थे। बोर्ड, रेडियो रिपोर्टों के प्रसारण के अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स/बैनर सजावन, कार्मिकों के मध्य जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें पंजीकृत करवाने हेतु, संचित किए विभाग, यण्डोगढ़ ने संचित किया (अप्रैल 2011) कि स्कीमों को बर्खास्त देने हेतु, गैर सरकारी इसके इतिहास किए जाने पर, वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार

भी कार्यान्वित नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, अन्य कल्याण स्कीमों बोर्ड की स्थापना के साठे चार वर्षों से अधिक अवधि के बाद

- 19 में से केवल चार कल्याण स्कीमों (मृत्यु एवं प्यूनरल स्कीम, चल हिस्सेसी बैंक, क्रेडिट एवं मीबाइल शोचालय) कार्यान्वित की जा रही थी।
- 2011 तक केवल दो कार्मिकों ने, मृत्यु एवं प्यूनरल स्कीम के अंतर्गत ₹ 2.10 लाख का लाभ प्राप्त किया था।
- 33,646 में से केवल 17,552 भवन एवं निर्माण कार्मिक 2007-08 से 2011-12 (जुलाई 2011 तक) के दौरान पंजीकृत किए गए थे।

गडगांव - I क्षेत्र में जांच ने प्रकट किया कि:

अध्याय 4

सरकारी विभाग की कार्यविधि

सरकारी विभाग की कार्यविधि

पशुपालन एवं डेरी - उद्योग विभाग

4.1 पशुपालन एवं डेरी - उद्योग विभाग की कार्यविधि

विशिष्टताएं

पशुपालन एवं डेरी विभाग के मुख्य उद्देश्य, देशी नस्लों के उत्थान एवं संरक्षण, पशु आहार की नियंत्रित गुणवत्ता, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों और डेरी व्यवसाय के माध्यम से स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए पशुधन हेतु स्वास्थ्य देख रेख तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना है। विभाग की कार्यविधि की लेखापरीक्षा में प्रकट किया कि दुग्ध, अण्डे एवं ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित किए गए थे लेकिन 2007 की पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की संख्या को बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए। निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखने; उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अग्रप्राप्ति; सुर्गीपालन, सुअर पालन तथा डेरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मन्द गति और पशु आहार, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण के दृष्टान्त थे इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा संस्थाओं के निर्माण, मरम्मत और नवीकरण से संबंधित कार्यों के निष्पादन में पर्याप्त विलम्ब था।

निष्पादन अभिकरणों से ₹ 20.47 करोड़ के व्यय के विवरण प्राप्त किए बिना ₹ 35.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिए गए थे।

(अनुच्छेद 4.1.7.4)

विभाग द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं विशर्तों की अपर्याप्त छानबीन के कारण 1,128 लाभभोगियों में से 281 लाभभोगी पशुधन बीमा दावे प्राप्त नहीं कर सके थे।

(अनुच्छेद 4.1.7.6)

सुरोह विकास योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को ₹ 2.73 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अधिक दी गई थी।

(अनुच्छेद 4.1.8.2)

प्रतिस्पर्धात्मक दरों के प्राप्त करने में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं बिना ₹ 14.35 करोड़ की लागत पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं बाह्य स्रोत से थीं।

(अनुच्छेद 4.1.8.3)

सरकार ने जनवरी 2000 में पशुधन प्रजनन कार्यक्रम बंधन जिसमें मुख्यतः मवेशी एवं भैंसों का विकास गांधी आदि का विचार एवं कथ शामिल था, हेतु हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड (एच.एन.डी.बी.) स्थापित किया।

- स्व-रोजगार हेतु देशी व्यवसाय को प्रोत्साहन।
- पशु चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार; और
- पशु आहार, दूध एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण;
- देशी नस्लों का उत्थान एवं संरक्षण;
- उत्पादकता को बढ़ाने हेतु गुणवत्ता प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना;
- पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख तथा निदान सुविधाएं प्रदान करना;

विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं:

पशुपालन तथा देशी विभाग राज्य के कोमती पशुधन के लिए स्वास्थ्य देख-रेख तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान के लिए उत्तरदायी है। विभाग पशुपालन विभाग से संबंधित सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है और राज्य सरकार तथा भारत सरकार अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है (परिशिष्ट 4.1.1)।

4.1.1 प्रस्तावना

(अनुच्छेद 4.1.11)

विभाग की मॉनीटरिंग प्रभावी नहीं थी और आन्तरिक लेखापरीक्षा विधि विद्यमान नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.1.9.1)

लोक निर्माण विभाग के बजट तीन मुख्य कार्य हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन को सौंपे गए थे, फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.1.8.9)

संयुक्त पशु आहार के विनिर्माताओं/व्यापारियों के नोडर्सों के नवीकरणा पर निगरानी तथा दूध एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए दूध संयंत्रों से नमूना लेने हेतु कोई विधि विकसित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.1.8.8)

उत्तम तकनीक वाणिज्यिक देशी योजना के अन्तर्गत 1,100 देशी इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 445 इकाइयां स्थापित की गई थी।

सिद्धि पर्याप्तिकासा आध्यात्मिक: 364, सिद्धिकासा-सह - प्रजनन केन्द्र: 509, क्षेत्रीय कृषि मन्त्रालय केन्द्र: 60; सिद्धि पर्याप्तिकासा आध्यात्मिक: 1,040; स्ट्रिकीन केन्द्र: 744; सीमन बँक: 13 तथा अन्य: 59.

- राज्य और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी अधिसूचना और विनिर्देश;
 - पंचवर्षीय योजना प्रलेख और वार्षिक कार्य योजनाएं;
- लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न थे:

4.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

- आन्तरिक नियंत्रण समर्पित था और मॉनिटरिंग, आन्तरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता व्यवस्थाएं प्रभावी थीं।
 - मानव शक्ति प्रबंधन समर्पित एवं प्रभावी था; और
 - विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन प्रभावी था;
 - वित्तीय प्रबंधन प्रभावी एवं दक्ष था;
 - प्रबंधन विकास के लिए परिट्यूब एवं वार्षिक योजना बनाई गई थी;
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य मूल्यतः यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि:

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

संस्थान नहीं खोला गया। 314 थी, जो अर्धवत् 2008 में बंद कर 2789 हो गई। मार्च 2011 तक उसके पञ्चात् कोई 1966 में हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के समय पञ्च विकल्पा संस्थानों की संख्या मात्र 21 उपनिदेशक और 47 उप मण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ) हैं। विभाग द्वारा अम्बाला और तथा गौशाला विकास अधिकारी द्वारा उसकी सहायता की जाती है। क्षेत्र में जिला स्तर पर है। पंचकला स्थित मखालय पर एक सूर्यकत निदेशक (जे.डी.ओ.) पांच उपनिदेशकों (डी.डी.ओ.) क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। महानिदेशक (डी.जी.) विभागामध्यक्ष तथा मूल्य नियंत्रण अधिकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रथान है और पञ्चपालन तथा डेरी से संबंधित नितियों, कार्यकर्मों/स्कीमों के वित्तियकत एवं प्रथान सचिव, हरियाणा सरकार (एफ.सी.पी.सी.) पञ्चपालन एवं डेरी विभाग, राज्य

4.1.2 सांठानात्मक ढांचा

विभाग ने 31 स्कीमों क्रियान्वित की जिसमें से 17 राज्य योजनागत, 10 केन्द्रीय प्रायोजित तथा चार केन्द्रीय योजनागत (हिस्सा आधारित) स्कीमों थी (पारिशिष्ट 4.2)।

- सरकार के अधिनियम, नियम तथा विनियम और विभागीय नियमावली;
- पंजाब बजट नियमावली के प्रावधान और पंजाब वित्त नियम/कोषालय नियम जो हरियाणा द्वारा अपनाए गए; और
- विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग, आन्तरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

4.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

विभाग की कार्यविधि से संबंधित 2008-11 वर्षों के लिए अभिलेख की नमूना-जांच पंचकुला स्थित डी.जी. के कार्यालय और में से 26 क्षेत्र कार्यालयों (परिशिष्ट 4.3) में की गई।

अप्रैल 2011 में एफ.सी.पी.एस., पशुपालन एवं डेरी विभाग तथा डी.जी. के साथ एक आरम्भिक सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदण्ड लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। अगस्त 2011 में एफ.सी.पी.एस. तथा डी.जी. पशुपालन एवं डेरी विभाग के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई थी निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग के अधिकारियों के मतों को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

4.1.6 योजना

4.1.6.1 पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाएं

पशुधन की संख्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

विभाग ने अपने ध्येयों एवं उद्देश्यों की उपलब्धियों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के संदर्भ में अपनी गतिविधियों (परिशिष्ट 4.4) की योजना बनाई। वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये गये थे जिनमें विभिन्न गतिविधियों के लिए लक्ष्य नियत किये गये थे तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बजट अनुमान तैयार किये गये थे। यह देखा गया की क्षेत्र में विद्यमान पशु चिकित्सा मूल संरचना के निर्धारण हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आगे, वार्षिक योजनाएं जिला कार्यालयों से फीड बैक पर आधारित नहीं थी। डी.जी. ने बताया (जून 2011) कि मानव-शक्ति, सामग्री और विद्यमान पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना की आवश्यकता के सम्बन्ध में न तो विस्तृत डाटाबेस उपलब्ध था और न ही आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये सर्वेक्षण संचालित किया गया था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की छानबीन ने प्रकट किया कि विभाग ने दुग्ध, अण्डे और ऊन के उत्पादन के संबंध में भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए थे लेकिन पशुधन की संख्या में वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। यह देखा गया कि अन्तिम पशुधन गणना 2007 के अनुसार

भैंस, भेड़ और ऊँटों आदि की संख्या में कमी थी। तथापि, मुर्गी और अन्य जानवरों की संख्या दो गुणी थी जैसा कि नीचे विवरणित है:

तालिका: 1 पशुधन, मुर्गी तथा अन्य जानवरों की स्थिति

क्र.सं.	वर्ग	17वीं पशुधन गणना 2003 के अनुसार (हजारों में)	18वीं पशुधन गणना 2007 के अनुसार (हजारों में)	वृद्धि (+) कमी (-) (हजारों में)
पशुधन				
1	पशु	1,540	1,552	(+) 12
2	भैंस	6,035	5,953	(-) 82
3	भेड़	633	601	(-) 32
4	बकरी	460	538	(+) 78
5	सुअर	120	134	(+) 14
6	ऊँट	50	39	(-) 11
7	अन्य (घोड़े, एट्ट, खच्चर, गधे तथा कुत्ते)	605	233	(-) 372
कुल पशुधन		9,443	9,050	(-) 393
8.	मुर्गी तथा अन्य जानवर	13,619	28,785	(+) 15,166

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

विभाग को राज्य में पशुधन की संख्या बढ़ाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए थे। विभाग के पास पशुधन की संख्या से संबंधित उपलब्ध अन्तिम आंकड़ा मात्र 2007 का था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि विभाग का जोर पशुधन की गुणवत्ता के सुधार पर था न कि संख्या बढ़ाने पर। समापन सम्मेलन के दौरान यह भी बताया गया कि पशुधन की संख्या में कमी के बावजूद पशु उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई थी। तथापि, यह महसूस किया गया कि आगे आने वाले लम्बे समय में पशुधन की संख्या में वृद्धि के बिना दुग्ध, ऊन आदि के उत्पादों में वृद्धि संभव नहीं होगी।

4.1.7 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

बजट प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक वित्तीय कार्य सूची निर्धारित करता है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस लिए यह अनिवार्य है कि बजट की तैयारी पूर्ण सावधानी व कर्मिष्ठता से व्यक्त हो। सुस्पष्ट प्रतिपादित लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की प्रगति मानीटर करना महत्वपूर्ण प्रबंधन निरीक्षण कार्य है। अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप न केवल दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का अक्षम उपयोग होता है बल्कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधा डालता है।

4.1.7.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

पंजाब बजट नियमावली, जो हरियाणा द्वारा अपनाई गई है, के पैरा 5.3 के अनुसार सामान्य व्यय के लिए बजट प्राक्कलन जहां तक संभव हो ठीक ठाक बनाए जाने चाहिए। व्यय की समस्त मदें जिनका पूर्वाभास हो सके का प्रावधान किया जाना चाहिए उचित उप-शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए विभाग शीर्ष 2403-पशुपालन और 2404-डेरी विभाग के अन्तर्गत योजनागत और योजनेत्तर निधियां प्राप्त कर रहा था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से भी शीर्ष 2401 फसल पालन

के अन्तर्गत निधियां प्रदान की गई थी। 2008-11 के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय के विवरण निम्न प्रकार थे:

तालिका 2: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

	2008-09		2009-10		2010-11		योग	
	अन्तिम अनुदान / विनियोजन	व्यय	अन्तिम अनुदान / विनियोजन	व्यय	अन्तिम अनुदान / विनियोजन	व्यय	अन्तिम अनुदान / विनियोजन	व्यय
2403								
राज्य योजनागत	50.21	52.25	44.94	48.32	50.32	49.59	145.47	150.16
राज्य योजनान्तर	191.18	185.83	232.48	240.55	247.24	248.96	670.90	675.34
केन्द्रीय योजनागत	1.97	1.96	0.98	0.97	0.93	0.94	3.88	3.87
केन्द्रीय योजनागत हिस्सा आधारित	4.34	4.66	3.09	3.06	1.84	1.84	9.27	9.56
2404								
राज्य योजनागत	2.12	2.18	2.01	2.19	2.05	2.05	6.18	6.42
राज्य योजनान्तर	1.16	1.16	1.36	1.36	1.33	1.23	3.85	3.75
2401								
रा.कृ.वि.यो. (सहायतानुदान)	10.52	10.52	23.12	22.51	34.20	34.20	67.84	67.23
योग	261.50	258.56	307.98	318.96	337.91	338.81	907.39	916.33

स्रोत: विनियोजन लेखे।

डी.जी. ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि 2009-10 के दौरान अधिक व्यय मुख्यतः छोटे वेतन आयोग की अनुशंसा पर कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के कारण था जिसके लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं किया गया था। 2010-11 के दौरान बचत मुख्यतः एकीकृत मुराह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थी जिसके लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई थी। इसी तरह अन्य केन्द्रीय सहायतित स्कीम ए.एस.सी.ए.डी.² के अन्तर्गत ₹ 3.37 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि भारत सरकार द्वारा टीकों की आपूर्ति लागत रहित की गई थी। आगे, भेड़ एवं ऊन विकास स्कीम के अन्तर्गत ₹ 30 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के निर्मुक्त न करने के कारण थी।

4.1.7.2 निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखना

सरकारी लेखे से बाहर निधियां बैंक खातों में रखी गई थी।

पंजाब वित्त नियमावली, जो हरियाणा में लागू है, का अनुच्छेद 2.10 (ख)(5) प्रावधानित करता है कि कोषालय से कोई भी राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक इसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे वित्त विभाग ने समेकित निधि से धन राशि आहरित करने और किसी भी रूप में सरकारी लेखे से बाहर रखने पर रोक लगा दी थी (मार्च 2009)। यह देखा गया कि 18 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) ने विभिन्न स्कीमों से संबंधित निधियों को आवश्यकता के अग्रिम में कोषालय से आहरित किया था और उन्हें बैंक खातों में रखा था। ₹ 4.15 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर इन डी.डी.ओज (परिशिष्ट 4.5) के बैंक खातों में रही (अप्रैल 2010 और जनवरी 2011 के बीच) उन पर अर्जित ₹ 13.68 लाख की राशि का ब्याज बैंक खातों में पड़ा था। आवश्यकता के अग्रिम में निधियों का आहरण और उनको बैंक खातों में रखना वित्तीय नियमों की अवहेलना थी।

² पशु विमारियों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता।

4.1.7.3 अग्रिमों का असमायोजना

डी.जी. ने आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत ₹ 4.76³ करोड़ की राशि आहरित की थी (मार्च 2009 - मार्च 2010)। राशि एच.एल.डी.बी. तथा उपनिदेशक पशु पालन फतेहाबाद को कटड़ों की आपूर्ति, संगठित अध्ययन यात्रा, चार बीज फार्म हिसार के सुदृढ़ीकरण आदि हेतु अग्रिम में दी गई थी। डी.जी. को संबंधित अधिकारियों से व्यय का विवरण अव्ययित राशि, यदि कोई है, के अभ्यर्पण सहित व्यय का विवरण प्राप्त करना अपेक्षित था। अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान देखा गया कि निधियों आहरण के एक से दो वर्ष व्ययगत होने के बावजूद भी एच.एल.डी.बी./ उपनिदेशक पशुपालन फतेहाबाद से न तो अव्ययित राशि अभ्यर्पित करवाई गई थी और न ही व्यय का विवरण प्राप्त किया गया था जैसा कि नीचे विवरणित है:

- मार्च 2009 में आहरित ₹ 2.40 करोड़ की राशि एच.एल.डी.बी. को, मुर्हाह विकास स्कीम के अन्तर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु ली गई राशि के समायोजना हेतु दी गई थी। तथापि, एच.एल.डी.बी. के अभिलेख के अनुसार एच.एल.डी.बी. से प्राप्त अग्रिम की राशि मात्र ₹ 2.10 करोड़ थी। इस प्रकार बोर्ड को ₹ 0.30 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण था।
- मार्च 2009 में आहरित ₹ एक करोड़ की राशि एच.एल.डी.बी. को 400 उत्तम मुर्हाह कटड़ों की पंचायतों को आपूर्ति करने हेतु दी गई थी। तथापि, पंचायतों के विवरण जिन्हें कटड़े आपूर्ति किए गए थे न तो विभाग के पास और न ही एच.एल.डी.बी. के पास उपलब्ध थे।
- ₹ 13 लाख की राशि एच.एल.डी.बी. को पशुधन प्रदर्शनी लगाने (₹ छः लाख) और आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत अध्ययन यात्रा संगठित करने (₹ सात लाख) हेतु अग्रिम में दी गई थी (मार्च 2009)। यह देखा गया था कि ₹ 8.79 लाख की राशि अध्ययन यात्रा पर व्यय की गई और शेष ₹ 4.21 लाख की राशि एच.एल.डी.बी. के पास अव्ययित पड़ी थी।
- ₹ 13.77 लाख की राशि उपनिदेशक पशु-पालन एवं डेरी फतेहाबाद को अध्ययन यात्रा संगठित करने के लिए अग्रिम में दी गई थी (मार्च 2010)। तथापि, इस राशि के समायोजन हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था (अगस्त 2011)।
- ₹ 1.09 करोड़ की राशि हिसार में चार बीज फार्म के सुदृढ़ीकरण हेतु आहरित की गई थी (मार्च 2010)। इस में से ₹ 92.80 लाख की राशि चार दीवारी बनाने हेतु हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन (एच.पी.एच.सी.) के पास जमा करवा दी गई थी और शेष ₹ 16.20 लाख की राशि हरियाणा एगो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को उपकरणों की आपूर्ति हेतु अग्रिम में दी गई थी। तथापि, उन द्वारा अगस्त 2011 तक व्यय के विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

³

मार्च 2009: ₹ 3.63 करोड़ और मार्च 2010: ₹ 1.13 करोड़।

4.1.7.4 अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियां

विभाग हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एस.आर.डी.एफ.), बारहवे वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं पर राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं की मरम्मत एवं नवीकरण हेतु, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) के माध्यम से भारत सरकार और किसी महामारी एवं बिमारियों जो बाढ़/अतिवृष्टि आदि के कारण होती है, के रोगनाशक उपचार के विरुद्ध मवेशी धन की चिकित्सा देख-रेख हेतु निरोधी पशुचिकित्सा दवाइयों के क्रय हेतु राजस्व विभाग (शीर्ष: 2245 प्राकृतिक आपदाओं पर राहत) से भी निधियां प्राप्त करता है विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 3: अन्य स्रोतों से निधियां

(₹ करोड़ में)

		राजस्व विभाग	एच.आर.डी.एफ.	जी.ओ.आई.	योग
2008-09 से पहले	आबंटन	--	29.52	20.00	49.52
	व्यय	--	29.52	20.00	49.52
2008-09	आबंटन	0.30	--	10.00	10.30
	व्यय	0.30	--	10.00	10.30
2009-10	आबंटन	--	--	5.00	5.00
	व्यय	--	--	5.00	5.00
2010-11	आबंटन	1.00	2.00	4.00	7.00
	व्यय	1.00	2.00	4.00	7.00
योग	आबंटन	1.30	31.52	39.00	71.82
	व्यय	1.30	31.52	39.00	71.82

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त निधियों के वित्तीय प्रबंधन के अभिलेख की छान-बीन ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

- हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से प्राप्त निधियां

एच.आर.डी.एफ. बोर्ड ने 159 असुरक्षित एवं अमरम्मत योग्य भवनों के पुनर्निर्माण हेतु विभाग को ₹ 31.52⁴ करोड़ की निधियां प्रदान की (जुलाई 2007 से मई 2010)। अव्ययित राशि ब्याज सहित प्रबंधक निदेशक, एच.आर.डी.एफ. बोर्ड को वापिस की जानी थी।

डी.जी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि ₹ 31.52 करोड़ की समस्त राशि को बैंक खातों में रखा गया और जुलाई 2010 तक ₹ 89.91 लाख का ब्याज अर्जित किया। आगे ब्याज सहित राशि निधियों की प्राप्ति के दो से 8 माह के अन्तराल के पश्चात् कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों (ए.डी.सी.) को सवितरित की गई। संबंधित जिलों के ए.डी.सीज ने एक से तीन माह के अन्तराल के पश्चात् निधियों को कार्यकारी अभियन्ताओं, पंचायती राज को निमुक्त की और निधियों को बैंक खातों में रख कर ब्याज भी अर्जित किया। ए.डी.सी. पानीपत को छोड़ कर किसी भी ए.डी.सीज ने अर्जित ब्याज वापिस नहीं किया क्योंकि उन द्वारा पृथक बैंक खाता नहीं खोला गया था। नमूना-जांच किए गए जिलों में से छः कार्यकारी अभियन्ताओं, पंचायती राज ने भी ₹ 63.32⁵ लाख का ब्याज भी अर्जित किया।

⁴ जुलाई 2007: ₹ 29.52 करोड़ और मई 2010: ₹ दो करोड़।

⁵ अम्बाला: ₹ 7.17 लाख, भिवानी: ₹ 5.39 लाख, हिसार: ₹ 13.64 लाख (₹ 6.15 लाख ए.डी.सी. हिसार को वापस किए, कैथल: ₹ 16.35 लाख, करनाल: 16.17 लाख और कुरुक्षेत्र: ₹ 4.60 लाख।

न तो विभाग और न ही एच.आर.डी. एक बोर्ड ने अभिकरणों से अर्जित ब्याज वापिस करने को कहा। यहां तक कि निष्पादन अभिकरणों ने भी अपने आप उसे वापिस नहीं किया। यह अनियमित था और ब्याज एच.आर.डी.एफ. बोर्ड को वापिस किया जाना चाहिए था।

• बाहरवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के अनुदान

बाहरवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं के अनुसार विभाग ने 1,311 भवनों के सुधार हेतु 2006-11 के दौरान भारत सरकार से ₹ 39 करोड़ की राशि प्राप्त की। निधियां एच.एल.डी.बी. की व्यवस्था पर रखी गई थी और आगे संबंधित जिलों के ए.डी.सी.जे. के माध्यम से निष्पादन अभिकरणों को निर्मुक्त की गई थी।

विभाग के डी.जी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.जे.) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, निधियों के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किए बिना निष्पादन अभिकरणों को निर्मुक्त किए गए अनुदान के आधार पर, वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजे गए थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्र निष्पादन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय विवरण को जारी किए जाने थे।

आगे यह भी देखा गया कि 2006-10 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों में से बड़ी संख्या में व्यय के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4: लम्बित व्यय के विवरण दर्शाने वाली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां	पूर्ण हुए कार्य		अयवित राशि	न्यायालय प्रकरणों में लम्बित राशि	कुल लम्बित व्यय विवरण
		प्राप्त व्यय विवरण	अप्राप्त व्यय विवरण			
2008-09 से पहले	20.08	13.18	6.80	0.09	0.01	6.90
2008-09	10.05	1.25	8.80	-	-	8.80
2009-10	5.07	0.30	4.77	-	-	4.77
योग	35.20	14.73	20.37	0.09	0.01	20.47

निष्पादन अभिकरणों द्वारा ₹ 20.47 करोड़ के व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

स्रोत: महानिदेशक द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि ₹ 20.47 करोड़ के व्यय विवरण निष्पादन अभिकरणों के विरुद्ध लम्बित थे। इस प्रकार विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए प्रमाण-पत्र झूठे एवं दुर्निरूपक थे।

41.7.5 दुग्ध अधिभार वसूल करने में विफलता

बोर्ड के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मई 2010 में निर्णय के बावजूद ₹ 61.31 करोड़ का दुग्ध अधिभार वसूल करना शेष रहा।

सरकार ने हरियाणा मुराह भैंस अन्य दुग्ध पशु नस्ल (पशुपालन एवं डेरी विकास क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 2001 की धारा 6 के अन्तर्गत दुग्ध संयंत्रों पर 10 पैसे प्रति लीटर प्रति दिन की दर से अधिभार लगाया (सितम्बर 2001)। अधिभार संयंत्रों की लाईसेंसिंग क्षमता के आधार पर त्रैमासिक वसूल करना अपेक्षित था। समय पर अधिभार जमा न करवाने पर दो प्रतिशत दण्ड भी लगाया जाना था। एच.एल.डी.बी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि 27 दुग्ध संयंत्रों ने 2002-11 के दौरान ₹ 83.29 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ₹ 21.98 करोड़ का अधिभार जमा करवाया। इस प्रकार दुग्ध संयंत्रों से ₹ 61.31 करोड़ का अधिभार वसूल करना शेष रहा।

एच.एल.डी.बी. ने सूचित किया (फरवरी 2011) कि राशि वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि दुग्ध संयंत्र मालिक न्यायालय में चले गए थे, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जिसका निर्णय बोर्ड के पक्ष में मात्र मई 2010 में घोषित किया गया था और अधिभार की राशि को वसूल करने के प्रयास किए जा रहे थे। न्यायालय के मई 2010 में निर्णय के बावजूद राशि वसूल नहीं की गई (मार्च 2011)। डी.जी. ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि एफ.सी.पी.एस. ने सभी उपयोक्तों को अर्धशासकीय पत्रों द्वारा लिखा था कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दोषी दुग्ध संयंत्र मालिकों से अधिभार वसूल करने सहायता विस्तार करें।

4.1.7.6 पशुधन बीमा

भारत सरकार ने पशुधन मालिकों की, अपने पशुधन की मृत्यु के कारण किसी हानि से, रक्षा के उद्देश्य से एक पशुधन बीमा स्कीम चलाई थी। प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा स्कीम राज्य पांच जिलों के लिए मार्गदर्शी आधार पर अनुमोदित की गई थी (2006-07) और आगे राज्य 10⁷ जिलो तक विस्तारित की गई थी। स्कीम हिस्सा आधारित (केन्द्रीय हिस्सा 50 प्रतिशत, राज्य हिस्सा 25 प्रतिशत और लाभभोगी हिस्सा 25 प्रतिशत) क्रियान्वित की जानी थी। आगे चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पशु चिकित्सकों को मानदेय के भुगतान और प्रचार पर व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। विभाग द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु एच.एल.डी.बी. को नोडल एजेंसी बनाया गया था। वर्ष 2006-11 के दौरान एच.एल.डी.बी. ने स्कीम के लिए भारत सरकार से ₹ 10.32 करोड़ की राशि (2008-09: से पूर्व ₹ 5.32 करोड़, 2008-09: ₹ एक करोड़, 2009-10: ₹ तीन करोड़ और 2010-11: ₹ एक करोड़) प्राप्त की। इस अवधि के दौरान सरकार को ₹ 4.91 करोड़ का अंशदान करना था। सरकार ने अपने अंशदान की ओर से मात्र ₹ 1.50 करोड़ (2008-09: ₹ 0.50 करोड़, 2009-10: एक करोड़) निर्मुक्त किए। इस प्रकार सरकार ने ₹ 3.41 करोड़ की राशि का कम अंशदान निर्मुक्त किया।

जिलों के संबंधित उपनिदेशकों के माध्यम से बीमा कंपनियों⁶ को राशि अग्रिम में निर्मुक्त की गई थी। विभाग/एच.एल.डी.बी. के पास किए गए वास्तविक व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। एच.एल.डी.बी. ने क्षेत्रीय कार्यालयों से वास्तविक व्यय प्राप्त किए बिना भारत सरकार को ₹ 10.19 करोड़ के यू.सी.जे. प्रस्तुत किए, अतः तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया गया।

बीमा कंपनियों ने 281 दावे उन आधारों पर अस्वीकार किए जिनका निविदा में उल्लेख नहीं था।

राज्य में पशुधन पालने में लगे अनुसूचित जाति के परिवारों के लाभ हेतु इसी तरह की अन्य स्कीम 'विशेष पशुधन बीमा स्कीम' शीर्ष से सरकार द्वारा 2007-08 में चलाई गई। स्कीम के अनुसार पशुधन का बीमा बीमा कंपनी द्वारा किया जाना था और मृत्यु के प्रकरण में दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाना था।

अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (रिलायंस और आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड), ने चार जिलों में 1,128⁷ दावों में से 281⁸ दावे (25 प्रतिशत)

⁶ भिवानी, हिसार, झज्जर, जीन्द और रोहतक।

⁷ फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, महेन्द्रगढ़, पानीपत, सिरसा और सोनीपत।

⁸ युनाईटेड बीमा कंपनी, ओरियंटल बीमा कंपनी, नेशनल बीमा कंपनी, आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड सामान्य बीमा और रिलायंस सामान्य बीमा।

⁹ अम्बाला: 157 में से 44, हिसार: 305 में से 68, कैथल: 240 में से 65, करनाल: 426 में से 104

प्रसूति संबंधित बिमारियों, समय पर सूचना न देना, बिमार पशु, कुप्रबंधन आदि जैसे आधारों पर अस्वीकार किए। यह देखा गया कि निविदाएं प्रस्तुत करते समय इन बीमा कंपनियों ने इन आधारों पर बीमाकृत पशुओं के अनावृत हेतु ऐसी कोई धारा शामिल नहीं की थी। बीमा कंपनियों द्वारा शर्तें बीमा आवृत नोट पर शामिल की गई थी जिन्हें विभाग/एच.एल.डी.बी. द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस पहलू पर विभाग की विफलता के कारण लाभभोगी, बीमा प्रीमियम के लिए अपना 25 प्रतिशत अंशदान देने के बावजूद भी, सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा आवृत के लाभ से वंचित थे।

4.1.7.7 राजस्व लक्ष्यों की अनुपलब्धि

विभाग फार्मों से घंटों, अण्डों, ऊन अन्य उत्पादों के विक्रय से राजस्व अर्जित कर रहा था। पशुपालन गतिविधियों के अन्तर्गत प्रक्षेपित राजस्व प्राक्कलन 2010-11 के दौरान प्राप्त नहीं हो रहे थे जैसा कि नीचे विवरणित है:

तालिका 5 राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ लाख में)

प्राप्ति शीर्ष	2008-09		2009-10		2010-11*		कुल	
	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
पशुपालन	262.00	255.92	300.00	445.27	415.00	131.69	977.00	832.88
डेरी विभाग	निर्धारित नहीं	2.22	निर्धारित नहीं	4.08	निर्धारित नहीं	1.95	निर्धारित नहीं	8.25
योग		258.14		449.35		133.64		841.13

* मिलान की शर्त के साथ विभागीय आंकड़े।

2010-11 के दौरान पशुपालन के अन्तर्गत प्राप्तियों में की 68 प्रतिशत थी।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि पशुपालन के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान राजस्व उद्ग्रहण में 68 प्रतिशत की कमी सुअर पालन और मुर्गीपालन फार्मों से, इन फार्मों को चलाने हेतु निधियों के कम आबंटन के कारण, कम प्राप्तियों के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप पक्षियों/सुअरों का मूल स्टॉक घटाया जाना था। यह आभास किया गया कि विभाग को सुअर और मुर्गी पालन फार्मों को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार से निधियों का समुचित आबंटन करवाना चाहिए था।

4.1.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार विभाग ने 2012 तक 54.05 लाख टन दूध से 61.20 टन दूध, 14,198 लाख अण्डों से 25,722 लाख अण्डों और 13.60 लाख कि.ग्रा. ऊन से 23.52 कि.ग्रा. ऊन तक उत्पादन स्तर को लाने के लक्ष्य निर्धारित किए। मार्च 2011 तक इन लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:

तालिका 6: दुग्ध, अण्डे और ऊन का उत्पादन

मद	लक्ष्य	2008-09	2009-10	2010-11
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
दुग्ध (लाख टनों में)	61.20	57.45	60.06	62.50
अण्डे (लाख में)	25,722	38,131.97	38,522.86	41,500
ऊन (लाख कि.ग्रा. में)	13.60	12	12.49	12.80

स्रोत: महानिदेशक द्वारा आपूरित आंकड़े।

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित कर लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे।

जैसा कि उपरोक्त से प्रमाणित है कि ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित, ऊन उत्पादन के प्रकरण को छोड़ कर, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये थे। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में घेतों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

विभाग ने 31 स्कीम क्रियान्वित की जिनमें से 17 राज्य योजनागत, 10 केन्द्रीय प्रायोजित और 4 केन्द्रीय योजनागत (हिस्सा आधारित) स्कीमें थीं।

4.1.8.1 राज्य पशुधन प्रजनन नीति

विदेशी प्रजनन के सतर के सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

जनवरी 2010 में अधिसूचित मवेशियों एवं भैंसों के लिए राज्य पशुधन प्रजनन नीति में विचार किया गया कि देशी तथा विदेशी प्रजनन स्तर समान स्तर पर अनुरक्षित होना चाहिए। नीति में देशी मवेशियों तथा भैंसों की अनुवांशिकी पदोन्नति और दुग्ध तथा अन्य पशुधन उत्पादों की प्रमात्रा में वृद्धि पर भी विचार किया गया। यह भी विचार किया कि अव्यवस्थित प्रजनन और निम्न जनन द्रव्य के प्रसार से बचा जाएगा और समस्त पशुधन संख्या को कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.) या प्राकृतिक गर्भाधान (एन.आई.) के माध्यम से व्यवस्थित प्रजनन के अन्तर्गत लाया जाएगा। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त क्षेत्रीय पशुचिकित्सा सर्जनों तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्रजनन कार्यक्रम में मात्र गुणवत्ता सांडों के उपयोग का सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया कि 2007 में पशु गणना करते समय मवेशियों और भैंसों के विदेशी प्रजनन से संबंधित आंकड़ा एकत्रित नहीं किया गया था। आंकड़े की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विदेशी प्रजनन का स्तर 50 प्रतिशत तक के स्तर का था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) पशुगणना के समय विदेशी प्रजनन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए समलक्षणीयता¹⁰ के कारण आंकड़ा एकत्रित नहीं किया जा सका और राज्य में 50 प्रतिशत विदेशी प्रजनन का स्तर प्रजनन विधि समुचित रूप से प्रस्तुतिकरण और संकरण पशुओं के देशी सांडों के साथ संकटपूर्वज संकरण द्वारा अनुरक्षित रखा गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि विदेशी प्रजनन का आंकड़ा विदेशी प्रजनन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पशुगणना करते समय पशुमालिकों की सहायता से एकत्रित किया जा सकता था।

प्राकृतिक गर्भाधान का आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान का आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्राकृतिक गर्भाधान भ्रमण करने वाले सांडों के माध्यम से या विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को आपूरित गुणवत्ता वाले सांडों द्वारा किया जाता है लेकिन प्राकृतिक गर्भाधान को कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार राज्य पशुधन प्रजनन नीति की आवश्यकता के अनुसार विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान का पर्यवेक्षण नहीं किया था।

देहलीज पर प्राकृतिक गर्भाधान की सेवाएं नगण्य थीं।

विभाग द्वारा आपूरित सूचनानुसार 2008-11 के वर्षों के दौरान राज्य में 60 लाख कृत्रिम गर्भाधान के विरूद्ध 62.23" लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए थे। विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं अपनी संस्थाओं और किसानों की देहलीज पर अति निम्नदर ₹ 20 (संस्था पर और ₹ 70 (देहलीज पर) से प्रदान की। इसने संस्थाओं और देहलीज पर भी कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य निर्धारित किए थे। देहलीज पर कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आंकड़े की छान-बीन ने

¹⁰ जीव का भौतिक या जीव रसायन दृष्टिकोण।

¹¹ 2008-09: 19,48,400, 2009-10: 24,37,600, 2010-11: 22,37,100.

प्रकट किया कि 2008-11 के दौरान 10.89 लाख कृत्रिम गर्भाधान के लिए देहलीज पर सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध 0.65 लाख कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेवाएं प्रदान की गई थी जो कि मात्र लक्ष्य का छः प्रतिशत था। जींद और पंचकुला जिलों में उपलब्धि मात्र शून्य प्रतिशत थी। डी.जी. ने बताया (मई 2011) कि राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं के सघन स्थापित नेटवर्क ने देहलीज पर ए.आई.ज की संख्या में निम्नता ला दी थी। क्योंकि समस्त रूप से कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि लक्ष्यों से उच्चतर थी और कमी मात्र देहलीज पर गर्भाधान के संबंध में थी, देहलीज पर ए.आई.ज करने की संभावना और उसे संस्था पर करना दिखा कर प्रति कृत्रिम गर्भाधान की ₹ 50 की दर के अन्तर के दुर्विनियोजन को वर्जित नहीं किया जा सकता। एफ.सी.पी.एस. पशुपालन एवं डेरी विभाग ने दुर्विनियोजन की संभावना को स्वीकारते समय समापन सम्मेलन के दौरान विश्वास दिलवाया कि प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

4.1.8.2 मुराह विकास स्कीम

मुराह भैस 21वीं सदी पशु के रूप में मान्य हो चुकी है और विश्व की इस उत्तम भैस नस्ल का गृह स्थल होने पर राज्य को गर्व है। न केवल भारत के अन्दर बल्कि देश से बाहर भी इस उच्च उत्पादन करने वाली नस्ल की अत्याधिक मांग है। बहुत से राज्य अपनी निम्न उत्पादन वाली भैस की परोन्नति के लिए हरियाणा से प्रजनन स्टॉक की अधिप्राप्ति करते हैं। इस उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली किस्म यानी मुराह को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभाग, मुराह विकास स्कीम के अन्तर्गत 2006-07 से ऐसी भैसों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहा था।

उच्चतर दरों पर प्रोत्साहन का भुगतान करने के फलस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

2007-08 में भैसों जिन्होंने 11 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध उत्पादन दिया, के मालिकों को प्रोत्साहन राशि दी गई (11 कि.ग्रा. और 15 कि.ग्रा. के बीच दुग्ध देने वाली भैस के लिए ₹ 3,000, 15 और 20 कि.ग्रा. के बीच दुग्ध देने वाली के लिए ₹ 6,000 और 20 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध देने वाली के लिए ₹ 10,000)। सितम्बर 2008 में हुई एक रैली में मुख्यमंत्री के घोषणा के आधार पर प्रोत्साहन की दरों को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया जो मई 2009 में अनुमोदित हुआ बशर्ते कि 13 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध देने वाली भैस के मालिक को 13-16 कि.ग्राम के लिए ₹ 5,000, 16-19 कि.ग्रा. के लिए ₹ 10,000 और 19 कि.ग्रा. से अधिक के लिए 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग द्वारा सितम्बर 2008 में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर, सरकार के औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना, मार्च 2009 में प्रोत्साहन की वृद्धिक दरों¹² से भुगतान कर दिया गया। इस अनियमित कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 2.73¹³ करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्रोत्साहन की वृद्धिक दरों की व्ययेत्तर स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन था।

आगे यह भी देखा गया कि स्कीम के अन्तर्गत प्रोत्साहन के भुगतान के लिए निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया और सरकारी लेखे से बाहर बैंक खातों में रखी गई

¹² 11 से 15 कि.ग्रा. के लिए ₹ 5,000, 15 से 20 कि.ग्रा. के लिए ₹ 10,000 और 20 कि.ग्रा. से अधिक ₹ 15,000

¹³ भिवानी: ₹ 99.35 लाख, फतेहाबाद: ₹ 7.98 लाख, हिसार: ₹ 73.78 लाख, झज्जर: ₹ 71.72 लाख, कैथल: ₹ 4.11 लाख, करनाल ₹ 5.51 लाख, कुरुक्षेत्र ₹ 2.83 लाख और रेवाड़ी: ₹ 7.95 लाख।

थी। नमूना-जांच किए गए 7 जिलों में ₹ 4.72¹⁴ करोड़ की राशि मार्च 2010 में आहरित की गई थी जो कि मार्च 2011 में सोनीपत में एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा वितरित की गई यानि निधियों के आहरण के एक वर्ष बाद। इस प्रकार, मुख्यमंत्री के समारोह की प्रतीक्षा में निधियां एक वर्ष के लिए सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।

4.1.8.3 कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की आऊटसोर्सिंग स्रोत

प्रतिस्पर्धात्मक दरों को लेने के लिए प्रक्रिया अपनाए बिना ₹ 14.35 करोड़ की लागत से कृत्रिम गर्भाधान की आऊटसोर्सिंग थी।

जून 2006 में हुई एक बैठक में मैसर्स जे.के. ट्रस्ट, थाने ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को अपनी एक परियोजना प्रस्तुत की जिसमें मुख्यमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का आऊटसोर्सिंग मार्गदर्शी परियोजना के रूप में मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में की जानी चाहिए। तत्पश्चात् विभाग ने यह कहते हुए कि मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में लगे स्टॉफ ने अपने स्थानान्तरण करवा लिए और संस्थाए स्टॉफ विहिन है, आऊटसोर्सिंग कृत्रिम गर्भाधान हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (अक्टूबर 2006)। एस.सी.पी.एस., पशुपालन एवं डेरी-उद्योग विभाग ने इच्छा व्यक्त की (फरवरी 2007) कि आऊटसोर्सिंग कृत्रिम गर्भाधान के लिए रुचि की अभिव्यक्तियां मांगी जानी चाहिए। तत्पश्चात् नवम्बर 2007 में रुचि की अभिव्यक्तियां मांगी गईं और तीन एन.जी.ओज (ग्राम स्वराज संस्थान हिसार, बी.ए.एल.एफ. विकास अनुसंधान फाऊंडेशन, नई दिल्ली और मैसर्स जे.के. ट्रस्ट, थाने) ने परियोजना को लेने में अपनी रुचि व्यक्त की। मैसर्स जे.के. ट्रस्ट, थाने को छोड़ कर एन.जी.ओज के आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिए कि उन द्वारा ऐसे कार्य के अनुभव / क्षमता/निर्भरता/तकनीकी ज्ञान/प्रवीणता के संबंध में सूचनाएं/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि, अभिलेख के छान-बीन ने प्रकट किया कि उन द्वारा ये प्रलेख प्रस्तुत किए गए थे। बी.ए.एल.एफ. विकास अनुसंधान फाऊंडेशन नई दिल्ली की रुचि की अभिव्यक्ति से यह भी देखा गया कि एन.जी.ओ. कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में 1970 से कार्य कर रहा था और उनकी परियोजना 12 राज्यों में चल रही थी। दो एन.जी.ओज के प्रस्तावों को गलत अस्वीकार किया गया। रुचि की अभिव्यक्ति को अस्वीकार करने का दूसरा कारण था कि एन.जी.ओज ने अपनी रुचि की अभिव्यक्ति पर विचार करने के लिए डिमांड ड्रूपट नत्थी नहीं किया था। इतनी बड़ी राशि से आवेष्टित परियोजना हेतु बढ़िया प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुनिश्चित करने के लिए इस लघु मामले को एन.जी.ओज के साथ सरकार द्वारा सुलझाया जा सकता था। उनसे परियोजना प्रस्ताव भी नहीं मांगे गए थे। विभाग ने मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं हेतु 145 केन्द्र (मेवात: 115, शिवालिक 30) स्थापित करने के लिए अगस्त 2008 में मैसर्स जे.के. ट्रस्ट के साथ एक अनुबंध किया। तत्पश्चात् आर.के.वी.वाई की राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) से परियोजना अनुमोदित करवाई गई थी (सितम्बर 2008)। तथापि, एस.एल.एस.सी. ने परियोजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की कि आऊटसोर्सिंग के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् विस्तृत दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। तथापि, ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि विभाग पहले ही अगस्त 2008 में मैसर्स जे.के. ट्रस्ट के साथ अनुबंध कर चुका था। एक वर्ष के अन्दर केन्द्र स्थापित करने हेतु मार्च 2009 में ट्रस्ट को ₹ 2.84 करोड़ की राशि अग्रिम में दी गई थी।

14

भिवानी: 174.55 लाख, फतेहाबाद ₹ 16.40 लाख, हिसार: ₹ 133 लाख, झरजर: ₹ 100 लाख, करनाल: ₹ 23.35 लाख, कुर्क्षेत्र: ₹ 13.35 लाख और रेवाड़ी: ₹ 11.70 लाख।

बछड़े/बछड़ियों के
जन्म के लक्ष्यों की
उपलब्धि मात्र पांच
प्रतिशत थी।

लक्ष्यों के अनुसार मार्च 2011 तक प्रथम वर्ष में 11,600 बछड़े/बछड़ियों की और (मार्च 2015 तक) 5 वर्षों 87,000 बछड़े/बछड़ियों की प्रत्याशा थी जिसके विरुद्ध प्रथम वर्ष में मात्र 541 बछड़े/बछड़ियों की उपलब्धि थी। इस प्रकार, ट्रस्ट द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि मात्र पांच प्रतिशत थी।

समापन सम्मेलन के दौरान डी.जी. ने बताया कि गर्भाधान के पश्चात् बछड़े/बछड़ियों के लिए न्यूनतम 10 महीने अपेक्षित थे और बछड़े/बछड़ियों में कमी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को विलम्ब से स्थापना के कारण थी। अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि मैसर्स जे.के. ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट मार्च 2011 की थी जो 93 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने के 18 से 22 माह पश्चात् थी, जैसा कि केन्द्र मई 2009 और अगस्त 2009 के बीच स्थापित किए गए थे। इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधानों की प्रगति लक्ष्य तक नहीं थी।

इस तथ्य के बावजूद कि ट्रस्ट का निष्पादन अप्रयाप्त था विभाग ने रुचि की अभिवृत्ति मांगे बिना और वही प्रक्रिया, यानि मुख्यमंत्री को अक्टूबर 2010 में प्रस्तुतिकरण और उसके पश्चात आर.के.वी.वाई. की राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने, अपनाए बिना राज्य में 2,000 केन्द्र स्थापित करने हेतु ट्रस्ट के साथ अन्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया (दिसंबर 2010) मार्च 2010 तक विभाग ट्रस्ट को ₹ 11.51 करोड़ अग्रिम दे चुका था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि ट्रस्ट को कार्य पूर्व अनुभव के आधार पर सौंपा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसंबर 2010 में नया अनुबंध करते समय ट्रस्ट का निष्पादन बहुत कम था और प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु रुचि की नई अभिवृत्ति मांगने की निर्धारित प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनाई जानी चाहिये थी।

इस प्रकार जे.के. ट्रस्ट को कृत्रिम गर्भाधान स्थापित करने का कार्य, प्रक्रिया की अवहेलना करके और वित्तीय औचित्य के मानकों को दरकिनार करके सौंपा गया था जो ट्रस्ट का अदेय सहायता दर्शाता है।

4.1.8.4 मुर्गी विकास कार्यक्रम

पुरानी मशीनरी की
उच्च अनुरक्षण लागत
के कारण अंबाला में
मुर्गी पालन फार्म में
अण्डज उत्पत्तिशाला का
कार्य 2007 में रोक दिया
गया था।

मुर्गी और अण्डज उत्पत्तिशाला फार्म किसानों को अपना मुर्गीपालन फार्म स्थापित करने हेतु उचित मूल्यों पर गुणवत्ता चूजे प्रदान करने के लिए हिसार और अंबाला में स्थापित किए गए थे। यह देखा गया कि दोनों फार्मों की 1979 में स्थापित अण्डे से चूजे निकालने की मशीन पुरानी और आउटडेटेड थी। अंबाला में अण्डज उत्पत्तिशाला का कार्य 2007 में बंद कर दिया गया था क्योंकि अण्डे से चूजे निकालने की मशीनरी की लागत अत्याधिक थी। क्योंकि चूजों का उत्पादन बंद कर दिया गया था, अण्डे बाजार में बेच दिए गए थे। हिसार में अण्डज उत्पत्तिशाला चल रही थी परन्तु चलाने की लागत बहुत उच्च थी और यह हानि उठा रही थी।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'राज्य मुर्गीपालन फार्मों को सहायता' के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा ₹ 72.30 लाख (अंबाला: ₹ 40 लाख और हिसार: ₹ 32.30 लाख) की निधियां निर्मुक्त की थी। स्वीकृति के अनुसार दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों को पैतृक स्टाक, आहार, दवाइयां, टीकों के व्यय और विपणन हेतु 15 लाख की परिक्रमी निधियां सृजित करनी थीं। अण्डों और चूजों की बिक्री से प्राप्त आय को भी इस खर्चे में क्रेडिट करना अपेक्षित था।

शेष निधियों को, मूल संरचनात्मक ढांचे के सुदृढीकरण, मरम्मत, शैडों की नवीकरण प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं की सुदृढीकरण और पक्षियों एवं बैकयाई मुर्गियों के विपणन आदि पर व्यय किया जाना था।

सहायक मुर्गी विकास अधिकारी अंबाला, ने ₹ 25 लाख की समस्त राशि को कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज के माध्यम से मूल संरचनात्मक ढांचे के विकास, प्रशिक्षण और विपणन आदि पर व्यय की लेकिन पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे। फार्म के अमितव्ययी संचालन के कारण ₹ 15 लाख की परिक्रमी निधि ₹ 9.15 लाख तक नीचे आ गई थी।

हिसार में ₹ 16.80 लाख की निधियां बैंक खाते में पड़ी थी क्योंकि ₹ छः लाख (लगभग) मशीनरी के क्रय हेतु जून 2007 में हिसार फार्म द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उनके अनुसरण करने के बाद भी, डी.जी. ने अनुमोदित नहीं किया था। मात्र ₹ 0.50 लाख की राशि पक्षियों एवं बैकयाई मुर्गियों के विपणन पर व्यय की गई थी।

अंबाला में अण्डज उत्पत्ति का कार्य नहीं किया जा रहा था और हिसार फार्म में हानि अर्जित होना जारी था और अण्डज उत्पत्तिशाला को चलाने के लिए दी गई समस्त ₹ 15 लाख की राशि की राशि चकनाचूर थी (मार्च 2011)।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि मशीनरी के क्रय हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया था और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधियां मूल संरचनात्मक ढांचे के सुदृढीकरण हेतु दी गई थी जिसमें मशीनरी शामिल थी। आगे, विभाग को फार्म को कार्यचालन बनाने के लिए अण्डज उत्पत्तिशाला की मशीनरी के क्रय हेतु समुचित प्रावधान किया जाना चाहिये था।

4.1.8.5 मुर्गी बीमारी अन्वेषण एवं पोषक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला।

अंबाला में मुर्गी पोषक नमूनों की जांच पशुधन एवं मुर्गी की बीमारियों के निदान तथा किसानों के मार्गदर्शन देने के लिए मुर्गी बीमारी अन्वेषण एवं पोषक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला अधिकारियों को नमूनों की जांच के पश्चात किसानों को मुफ्त तकनीकी मार्गदर्शन देना और बीमार पशुओं एवं पक्षियों के उपचार अनुशासित करना अपेक्षित था। प्रयोगशाला ने 2008-11 के दौरान 34,805¹⁵ के लक्ष्य के विरुद्ध 34,401¹⁶ नमूने विश्लेषित किए।

विभाग द्वारा मुर्गी पोषक की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु कोई विधि विकसित नहीं की गई थी।

यह देखा गया कि विभाग ने पक्षियों के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले पोषक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाजार से मुर्गी पोषक के नमूने नहीं लिए थे। मुर्गी बीमारी अन्वेषण अधिकारी अंबाला शहर ने बताया (जुलाई 2011) कि लक्ष्य, जब कभी मुर्गी पक्षियों में बीमारियों का प्रकोप होता है स्थल पर पहुंच कर पूरे किए जाते थे उसने यह भी बताया कि कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जो बाजार से मुर्गी पोषक के नमूने एकत्रित करने को दे। इस प्रकार, मुर्गी

¹⁵ 2008-09: 11,595, 2009-10: 11,615 और 2010-11: 11,595

¹⁶ 2008-09: 12,884, 2009-10: 12,759 और 2010-11: 8,758 (नवम्बर 2010 तक)।

पोषक की गुणवत्ता जांचने के लिए बाजार से नमूना लेने के लिए विभाग को अधिकार देने हेतु कुछ नियम बनाने की आवश्यकता थी।

4.1.8.6 सुअर विकास कार्यक्रम

अंबाला और हिसार सुअर फार्मों में घंटों के प्रजनन में घटती प्रवृत्ति थी।

समाज के निर्धन वर्ग से संबंधित लोगों के सामाजिक - आर्थिक स्तर को सुधारने में सुअर प्रजनन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंबाला और हिसार में दो राज्य स्तरीय सुअर फार्म बढ़िया विदेशी नस्ल (बड़े श्वेत यार्कशिर) के घंटों के प्रजनन में लगे हुए हैं, जो प्रजनन हेतु प्रजननकों को बेचे जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन फार्मों में सुअर प्रजनन की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 7: घंटों के जन्म और बिक्री के विवरण

वर्ष	फार्म	आरम्भिक शेष	नव जन्मे	कुल	मृत्यु	बिक्री	अन्त शेष
2008-09	अम्बाला	122	481	603	18	412	173
	हिसार	144	453	597	45	368	184
2009-10	अम्बाला	173	294	467	9	336	122
	हिसार	184	444	628	15	420	193
2010-11	अम्बाला	122	286	408	7	334	67
	हिसार	193	338	531	18	360	153

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है, घंटों के प्रजनन में 2008-11 के दौरान कमी हुई। डी.जी. ने बताया (मई 2011) कि प्रजननकों से कम मांग के कारण घंटों के प्रजनन को कम करना पड़ा था उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि सुअरों के पैतृक स्टॉक में 2009-10 में कम उनके पोषक हेतु अप्रत्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी।





ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अंबाला और हिसार में विद्यमान सुअर प्रजनन फार्मों में रह रहे पशुओं के पोषक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और सुअर किसानों की सतत बढ़ती मांग को पूरा करने और सुअर पालन इकाइयां स्थापित करने हेतु लाभभोगियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन फार्मों में नए बाड़े¹⁷ स्थापित करने हेतु ₹ 50 लाख का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान सुअर फार्मों में सुअरों के पैतृक स्टॉक को घटाना पड़ा था। डी.जी. ने बताया (जून 2011) कि जब से अनुसूचित जाति लाभभोगियों को उनके लिए विभाग की अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ दिया गया था, स्कीम क्रियान्वित नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति लाभभोगियों के लिए अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन का इस स्कीम के साथ कोई संबंध नहीं था क्योंकि यह स्कीम प्रजननकों को घंटें प्रदान करने के लिए सुअर फार्मों के सुदृढीकरण हेतु थी।

4.1.8.7 उच्च तकनीकी डेरी शैड स्कीम

केन्द्रीय प्रायोजित आर.के.वी.वाई के अन्तर्गत विभाग, न्यूनतम 20 दुधारू पशुओं के सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाकर आधुनिक डेरी शैड बनाने के इच्छुक 18 वर्ष या अधिक आयु के बेरोजगार युवकों को ₹ 1.50 लाख का परिदान प्रदान कर रहा था। स्कीम 2009-10 में शुरू की गई। डेरी शैडों की कुल अनुमानित ₹ छः लाख में से ₹ 1.50 लाख का परिदान दिया जाना

¹⁷ सुअर रखने हेतु घिरा हुआ क्षेत्र।

2009-10: 324 और 2010-11: 288
 2009-10: 194 और 2010-11: 159

विश्वीकरण के अनुसार नहीं बनाया गया था।
 2009-11 के दौरान 25 लाभोक्तियों को ₹ 37.50 लाख का परिधान, शौचों के फोटोग्राफ से समर्थित पर्याप्तिकत्सकों के संपूर्णता प्रमाण-पत्र के आधार पर वितरित किया गया था। अभिलेख की छानबीन ने प्रकट किया कि इनमें से कोई भी शौच अनुसूचित आरक्षण और 31 मार्च 2011 की संपन्न वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

कि निधियों की कमी के कारण शेष आवेदकों को परिधान नहीं दिया जा सका था।
 प्राप्ति के विरुद्ध 353 आवेदकों को परिधान दिया गया था। डी.जी. ने बताया (असल 2011) अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण लिया है। 2009-11 की अवधि के दौरान 612 आवेदन पत्रों की अनुसूचित करवाया (!!) जिन्होंने विभागा/हरियाणा कृषि विधवाविद्यालय हिसार या ऐसी किसी को वितरित किया जाना था (!) जिन्होंने शौच का आकार/आरक्षण और विश्वीकरण था और ₹ 4.50 लाख की व्यवस्था लाभोक्ती द्वारा स्वयं की जानी थी। परिधान लाभ भोगियों

2008-09: 500, 2009-10: 400 और 2010-11: 200
 2008-09: 138, 2009-10: 141 और 2010-11: 166

1,100 डीई इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य का विरूद्ध मात्र 445 डीई इकाइयां स्थापित की गई थी।

2008-11 के दौरान 1100²⁰ इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 445²¹ इकाइयां स्थापित की गई थी। 2008-11 के दौरान विभाग द्वारा कुल 1,423 आवंटन पत्र प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 866 आवंटन पत्र सही पाये गए थे और उनका बैंकों को समर्थन किया गया था। तथापि, बैंकों ने 445 प्रकरणों में अज्ञा स्वीकृत किए और इन सभी प्रकरणों में परिदान निर्मुक्त किया था। कमियां हेतु विभाग ने, अज्ञा स्वीकृत करने में बैंकों की बतगारियां पढ़ने की आसक्ति किया (अगस्त 2011) यह देखा गया कि न तो विभाग ने बैंकों से अज्ञा स्वीकृत

के मामले में बैंकों को परिदान की राशि विभाग को वापिस करनी थी। इकाइयां तीन माह के अंदर स्थापित करनी अपेक्षित है। अज्ञा द्वारा इकाइयां स्थापित न करने अज्ञा के स्वीकृत होने पर परिदान अग्रिम में निर्मुक्त किया जाना था। किसानों को अपनी 15 प्रतिशत परिदान अधिकतम ₹ 1.50 लाख की शर्त के साथ देना था। वित्त पोषक बैंकों द्वारा विभाग ने बैंकों को अज्ञा आवंटन-पत्रों हेतु समर्थन करना था आवाधिक अज्ञा के संबंध में दिया जाना था।

वित्तार करना था। स्कीम के अंतर्गत लाभगोत्री को अज्ञा बैंक द्वारा तथा परिदान सरकार द्वारा डेरियों की स्थापना द्वारा डीई क्षेत्र में स्वरोजगार सृजित करना और विद्यमान डीई इकाइयों का की गई थी। स्कीम का ध्येय, 20 या अधिक दृष्टाक पशुओं की नई उच्च तकनीकी बाणित्यक उच्च तकनीकी बाणित्यक स्कीम नई राज्य योजनागत स्कीम को रूप में 2008-09 से प्रारम्भ

4.1.8.8 उच्च तकनीकी बाणित्यक डीई

की जाएगी। विभाजन समारोह के दौरान एफ.सी.पी.एस. पशुपालन एवं डीई विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और बताया कि इसकी छानबीन की जाएगी और दोषियों के विरूद्ध उचित कार्रवाही आगे, 25 लाभगोत्रियों में से छः ने अनुमोदित संस्थाओं से डीई में प्रशिक्षण था।



अद्याप - 4 सरकारी विभाग की कार्यवाही

के लिए 1978-79 से रोहतक में विभाग की एक डेरी प्रयोगशाला कार्य कर रही थी। प्रयोगशाला, मात्र उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए नमूना का विश्लेषण कर रही थी। इस प्रकार, इन पंजीकृत दुग्ध संयंत्रों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए थे।

4.1.8.10 पशु चिकित्सा टीकों का उत्पादन

हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार राज्य के लिए टीकों विनिर्माण हेतु स्थापित की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा विनिर्मित टीकों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका: 8 टीकों के उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका

(खुराक लाखों में)

टीके का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
हिमोरेजिक से-टीसिमिया वैक्सीन	100.00	101.33	100.00	65.42	100.00	84.42
एन्टोटोकसीमिया वैक्सीन	1.00	1.40	1.00	शून्य	शून्य	शून्य
ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन	6.00	6.62	6.00	4.50	6.00	4.23
ग्रिप पोक्स वैक्सीन	6.00	6.80	6.00	6.00	6.00	6.88
पेस्ट डी पेटिटस स्मीनेटस वैक्सीन	6.00	7.50	6.00	6.00	6.00	3.00
स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.70	0.71	0.70	0.70	0.90	शून्य
योग	119.70	124.36	119.70	82.62	118.90	98.53

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में 33.56 प्रतिशत और 2010-11 में 21 प्रतिशत टीकों के उत्पादन में कमी थी। 2009-10 और 2010-11 में लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए गए थे। संस्थान के निदेशक ने बताया कि बैक्टेरियल टीकों के उत्पादन के लक्ष्य बोटलों की अनुपलब्धता के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि बोटल क्रय करने का प्रकरण निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा के माध्यम से तैयार नहीं किया जा सका था। दूसरे पुराने लियोफिलिजी²⁴ कार्य नहीं कर रही थी और नई क्रय नहीं की जा सकी क्योंकि यह प्रकरण भी निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा के पास लम्बित था। इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण मर्दों के क्रय की असमुचित योजना के कारण टीकों का व्यय उत्पादन हुआ था।

हरियाणा पशु-चिकित्सा टीका संस्थान ड्रग नियंत्रक से अपने लाईसेंस का नवीकरण किए बिना पशु चिकित्सा टीका का विनिर्माण कर रही थी।

यह देखा गया कि संस्थान 2005 से ड्रग नियंत्रक से उचित लाईसेंस प्राप्त किए बिना टीकों का विनिर्माण कर रहा था क्योंकि विभाग अन्तराष्ट्रीय स्तरों को पूरा नहीं कर रहा था, लाईसेंसिंग प्राधिकारी ने टीकों के विनिर्माण पर रोक लगा दी (दिसंबर 2010) और संस्थान ने फरवरी 2011 से टीकों का विनिर्माण रोक दिया। संस्थान के निदेशक ने बताया (मई 2011) कि संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा भवन के रूपान्तरण हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे और उसकी अनुपालना प्रक्रिया अधीन थी। समापन सम्मेलन के दौरान डी.जी. ने बताया कि संयंत्र में जुलाई 2011 से विनिर्माण पुनः प्रारम्भ कर दिया गया था, लाईसेंस अभी प्राप्त करना था।

²⁴

लियोफिलिजी एक मशीन है जो दवाइयां बनाने के काम आती है।

यह देखा गया कि विभाग ने उपरोक्त के विपरीत निम्न निम्न काय्द पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन (एच.पी.एच.सी.) को सौंपे और ₹ 1.19 करोड़ के विभागीय प्रभार देने के लिए सहमत

कि निषादन एजेंसी द्वारा विभागीय प्रभार नहीं लगाए जाएंगे।
प्रभावी बनाने के लिए, अन्य एजेंसी को काय्द सौंपने से पहले, विभाग को सनिधिवत करना था को सौंपने हेतु सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था। आगे, व्यय से सिनधिवत को निषादन पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा जाना था। किसी सिविल निर्माण काय्द को किसी अन्य एजेंसी प्रभार लगाये कर रहा था, सरकारी विभागों के समस्त निर्माण और अनुसंधान के काय्दों का जैसे कि लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) अगस्त 2005 से विभागों के काय्द विना विभाग

4.1.9.1 विभागीय प्रभारों का परिहाय अंतान

4.1.9 निर्माण, संरक्षण और नवीकरण काय्द

आयोजित पर्याविकल्सा संस्थान नहीं खोले गए थे।
लगाने को आरोपित किया (जून 2011)। इस प्रकार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तगत 145 सी.बी.डी. खोली गई थी। डी.जी. कमी के लिए, नए परों के सृजन/परान्ति पर रोक ₹ 24.50 करोड़ में से ₹ 24.02 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी 2007-11 के दौरान मात्र खोले जाने का लक्ष्य था। यह देखा गया था कि पंचवर्षीय योजना के अंतगत प्रदान किए गए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतगत 200 नए सिविल पर्याविकल्सा औषधालय (सी.बी.डी.)

4.1.8.12 नए पर्याविकल्सा औषधालयों का खोलना

भागों में समायोजित की गई थी।
जानी थी। अव्यवित राशि न तो भारत सरकार को वापिस की गई थी और न ही अविष्य की सहायतागर्दन सरकार को वापिस करनी अपेक्षित थी या अविष्य की भागों हेतु समायोजित की कि सहायतागर्दन में से क्रमशः ₹ 5.21 लाख और ₹ 5.37 लाख की बचतें थीं। अनुपयोगी थी। 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए इसके व्यय की छानबीन ने प्रकट किया करने अपेक्षित थे। यह देखा गया कि काऊसिल द्वारा लेखापरीक्षण लेखे नहीं प्रर्तित किए गए जाती थी। काऊसिल की प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण लेखाओं सहित भारत सरकार को यूसीज प्रर्तित अंतगत 'राज्य में पर्याविकल्सा काऊसिल' की स्थापना को चलाने के लिए सहायतागर्दन की 1989-90 में स्थापित की गई थी। हिस्सा आधारित (50:50) कर्न्धीय योजनागत स्कीम के अतिनिधम 1984 के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में हरियाणा पर्याविकल्सा काऊसिल पर्याविकल्सा करने वाले व्यवसायियों से प्रयुक्त करने के लिए भारतीय पर्याविकल्सा काऊसिल पर्याविकल्सा व्यवसाय की पद्धति के नियंत्रण एवं नियमन और इसके अंतगत की शिथिल

4.1.8.11 राज्य में पर्याविकल्सा काऊसिल की स्थापना हेतु स्कीम

हो गया जैसा कि नीचे विवरणित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	विभागीय प्रभार
1.	पेट क्लिनिक पंचकुला	7.97	0.72
2.	रोहतक में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक का निर्माण	3.24	0.29
3.	चारा बीज फार्म, हिसार का सुदृढीकरण	2.15	0.18
योग			1.19

विभाग ने पी.डब्ल्यू.डी. की बजाय एच.पी.एच.सी. कार्य सौंप कर तीन कार्यों के निष्पादन पर विभागीय प्रभारों पर ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

इसने ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय का भार डाल दिया। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) जून 2011 में हुई एक बैठक में एफ.सी.पी.एस. गृह विभाग सहमत हो गये थे कि एच.पी.एच.सी. छ: प्रतिशत विभागीय प्रभार लेगा और पी.डब्ल्यू.डी. भी पांच प्रतिशत विभागीय प्रभार लगा रहा था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. अगस्त 2005 से विभागीय प्रभार नहीं लगा रहा था।

4.1.9.2 पशु चिकित्सा पोलीक्लिनिक का निर्माण

सरकार के एक नीति निर्णय (2003) के अनुसार राज्य में प्रत्येक जिले में एक पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक अवस्था विधि से स्थापित की जानी थी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नेशनल बैंक (एन.ए.वी.ए.आर.डी.) ने भिवानी और सोनीपत में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए विभाग को ₹ 2.84 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2004)। सरकार को ₹ 15 लाख का अंशदान देना था। इस प्रकार कार्य की कुल लागत ₹ 2.99 करोड़ थी। परियोजना को 31 मार्च 2007 तक पूर्ण किया जाना था।

भिवानी और सोनीपत में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिकों के निर्माण में विलम्ब के कारण ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

डी.जी. के पास अभिलेख की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि सरकार द्वारा दोनों कार्यों के लिए ₹ 3.29 करोड़ (भिवानी ₹ 1.45 करोड़ और सोनीपत: ₹ 1.84 करोड़) प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था जिसे फरवरी 2008 में ₹ 4.01 करोड़ (भिवानी ₹ 1.95 करोड़ और सोनीपत: ₹ 2.06 करोड़) तक संशोधित किया गया था। परियोजना ₹ 3.99 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2008 में पूर्ण हुआ था। इस प्रकार, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण सरकार का ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त व्यय अपने संसाधनों से वहन करना पड़ा। डी.जी. ने बताया (मई 2011) विलम्ब प्रक्रियात्मक था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एन.ए.वी.ए. आर.डी. के साथ अनुबंध के अनुसार अतिरिक्त मानवशक्ति और संसाधन प्रदान करके राज्य सरकार को समय-सूची के अन्दर परियोजना की संपूर्णता को सुनिश्चित करना था परन्तु यह नहीं किया गया था।

आगे, मुख्य वास्तुकार, हरियाणा के एक निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2011) के अनुसार, भिवानी पोलीक्लिनिक के कार्य की गुणवत्ता बहुत घटिया थी और निष्पादन न तो कुशल मानवशक्ति द्वारा किया गया था और न ही किसी अभियन्ता द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था और आरेखण आकार और विशिष्टकरण सुनिश्चित नहीं किए गए थे। सोनीपत पोलीक्लिनिक का कार्य भी घटिया पाया गया था और आरेखण, आकार और विशिष्टकरणोंनुसार नहीं था। घटिया कार्य करने के लिए विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि वस्तुकला विभाग की टिप्पणियों पर संबंधित निष्पादन एजेंसी की राय मांगी गई थी और उनके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.1.9.3 पंचकुला में पेट क्लिनिक का निर्माण

निष्पादन एजेंसी बदलने के कारण पंचकुला में एक पेट क्लिनिक के निर्माण पर ₹ 3.94 करोड़ अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

विभाग ने पंचकुला में पेट पशुक्लिनिक के भवन का निर्माण कार्य चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.), हिसार को सौंपने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)।

₹ 4.03 करोड़ की (10 प्रतिशत विभागीय प्रभारों सहित) प्राक्कलित लागत के विरुद्ध ₹ दो करोड़ (मार्च 2006 और मार्च 2007 प्रत्येक में ₹ एक करोड़) एच.ए.यू. को निर्मुक्त किए। यद्यपि एच.ए.यू. ने विभागीय प्रभार न लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (11 सितम्बर 2007), निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण एच.ए.यू. से कार्य वापस ले लिया (27 सितम्बर 2007)। कार्य एच.पी.एच.सी. को सौंपा गया जिसने ₹ 6.38 करोड़ के लिए (10 प्रतिशत विभागीय प्रभारों सहित) के लिए कच्ची लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किया (नवम्बर 2008)। प्राक्कलित लागत में वृद्धि लागत वृद्धि के कारण थी। अन्ततः, कार्य ₹ 7.97 करोड़ (विभागीय प्रभारों सहित) की लागत पर पूर्ण किया गया था (अगस्त 2009)। विभाग अब तक एच.पी.एच.सी. को ₹ 7.92 करोड़ निर्मुक्त कर चुका था।

इस प्रकार, निष्पादन एजेंसी के बदलने के कार्य निष्पादन में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। यदि कार्य प्रारम्भ में एच.ए.यू. को सौंपा होता तो विभागीय प्रभारों सहित वृद्धिक लागत को बचाया जा सकता था।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि भवन को पूरा करने में विलम्ब निर्माण एजेंसी बदलने के कारण नहीं था बल्कि उनके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण था। आगे यह बताया गया कि एच.ए.यू. ने कभी भी विभागीय प्रभारों के भुगतान से छूट का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था और एच.पी.एच.सी. को कोई विभागीय प्रभार नहीं दिए गए थे। उत्तर सही नहीं है क्योंकि एफ.सी.पी.एस., कृषि विभाग ने एफ.सी.पी.एस., पशुपालन एवं डेरी विभाग को सूचित किया था (अप्रैल 2007) कि एच.ए.यू. उनके निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभार नहीं लगाएगा। आगे, विलम्ब एच.पी.एच.सी. द्वारा नई निर्माण प्रक्रिया यानि प्राक्कलन तैयार करने, निविदाएं मांगने आदि, शुरू करने के कारण हुई। जहां तक विभागीय प्रभारों का संबंध है, विभाग ने एच.पी.एच.सी. को विभागीय प्रभारों सहित ₹ 7.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7.92 करोड़ निर्मुक्त कर चुका था। एच.पी.एच.सी. द्वारा शेष राशि को भी अन्य कार्यों हेतु विभाग द्वारा जमा करवाई गई निधियों में से समायोजित किया जा चुका था।

4.1.9.4 कार्यों के निष्पादन की मानिटरिंग की कमी

एच.आर.डी.एफ. की निधियों में से 159 कार्यों में से मात्र 12 कार्य पूर्ण किए गए थे।

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया था, एच.आर.डी.एफ. बोर्ड ने विभाग को ₹ 31.52²⁵ करोड़ की निधियां 159²⁶ असुरक्षित और अमरम्मत योग्य भवनों के पुनर्निर्माण हेतु दिए थे (जुलाई 2007 से मई 2010) निधियां, निधियों के निर्मुक्त होने से छः महीने के अन्दर व्यय की जानी अपेक्षित थी।

अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया की डी.जी. द्वारा प्रारम्भ में ₹ 31.52 करोड़ की समस्त राशि को बैंक खातों में रखा गया था। ₹ 89.91 लाख के ब्याज सहित आगे राशि को कार्यों के

²⁵ जुलाई 2007: ₹ 29.52 करोड़ और मई 2010: ₹ दो करोड़।

²⁶ अम्बाला मण्डल: 36, गुड़गांव मण्डल: 33, हिसार मण्डल: 55 और रोहतक मण्डल: 35

27	शिवनी: ₹ 7.13 लाख, अजमेर: ₹ 37.16 लाख, कर्नाल: ₹ 11.10 लाख, नारनोल: ₹ 6.38 लाख, पलवल: ₹ 8.08 लाख तथा सीनीपल: ₹ 27.39 लाख।
28	कार्दकरी अधिका, प्रांतीय मण्डल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) तथा कार्दकरी अधिका, पंचायती राज।
29	अजमेर: ₹ 37.16 लाख तथा पलवल: ₹ 8.08 लाख।

पर्यवेक्षण के अधीन ड्रैफ्ट, पंचायती राज के माध्यम से निष्पादित किए जाने थे। उप-निदेशक (ए.एच.), बी.एस. तथा क्षेत्र की ग्राम पंचायत से समालोच्य संहिता के नियंत्रण एवं से निष्पादित किए जाने थे। इसी प्रकार, ₹ तीन लाख से ऊपर के कार्य उपर्युक्त, संहिता के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन पंचायती राज संस्थाओं (ब्लॉक संहिता) के माध्यम क्षेत्र के पशु-विक्रम सर्जन (बी.एस.) तथा संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से समालोच्य ₹ तीन लाख तक के कार्य उप-मण्डल अधिका (सिविल), उप-मण्डल अधिका (ए.एच.), एफ.सी.पी.एस, विन विभाग के साथ बैठक में लिए गए निर्णय (जनवरी 2006) के अनुसार टी.एफ.सी. की सिफारिशों पर सरकारी भवनों के अनुरक्षण हेतु बजट आबंटन के संबंध में

4.1.9.5 टी.एफ.सी. कार्यों पर पर्यवेक्षण की कमी

कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पंचायती का संचालन नहीं किया। ड्रॉप्टों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि विभाग ने ₹ 45.24²² लाख की राशि के दो ड्रॉप्टों को खोजने तथा ड्रॉप्टीकट द्वारा मामला उठाए जाने पर यह ध्यान में आया (नवंबर 2010 तथा मई 2011) कि लेखापरिष्ठा द्वारा इंगित किए जाने (अप्रैल 2010) तथा संबंधित उप-निदेशकों के साथ डी.जी.

समर्पित के बावजूद कार्यों के निष्पादन की स्थिति से अनभिज्ञ था। यह देखा गया था कि विभाग ने ड्रॉप्टों की पावतियां प्राप्त नहीं की तथा ड्रैफ्ट की जी को उप-निदेशकों को जारी किए गए ड्रॉप्टों की प्रामाणिकता की पावतियां प्राप्त करना अव्यवहारिक है। प्रचलन के अनुसार डी (जनवरी 2010)। छ: उप-निदेशक, पशुपालन को संबंधित कार्दकरी एजेंसियों की आगे निर्माण/पुनरुद्धार/संरक्षण के अन्तर्गत ₹ 97.24 लाख की राशि आवंटित की गई थी उसी प्रकार, विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए पशु-विक्रमसालय संस्थान के

जिला प्रशासन के साथ मामले का अनुसरण करके कार्यों को निष्पादन मानीटर करना चाहिए। तथा विभाग का उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। उत्तर सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विभाग को डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि ड्रैफ्ट, पंचायती राज जिला प्रशासन के नियंत्रणस्थान थे

कार्य के निष्पादन हेतु डी.जी. स्तर पर मानीटरिंग का संकेत देना है। और कार्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए था। तथापि, विभाग ने व्यय विवरण नहीं रखा जो था। विभाग की, कार्यों के निष्पादन की मानीटरिंग के लिए ए.डी.सी.ज व्यय की मासिक विवरणों अपूर्ण थी। विभाग ने भी निष्पादन एजेंसियों द्वारा किए गए वार्षिक व्यय के विवरण नहीं रखे के अनुसार मात्र 12 कार्य (हिसार मण्डल) पूर्ण हुए थे और शेष 147 कार्य मार्च 2011 तक निधियों के निष्पादन एजेंसियों तक पहुंचने में पर्याप्त विलंब था। विभाग द्वारा अपूर्ण संचालन अन्तराल के पश्चात् कार्दकरी अधिकाओं, पंचायती राज की निधियां निर्मुक्त की। इस प्रकार (ए.डी.सी.) की विवरित किया गया था। संबंधित जिलों के ए.डी.सी.ज ने एक से तीन महीने के निष्पादन हेतु दो से आठ महीने के अन्तराल के पश्चात् संबंधित जिलों के आतिरिक्त उपर्युक्तों

जैसा पहले बताया गया है, विभाग ने 1,311 पशु-चिकित्सालय भवनों, औषधालयों तथा स्टाकमैन केन्द्रों³⁰ के सुधार हेतु टी.एफ.सी. की सिफारिशों पर जी.ओ.आई. से ₹ 39 करोड़ प्राप्त किए। निधियां एच.एल.डी.बी., के निपटान पर रखी गई थी तथा जिलों के ए.डी.सी.ज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए (2009-10 तक ₹ 35.20³¹ करोड़ तथा 2010-11 में ₹ चार करोड़) थे।

नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि ऐसी समितियों ने कार्यों के निष्पादन पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण नहीं किए यद्यपि, ₹ तीन लाख से कम मूल्य वाले 899 कार्य तथा ₹ तीन लाख से अधिक मूल्य वाले 412 कार्य निष्पादित किए जाने थे। इस प्रकार, कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक नियंत्रण की कमी थी।

4.1.10 मानव संसाधन विकास

4.1.10.1 स्टाफ की कमी

मार्च 2011 को 11,291 संस्वीकृत पद थे जिनके विरुद्ध 8,014 पद भरे गए थे तथा शेष 3,277 पद (29 प्रतिशत) रिक्त थे जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 9: विभाग की रिक्ति स्थिति

श्रेणी	संस्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त	स्टाफ की कमी की प्रतिशतता
वर्ग I	117	79	38	32
वर्ग II पशुचिकित्सा सहित	1,022	818	204	20
वर्ग III	3,775	3,290	485	13
वर्ग IV	6,377	3,827	2,550	40
कुल	11,291	8,014	3,277	29

विभाग में स्टाफ की 29 प्रतिशत कमी थी।

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपयुक्त तालिका से यह प्रमाण है कि विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 13 तथा 40 प्रतिशत के मध्य स्टाफ की कमी थी।

सभी संवर्गों में मानवशक्ति की कमी ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रदान की जा रही पशुचिकित्सा सेवाओं को ये ए.आई. सेवाएं बाहरी स्रोत से लेनी पड़ी। कई पशुचिकित्सकों/पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायकों के पास विभिन्न स्थानों पर स्थित एक से अधिक अस्पताल/औषधालय के प्रभार थे जिसने उनके कार्यचालन को प्रभावित किया।

डी.जी. ने, यह तथ्य स्वीकारते समय कि पशुचिकित्सा सेवाएं स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित थी, बताया (अगस्त 2011) कि विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पहले ही हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा वर्ग घ चयन समिति के पास भेज दी थी।

³⁰ स्टाकमैन केन्द्र, छोटे पशुचिकित्सा औषधालय होते हैं।

³¹ ₹ 20 लाख अर्जित ब्याज से जारी किए गए थे।

4.1.10.2 स्टाफ का अनियमित समायोजन

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने तीन-चार माह आधार पर कर्मचारियों के मुख्यालयों के परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया (दिसम्बर 1996) क्योंकि इसे अन्य प्रकार के स्थानान्तरण के रूप में माना गया था।

मुख्य सचिव के आदेश के उल्लंघन में एक सौ तिरसठ कर्मचारियों को उनकी तैनाती के स्थानों से भिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था।

नमूना - जांच की गई इकाईयों में 163 कर्मचारियों के वेतन डी.जी. के आदेशों के अधीन कार्यालयों द्वारा आहरित किए गए थे यद्यपि वे उनकी नियमित तैनाती के स्थानों से अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे थे (परिशिष्ट 4.6)। सरकार के समुचित स्थानान्तरण आदेशों के बिना यह समायोजन अवैध तथा मुख्य सचिव के आदेशों के विरुद्ध था। आगे, उन स्थानों का कार्य प्रभावित हुआ जहां स्टाफ को वास्तविक रूप में तैनात किया गया तथा भुगतान किया जा रहा था। डी.जी., ने बताया (अगस्त 2011) कि संस्थानों के सुगम कार्यचालन तथा मानव संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए समायोजन किए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ऐसे समायोजन मानवशक्ति के बौद्धिक पुनर्गठन के बाद नियमित स्थानान्तरण करके किए जाने चाहिए।

4.1.11 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

4.1.11.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण, लागू नियमों एवं विनियमों की अनुपालना के बारे में प्रबन्धन को उपयुक्त आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्कीमों के कार्यान्वयन, कार्यों के निष्पादन की मानीटरिंग इत्यादि के लिए अपर्याप्त थी जैसा पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1.11.2 शिकायत के मामले

जनता के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए डी.जी. के कार्यालय में एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया था। डी.जी. द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 2008-09 से पहले प्राप्त की गई नौ शिकायतें विभाग के पास बकाया थी तथा 2009-11 के दौरान 269 नई शिकायतें प्राप्त की गई थी। कुल 278 शिकायतों में से केवल 108 शिकायतें विभाग द्वारा निपटाई गई थी तथा शेष 170 (61 प्रतिशत) शिकायतें प्रक्रियाधीन (मार्च 2011) थी। इतनी अधिक बकाया शिकायतों ने शिकायत मामले की मानीटरिंग की कमी इंगित की। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि 171 में से केवल 20 शिकायतों का निपटान किया गया था तथा शेष शिकायतों का भी जल्द निपटान किया जाएगा।

4.1.11.3 बेकार भण्डारों/वाहनों का निपटान न करना

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार संचालित किया जाना चाहिए तथा बेकार प्रयोज्य सामान को सक्षम प्राधिकारी से निराकृत करवा लिया जाना चाहिए। इन बेकार सामानों, मशीनरी अथवा वाहनों का निपटान विभागीय प्रक्रियाएं अपनाकर किया जाना चाहिए तथा प्राप्त किए गए राजस्व को सरकार के पास जमा करवाया जाना चाहिए ताकि सरकार इन निधियों को उपयोग भविष्य की योजनाओं के लिए कर सके। नमूना - जांच

की गई इकाईयों में यह देखा गया था कि ₹ 25.20 लाख (परिशिष्ट 4.7) मूल्य के निराकृत भण्डार/मशीनरी/वाहन उनके पास पड़े थे। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि विभाग ने निराकृत भण्डारों/वाहनों के निपटान के लिए पहले ही कदम उठा लिए थे।

4.1.11.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

कार्य की समय गुणवत्ता सुधारने तथा त्रुटियों/अनियमितताओं को कम करने के दृष्टिकोण से सभी सरकारी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए लेखा अधिकारी का एक पद संस्वीकृत किया गया था किन्तु अधिकारी निदेशालय में आहरण एवं सवितरण अधिकारी के कर्त्तव्य निभा रहा था। डी.जी. ने तथ्यों की स्वीकारते समय बताया (अगस्त 2011) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

4.1.11.5 प्रबंध सूचना प्रणाली तथा मानीटरिंग बैठकें

विभागाध्यक्ष के रूप में डी.जी. विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्टें जिला स्तर पर डी.डी.ओ.ज द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत की गई थी जो केवल संकलित किए गए थे किन्तु डाटा का उपयोग प्रबंध साधन के रूप में नहीं किया गया था। विभाग के एफ.सी.पी.एस. के अतिरिक्त डी.जी. ने समय-समय पर स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा तथा मानीटर करने के लिए फील्ड स्टाफ के साथ बैठकें आयोजित की। तथापि, मानीटरिंग के लिए स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं था। परिणामतः डी.जी. स्तर पर मानीटरिंग तदर्थ आधार पर थी।

4.1.12 निष्कर्ष

विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पशुधन वृद्धि के लक्ष्य नियत नहीं किए थे। विभाग की वित्तीय प्रबंध दक्ष नहीं था क्योंकि निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने, अग्रिमों के असमायोजन, दुग्ध उपकार की भारी राशि वसूल करने में विफलता, इत्यादि के दृष्टांत थे। कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं प्रदान करने तथा दूध एवं अण्डों के उत्पादन में वृद्धि करने के विभाग के लक्ष्य बृहद सीमा तक प्राप्त किए गए थे किन्तु पशुधन की संख्या में वृद्धि नगण्य थी। आगे, विभाग का कार्यचालन अपर्याप्त था क्योंकि मुर्गीपालन, सूअरपालन तथा डेरी विकास कार्यक्रमों के धीमें कार्यान्वयन के दृष्टांत थे। पशुचारे, दूध, दुग्ध उत्पादों इत्यादि की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण था। पशुधन बीमा पालिसी के निबन्धनों एवं शर्तों की अपर्याप्त संवीक्षा के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को हानियां हुईं। कार्यों के कार्यान्वयन पर मानीटरिंग की कमी, विभागीय प्रभारों के भुगतान पर परिहार्य व्यय तथा कार्यों के उप-मानव कार्यान्वयन के दृष्टांत भी अवलोकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

4.1.13 सिफारिशें

- विभाग को पशुधन की संख्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करने चाहिए।
- मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा डेरी के विकास हेतु स्कीमों की समुचित रूप से तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।
- बीमा कम्पनियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुबंध किए जाने चाहिए कि सभी लाभार्थी पशुधन बीमा के लाभ प्राप्त कर सकें।
- विभाग को पशु चारे, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर नियंत्रण लगाने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- विभाग को कार्यों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- विभागीय प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए कार्य सामान्यतः लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने चाहिए।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

ये बिन्दु मई 2011 में एफ.सी.पी.एस., पशुपालन तथा डेरी उद्योग विभाग को अर्ध-सरकारी रूप से संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2011)।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़
दिनांक : 09 दिसम्बर 2011 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा
(ओंकार नाथ)

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक : 19 दिसम्बर 2011 भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
(विनोद राय)

18 2100 10

18 2100 10

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.1; पृष्ठ 9)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि (₹ लाख में)
1	2003-04	219	429	1,444.36
2	2004-05	281	445	2,091.84
3	2005-06	305	707	2,743.53
4	2006-07	292	1,393	4,847.54
5	2007-08	185	429	1,325.41
6	2008-09	244	666	5,238.72
7	2009-10	280	632	3,662.88
8	2010-11	461	1,488	6,536.75
	कुल	2,267	6,189	₹ 27,891.03

अर्थात् ₹ 278.91 करोड़

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.1; पृष्ठ 9)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	अनियमितताओं की श्रेणी/प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अवधि
1	उपयोग प्रमाण-पत्र/वांछित ए.पी.आर.ज' की अप्राप्ति/अप्रस्तुतिकरण	309	9,387.01	अप्रैल 2003 से मार्च 2011
2	अवसूली/कम वसूली तथा बकाया प्रभार	5	0.09	-सम-
3	वेतन एवं भत्तों पर अधिक/अनियमित व्यय	948	3,033.60	-सम-
4	अनियमित/व्यर्थ/निष्फल व्यय/निधियों का विपथन	284	1,507.63	-सम-
5	अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण/अननुरक्षण	719	1,906.90	-सम-
6	बेकार वाहनों/सामान इत्यादि का निपटान न करना	752	183.37	-सम-
7	सरकारी धन/निधियों/ऋणों का अनियमित अवरोधन/दुरुपयोग/अनुपयोग/सरकारी निधियों का अवरोधन/बजट से अधिक व्यय	942	5,213.15	-सम-
8	अग्रिम भुगतानों/अग्रिमों का असमायोजन	31	66.56	-सम-
9	विविध अनियमितताएं/रोकड़ बही	2,199	6,592.72	-सम-
कुल		6,189	27,891.03	

अर्थात् ₹ 278.91 करोड़

¹ वास्तविक आदाता रसीदे।

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (सिविल प्रतिवेदन) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2006-07	2	4.3.2, 4.3.4
		2009-10	1	1.1
2.	शिक्षा	2006-07	2	3.4, 4.3.3
		2008-09	2	2.1.3, 2.1.4
		2009-10	1	2.4.1
3.	पर्यावरण	2006-07	2	3.3, 4.2.3
4.	आबकारी तथा कराधान	2006-07	1	4.3.6
5.	वित्त	2006-07	2	4.5.7, 4.6.2
		2008-09	1	2.6.1
		2009-10	1	2.6.1
6.	सामान्य प्रशासन	2006-07	2	4.4.2, 4.5.6
7.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2006-07	1	4.5.2
		2008-09	2	1.2, 2.1.2
		2009-10	1	2.2.6
8.	उद्योग तथा वाणिज्य	2006-07	1	5.1
		2008-09	1	2.4.1
9.	सिंचाई	2006-07	3	4.2.1, 4.2.2, 4.5.5
		2008-09	2	2.1.5, 2.3.8
		2009-10	3	2.2.2, 2.2.3, 2.3.4
10.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2006-07	2	4.5.3, 4.6.1
		2008-09	3	1.1, 2.1.1, 2.2.2
11.	लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.)	2006-07	2	4.3.1, 4.5.4
		2008-09	4	2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7
		2009-10	2	2.2.1, 2.4.2
12.	लोक निर्माण विभाग (पी. एंड एच.)	2006-07	1	3.2, (4.2.1)
		2008-09	1	2.3.6

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
		2009-10	3	1.3, 2.2.5, 2.4.3, 2.4.4
13.	राजस्व	2006-07	1	4.5.1
		2008-09	1	2.5.1
14.	ग्रामीण विकास	2008-09	1	1.3
		2009-10	1	2.5.2
15.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2006-07	1	4.4.3
		2008-09	1	2.3.1
		2009-10	2	1.4,2.3.1
16.	परिवहन	2008-09	1	1.4
		2009-10	1	2.3.2
17.	न्याय प्रशासन	2008-09	1	2.2.1
18.	आपूर्ति एवं निपटान	2008-09	1	2.3.5
19.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1	1.2
20.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1,2.5.1
21.	मत्स्य पालन	2009-10	1	3.1
22.	लोक संपर्क	2007-08	1	4.3.7
23.	सहभागिता	2007-08	1	5.5.1
कुल			67	

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
			6.6	30.60
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2003-04	4.5.1	273.00
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
कुल			10	20,727.06

अर्थात् ₹ 207.27 करोड़

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)

लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पी.ए.सी. रिपोर्ट	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या
1.	7 ^म	1
2.	9 ^म	1
3.	14 ^म	1
4.	16 ^म	1
5.	18 ^म	1
6.	19 ^म	1
7.	21 ^म	1
8.	22 ^म	2
9.	23 ^म	1
10.	25 ^म	3
11.	26 ^म	2
12.	28 ^म	1
13.	29 ^म	3
14.	32 ^म	7
15.	34 ^म	5
16.	36 ^म	9
17.	38 ^म	8
18.	40 ^म	9
19.	42 ^म	10
20.	44 ^म	12
21.	46 ^म	7
22.	48 ^म	3
23.	50 ^म	36
24.	52 ^म	20
25.	54 ^म	13
26.	56 ^म	16
27.	58 ^म	40
28.	60 ^म	39
29.	61 ^म	15
30.	62 ^म	25
31.	63 ^म	28
32.	64 ^म	09
33.	65 ^म	23
	कुल	354

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.4 पृष्ठ 25)

2006-2011 के दौरान परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के विवरण

क्र. सं.	कक्षाओं के नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण
1	एम.एस.सी. स्टैट	18	4	25	9	30	16	23	15	21	5
2	एम.एस.सी. इंडस कैमिस्ट्री	57	26	50	30	29	25	29	25	36	28
3	एम.एस.सी. मैथ	712	135	770	191	780	216	385	100	528	70
4	बी.काम III	6160	4874	6890	5452	7204	5663	7530	6260	9173	6152
5	बी.सी.ए.	441	354	763	201	788	226	703	513	1079	1048
6	एम.एस.सी. कंप्यूटर साईंस	2444	736	2595	821	2730	1081	1637	635	2465	710
7	एम.ए. इतिहास	1665	519	1595	773	1550	761	1708	924	1753	941
8	एम.ए. राजनीति शास्त्र	1491	514	1223	343	1205	435	937	458	1021	255
9	एम.ए. संस्कृत	1170	277	773	180	630	160	682	129	55	41
10	एम.ए. जन संचार	403	214	396	175	418	383	395	282	210	170
11	प्रभाकर	2415	1108	2301	1139	1200	453	908	652	1029	878
12	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन	5657	953	लागू नहीं	लागू नहीं	5149	861	5352	922	3422	942
13	एल.एल.बी. III	461	256	279	196	268	175	301	195	279	168
14	एम.कॉम	2126	965	2178	1050	2178	850	1332	1212	496	297
15	एम.बी.ए. Vवां सेमेस्टर	620	369	729	435	865	502	1335	1040	3525	2092
16	एम.ए. पंजाबी	561	242	830	243	630	140	552	356	449	315
	कुल	26401	11546	21397	11038	25654	11947	23809	13718	25541	14112

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.7; पृष्ठ 27)
अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां	शेष राशि
1	बोटनी	32.02	31.38	0.64
2	बायो - टेक्नोलोजी	14.00	13.96	0.04
3	विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	120.00	114.05	5.95
4	जियोफीजिक्स	76.00	71.13	4.87
5	कंप्यूटर साईस एंड एप्लीकेशन	47.57	25.90	21.67
6	गृह विज्ञान	25.60	25.56	0.04
7	भू - गर्भ शास्त्र	59.00	42.72	16.28
8	माइक्रो - बायोलोजी	91.41	63.49	27.92
9	भूगोल	26.70	16.20	10.50
10	मनोविज्ञान	21.50	1.81	19.69
11	रसायन शास्त्र	124.75	40.97	83.78
12	अर्थशास्त्र	15.73	11.04	4.69
13	इलेक्ट्रॉनिक्स साईस	600.00	256.93	343.07
14	प्राणि - विज्ञान	942.80	156.56	786.24
15	गणित	10.00	9.99	0.01
16	बायो - कैमिस्ट्री	20.00	10.75	9.25
17	भौतिकी	153.00	86.32	66.68
18	सांख्यिकी	53.50	9.41	44.09
19	वाणिज्य	4.35	3.93	0.42
20	स्कूल आफ मैनेजमेंट	42.80	33.20	9.60
21	जन संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी	161.66	8.36	153.30
22	मिनी - लाइब्रेरी	200.00	-	200.00
23	वाई - फाई सिस्टम	102.00	-	102.00
24	लेखा शाखा	55.61	-	55.61
कुल		3000.00	1033.66	1966.34

क्र. सं.	स्कीम का नाम
	केंद्रीय प्रायोजित स्कीम
1.	एकीकृत वन संरक्षण (हिस्सेदारी)
	वाह्य सहायता प्राप्त स्कीम
1.	एकीकृत प्राकृतिक संसाधन विकास तथा निर्माण उन्मूलन परियोजना
	राज्य स्तरीय स्कीम
1.	शुद्ध संरक्षण
2.	विशेष स्थलों के वनीकरण प्रायोजन हेतु वाटर शेड आधार पर शुद्ध संरक्षण
	मत्स्यन नियंत्रण हेतु विशेष स्थलों का वनीकरण
2.	वानिकी - निदेशन एवं प्रशासन
	सूचना प्रायोजिकी
3	छाड़ना तथा प्रायोजन
	वन प्रचार, जन संपर्क तथा विस्तारण
	कार्मिकों का प्रायोजन
4.	संचार तथा श्रम
	श्रम
	वन संचार
5.	वन संरक्षण विकास तथा पुनरुद्धार
	वनों की संरक्षा
	निर्भीकृत वन का सुधार
6.	सामाजिक तथा फार्म वानिकी
	हर्बल नेचर पार्क
	एकीकृत वन संरक्षा (हिस्सेदारी)
	सरकारी भूमियों पर सिद्ध वनीकरण
	अरावली पहाड़ियों में संस्थानों की पुनर्जीवन करना
	सामाजिक तथा फार्म वानिकी (राज्य योजना)
	प्रतिपूरक वनीकरण
	सांस्कृतिक वानिकी परियोजना
	राज्य वन अनुसंधान संस्थान (ओरलोक)
	वन क्षेत्र का सीमांकन तथा संसाधन सर्वेक्षण
	कृषि-वानिकी क्लोनल तथा गान-क्लोनल का विकास
	शहरी क्षेत्रों में हरित परियोजना
7.	वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग (कार्यान्वयन योजना)
8.	अनुसंधान वानिकी के लिए विशेष घटक योजना
	अनुसंधान वानिकी के लिए सामाजिक तथा फार्म वानिकी
	अनुसंधान वानिकी के लिए एकीकृत संसाधन विकास एवं शहरी उन्मूलन परियोजना
	अनुसंधान वानिकी के माध्यम से वानिकी गतिविधियाँ

(क) वन विकास हेतु स्कीम

वन विभाग की 2006-11 के दौरान कार्यान्वित स्कीमों के विवरण

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7; पृष्ठ 44)

परिशिष्ट 2.3

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

क्र. सं.	स्कीम का नाम
राज्य नान - प्लान स्कीमें	
1.	निवेशन एवं प्रशासन
	परिमंडल/मंडलीय स्टाफ
2.	मृदा संरक्षण
	सड़कों पर वृक्षों तथा वृक्षों की शाखाओं की कटिंग की परिगणना
	विशेष स्थलों के वनरोपण प्रशिक्षण हेतु वाटर शेड आधार पर मृदा संरक्षण
	संरक्षित नियंत्रण हेतु विशेष स्थलों का वनरोपण
3.	अन्य व्यय
	वन विभाग के टेलीफोन तथा बिजली के बिल
4.	निवेशन एवं प्रशासन
	योजना सांख्यिकी तथा मूल्यांकन कक्ष मुख्यालय का स्टाफ
	परिमंडल/मंडलीय स्टाफ
	स्थापना व्यय
5.	शिक्षा तथा प्रशिक्षण
	वन प्रचार, जन संपर्क तथा विस्तारण
	कार्मिकों का प्रशिक्षण
6.	वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग
	कार्यालय योजना
7.	संचार तथा भवन
	संचार वन, रास्ते तथा सड़कों
8.	वन संरक्षण विकास तथा पुनरूद्धार
	वनों की संरक्षा
	निम्नीकृत वनों का सुधार
	वनों का संगठन, उन्नयन तथा विस्तारण
9.	सामाजिक तथा फार्म वानिकी
	बेकार भूमि वनरोपण तथा कृषि वानिकी परियोजना
	जल्दी उगने वाली किस्मों का पौधारोपण
	वन क्षेत्र का सीमांकन तथा समाधान सर्वेक्षण
	किनारों पर वानिकी विस्तारण (सड़कों, नहरों तथा रेलवे लाइनों के किनारे बेकार भूमियों पर पौधारोपण)
	औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोगों के वन किस्मों का पौधारोपण
	बुआई तथा पौधारोपण
10.	वन उत्पाद
	सरकारी एजेंसी द्वारा वन से निकाले गए टिम्बर तथा अन्य उत्पाद
11.	अन्य व्यय
	नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का भुगतान (दत्तमत)
	नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का भुगतान (प्रभारित)

(ख) वन्य जीव विकास स्कीमें

क्र. सं.	स्कीम का नाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	
1.	मृग - वनों का सुदृढीकरण, विस्तारण तथा सुधार (हिस्सेदारी)
राज्य प्लान स्कीमें	
1.	वन्य जीव संरक्षण
	मृग - वनों का सुदृढीकरण, विस्तारण तथा सुधार

क्र. सं.	स्कीम का नाम
	राज्य मान-पान स्कीम
1.	वन्य जीव संरक्षण
	महम में चौबीसी के चवतरे का विकास
	बहु-उपयोग क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा
	संकटापन्न किस्मों का बंधुता प्रजनन
	काला तिनर पर्यटक स्थल अर्जुन शहर का विकास
	वन्य जीव भूग-वन-नाहर का विकास
	सुव्यालय स्टाफ

क्र. सं.	स्कीम का नाम
	बहु-उपयोग क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा
	सूचना प्रौद्योगिकी
2.	बू तया डीयर पार्क का विस्तार (अन्य व्यय)
3.	भू-वैज्ञानिक पार्क
	बाघ तथा घड़ियाल इत्यादि के लिए बाड़ों का निर्माण

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7.1; पृष्ठ 45)

ऐसे मामले दर्शाने वाली विवरणी, जहां बजट प्रावधान विद्यमान था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था
(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान
1.	2006-07	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99- परिमंडल/मंडलीय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
2.	2006-07	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99 मुख्यालय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
3.	2007-08	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99 परिमंडल/मंडलीय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
4.	2008-09	राज्य संसाधन प्रबंध आजीविका परियोजना	2406/69	5.00
5.	2009-10	वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग	2406/99 कार्यचालन योजना (राज्य प्लान)	50.00
6.	2009-10	राज्य संसाधन प्रबंध आजीविका परियोजना	2406/69	5.00
7.	2007-08	कृषि वानिकी क्लोनल तथा नान-क्लोनल का विकास	2406/78	35.00
		कुल		155.00

अर्थात् ₹ 1.55 करोड़

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.7.1 पृष्ठ 45)

वन नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा पुनः विनियुक्त राशियां दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	शीर्ष/उप-शीर्ष	पुनः विनियुक्त राशि (₹ लाख में)	स्कीम/शीर्ष जिसे पुनः विनियुक्त की गई	अभ्युक्तियां
1.	2008-09 (प्लान)	वानिकी-91 सामुदायिक वानिकी-01 वेतन	2406-102-91- 01- वेतन-प्लान	18.69	आई.एन.आर.डी.पी. सामाजिक एवं फार्म वानिकी 2406-102- 70	वेतन की राशि बजट नियम-पुस्तिका के विपरीत पुनःविनियुक्त की गई
2.	2009-10 (नान-प्लान)	2402-मृदा संरक्षण (नान-प्लान)	2402-मृदा संरक्षण नान-प्लान	₹ 6.44 (₹ 189 21 लाख में से ₹ 6.44 लाख पुनः विनियुक्त किया गया था तथा ₹ 182.77 लाख अभ्यर्पित किया गया था)	2402-अंशकालीन कालीन वेतन की मजदूरियां तथा एल.टी.सी. राशि मृदा संरक्षण	मजदूरियों को पुनः विनियुक्त वेतन की राशि ₹ एक लाख, एल. टी.सी. ₹ 5.44 लाख
कुल				25.13		

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7.6 पृष्ठ 48)

राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण, हरियाणा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	शेष
क	प्रतिपूरक वनरोपण	7.10	4.96	2.14
ख	निवल वर्तमान मूल्य के अंतर्गत कार्यों का प्रस्ताव			
i	वन्यजीवन एवं इसके आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंध	1.61	1.55	0.06
ii	श्रवणा में मयूर एवं चिकारा के लिए प्रजनन संरक्षण केन्द्र की स्थापना	1.00	-	1.00
iii	200 पौधे प्रति हेक्टेयर वनों के घनत्व सुधार के लिए प्राकृतिक वनों में सहायित प्राकृतिक संरोपण	0.42	0.31	0.11
iv	अग्नि रेखाओं के अनुरक्षण के साथ वन सुरक्षा	0.20	0.20	-
v	गोल टाइप जंगल सहित 250 पौधे प्रति आर.के.एम. रेखिक वन में लंबे पौधों का पौधारोपण	1.47	1.31	0.16
vi	500 पौधे प्रति आर.के.एम. रेखिक वनों में दबाव क्षेत्र में पर्वतश्रेणी पर पौधारोपण	1.35	1.16	0.19
vii	200 पौधे प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि (पार्यावरणीय सेवा) पर पौधारोपण द्वारा भूमि-सुधार	0.72	0.57	0.15
viii	सार्वजनिक भूमियों जैसे गांव के तालाबों, विद्यालयों, सामुदायिक जमीनों, अन्य सामान्य स्थानों में वृक्ष बागों का पौधारोपण	1.12	1.12	-
ix	कुहासा प्रकोष्ठों तथा सम्बद्ध कार्यों की स्थापना	0.56	0.30	0.26
x	मानिट्रिंग व मूल्यांकन विंग के लिए वाहन	0.15	-	0.15
xi	तीन पर गुड़गांव में क्षतिपूरक वनरोपण भूमि की चार दिवारी का निर्माण	0.30	0.15	0.15
xii	पलवल एवं मेवात-नूह में नये वनमण्डल हेतु भवन	-	-	-
xiii	कार्यालय परिसर का निर्माण, रोहतक	-	-	-
xiv	शिवालिक तथा अरावली में जल भण्डारण निकाय तथा मृदा संरक्षण कार्य	1.80	0.64	1.16
xv	वन प्रशिक्षण केन्द्र में वर्ग - III एवं IV स्टाफ के क्वार्टरों का निर्माण	0.64	0.35	0.29
xvi	500 प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन की दर पर छ: दिनों के एक सप्ताह के लिए फ्रंट लाईन स्टाफ के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण	0.09	0.09	-
xvii	अनुसंधान एवं बीज विकास गतिविधियां	0.18	0.18	-
xviii	कालेसर राष्ट्रीय पार्क, कालेसर वन्यजीवन अभ्यारण्य, खोल हाय रैतान तथा बीर शिकारगाह अभ्यारण्यों के इई-गिर्द ईको-सोसाईटी की व्यवस्था	0.02	0.02	-
	कुल	18.73	12.91	5.82
xix	3 प्रतिशत की दर पर आकस्मिक व्यय	0.37	-	0.37
	कुल	19.10	12.91	6.19
xx	सुजलोन को रिफंड	0.01	-	0.01
xxi	कुल योग	19.11	12.91	6.20
xxii	संचालन समिति द्वारा अनुमोदित की जाने वाली जारी राशि		0.61	
	कुल (xxi+xxii)		13.52	
	निवल शेष			5.59

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.13.1 पृष्ठ 57)

मोरनी-पिंजौर पहाड़ियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क एवं कालेसर में ईको-टूरिज्म की परियोजना की स्थिति

स्कीम/उप स्कीम का नाम	कुल कार्य	परियोजना लागत (₹ लाख में)	पूर्ण किया गया कार्य एवं व्यय		पूर्ण कार्य एवं व्यय			आरंभ नहीं किए गए कार्य एवं व्यय	
			कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	परियोजना लागत (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	परियोजना लागत (₹ लाख में)
(क) मोरनी/पिंजौर एवं सुल्तान में ईको-टूरिज्म									
मोरनी किला में ईको-टूरिज्म सुविधाओं का विकास	08	57.68	05	48.12	शून्य	शून्य	शून्य	03	4.94
लालमुनिया वन आराम गृह	06	31.04	01	1.56	02	25.06	24.05	03	3.17
टिक्कर एवं बड़ा ताल	09	44.45	02	5.18	06	38.06	30.45	01	शून्य
निगरानी टावर	06	12.50	01	2.11	01	2.50	1.75	04	7.50
प्राकृत टहलने का रास्ता	01	3.96	01	3.17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जल निकाय	19	133.31	07	43.61	06	78.97	62.26	06	2.56
सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क	01	38.70	01	37.93	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	03	7.55	02	7.00	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य
उप योग	53	329.19	20	148.68	15	144.59	118.51	18	18.17
(ख) कालेसर एवं बंसतौर में ईको-टूरिज्म									
कालेसर नेचर कैम्प	12	17.51	02	6.47	01	8.00	6.43	09	2.71
नेचर ट्रायल	01	3.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	3.50
चुहारपुर हर्बल पार्क	10	105.92	06	75.35	02	23.71	14.98	02	2.62
जल निकायों का निर्माण	01	100.00	01	99.22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बंसतौर नेचर कैम्प	12	82.80	02	9.27	04	53.51	20.87	06	17.96
नेचर ट्रायल	01	3.50	01	3.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप योग	37	313.23	12	193.80	7	85.22	42.28	18	26.79
सकल योग	90	642.42	32	342.48	22	229.81	160.79	36	44.96

परिशिष्ट 2.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.16.1 पृष्ठ 64)
स्टाफ की कमी दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पद	संस्वीकृत	तैनात कर्मी	कमी	प्रतिशतता
1.	भारतीय वन सेवा	69	60	9	13
2.	हरियाणा वन सेवा	54	45	9	17
3.	अनुभाग अधिकारी	1	1	-	-
4.	वन मानचित्र अधिकारी	1	1	-	-
5.	तहसीलदार	1	0	1	100
6.	नायब तहसीलदार	2	0	2	100
7.	वन रेंजर	106	87	19	18
8.	उप रेंजर	123	110	13	11
9.	वनपाल	527	509	18	03
10.	वन रक्षक	1547	1332	215	14
11.	टयूबवेल मशीन	2	0	2	100
12.	सर्कल प्रधान ड्राफ्टमैन	5	4	1	20
13.	प्रधान ड्राफ्टमैन	1	1	-	-
14.	ड्राफ्टमैन	11	7	4	36
15.	कानूनगो	7	3	4	57
16.	पटवारी	15	1	14	93
17.	सीमांकन पर्यवेक्षक	1	1	-	-
18.	तकनीकी सहायक	1	1	-	-
19.	सर्वेयर	3	3	-	-
20.	ड्राफ्टमैन - सह - सर्वेयर	1	1	-	-
21.	कलाकार	1	1	-	-
22.	फोटोग्राफर	1	1	-	-
23.	सांख्यिकीय सहायक	4	4	-	-
24.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	2	0	2	100
25.	कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर (परियोजना निदेशक, समुदायिक वानिकी)	13	0	13	100
26.	कैन्सर	1	1	-	-
27.	अतिरिक्त जिला अटार्नी	5	5	-	-
28.	स्थापना अधिकारी	2	2	-	-
29.	अधीक्षक	14	14	-	-
30.	मुख्य प्रचार अधिकारी	1	0	1	100
31.	उप अधीक्षक	48	48	-	-
32.	सहायक	113	122	(+) 9	-
33.	लेखापाल	0	0	-	-
34.	क्लर्क / टाईपिस्ट	236	214	22	09
35.	स्टेनोग्राफर	43	21	22	51
36.	स्टेनो टाईपिस्ट	23	10	13	57
37.	निजी सहायक	1	1	-	-
38.	जमादार सेवादार	6	2	4	67
39.	दफ्तरी	2	0	2	100

क्र. सं.	पद	संस्वीकृत	तैनात कर्मी	कमी	प्रतिशतता
40.	सेवादर/चौकीदार/माली	667	600	67	10
41.	प्रधान माली	2	0	2	100
42.	रेस्टोरर	1	0	1	100
43.	कार/जीप/ट्रैक्टर चालक	135	130	5	04
44.	ट्यूबवेल आपरेटर	1	1	-	-
45.	फुल/पार्ट टाईप स्वीपर	2	2	-	-
46.	कंप्यूटर	1	1	-	-
47.	ट्रैक्टर सफाईवाला	5	0	5	100
48.	मोबाफिज ट्री	2	1	1	50
49.	अनुसंधान अन्वेषक	1	1	-	-
50.	डी.पी.ओ.	2	3	(+) 1	-
51.	पर्यवेक्षक - सह - चालक	1	0	1	100
52.	सफाईवाला - सह - चौकीदार	4	4	-	-
53.	समूह घ (श्रमिक)	753	384	369	49
54.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) - सह - मुख्य वन्य जीवन	0	0	-	-
55.	वन संरक्षक (वन्य जीवन)	0	0	-	-
56.	मंडलीय वन्य जीवन अधिकारी	4	1	3	75
57.	वन्यजीवन निरीक्षक	19	16	3	16
58.	वन्यजीवन उप निरीक्षक	16	15	1	06
59.	वन्यजीवन रक्षक	72	49	23	32
60.	ड्राफ्टमैन	1	1	-	-
61.	सिनेमा सहायक	1	1	-	-
62.	ट्यूबवेल आपरेटर	1	1	-	-
63.	अधीक्षक	1	1	-	-
64.	जिला सहायक अटॉर्नी	1	1	-	-
65.	उप अधीक्षक	2	2	-	-
66.	सहायक	6	6	-	-
67.	क्लर्क	8	6	2	25
68.	वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर	1	0	1	100
69.	चालक	4	3	1	25
70.	सेवादर	7	6	1	14
71.	सेवादर - सह - चौकीदार	5	2	3	60
72.	अटेन्डेन्ट - सह - चौकीदार	1	1	-	-
73.	माली - सह - चौकीदार	4	4	-	-
74.	कीपर	4	4	-	-
75.	चौकीदार	1	1	-	-
76.	समूह घ (श्रमिक)	42	42	-	-
	कुल	4,772	3903	869	

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.17 पृष्ठ 65)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि (₹ लाख में)
1990-91	1	1	0.25
1991-92	1	1	0.77
1994-95	1	2	1.20
1996-97	1	1	0.80
1997-98	1	1	26.14
1998-99	2	2	4.44
1999-00	1	1	0.40
2000-01	1	1	3.52
2001-02	9	12	129.57
2002-03	7	14	70.51
2003-04	8	16	169.60
2004-05	10	35	645.45
2005-06	15	35	930.27
2006-07	14	30	808.18
2007-08	14	34	391.14
2008-09	21	58	746.04
2009-10	27	151	8,687.91
कुल	134	395	12,616.19

अर्थात् ₹ 126.16 करोड़

परिशिष्ट: 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.17 पृष्ठ 65)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं के श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	अनियमित/व्यर्थ/निष्फल व्यय	72	1885.99
2	पौधारोपणों की विफलता	19	146.20
3	सरकारी धन/निधियों/ऋण का अनियमित अवरोधन/दुरुपयोग/प्रयोग न करना/सरकारी निधियों का अवरोधन तथा बजट से अधिक व्यय	31	1341.18
4	कर्मचारी/एजेसियों/कान्ट्रैक्टरों इत्यादि से बकाया वसूलियां	50	1014.11
5	स्टाफ को पिछली मजदूरियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से इसकी अवसुली/दिहाड़ी श्रमिकों को अनियमित भुगतान	32	429.59
6	विविध अनियमितताएं	191	7799.12
	कुल	395	12,616.19

अर्थात् ₹ 126.16 करोड़

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3 पृष्ठ 74)

नर्सों एवं बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) की स्टाफ स्थिति का ब्यौरा
नर्सों

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	30	30	0	0
2	जी.एच. नरवाना	27	17	10	37
3	सी.एच.सी. सफीदों	12	11	1	8
4	सी.एच.सी. उचाना	5	5	0	0
5	सी.एच.सी. उजहाना	5	5	0	0
6	सी.एच.सी. कान्हेला	5	5	0	0
7	सी.एच.सी. कालवा	2	1	1	50
8	सी.एच.सी. खाराकरमजी	2	1	1	50
9	सी.एच.सी. जुलाना	5	5	0	0
कुल		93	80	13	14

बहुदेशीय कार्यकर्ता (महिला)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	2	2	0	0
2	जी.एच. नरवाना	2	2	0	0
3	सी.एच.सी. सफीदों	20	16	4	20
4	सी.एच.सी. उचाना	29	22	7	24
5	सी.एच.सी. उजहाना	27	13	14	52
6	सी.एच.सी. कान्हेला	18	15	3	17
7	सी.एच.सी. कालवा	24	21	3	13
8	सी.एच.सी. खाराकरमजी	17	14	3	18
9	सी.एच.सी. जुलाना	24	24	0	0
कुल		163	129	34	21

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11.1 पृष्ठ 81)

स्टाफ की स्थिति का ब्यौरा

क्र. सं.	पदनाम	विषय का नाम	कुल संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त	तेनात किए गए गेस्ट शिक्षक
1	प्राचार्य	गैर - शिक्षण	93	75	18	0
2	लेक्चरर	जीव विज्ञान	14	12	2	2
		रसायन विज्ञान	19	12	7	13
		वाणिज्य	15	12	3	11
		अर्थ शास्त्र	66	38	28	12
		अंग्रेजी	118	86	32	29
		फाईन आर्ट्स	1	1	0	0
		भूगोल	17	11	6	3
		हिन्दी	116	78	38	33
		इतिहास	98	59	39	28
		गृह विज्ञान	6	3	3	2
		गणित	32	17	15	10
		संगीत	1	0	1	0
		शारीरिक शिक्षा	1	1	0	0
		भौतिकी	19	7	12	14
		राजनीति विज्ञान	99	76	23	17
		मनोविज्ञान	1	0	1	0
		पंजाबी	5	1	4	1
		संस्कृत	52	43	9	10
		समाजशास्त्र	12	10	2	1
		कुल	692	467	225	186
3	मास्टर	गृह विज्ञान	18	18	0	1
		गणित	347	253	94	80
		संगीत	9	9	0	0
		डी.पी.ई	87	54	33	0
		विज्ञान	348	212	136	100
		समाज अध्ययन	686	483	203	174
		कुल	1495	1029	466	355
4	सी. एवं वी.	हिन्दी	326	295	31	26
		पंजाबी	28	29	-1	0
		संस्कृत	329	300	29	16
		कटाई एवं सिलाई	4	5	-1	0
		चित्रकला	294	280	14	11
		पी.टी.आई.	321	278	43	0
		कुल	1302	1187	115	53
5	प्रधानाध्यापक	गैर - शिक्षण	195	58	137	0
		कुल	195	58	137	0

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.1 पृष्ठ 132)

पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग में लागू अधिनियमों/नियमों तथा आदेशों को दर्शानेवाली विवरणी

केन्द्रीय अधिनियम तथा आदेश	
1.	पशु निर्ममता रोकथाम अधिनियम, 1960
2.	पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984
3.	पशुओं के संक्रमण रोग की रोकथाम अधिनियम, 2009
4.	पशुओं में संक्रामक एवं संपर्कित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2009
5.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
राज्य अधिनियम, नियम एवं आदेश	
1.	हरियाणा मुर्गह भैंस तथा दुधारू पशु प्रजनन (पशुपालन तथा डेयरी विकास क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 2001
2.	पंजाब पशुधन एवं पंक्षी रोग अधिनियम, 1948
3.	पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953
4.	दुधारू पशु अपराध अधिनियम, 1871
5.	पंजाब पशु संक्रामक रोग नियम, 1953
6.	डूउट एवं भारवाही पशु पर निर्ममता की रोकथाम नियम, 1965
7.	पशुओं पर निर्ममता (नालबंदी लाईसेंसिंग) की रोकथाम नियम, 1965
8.	हरियाणा गौ वध निषेध नियम, 1972
9.	परफौरमिंग पशु नियम, 1973
10.	जानवरों का परिवहन नियम, 1978
11.	जानवरों पर निर्ममता की रोकथाम (जुर्मनि लगाना) नियम, 1978
12.	जानवरों पर निर्ममता की रोकथाम (दुधारू पशु परिसर का पंजीकरण) नियम, 1978
13.	निर्ममता की रोकथाम (जानवरों को कब्जा) नियम, 1972
14.	परफौरमिंग पशु (पंजीकरण) नियम, 2001
15.	जानवरों पर निर्ममता रोकथाम (जानवरों का पैदल परिवहन) नियम, 2001
16.	जानवरों पर निर्ममता रोकथाम (बूचड़खाना) नियम, 2001
17.	जानवरों पर निर्ममता की रोकथाम (जानवरों पर निर्ममता की रोकथाम के लिए सोसाईटी की स्थापना तथा विनियम) नियम, 2001
18.	जानवर जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001
19.	हरियाणा मुर्गह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु प्रजनन नियम, 2002
20.	हरियाणा संकर दुधारू पशु खाद्य का विनियम, संकेन्द्र तथा मिनरल मिश्रण आदेश, 1999

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.1 पृष्ठ 133)

पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (100 प्रतिशत)	
1	पशु प्लेग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.ई.)
2	18वीं पशुधन गणना
3	चारा तथा खाद्य विकास हेतु स्कीम
4	पैर तथा मुंह रोग नियंत्रण कार्यक्रम
5	मवेशी तथा भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्कीम
6	एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास कार्यक्रम के लिए स्कीम
7	एकीकृत मुर्राह विकास परियोजना
8	मौजूदा एच.वी.टी.आई, हिसार के अपग्रेडेशन हेतु स्कीम
9	पशुधन बीमा स्कीम
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
केन्द्रीय हिस्सेदारी आधारित	
1	पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (एएस.सी.ए.डी.) (75:25)
2	पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना हेतु स्कीम (50:50)
3	सरकारी पोल्ट्रीफार्म के सुदृढ़ीकरण हेतु स्कीम (भूमि एवं भवन के आकृति में 8 लाख का राज्य हिस्सा)
4	दूध, अंडे, ऊन तथा मांस उत्पादन के नमूना सर्वे प्राक्कलन हेतु स्कीम (50:50)
राज्य स्कीम	
1	उपनिवेशक/अनुमंडलाधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा नये जिलों का निर्माण
2	नये पशुचिकित्सा औषधालयों को खोलना
3	पशु चिकित्सा औषधालय/स्टाकमैन केन्द्रों को एच.सी.बी.सी. में बदलना
4	पशु चिकित्सा संस्थानों का निर्माण/पुनरुद्धार/मरम्मत
5	नाबाई आर.आई.डी.एफ. VIII के अन्तर्गत राज्य में पशु चिकित्सा आधारभूत संरचना निर्माण/पुनः निर्माण
6	मौजूदा पशु चिकित्सा संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की स्कीम
7	पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार के गठन की स्कीम
8	राज्य में पशु स्वास्थ्य देखभाल की स्कीम
9	घरेलू पशु क्लीनिक के गठन की स्कीम
10	शिक्षित युवा को विशेष रोजगार हेतु स्कीम
11	हाई-टेक डेरी ईकाईयों की स्थापना हेतु स्कीम
12	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना की स्थापना हेतु स्कीम
13	एकीकृत मुर्राह विकास हेतु स्कीम
14	मेवात क्षेत्र में 2 दुधारू पशुओं की डेरी ईकाई की स्थापना
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा (एस.सी.एस.पी.) हेतु स्कीम
16	अनुसूचित जातियों को रोजगार अवसरों की स्कीम
17	शिक्षित युवा को विशेष रोजगार की स्कीम

जिला का नाम	कार्यालय का नाम
पंचकला	निदेशक पञ्चपालन तथा डी उद्योग विभाग, पंचकला उप निदेशक पञ्च पत्नी तथा रोग निवृत्त, पंचकला इत्यादि पञ्चपालन विकास बोर्ड, पंचकला
अम्बाला	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), अम्बाला उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), अम्बाला
भिवानी	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), भिवानी उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), भिवानी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), चरखी बाग़ी
फतेहगढ़	उप निदेशक (ए.एच.), फतेहगढ़ अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), टीहाना
हिसार	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), हिसार अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.) हिसार सहायक निदेशक राजकीय अंडल उत्पादितशाला, हिसार उप निदेशक राज्य मवेशी पजनन परियोजना मैकेनिकल अभियंता राजकीय पशुधन कर्म, हिसार अधीक्षक राज्य मवेशी पजनन परियोजना, हिसार
जींद	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), नरवाना
झज्जर	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), झज्जर अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), बहादुरगढ़
कैथल	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), कैथल अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), गूलडा
करनाल	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), करनाल अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), करनाल
कुरुक्षेत्र	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), पहावा अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), पहावा
रेवाड़ी	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), रेवाड़ी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), रेवाड़ी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), कोसली

लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों की सूची

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.5 पृष्ठ 134)

पृष्ठ 4.3

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.6.1 पृष्ठ 134)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	गतिविधियां
1.	पशुचिकित्सा संस्थानों का निर्माण/पुनरुद्धार/मरम्मत
2.	राज्य में पशु स्वास्थ्य देखभाल
3.	एकीकृत मुराह विकास
4.	अम्बाला तथा हिसार (एस.सी.एस.पी.) में मौजूदा पिग्गरी फार्म का सुदृढीकरण
5.	मौजूदा पशुचिकित्सा संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण
6.	पशुधन बीमा
7.	लघु डेरी इकाईयों की स्थापना द्वारा डेरी विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शिक्षित/अर्ध-शिक्षित युवकों/युवतियों को विशेष रोजगार

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.7.2 पृष्ठ 136)

विभिन्न जिलों में बैंक खातों में पड़ी निधियों के ब्यौरे दर्शानेवाली विवरणी

क्र. सं.	डी.डी.ओ. का नाम	बैंक का नाम तथा खाता संख्या	जमा राशि	अर्जित ब्याज	को स्थिति
			(₹ लाख में)		
1.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), अम्बाला सहायक पॉल्ट्री विकास अधिकारी, अम्बाला	एस.बी.आई. अम्बाला (30084161671)	0.07	लागू नहीं	दिसम्बर 2010
		एस.बी.आई. अम्बाला. 30169378737	9.15	2.28	सितम्बर 2010
2.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), भिवानी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), भिवानी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), चरखी दादरी	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (3576)	51.52	8.31	जनवरी 2011
		यूनियन बैंक आफ इण्डिया (483002010070222)	90.37	0.35	जनवरी 2011
		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (65086128994)	59.59	लागू नहीं	सितम्बर 2010
		भिवानी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक (11197)	0.01	लागू नहीं	जून 2010
3.	उप निदेशक (ए.एच.), फतेहाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (11117519161)	32.00	लागू नहीं	जून 2010
4.	उप निदेशक (ए.एच.), हिसार सहायक निदेशक राजकीय अंडज उत्पत्तिशाला, हिसार	एक्सिस बैंक (260010100131599)	5.67	लागू नहीं	दिसम्बर 2010
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (30759153803)	17.49	1.32	जनवरी 2011
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10440798955)	0.36	लागू नहीं	अप्रैल 2010
5.	उप निदेशक, कैथल अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.) गुलहा	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स (00452011003677)	5.38	0.17	दिसम्बर 2010
		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (190311050096)	1.25	लागू नहीं	अप्रैल 2010
6.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), करनाल	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स (52092010009650)	5.43	0.25	दिसम्बर 2010
7.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.) पेहोवा	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स (01962010082740)	10.31	0.24	दिसम्बर 2010
		एक्सिस बैंक (314010100060093)	14.41	0.65	दिसम्बर 2010
		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (55105260611)	0.17	शून्य	दिसम्बर 2010
8.	उप निदेशक (ए.एच.), रेवाड़ी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), रेवाड़ी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), कोसली	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (30472100469)	20.71	लागू नहीं	फरवरी 2011
		यूनियन बैंक आफ इण्डिया (2170052028)	1.01	0.05	दिसम्बर 2010
		यूनियन बैंक आफ इण्डिया (2010010336)	2.38	0.06	दिसम्बर 2010
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10575563145)	6.37	लागू नहीं	फरवरी 2011
9.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), नरवाना	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (55088507420)	60.76	लागू नहीं	जुलाई 2010
10.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), टोहाना	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	17.50	लागू नहीं	जून 2010
11.	उप निदेशक, राज्य दुधारू पशु प्रजनन परियोजना, हिसार	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10440797101)	3.17	लागू नहीं	जून 2010
	कुल		415.08	13.68	

अर्थात् ₹ 4.15 करोड़

* हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से संबंधित कार्यों के लिए महानिदेशक द्वारा उपयोग किया गया ब्याज।

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.10.2 पृष्ठ 157)

उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने उनकी तैनाती के स्थानों से पृथक स्थानों से वेतन आहरित किया, का ब्यौरा

तैनाती स्थान तथा आहरित वेतन	व्यक्तियों की संख्या	पद	कार्य का वास्तविक स्थान
अम्बाला	25	पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक	जींद
पंचकुला	8		फतेहाबाद
करनाल	10		पानीपत
	7		फतेहाबाद
यमुनानगर	5		रेवाड़ी
गुडगांव	16		हिसार
मेवात	20		रोहतक
	14		सिरसा
पलवल	20		सोनीपत
	21		झज्जर
अम्बाला	1	उपाधीक्षक	पंचकुला
फतेहाबाद	2	क्लर्क	हिसार
	1	स्वीपर	
हिसार	1	सहायक	हिसार*
	1	पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक	हांसी
	1		हिसार*
	1	क्लर्क	हिसार*
	1	स्वीपर	हिसार*
	1	सेवादर	हिसार*
	1	बेलदार	हांसी
करनाल	2	पशु चिकित्सा सर्जन	रोहतक
	2	प्रयोगशाला सहायक	सोनीपत
	1	सहायक	पंचकुला
कुरुक्षेत्र	1	सहायक	करनाल
कुल	163		

* इंगित करता है कि कर्मचारी उसी स्टेशन पर काम कर रहे थे किंतु वेतन दूसरे आहरण एवं संवितरण अधिकारी से आहरित कर रहे थे।

कार्यालय का नाम	प्रत्येक मूल्य / मूल्य	विवरण
	(₹ लाख में)	
सहायक वॉल्टी विकास अधिकारी, अम्बाला	6.56	विविध भंडार सामग्रियां
उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.) भिवानी	0.16	विविध भंडार सामग्रियां
अनुसंधान अधिकारी (ए.एच.), चरखीवाड़ी	3.00	जीप
उप निदेशक (ए.एच.), हिसार	3.60	जीप
सहायक निदेशक राजकीय अंडल उत्पादियाला, हिसार	1.24	जेनेरेटर
भौतिकीय इंजीनियर, राजकीय प्रशिक्षण फार्म, हिसार	10.64	चार वाहन तथा कृषि उपकरण
कुल	25.20	

विभिन्न कार्यालयों में निपटान की प्रतीक्षा में पड़े बेकार भंडारों/वाहनों का ब्यौता

(संदर्भ: अनटिंड 4.1.11.3 पृष्ठ 158)

परिशिष्ट 4.7

शब्दावली



जिला शिक्षा अधिकारी	डी.ई.ओ.
उप-निदेशक	डी.डी.जी
आहरण एवं संचितरण अधिकारियों	डी.डी.ओ.जी
उप-निदेशक, औद्योगिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य	डी.डी.आई.एस.एच.
उपायुक्त	डी.सी.
सिविल पब्लिशिंग विभाग	सी.पी.डी.
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	सी.एस.आई.आर.
कन्द्रीय सड़क कोष	सी.आर.एफ.
मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी	सी.पी.डी.ओ.
मुख्य परियोजना निदेशक	सी.पी.डी.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सी.एच.सी.जी
सामुदायिक वित्तियोग	सी.एफ.पी.
वन संरक्षक	सी.एफ.
मुख्य वन संरक्षक	डी.सी.एफ.जी
प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	सी.ए.एम.पी.ए.
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	सी.ए.जी.
भारत यात्रा केंद्र	बी.वाई.के.
बिन्दु अप स्टे याउट	बी.ए.एस.जी.
गरीबी रेखा से नीचे	बी.पी.एल.
भारतीय मानक ब्यूरो	बी.आई.एस.
स्वतंत्र विकास एवं पंचायत अधिकारियों	बी.डी.पी.ओ.जी
भवन एवं सड़क	बी.एच.आर.
कृषि कार्टेवाइड टिप्पणियां	ए.टी.एन.जी
प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य एंक्टिविस्ट	ए.एस.एच.ए.
शैक्षिक कर्मचारी महाविद्यालय	ए.एस.सी.
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	ए.आर.जी.
गरीबी रेखा से ऊपर	ए.पी.एल.
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	ए.आई.सी.टी.ई.
कृषि गणना	ए.आई.
अतिरिक्त उपायुक्त	ए.डी.सी.जी.
अतीव्य अन्न योजना	ए.ए.वाई.
वार्षिक कार्य योजना	ए.ए.पी.

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

हरियाणा वन विकास निगम	एच.एफ.डी.सी.
हरियाणा बिजली वितरण निगम	एच.बी.वी.एन.
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण अभिक कल्याण बोर्ड	एच.बी.ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी.
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	एच.ए.यू.
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन.
हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली	एच.ए.आर.आर.आई.एस.
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों	जी.एस.एस.एस.ज
वैश्विक स्थैतिक तंत्र	जी.पी.एस.
ग्राम पंचायतें	जी.पी.ज
भारत सरकार	जी.ओ.आई.
राजकीय उच्च विद्यालय	जी.एच.एस.ज
फतेहबाद जल सेवाएं	एफ.डब्ल्यू.एस.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	एफ.एस.डी.
विचार्युक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार	एफ.सी.पी.एस.
भारतीय खाद्य निगम	एफ.सी.आई.
प्रवेश बिंदु मतिविधियां	ई.पी.ए.
कार्यकारी अधिकारियों	ई.ओ.ज
कार्यकारी अभियंता	ई.ई.
मंडलीय वन्य जीव अधिकारियों	डी.डब्ल्यू.एल.ओ.ज
जिला शहरी विकास अभिकरण	डी.यू.डी.ए.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	डी.एस.टी.
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	डी.एस.आई.आर.
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	डी.आर.डी.ए.
जिला रूकसास सीसाइंटियां	डी.आर.सी.एस.
जिला पर्यटन योजना	डी.पी.पी.
जिला योजना अधिकारी	डी.पी.ओ.
जिला परियोजना समन्वयक	डी.पी.सी.
जिला योजना समिति	डी.पी.सी.
जिला स्तरीय ई-दिशा केन्द्र	डी.एन.ई.डी.सी.
जिला स्वास्थ्य सीसाइटी	डी.एच.एस.
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	डी.एच.बी.वी.एन.
महानिदेशक	डी.जी.
जिला खाद्य एवं आपूर्ति निबंधक	डी.एफ.एस.सी.
मंडलीय वन अधिकारियों	डी.एफ.ओ.ज

समशीला जापन	एम.ओ.यू.
पद्यावरण एवं वन मंत्रालय	एम.ओ.ई.एफ.
दृश्य एवं दृश्य उत्पाद आदेश	एम.एम.पी.ओ.
निचली मुख्य लाईन	एम.एल.एल.
औद्योगिक विकास मंत्रालय	एम.आई.डी.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाएँ गांधी अधिनियम	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.
नगर समिति उद्याना	एम.सी.यू.
नगर परिषद जीए	एम.सी.जे.
लोक जल सेवाएँ	एल.डब्ल्यू.एस.
निम्न दण्ड	एल.टी.
शीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	एल.पी.सी.डी.
निम्न बिटमिन्स गिट्टी	एल.बी.एम.
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	जे.एन.एन.यू.आर.एम.
जापान अन्तर्राष्ट्रीय शहरी आश्चर्य	जे.आई.सी.ए.
संयुक्त निदेशको	जे.डी.जे.
अन्तर्राष्ट्रीय शहरी आश्चर्य, जापान	जे.बी.आई.सी.
अंतर-गामीय उपकरण	आई.यू.डी.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	आई.टी.आई.
निरीक्षण प्रतिवेदना	आई.आर.जे.
भारतीय रूड काम सोसाइटी	आई.आर.सी.
भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक	आई.पी.एच.एस.
आइस लाईन रेकॉर्डर	आई.एल.आर.
यंत्रोपकरण अभियांत्रिकी संस्थान	आई.आई.ई.
एकीकृत आवास एवं ग्रामीण निवासी कार्यक्रम	आई.एच.एस.डी.पी.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय युवा विधवावहार	आई.जी.एन.ओ.यू.
आय सृजन गतिविधियाँ	आई.जी.ए.
भारतीय वन सेवाएँ	आई.एफ.एस.
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	आई.सी.एच.आर.
इन्दिरा आवास योजना	आई.ए.वाई.
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	एच.यू.डी.ए.
उच्च दण्ड	एच.टी.
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	एच.एस.ए.एम.बी.
हरियाणा पुलिस आवास निर्माण लिमिटेड	एच.पी.एच.सी.एल.
हरियाणा पर्यायन विकास बोर्ड	एच.एल.डी.बी.

अधीक्षण अधिवृत्त	एस.ई.
उप-मंडल अधिकाधिकारियाँ	एस.डी.ओ.ज
उप-कन्स्टी	एस.सी.ज
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	एस.सी./एस.टी.
भारतीय स्टेट बैंक	एस.बी.आई.
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिवृत्त	आर.एस.एम.ए.
अनुसंधान छात्र	आर.एस.
पुनर्वास एवं सुधार	आर.आर.
क्षेत्रीय कार्यालय	आर.ओ.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	आर.के.वी.वाइ.
लोक निर्माण विभाग	पी.डब्ल्यू.डी.
पंचायती राज संस्थानों	पी.आर.आई.ज
जन्म-पूर्व जांच परीक्षण	पी.एन.डी.टी.
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	पी.एम.जी.एस.वाइ.
पंचायत भूमि संरक्षण अधिनियम	पी.एल.पी.ए.
जन-स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग	पी.एच.ई.डी.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों	पी.एच.सी.ज
स्नातकोत्तर	पी.जी.
सांख्यिक विवरण प्रणाली	पी.डी.एस.
प्रधान मंत्र्य वन संरक्षक	पी.सी.सी.एफ.
ऑरियंटल बैंक आफ कामर्स	ओ.बी.सी.
नहरणा जल सेवाएं	एन.डब्ल्यू.एस.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	एन.आर.एच.एम.
निवृत्त वरिष्ठमान मंत्र्य	एन.पी.वी.
राष्ट्रीय अध्यापन नियंत्रण कायुक्तम	एन.पी.सी.बी.
राष्ट्रीय संचना केंद्र	एन.आई.सी.
प्राकृतिक गंधान	एन.आई.
गैर-सरकारी संगठनों	एन.जी.ओ.ज
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबाइ)
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद	एन.ए.ए.सी.
मीटिक टनज	एम.टी.ज
गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन	एम.टी.पी.
न्यूनतम समर्थन मूल्य	एम.एस.पी.
बर्ड-उद्देशीय स्वास्थ्य कायुक्तम	एम.पी.एच.डब्ल्यू.

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजोगार योजना	एस.जी.एस.वाडें.
स्वयं सहायता समूह	एस.एच.जी.ज
राज्य स्तरीय संस्मृति समिति	एस.एल.एस.सी.
पुलिस अधीक्षक	एस.पी.
सर्व शिक्षा अभियान	एस.एस.ए.
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कायदाकम	टी.ई.क्यू.आइ.पी.
बारहवा विन आयोग	टी.एफ.सी.
ललित साठ्वजनिक विनरणा प्रणाली	टी.पी.डी.एस.
पूर्वा स्वच्छता संवर्धन	टी.एस.सी.
उपयोग प्रमाण - पत्र	यू.सी.
अंतर - न्नातक	यू.जी.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	यू.जी.सी.
विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	यू.आइ.ई.टी.
ग्रामीण वन समितियां	बी.एफ.सी.ज
ग्रामीण संसाधन प्रबंधन समितियां	बी.आर.एम.सी.ज
जल बाधक मिट्टी	डब्ल्यू.बी.एम.
पडिचमी जमना नहर	डब्ल्यू.जी.सी.
जल सेवाएं मंडल	डब्ल्यू.एस.डी.
जिला परिषद	जेड.पी.

